Saturday, 23 December, 1978

लोक-सभा वाद-विवाद

हिन्दी संस्करण

[छठा सत्र]

Preservation Unit
14-10-92
Parliament Library

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 50 (22) (1)
Date 18.5.79

[खंड 21 में अंक 21 से 25 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 25, शनिवार, 23 दिसम्बर, 1978/2 पौष, 1900(शक)

पृष्ठ

निधन संबंधी उल्लेख 1

(श्री मोहन लाल वाकली वाल का निधन)

इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग विमान के अपहरण तथा देश के विभिन्न भागों में उत्पन्न हिंसा के वातावरण पर चर्चा 1—92

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन 1

श्री आर० वेंकटारमन 5

श्री चरण सिंह

श्री कंवर लाल गुप्त 7

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर 17

डा० सरदीश राय 19

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री 21

श्री निर्मल चन्द्र जैन 24

श्री यादवेन्द्र दत्त 26

श्री वसन्त साठे 28

श्री चिमन भाई एच० शुक्ल 30

श्री सौगत राय 31

श्री विजय सिंह नाहर 34

श्रीमती मोहसिना किदवई 35

श्री लक्ष्मीनारायण नायक 38

प्रो० पी० जी० मावलंकर 40

श्री शंभूनाथ चतुर्वेदी 44

श्री के० सूर्यनारायण 46

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी 48

श्री एस० एस० सोमानी 50

श्री जनार्दन पुजारी 52

श्री उग्रसेन 53

श्री मही लाल 56

श्री आर० कोलनथाईवेलु 57

श्री भारत भूषण 59

श्री युवराज 61

श्री ओम प्रकाश त्यागी 63

श्री गेव एम० अवारी 65

डा० रामजी सिंह 67
श्री श्रीकृष्ण सिंह 69
श्री पी० वेंकटसुब्बैया 70
श्री बी० पी० मंडल 72
श्री मोरार जी देसाई 76
श्री सी० एम० स्टीफन 76
कुमारी मणिबेन वल्लभभाई पटेल 79
श्री पटटाभि राम राव 80
श्री दिलीप चक्रवर्ती 81
श्री के० लकप्पा 83
श्री मृत्युजंय प्रसाद 86
श्री बी० सी० कांबले 88
श्री पुरुषोत्तम कौशिक 89

लोक सभा

शनिवार, 23 दिसम्बर, 1978/2 पौष, 1900 (शक)

लोक सभा 10 बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को अपने एक भूतपूर्व साथी, श्री मोहन लाल बाकलीवाल, जिनका निधन 77 वर्ष की आयु में, 21 दिसम्बर, 1978 को भिलाई में हुआ है, के बारे में सूचित करना है।

1957—67 के दौरान श्री मोहनलाल बाक्लीवाल दूसरी तथा तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। वह मध्य प्रदेश में दुर्ग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे । इससे पूर्व-वर्ष 1937—39 तथा 1954—57 के दौरान वह मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और 1932 से 42 के दौरान वह कई बार जेल गए । एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वे कई सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध थे और उन्होंने अपने शहर में नागरिक निकाय में विभिन्न पदों पर कार्य किया । वह हिन्दी साहित्य सम्मेलन, दुर्ग के अध्यक्ष भी थे।

एक कार्मिक संघी होने के नाते उन्होंने मजदूर वर्ग की समस्याओं में अत्यधिक रुचि ली और भिलाई मजदूर संघ के अध्यक्ष के पद पर भी काम किया । एक सक्रिय संसदविद् के रूप में उन्होंने संसदीय वाद-विवाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया । वर्ष 1954—57 के दौरान वह लोक लेखा समिति के सदस्य भी रहे

हमें अपने इस मित्र के निधन पर गहरा दुख है और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति सांत्वना प्रदान करने में यह सभा मेरा साथ देगी ।

सभा शोक प्रकट करने हेतु कुछ क्षणों के लिए मौन खड़ी होती है।

इसके पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़े रहे ।

इण्डियन एयर लाइन्स के बोइंग विमान के अपहरण तथा देश के विभिन्न भागों में उत्पन्न हिंसा के वातावरण पर चर्चा

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं यह चर्चा आरम्भ करूं, मैं आपके माध्यम से मैं विपक्ष के नेता को बधाई देता हूं जिनकी-आज साठ वर्ष की आयु हो गई है। आज उनका 60 वां जन्म दिन है । मुझे विश्वास है कि उन्हें तथा श्री चरण सिंह को, जो आज अपना 77 वां जन्म दिन मना रहे हैं, बधाई देने में प्रत्येक सदस्य मेरा साथ देगा ।

श्रीमान यह अच्छी बात है कि सभा को इस मामले पर आज वाद-विवाद करने का अवसर मिला है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है ।

20 दिसम्बर, की शाम को इंडियन एयर लाइन्स के विमान का जो अपहरण हुआ है वह कोई दुर्घटना नहीं है । श्रीमान यह दुर्घटना नहीं थी क्योंकि यह एक विशेष राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण का परिणाम है। श्रीमान इससे हमें चिन्ता होनी स्वाभाविक है और गत कुछ वर्षों से इस तरह आतंक फैलाने वाली कार्यवाहियों से समूचे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में गड़बड़ी पैदा हो गई है।

श्रीमान, 20 दिसम्बर, की इस घटना के बारे में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में पहला प्रश्न यह उत्पन्न होगा कि क्या यह कुछ निर्बुद्धि नवयुवकों का अपने आप में एक अलग ही कार्य है। यह इस तरह की पहली वारदात है।

दूसरे, क्या यह राजनीतिक प्रेरणा से किया गया ? वे कौन है ? उनका क्या उद्देश्य था ? उनकी कैसी मांगे हैं ?

तीसरे, क्या यह अपने ढंग की एक अकेली घटना है ?

श्रीमान, मेरे विचार से अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार करने से पूर्व इन तीन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए ।

पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि क्या यह कुछ बुद्धिहीन नवयुवकों की करतूत है । मैं ऐसा नहीं समझता । मैं किसी पर छींटा कसी नहीं कर रहा हूं और न ही इस समय मैं यह कह रहा हूं कि यह किसी ग्रुप या किसी राजनैतिक दल का काम है । किन्तु उनके स्वरूप, उनके ध्येय तथा उनकी मांगों से ऐसा लगता है कि यह राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित होकर किया गया है ।

श्रीमान मैं नहीं समझता कि कोई अपराध करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि न तो विपक्ष का नेता और न ही उनके साथी और न ही हमारा कोई मित्र इस पर आपत्ति करेगा कि इन दो नव-युवकों का सम्बन्ध कांग्रेस (ई) दल से है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : नहीं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप इन्कार कर रहे हैं, इसका स्वागत है और यह अच्छा भी है । यह सर्वविदित है कि उनमें से एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री का विश्वासपात्र है । और कम से कम मैं एक बात आपको बता सकता हूं कि जब अविभाजित कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री को निकालने की मांग की जा रही थी तो वे उस समय बहुत सक्रिय थे और तत्कालीन प्रधान मंत्री के तथा कथित दूतों के रूप में उनका उनसे गहरा सम्बन्ध था । वे उस समय लखनऊ के कान्टन होटल में कैसे ठहरे, उसके बारे में कई लोगों को पता हैं जिनके साथ वे घूमा करते थे । इससे पहले कि आप अधिक विरोध करें । आप मेरे साथ इस करतूत की निन्दा करें । चाहे उनका सम्बन्ध आपके दल से है, आपको उनकी निन्दा करनी चाहिए क्योंकि हमें कतिपय लोकतांत्रिक सिद्धान्तों तथा जीवन मूल्यों की रक्षा करनी हैं जो आज दुर्दशा में है । उसके बाद वे अमेठी श्रमदान शिविर में सक्रिय रहे अतः उनकी पहचान को अधिक समय के लिए गुप्त नहीं रखा जा सकता है····(**व्यवधान**) इन षड़यंत्रकारियों का राजनीतिक आचरण उनकी मांगों के स्वरूप से ही स्पष्ट हो जाता है । ये राजनीतिक मांगें थीं । हो सकता है ऐसा उन्होंने अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया होगा । ऐसा उन्होंने नाटकीय ढंग से किया। मैं इन पर अभी नहीं बोलना चाहता । किन्तु उनकी मांग श्रीमती इंदिरा गांधी को रिहा करने की थी। इतना ही नहीं वे चाहते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ही नहीं बल्कि संजय गांधी के विरुद्ध जो भी मामले

थे, उन्हें वापस ले लिया जाये और जनता सरकार त्यागपत्र दे दे। जब कल सभा को इस बारे में सूचित किया गया तो उसके बाद बेहत्तर यह होता यदि विपक्ष के नेता अविश्वास प्रस्ताव पेश कर देते। मैंने उन्हें ऐसा करने में उत्सुक नहीं पाया। संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक स्थितियों को ऐसे निपटाया जाता हैं। कल प्रधान मंत्री तथा भूतपूर्व गृह मंत्री के बीच हुई बातचीत को सुनने के बाद विपक्ष के नेता को यहां अविश्वास प्रस्ताव लाना था। किन्तु दुर्भाग्य से .....

श्री एम० सत्यनारायण राव : उन्हें ऐसा करने से किसी ने नहीं रोका था।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : यह कोई उत्तर नहीं हुआ (**व्यवधान**)

संसदीय लोकतंत्र में यही तरीका अपनाया जाता है। अतः प्रश्न इन नवयुवकों के ध्येय का है। दुर्भाग्य से, यह कहा गया है। कि इस सभा के निर्णय के संदर्भ में हिंसा भड़की है, जहाज का अपहरण हुआ है, और सार्वजनिक सम्पत्ति को लूटा जा रहा है। इसके दूसरे कारण भी हैं। अपने दल के आन्तरिक झगड़ों का हल निकालने के लिए कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में श्रीमती इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के नाम पर कर्नाटक के मुख्य मंत्री के मित्रों पर हमला किया जा रहा है। एक बहुत ही निन्दनीय घटना घटी है। मुझे उम्मीद है कि सभा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष, प्रो० समर गुह के निवास-स्थान पर हुए हमले की निन्दा करेगी। यह उन्होंने कल बताया।

बुनियादी तौर पर यह सभा के एक वैधानिक कार्य के विरुद्ध आन्दोलन का रूप ग्रहण करता जा रहा है। पता नहीं यह संसदीय लोकतंत्र की परम्परा के अनुसार है या महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू की परम्परा में है। तब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था। मैंने यह पढ़ा है कि चौरी चौरा में जब हिंसा भड़क उठी तो गांधी जी ने यह कहा कि मैं इस आन्दोलन को जारी नहीं रखूंगा। मैं इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखूंगा। मुझे खेद है कि दूसरे पक्ष के हमारे मित्रों ने इस सब की निन्दा नहीं की है।

मैं यह नहीं कहता कि आप संसद के निर्णय से सहमत नहीं हो सकते। मतभेद के अपने और किसी दूसरे के अधिकार और असहमति को सही ढंग से व्यक्त करने के अधिकार पर में जोर देता हूं। सभा के निर्णय से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया और सभा की अवमानना की लेकिन जितनी सजा दी गयी, उससे मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन बहुमत की ही चलती है। क्या आप मतदाताओं के निर्णय को स्वीकार करते हैं? जैसा कि वे कह रहे हैं, क्या आप भी यह कहना चाहते हैं कि सारी बात एक धोखा थी? प्रश्न यही है। संसदीय लोकतंत्र में, निर्णय, चाहे वह कितना भी अरुचिकर हो, पर बाद मतभेद रखने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन यदि आपको संसदीय लोकतंत्र को बनाये रखना है, यदि आप देश की एकता को बनाये रखना चाहते हैं और यदि आप देश की अखंडता को बरकरार रखना चाहते हैं तो मतभेद की एक स्कीम आपको रखनी होगी और आप उस सीमा को लांघ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि संसदीय लोकतंत्र का पश्चिमी रूप ही हमारी सभी बीमारियों का आदर्श इलाज है और हमारे सामाजिक संघर्षों का समाधान है। लेकिन दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। यही कारण है कि हममें से कुछ लोगों ने जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन का विरोध किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने महत्वपूर्ण मसले नहीं उठाये, लेकिन आन्दोलन अर्थहीन था। इसमें फासीवादी आन्दोलन के उभरने की आशंका थी जो कि संसदीय कार्य प्रणाली के लिए खतरा बन सकता था। यह एक बुनियादी प्रश्न है कि संसदीय कार्य-प्रणाली में अपने सामाजिक या राजनीतिक विवादों को हम कैसे सुलझायें कोई उत्तर देने का दावाव मैं नहीं करता। लेकिन इस बारे में हमारी चिन्ता बनी रहेगी कि हमारे समाज और राजनीतिक संस्था में जो तनाव बढ़ता जा रहा है उसे संसदीय कार्यप्रणाली को बरकरार रखते हुए कैसे समाप्त किया जा सकता है और शान्ति पूर्ण संघर्ष कैसे चलाया जा सकता है। मैं यही नहीं कहता कि इसके आसान रास्ते और आसान उत्तर हैं। मैं इस बात को नहीं मानता कि जयप्रकाश नारायण का

आन्दोलन गलत था और इंदिरा गांधी की रिहाई का आन्दोलन सही है । एक मजबूत आधार वाले फिलीस्तान मुक्ति संगठन जैसे आन्दोलन को मैं स्वीकार कर सकता हूं, हालांकि हम यह स्वीकार नहीं करते कि ·····

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन में किसी को जिन्दा नहीं जलाया गया।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : देश के भविष्य के लिए राजनीतिक व्यवहार के तरीकों का बहुत महत्व है । यहीं पर असहमति होती है । संघर्ष और आंदोलन यदि एक व्यक्ति की गतिविधियों और आकांक्षाओं पर केन्द्रित हो जायेंगे तो इस कार्यवायों की परिणति हिंसक और आतंकवादी आन्दोलन में होगी ही आपने मांगों के आधार पर राजनीतिक आन्दोलन नहीं किया है । केन्द्र में या राज्यों में जनता शासन के विरुद्ध बड़ा आन्दोलन यदि होता तो बात समझ में आती, लेकिन ये सब कैसे आन्दोलन है ? शाह आयोग को समाप्त करो, मामलो को वापस लो, अमुक व्यक्ति को छोड़ दिया जाये—इन सब बातों से जनता शासन कैसे समाप्त होगा और एक विकल्प कैसे सामने रखा जायेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता ।

इस मामले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं एक तथ्य हथियारों के बारे में है विमान चालक ने पहले तो यह समझा कि वे हथियारों से पूरी तरह लैस हैं और कप्तान ने नजदीक से एक पिस्तोल देखी कप्तान की बात की पुष्टि जहाज के कुछ यात्रियों ने भी की उन्होंने कहा कि पहली पिस्तोल तो सच मुच की पिस्तोल थी लेकिन पिस्तौल जैसा खिलौना बाद में आया :

दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ रही है। मेरा आरोप सुरक्षा जांच के बारे में है। मैं नाम नहीं बताना चाहता लेकिन दो व्यक्ति वहां से गुजरे और उस दिन उनकी बिल्कुल भी जाँच नहीं की गयी । ड्यूटी पर तैनात कान्सटैबल खड़ा तक नहीं हुआ और एक नम्र सवाल पूछा गया—आप कहां जा रहे हैं ? यदि ऐसा है तो खिलौना पिस्तौल को ले जाने का कार्य उन लोगों का हो सकता है जो इसमें लिप्त हैं । में यह जानना चाहता हूं कि क्या पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मंत्री या केन्द्रीय सरकार ने अपने स्लूय या केन्द्रीय जांच ब्यूरों या किसी अन्य एजैसी को वहां भेजा है ? मुख्य मंत्री और उनके सहायकों के ऊपर ही जांच कार्य क्यों छोड़ा गया है ? यह राष्ट्रीय चिन्ता का मामला है । व्यक्ति जिसने अपनी असमर्थता सिद्ध कर दी और जिसने लोगों को छुड़ाने का दावा किया , आधी रात के बाद ही वहां पहुंचा और कंट्रोल टावर से उनके साथ सम्पर्क किया और रात के दो बजे सोने के लिए चला गया । एक सेवा निवृत आई० सी० एस० अधिकारी श्री शुक्ल और दो अन्य व्यक्ति ही उनसे वार्तालाप करते रहे। इसलिए समाचार पत्रों में जो कहानी छपी है, वह एक दम गलत है । यह किसी को बचाने का प्रयत्न है । पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मंत्री महोदय तथा प्रधान मंत्री महोदय से मैं यह वचन लेना चाहता हूं कि इन सभी प्रश्नों की केन्द्रीय जांच दलों द्वारा पूरी जांच करायी जायेगी । जो कुछ इस समय हो रहा है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा यह बहुत गम्भीर प्रश्न है।

अब, मैं अपहरण के प्रश्न पर आता हूं जिसे किसी ने खतरे की उड़ती हुई जेल में बदलने की सज़ा दी है। यह बड़े शर्म की बात है कि इस समय तक हमने इस बारे में कोई कानून नहीं बनाया है, जबकि पाकिस्तान में और दूसरे देशों में इसके लिए मृत्यु दंड की सज़ा दी जा सकती है। पता नहीं भारतीय विमान अधिनियम में संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता और चालक के स्थान में जबर्दस्ती घुसने वाले व्यक्ति को सज़ा क्यों नहीं दी जा सकती । इस स्थिति को टालने का कोई कानूनी उपाय इस समय नहीं है । स्वतंत्रता के साथ ही सुरक्षा की भी आवश्यकता है और आप इस बात से सहमत होंगे कि इन दोनों में सन्तुलन होना चाहिएं । यहां तक कि इंग्लैंड , जिसकी मिसाल हम अकसर देते हैं, में भी आतकवाद

विरोधी अधिनियम है जिसे सरकार बहुत बड़ी बहस के बाद प्रस्तुत कर सकी है। जब तक कानून का शासन है, अपराधी का क्या किया जाय इसका महत्व रहेगा, लेकिन पीड़ितों की क्या हालत होगी इस पर भी विचार करना होगा। इस देश को सभी प्रकार के दुस्साहसियों का शिकार-स्थल नहीं बनाया जा सकता।

दुर्भाग्य से, इस देश में हिंसा का वातावरण बना हुआ है। अल्पसंख्यकों और समाज के उत्पीड़ित व्यक्तियों के विरुद्ध हो रही हिंसा पर हमने चर्चा की है। इस हिंसा से तनाव पैदा हो रहा है। दुर्भाग्य से पिछले कई महीनों विशेषकर जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद, हिंसा के शिकार होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने तथा सामाजिक तथा साम्प्रदायिक क्षेत्रों में हिंसा बढ़ने में निकट का सम्बन्ध है। इस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि एक महत्वपूर्ण संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन वह धुरी है जिस पर जनता पार्टी घूमती है। इसलिए जब इस संगठन को अलीगढ़ में और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कार्य करने दिया जा रहा है और इसके घोषित फासीवादी आन्दोलन को हतोत्साहित करने की बजाय उत्साहित किया जा रहा और जब गांधीवादी नेता तथा जनता पार्टी के अध्यक्ष उसकी पैरवी कर रहे हैं, तो हिंसात्मक राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उनके प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध होंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। प्रधान मंत्री 'निर्भय बनो' के सिद्धान्त के पक्षधर हैं और अन्य बातों के अलावा इस सिद्धान्त के लिए उन्हें जाना जाता है। महत्व केवल इस बात का ही नहीं है कि वह निर्भय रहें, बल्कि उनका दायित्व यह भी है कि वह लोगों को भय-मुक्त करें। मुझे आशा है कि दोनों पक्ष इस बात को मानेंगे कि संसदीय लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए कानून का शासन जरूरी है न कि जंगल का शासन।

अध्यक्ष महोदय : इससे अगले वक्ताओं को केवल दस-दस मिनट मिलेंगे। एक लम्बी सूची है ..... **(व्यवधान)**

प्रस्तुतकर्ता को अधिक समय मिलता है।

श्री आर० वेंकटारमन: (मद्रास दक्षिण) : महोदय, जब इस विषय की घोषणा की गयी और सभा इस पर विचार करने के लिए सहमत हो गयी तो मैंने सोचा था कि हमें एक ऐसा अवसर मिलेगा जब हम, अपने मतभेदों के बावजूद, संयुक्त रूप से लोगों की इस आशा और आकांक्षा को व्यक्त कर सकेंगे कि देश में शान्ति कायम रखी जायेगी। मैंने सोचा कि हम सबके लिए यह एक ऐसा अवसर है जब हम सब संयुक्त रूप से यह अपील करें कि किसी को भी मतभेद रखने और उसे शान्तिपूर्वक और अहिंसक रूप में व्यक्त करने का अधिकार है। साथ ही किसी पक्ष द्वारा की गयी हिंसा की निन्दा करनी है। मुझे खेद है कि मेरे प्रबुद्ध मित्र, जिन्होंने यह चर्चा आरम्भ की, ने सभा में किसी ओर हार फैंके और किसी ओर ईंटें।

श्री मनी राम बागड़ी: (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाएंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मनी राम बागड़ी : मैं बहैसियत लोक सभा के मेम्बर के अभी आ रहा था। मेरी गाड़ी में मेरा लड़का था और मेरे लड़के का श्वसुर था। गेट पर मेरी गाड़ी को रोका गया और मेरी गाड़ी की तलाशी लेनी चाही। आपके दरवाजे के बाहर यह हुआ। क्या आप पार्लियामेंट को मुकम्मिल तानाशाह बनाना चाहते हैं। कोई मेम्बर आफ पार्लियामेंट इधर आ रहा हो, उसकी गाड़ी को रोक कर उसकी तलाशी ली जाए। क्या इस को लोक सभा या जनतंत्र कह सकते हैं? मेरे कहने के बावजूद कि यह मेरा लड़का है, उसको रोका जाता है और कहा जाता है कि किसी को अन्दर जाने का हुक्म नहीं है, कोई नहीं जा सकता है। आप क्या इसे स्टालिनग्राद या लेनिनग्राद बनाना चाहते हैं? अगर कोई आदमी गैर जिम्मेदार हो तो बात दूसरी है, यहां पर कौन आदमी गैर-जिम्मेदार है? मेरे लड़के के साथ यह वारदात

हुई है। क्या मेम्बरों के साथ इस तरह से किया जाना ठीक है? इस तरीके से यह वारदात लोक सभा के हद के अन्दर हो तो इसे क्या आप तानाशाह बनाना चाहते हैं? इसको रोका जाये। यह बात बड़े शर्म की है। मेरे लड़के को पास नहीं दिया गया और मुझ को कहा गया कि किसी के लड़के को भी पास नहीं दिया जाएगा (**व्यवधान**)।

श्री के० गोपाल: (करुर) : आपने कहा कि आज के लिए कोई पास नहीं दिये जायेंगे। हमने पासों के लिए आवेदन किया, लेकिन आपने कहा की पास नहीं दिये जायेंगे।

····· (**व्यवधान**) यह क्या है?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: (कन्नानूर) : आपने सभा को यह सूचना दी थी कि कोई पास नहीं दिये जायेंगे। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे कुछ भी नहीं कहने दे रहे हैं। आप खुद ही बोले जा रहे हैं।

श्री के० गोपाल: यहां पर बैठे हुए अपने अधिकारियों से आप पूछ सकते हैं। कल लोगों को पास नहीं दिये गये। यह क्या है?**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: पता नहीं आज आपने दर्शकों को क्यों रोका है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: श्री गोपाल आप खुद ही बोले चले जा रहे हैं। (**व्यवधान**)।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यह श्री बागड़ी का ही अनुभव नहीं है। मेरे मामले में भी मैं और चार अन्य संसद-सदस्य कार में आ रहे थे। पुलिस मैनों ने हमारी कार भी द्वार पर रोकी। हमने पूछा "आप क्यों रोक रहे हैं?" उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। हमें कुछ समय के लिए रोके रखा गया: वास्तव में बाधा पहुचायी गयी। यह सब क्यों हुआ?

श्री के० गोपाल: यहां बैठे अधिकारियों पर ही आपने सब कुछ छोड़ दिया है···· (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा: (तुमकुर) : अध्यक्ष महोदय····· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे बताने नहीं देते····ठीक है।

श्री के० गोपाल: हम यह जानना चाहते हैं कि किस अधिकार से आपके अधिकारियों ने हिदायतें दी'? आप बुलेटिन के माध्यम से इसकी सूचना क्यों नहीं देते? (**व्यवधान**) मैं यह जानना चाहता हूं, कि क्या आपने यहां बैठे अधिकारियों को हिदायतें दी हैं? इस संसद का नियमन आप कैसे कर रहे हैं?

श्री के० लकप्पा : क्या सरकार के पास जारी न करने की हिदायतें दी हैं? यहां तक कि मंत्रियों को भी नहीं आने दिया जाता·····

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपनी बात कह चुके? अब मैं बताता हू कि क्या आदेश हैं। (**व्यवधान**) मैं आपको बताऊंगा कि क्या आदेश जारी किये गये (**व्यवधान**) मैं आपको बताता हूं कि कौन से कार्यालय आदेश जारी किये गये।

श्री दौलत राम सारण: (चुरु) : क्या यह हो रहा है बाहर? किसी मैम्बर के साथ उसका निजी व्यक्ति या परिवार का आदमी भी नहीं आ सकता है, उसको आने नहीं दिया जाता है, गेट के बाहर उतार देते हैं। मेरे साथ मेरे सहायक आए थे, उनको वहां बाहर उतार लिया है। बाहर छोड़ कर मैं आ रहा हूं।

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री मनी राम बागड़ी : यह मैम्बरों की बेइज्जती है । यह किसी तरीके से बरदाश्त नहीं हो सकती है । कोई मिनिस्टर हमारे से ज्यादा जिम्मेदार नहीं है, कोई बड़े से बड़ा आदमी हमारे से बड़ा जिम्मेदार नहीं है ।

श्री के० गोपाल : हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने अनुदेश दिए हैं, यदि हां तो आपने इसे समाचारों के माध्यम से क्यों नहीं किया ? (**व्यवधान**)

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि यह एक गंभीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर हम यह वाद-विवाद न करें। हम अब किसी और मामले पर चर्चा करें। आप जानना चाहते है कि मेरे क्या आदेश थे ? श्री कंवर लाल गुप्त आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए । आप श्री लकप्पा तथा अन्य कुछ सदस्य प्रत्येक मामले में जरूर ही टाग अड़ाते हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में मत रखिये ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं यह धारणा नहीं बनाना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सुनें कि मेरे क्या आदेश थे ।

श्री कंवर लाल गुप्त : श्रीमान यदि यहां नहीं है और उसका बेटा यहां हैं तो उसकी खोज नहीं की जानी चाहिए में आपकी बात से सहमत हूं । किन्तु लोगों को यहां आकर देखने की अनुमति दी जानी चाहिए कि संसद में क्या हो रहा है । हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए । अब आपात-स्थिति नहीं है । यह व्यावहारिक रूप से जनता पार्टी का शासन है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया क्या आप मेरी बात सुनेंगे जहां तक सभा के बाहर की बात हैं, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कोई आदेश नहीं दिए हैं। जहां तक अन्दर के पासों का सम्बन्ध है, मैंने कहा था कि चूंकि आज एक बहुत बड़ी रैली होनी है, इसलिए सीधे तौर पर पास जारी करने पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए । मैंने निदेश दिया है (**व्यवधान**)

श्री मनी राम बागड़ी : आप नजर दौड़ा कर देखिये एक भी विजीटर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि प्रत्येक सदस्य की पत्नी, उसके बच्चों, विधायकों, भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पास जारी किए जाने चाहिए । किन्तु साथ ही मैंने यह भी कहा है कि पास जारी करने से हमें कुछ नियंत्रण रखना चाहिए इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि कोई बात हो जायेगी तो आप फिर मुझे जिम्मेदार ठहरायेगें । इसलिए मैंने निश्चित अनुदेश दे दिए हैं कि नियंत्रण रखने के बावजूद भी सदस्यों को पास जारी करने में किसी प्रकार की आनाकानी न की जाये । ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए । अन्य लोगों को पास जारी करने में हमें सतर्कता बरतनी चाहिए (**व्यवधान**)

श्री के० गोपाल : श्रीमान् मैंने मद्रास के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के लिए पास मांगा है । वह मेरे सहपाठी रह चुके हैं । वह भारतीय प्रशासनिक सेवा है । क्या उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती । वे उन्हें कैसे रोक रहे हैं ?

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्हें रोका गया है तो यह बहुत बुरी बात है। आप इस बारे में मेरे से एक विशेष शिकायत करिये । मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री के० गोपाल : आप जांच कर लीजिए वह एक आई० ए० एस० का अधिकारी है।

श्री वसन्त साठे : ऐसा तो केवल गुप्त बैठक में होता है। कृपया नियम 248 को देखिये ।

"सदन नेता द्वारा प्रार्थना की जाने पर अध्यक्ष कोई दिन या उसका भाग सभा की गोपनीय बैठक के लिए निश्चित करेगा।

जब सभा की गोपनीय बैठक हो तो किसी बाहरी व्यक्ति को सभा भवन (सभाकक्ष या दीर्घाओं में उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होगी)।

परन्तु राज्य सभा के सदस्य अपनी दीर्घा में उपस्थित रह सकेंगे।

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सभा भवन, सभा कक्ष, या दीर्घाओं में उपस्थित रह सकेंगे।"

अब आपका आदेश है कि केवल विधायक .....

अध्यक्ष महोदय : केवल विधायक ही नहीं

श्री वसन्त साठे : भूतपूर्व संसद सदस्य/वर्तमान संसद सदस्यों के बेटे पत्नी या लड़कियां ...

अध्यक्ष महोदय : अन्य लोग भी

श्री वसन्त साठे : ये नियम 248 के अन्तर्गत आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नियम 248 में ऐसी व्यवस्था नहीं है।

श्री वसन्त साठे : केवल तभी आप प्रतिबन्ध लगा सकेंगे । अध्यक्ष भी कतिपय सीमाओं के अंदर पाबन्दी लगा सकता है। सामान्य काल में, सिवाय जब कोई गुप्त बैठक हो रही हो, किसी व्यक्ति को नहीं रोका जाना चाहिए। संसद सदस्य जिम्मेदारी लेते हैं। जब हम पास के लिए निवेदन करते हैं तो हम जिम्मेदारी भी लेते हैं कि इस व्यक्ति को हम जानते हैं । यहां तक विशेषाधिकार प्रस्ताव पर हुई गर्मागर्म बहस के दौरान भी कुछ नहीं हुआ जबकि दीर्घाएं पूरी तरह भरी हुई थीं; आज के मामले में क्या गंभीरता है जबकि हमारे आवेदन पत्रों पर लोगों को पास जारी नहीं किए जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि आज दीर्घाएं बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। यह सब क्या है ?

श्री के० गोपाल : यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आप पांचवीं बार उठ रहे हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): मेरे दोस्त आप सभा का कानून तोड़ने वाले हैं । **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : आप को इतना ही पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं । श्री शिव नारायण आपके साथ यही मुसीबत है।

श्री शिव नारायण : कल मैंने वहां जाकर गेट पर चैक किया तो तुम्हारे एम०पी० ने कहा कि हमने रोका है **(व्यवधान)**

श्री मालिकार्जुन : सरकार द्वारा सामान्य प्रभावों से विचलित उनके लिए शर्मनाक है क्योंकि लोगों को पास जारी किए बिना चर्चा चल रही है।

श्री विनायक प्रसाद यादव : कल लिखकर दिया है लेकिन आज तक हम लोगों को पास नहीं मिला ।

श्री के० लकप्पा : इस तरह की स्थिति चल रही है।

श्री मालिकार्जुन : प्रेस की स्वतंत्रता तथा देश के नागरिकों की स्वतंत्रता का क्या कहना आप तो तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं । (**व्यवधान**)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : किसी ने भी हमें बताने की कोशिश नहीं की है। पासों को जारी करने के बारे में आपका क्या निर्देश है। आज सत्र का अंतिम दिन है, हमने पासों के लिए आवेदन पत्र दे रखे हैं। हमें यह भी नहीं बताया गया है कि पास जारी नहीं किए जायेंगे। हमें कुछ पता नहीं है। क्योंकि यह कोई तरीका नहीं है। यहां तक कि आपात-स्थिति के दौरान भी लोगों को पास जारी करने के नियम इतने कठोर नहीं थे। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुनें । आपका मुझे सुनना अधिक महत्वपूर्ण है ।

श्री के० गोपाल : कृपया आप हमें बताएं कि आप भविष्य में क्या करेंगें ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे स्थगित करना चाहते हैं । (**व्यवधान**)
यदि उन्होंने मेरे अनुदेशों का उल्लंघन किया है तो आप शिकायत करिये मैं अवश्य ही अपेक्षित कार्यवाही करूंगा ।

श्री के० गोपाल : मैं आपको बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : निस्संदेह ।

श्री के० गोपाल : आप भी हमें बताएं कि आपके क्या अनुदेश थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता चका हूं कि मैंने क्या अनुदेश दिए थे'

श्री के० गोपाल : हमें कैसे पता चलेगा। उन्हें हमें बताना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि यह चर्चा आज न हो ?

श्री के० गोपाल : चर्चा सारे दिन चल सकती है। मैं इस पर आपके आदेश जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही बता चुका हूं । प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति को पास दिए जायेंगे ।

श्री के० गोपाल : जब आपने अनुदेश जारी किए हैं तो क्या उनके बारे में जानना हमारा अधिकार नहीं है?

श्री के० लकप्पा : मेरे मतदाता संसद को देखने के लिए यहां हैं। आप मुझे क्या उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री के० गोपाल : आप कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री माठे यह 6 बजे देखा जाएगा कि क्या हम 6 बजे के बाद भी बैठे अथवा नहीं !

श्री के० लकप्पा : आप हमारे सभी अनुरोधों की उपेक्षा कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं ----(**व्यवधान**) यदि आप मध्यान्ह भोजन के बाद के लिए कुछ पास चाहते हैं तो आप आवेदन पत्र भेज दें । मैं आपको पास जारी करवा दूंगा ।

श्री मनी राम बागड़ी : मेरा प्रस्ताव है कि हिन्दुस्तान के कोने-कोने से एक करोड़ किसान आये हुए हैं, हम सब किसानों के प्रतिनिधि हैं, 26 तारीख तक इस सदन को स्थगित कर दो, ताकि सब लोग किसान रैली में जा सकें।

कुछ माननीय सदस्य : ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के द्वारा सदस्य अनावश्यक रूप से सत्र को लम्बा खींच रहे हैं क्योंकि जब मैंने चर्चा एक बार आरम्भ कर दी है तो क्या पता हमें फिर बैठना पड़ जाये और यदि 6 बजे सभी दल सहमत नहीं हो जायेंगे तो यह चर्चा अगले दिन चलेगी । यदि आप लोगों की यही इच्छा है तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि सत्र आज ही समाप्त हो जाये । यदि इस तरीके से आप सत्र को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे पक्ष की ओर से 6 बजे आपत्ति उठायी जायेगी । परसों मैंने 6 बजे के बाद बैठक बढ़ाने से इन्कार कर दिया था। अतः इसका सम्बन्ध सभी दलों से है । आखिर आप लोगों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में भी जाना है । (**व्यवधान**) श्री गोपाल अब आप सातवीं बार उठ रहे हैं। मैं पहले ही अनुदेश जारी कर चुका हूं।

श्री के० गोपाल : क्या आपको हमें नहीं बताना चाहिए ?

श्री एडुआर्डो कैलीरो : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पहले भी पीठ का यह विनिर्णय रहा है कि सदस्यों को अपने कोटों पर बैज लगाकर सभा में नहीं आना चाहिए और विशेषकर जबकि एक प्रदर्शन होने वाला है। सभा के अंदर सदस्यों द्वारा कोटों पर बैज लगाने से भड़काव होगा।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर पहले ही विनिर्णय दिया गया है कि कोई भी सदस्य सभा में बैज लगाकर नहीं आयेगा ।

श्री आर० वेंकटरमन : मुझे आशा है कि ये 20 मिनट मेरे नाम पर नहीं जोड़े जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आपके नाम पर नहीं। कृपया आगे आप बढ़िये।

श्री आर० वेंकटरमन : मैं एक ऐसा वातावरण बनाना चाहता हूं जिसमें आप विचार लोगों तक पहुंचाया जा सके.....

श्री विनायक प्रसाद यादव : अध्यक्ष, महोदय, बैज के बारे में आप कह रहे हैं तो जो गांधी टोपी लगाये हुए हैं वह भी एक सिम्बल है ।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में विनिर्णय दिया हुआ है। कृपया वाद-विवाद आगे बढ़ने दीजिए।

श्री विनायक प्रसाद यादव : एक सिम्बल को चाहेंगे कि कोई लगाकर हाउस में न आये तो दूसरे सिम्बल पर भी वही लागू होगा। गांधी टोपी भी सिम्बल है, देसाई साहब पहने हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी सदस्य बैज लगाकर सभा में नहीं आ सकता । वाद-विवाद आगे बढ़ाया जाये । (**व्यवधान**)

श्री आर० वेंकटरमन : यदि इस अवसर का उपयोग हम एक दूसरे पर छींटाकसी करके या आलोचना करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए करेंगे तो यह देश के प्रति एक अनुचित काम होगा ; क्या इस वाद-विवाद का उद्देश्य इस बात को ध्यान में न रखकर कि इसके देश के लिए क्या परिणाम निकलेंगे । किसी दल पर आरोप लगाना है ?

अतः सर्वप्रथम मैं सभा से अपील करूंगा कि हमें इस मामले भावावेश में आये बिना विचार करना है और रह सुनिश्चित करना है कि ऐसी कोई बात न हो जिससे तनाव और बढ़े किन्तु देश में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश में यह सशक्त राय है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री को जो दंड दिया गया है वह कठोर था और अपराध तथा दंड में समुचित अनुपात नहीं था। जिससे इंकार नहीं किया जा सकता और यदि लोग इसे इन्कार करना चाहते हैं तो वे जीवन की वास्तविकताओं को नहीं समझ रहे हैं। भारत तथा विदेशों के समाचार पत्रों ने इस कार्यवाही की तीव्र आलोचना की है। उन्हें पढ़ने में मैं सभा का समय नहीं गंवाना चाहूंगा। मेरे पास कटिंग्स हैं।

एक माननीय सदस्य : डेली टेलीग्राफ का क्या हुआ?

श्री आर० वेंकटरमन : मैंने डेली टेलीग्राफ को भी देखा है। किन्तु लगता है कि उनकी राय गलत है। उन्होंने लिखा है कि सभा में क्रास वोटिंग हुई है। और विभिन्न दलों के सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया है। क्या यह सही बात है? मैं कहता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ लगाकर इसका स्वयं उतर दें। क्या सत्ता रूढ़ दल को छोड़कर किसी अन्य दल के सदस्य ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री को दिए गए दंड के पक्ष में अपना मत दिया है? इसलिए जब मैं यह कहता हूं----

श्री निर्मल चन्द्र जैन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है। आप व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री निर्मल चन्द्र जैन : मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस सभा के निर्णय की इस तरह आलोचना की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। निष्कर्ष से उनका मतभेद हो सकता है।

श्री आर० वेंकटरमन : इसकी आलोचना हुई है और आलोचना करने का अधिकार भी है और इसकी आलोचना भारत और विदेशी अखबारों में भी हुई है। इस कार्यवाही से देश में बहुत असंतोष हुआ है और यह असंतोष कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जो लोग यह सोचते हैं कि उन्हें संसद के किसी निर्णय से असहमत होने का अधिकार है, वे ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि वे कानून की सीमाओं के अंदर रहें। लोकतंत्र में असहमत होने का अधिकार अनिवार्य है।

प्रत्येक व्यक्ति को यह कहने का अधिकार है कि मामले में लिया गया निर्णय सही है और वह अपनी आत्मा के अनुसार काम कर सकता है। इस बारे में एक बात यह है कि कोई व्यक्ति हिंसा पर उतारू न हो और जन धन का नुक्सान न करे। हमने गांधी जी से यही पाठ सीखा है। राष्ट्रपति ने हमें यही पाठ पढ़ाया है। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भेदभाव पूर्ण कानूनों का विरोध किया और अपने आपको जेल जाने के लिए गिरफ्तार करवाया। उन्होंने विमति टिप्पण देने के इस अधिकार का प्रयोग किया। जब गांधीजी ने लोगों की आजादी के लिए आन्दोलन के उद्देश्य इस देश में नमक कानून तोड़ा है, तो उन्होंने नियमित प्रकट करने के इस अधिकार का प्रयोग किया। अतः इस देश के लोग महसूस करते हैं कि कतिपय दण्ड अनुपात में नहीं है या आवंति है और उन्हें विमति प्रकट करने और अपनी बात मनवाने के लिए यह कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने इससे इन्कार किया है। संसद द्वारा दण्ड निर्धारित करने के लिए बाद इस देश में जो हुआ वह यह है कि हजारों लोगों ने इस कार्यवाही का विरोध किया। केवल तमिलनाडु में कल तक 11,000 लोग गिरफ्तार किये गए। हिंसा की कोई घटना नहीं थी। उन्होंने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके अपने आपको गिरफ्तार करवाया जो सच्चे सत्याग्रहियों के रूप में उनका अधिकार है। देश को अन्य लोगों में भी शान्ति पूर्ण प्रतिरोध किया गया और नाममात्र हिंसा

की वारदातें हुई हैं। अब यह कहना कि कांग्रेस (आई) पार्टी द्वारा की गई कार्यवाही के कारण देश में हिंसा का वातावरण पैदा हो गया है, अतिशयोक्ति होगी। मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि राष्ट्र कोई विशेष कार्यवाही चाहता है तो वह विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। यह संकल्प पास कर सकता है, अभ्यावेदन दे सकता है, यह उसे आदेशों का उल्लंघन कर सकता है जो प्रतिरोध को कारगार सिद्ध कर सके। क्या हमने पहले घरना नहीं दिया, क्या हमने पहले 144 आदेशों का उल्लंघन नहीं किया है? अतः मेरा यह कहना है कि हमें इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना चाहिए ।....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको 10 मिनट दिये हैं।

श्री वेंकटरमन: मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समस्या के प्रति संतुलित रूख हो। मैंने यह शुरू में कहा है कि कांग्रेस (आई) ने हिंसा की कार्यवाही की निन्दा की है। इसने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे हिंसा की गतिविधियों में भाग न लें। जेल जाने से पूर्व श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने लोगों से शांति रहने के लिए कहा था, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक संकल्प पास किया। इसके बावजूद भी यदि कुछ लोग ऐसी कार्यवाही करते हैं तो यह किसी प्रकार के कहने से नहीं है। अतः आपको यह देखना है कि पार्टी को दोष न दिया जाये। प्रत्येक पार्टी में हमेशा हठधर्मी तथा दुराग्रही तत्व होते हैं। इन उग्र तत्वों के कारण सारी पार्टी की निन्दा नहीं की जानी चाहिए।

समाचार पत्रों में जब इस विमान अपहरण की खबर आई तो इससे देश में भारी रोष पैदा हुआ था। हम सबने महसूस किया, परन्तु अन्त में जब यह खिलौना पिस्तोल और एक क्रिकेट गेंद निकली, तो यह इस वर्ष का मजाक बन गया। इसके अलावा उन लोगों ने कोई धमकी नहीं दी या कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की। उन्होंने आत्म समर्पण कर दिया मालूम पड़ता है। यदि यह घटना 1 अप्रैल को होती तो हम सब इसे अप्रैल-फूल मज़ाक कहते।

अध्यक्ष महोदय : सौभाग्यवश आप उस विमान में नहीं थे।

प्रो० समर गुह: आप जैसे इतने वरिष्ठ सदस्य को मामले को इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। आप इसे 1 अप्रैल-फूल का मज़ाक बना रहे हैं। क्या इस मामले से निपटने का यह तरीका है?

श्री आर० वेंकटरमन: मैं कह रहा था कि जहाज में बैठे लोगों के लिए यह मजाक नहीं था और इसे मामूली नहीं समझा जाना चाहिए। इस अवसर मैं यह कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह किसी दल या संगठन से सम्बन्धित हो, विमान अपहरण का प्रयास देश में सबसे घिनौना अपराध है। (**व्यवधान**) हमें इसकी निन्दा करनी है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: यहां पर दो बातें हैं। कोई हत्या हो जाती है, परन्तु हत्यारे को सिद्ध करने के लिए न्यायालय में प्रमाण पेश करना होता है। परन्तु केवल यह कहना कि अपहरण हुआ है इसलिए कांग्रेस (आई) की निन्दा की जानी चाहिए यह तर्क समझ में नहीं आता।

श्री भारत भूषण: अपहरणकर्ता कांग्रेस (आई) युवा वर्ग के सदस्य हैं और उन्होंने इस कार्यवाही द्वारा कांग्रेस (आई) के नेता की रिहाई की मांग की है। अतः कांग्रेस (आई) उत्तरदायित्व से नहीं बच सकती ।

(**व्यवधान**)

श्री आर० वेंकटरमन: विमान अपहरण के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा की गई थी। बोन में हुई इस घोषणा में कहा गया था कि देश अपहरणकर्ताओं को शरण नहीं दें और अनेक देशों ने

बोन घोषणा मान भी ली है। उन्होंने यह भी कहा है कि विमान अपहरण को अत्यन्त गंभीर तथा कठोर अपराध मानने के लिए देशों में दाण्डिक कानून बनाये जाने चाहिए। अतः हमें भी इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करना होगा। परन्तु यह कहना कि एक विमान का अपहरण किया गया और इसलिए कांग्रेस पर मुकदमा चलाया जाये, सभी तर्कों से परे है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चरण सिंह।

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरी एक आपत्ति है। श्री चरण सिंह बोले, परन्तु यह सही नहीं है। मेरा नाम भी वक्ताओं की सूची में है।

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने तुम्हें दूसरी बार बोलने का समय दिया तो आपने कहा कि कांग्रेसी सदस्यों को अवसर दिया जाये।

श्री चरण सिंह (बागपत) माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां मैं माननीय उन्नीकृष्णन् जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, वहां मुझको अभी माननीय वैंकटरामण जी का भाषण सुन कर अत्यन्त तकलीफ़ हुई। उन्होंने एक बात को कन्सीडर कर के, मान कर, उस में जो शर्तें लगाई हैं, उसमें पहली जो बात मानी गई, वह बेमानी हो जाती है।

आज देश के अन्दर अनेक समस्यायें हैं। यह हमारे देश की बदकिस्मती है कि कुछ समस्यायें जो अंग्रेजों से हमें विरास्त में मिली, उनको हम हल नहीं कर पाये हैं और उन के साथ-साथ कुछ नई समस्यायें देश में पैदा हो गई हैं—— उन का भी हल नहीं हो पाया है। आज देश में चारों तरफ अशान्ति है, गरीबी के सवाल को लेकर, भूमिहीनों के सवाल को ले कर, साम्प्रदायिकता के सवाल को लेकर और कुछ ऐसे सूबे हैं जहां जमींदारी अभी भी सही मायनों में खत्म नहीं हुई है। कुछ पुराने गरीब काश्तकार थे, जिन को जमींदारों ने अपनी खेती से, अपनी होल्डिंग्ज से डंडों से हांक दिया, वहां समस्या पैदा हुई और उस का नतीजा हुआ——नक्सलाइट मूवमेन्ट का जन्म।

इन के अलावा हमारे देश में बहुत सी ऐसी समस्यायें थीं——जैसे बिरादरी, भाषा और धर्म। ये तीनों ऐसी चीजें थीं जो बजाय एक भाई को दूसरे भाई से यूनाइट करें, उन को एक करने, उनको मिलाने का काम करें, ये सब सैन्ट्रीफ्यूगल——फोर्सेज थीं, जो एक दूसरे को अलग करने का काम करती थीं। धर्म का परिणाम तो यहां तक निकला कि देश तकसीम हो गया और हम को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। उस के बाद जो दो चीजें रह गईं——भाषा और बिरादरी——इन का इलाज कभी कर पायेंगे या नहीं——यह भविष्य बतलायेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है——जिन कारणों से देश गुलाम हुआ था, वे कारण अभी तक खत्म नहीं हुए, बल्कि उन के अन्दर और नये कारण शामिल हो गये हैं।

अब सवाल पैदा होता है——हम सब लोग जो आज इधर बैठे हैं, कल उधर बैठ सकते हैं और उधर वाले इधर बैठ सकते हैं——डेमोक्रेसी में ऐसा होता रहता है——लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ कानून और कुछ मान्यतायें ऐसी हैं, जिन को लेकर हम सब को चलना होगा। अगर किसी मान्यता पर हम चलें और आप उस पर न चलें, तो वह डेमोक्रेसी चल नहीं सकती है, उस पर विवाद नहीं हो सकता है। जैसे "11तीयां 33" होते हैं, मैं 33 मानता हूं, लेकिन आप कहें, मैं तो 32 मानता हूं, तब फिर कोई बहस नहीं हो सकती है। इस में कोई इलैक्शन या डेमोक्रेसी का सवाल नहीं उठता है, यह तो सत्य है। मैं यह समझता हूं कि जनतन्त्र को चलाने के लिये शान्ति की और कानून को मानने की जरूरत है, मैं समझता हूं इस पर सब एक मत हैं। अब जैसा वैंकटरमण जी ने फरमाया——डीसेन्ट का, मतभेद का राइट होना चाहिये, वह तो है ही, लेकिन किस हद तक ? जहां डिसेन्ट का राइट है, तो उस की लिमिटेशन भी होगी, सीमा होगी, अगर सरकार की किसी पालिसी से या एक्जीक्यूटिव एक्शन से हमें

मतभेद है, तो हम उसको जाहिर कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा के अन्दर, उसका यह मतलब नहीं है कि हम आग लगायेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जलायेंगे, बैंक को जलायेंगे, यूनिवर्सिटी और हाई कोर्ट की बिल्डिंग को जलायेंगे, या आप से मतभेद रखनेवाले के घर को जलायेंगे या रूलिंग पार्टी के किसी मेम्बर के घर पर गोला फेंकेंगे--मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी बातों को किया जा सकता है।

मैं फिर दोहराना चाहता हूं--देश का भविष्य बहुत अंधकार में है। गवर्नमेंट की किसी एक्जीक्यूटिव पालिसी से हमारा मतभेद है तो उसका इज़हार होना चाहिए, उस का अधिकार आपको है वरना डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, लेकिन उस की सीमा रहेगी। आप शांतिपूर्ण डिमांस्ट्रेशन करें, आवश्यकता हो तो सत्याग्रह भी करें। हालांकि जो मेरी रीजनल पार्टी थी--बी०के०डी० उसके मैनिफैस्टो में यह था कि हम स्ट्राइक करें, इण्डस्ट्रियल वर्कर्स की स्ट्राइक करें, लेकिन यह मेरी परसनल राय है कि हर मामले को सत्याग्रह या स्ट्राइक से हल करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं और इस बारे में मेरे अपने साथियों से मेरा मतभेद था। उस समय हम सब लोग अपोजीशन में थे, मेरी उस वक्त भी यह राय थी कि इस तरह से मुल्क चलने वाला नहीं है। आज किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट है कल हम भी वहां हो सकते हैं--तब आप भी ऐसा ही करेंगे। मैं यह मानता हूं उसमें अधिकार है-- सत्याग्रह का और डिमंस्ट्रेशन का। सवाल यह पैदा होता है कि क्या अदालतों के फैसले के खिलाफ सत्याग्रह होगा? क्या डाइसेंट का राइट इस हद तक जाएगा? क्या पार्लियामेंट के फैसले के खिलाफ भी डाइसेंट कराएंगे? नहीं अदालतों के फैसले के खिलाफ डाइसेंट का राइट हर्गिज नहीं हो सकता है। मैं समझ नहीं पाया हूं एक बात। जब श्री वैंकटरामन साहब भाषण कर रहे थे तो मुस्कराहट के साथ भाषण क्यों कर रहे थे? मुझे अत्यन्त वेदना हुई जब कुछ बातों को कंसीड करने के साथ साथ वह मुस्करा भी रहे थे। क्या आपको वाकई रंज है जो हाइजैकिंग प्लेन का हुआ है? उनकी डिमांड क्या थी? इंदिरा गांधी को छोड़ने की थी। क्या यह मुनासिब किया गया है? क्या आप इसको डिफेंड करते हैं? नहीं करेंगे और न ही करना चाहिए। महाराष्ट्र में या किसी और पर श्रीमती इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ वायलेंस हुआ और गोली चली तो क्या इस तरह के चीज को डिफेंड किया जा सकता है?

माननीय समर गुहा यहां पर बैठे हुए हैं। उनके घर पर बम पड़ा है। उनकी धर्म पत्नी और बच्ची घर पर थे। वे बच गये हैं। मैं हाउस में केवल इसलिए आया हूं कि पार्लियामेंटरी कमेटी का चेयरमैन होने के नाते इस अपराध के बदले उनके घर पर बम गिराया गया है, लेकिन मुझे रिलीफ और राहत खास तौर पर मिली है कि दोनों बच्ची और मां बच गई हैं। अब में पूछता हूं कि क्या यह मुनासिब था? सात आदमी बंगलोर में जला दिए गए हैं क्या यह मुनासिब है?

श्रीमती इंदिरा गांधी ने और आपकी सरकार ने जब 1975 में देश में एमरजैन्सी लागू की थी तब ऐसी कोई चीज विरोधियों की तरफ से हुई थी? हर्गिज नहीं। सिर्फ हम लोगों ने··· (व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं कि क्या हाईजैकिंग किया गया था? क्या किसी कांग्रेसी लीडर के घर पर, प्रामिनेंट कांग्रेस लीडर पर बम फेंका गया था? क्या किसी को जलाया गया था? नहीं। डैमंस्ट्रेशन करने का हक तब था और अब भी है--अगर शोर मचायेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आप शोर मचायेंगे तो इधर से भी मचाया जाएगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। 1975 में हम लोगों ने केवल डैमंस्ट्रेशन करना तय किया था उससे ज्यादा नहीं। मैं कैटेगोरिकिली फिर कहना चाहता हूं कि आप में से कोई साहब जब बोलने के लिए खड़े हो उधर से तो मेरी इस बात का जवाब दें कि क्या तब कोई हाईजैकिंग हुआ था, क्या किसी प्रामिनेंट कांग्रेस लीडर के मकान पर बम फेंका गया था? क्या कहीं पर सात आदमी इस तरह से जलाए गए थे। गाड़ी में, ट्रांसपोर्ट में, बस में? नहीं। डैमंस्ट्रेशन करने का हमने निश्चय किया था। आप डैमंस्ट्रेशन

किसके खिलाफ कर रहे हैं? हाईकोर्ट के फैसले पर अमल न करने के खिलाफ। आप उलटा कर रहे हैं। हमने पार्लियामेंट के फैसले के खिलाफ किया था। हाईकोर्ट के फैसले के अनुमोदन में किया था। आप ठीक रिवर्स बात कर रहे हैं।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश को हानि होगी । आप कर सकते हो। लेकिन यह ऐसा खेल है जो मेरे उधर के साथी खेल रहे हैं और इधर के साथी भी खेल सकते हैं। फिर आप सोचें कि क्या हाल होगा। तीस साल के बाद मेरे साथी यहां पावर में आए हैं। आज उनके हाथ में स्टेट पावर है। इस तरह के जो इंडिविजुअल इंसीडेंट्स हैं उसका जवाब अगर दिया जाए, सरकार के हाथ में जब पावर है, तो क्या नतीजा होगा? सिवाय इसके कि गलत मिसाल पैदा कर दें, जनता को तकलीफ हो और दुनियां में जग हंसाई हम करें।

इन शब्दों के साथ में माननीय उन्नीकृष्णन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय वेंकटरामन की जो स्पीच है उसकी निन्दा करता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त: अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे मित्र श्री वेंकटरामन ने कहा जो कुछ देश में वायलेंस हुई है वह कुछ उनकी पार्टी के ऐक्सीट्रीमिस्ट लोगों ने की है और जिसको उन्होंने, उनकी पार्टी ने या श्रीमती इंदिरा गांधी ने कंडेम किया है। मेरा कहना यह है कि यह ऐक्सट्रीमिस्ट लोगों ने नहीं किया ।यह आपकी विचारधारा का एक अंग है। यह एक पूर्व-आयोजित, सोच समझकर बनाई गई योजना है जिसके अधीन आप यह सब कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य: यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है ।

श्री कंवर लाल गुप्त: आप कहते हैं कि यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। हम कहते हैं कि आप उत्तरदायी हैं। क्या आप मेरी इस मांग का समर्थन करेंगे: सरकार गत चार दिनों में हुई घटनाओं की जांच करानी चाहिये । देश में गत चार दिनों में हुई घटनाओं की जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया जाना चाहिए यह पता लगाया जाना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है । मेरी यह भी मांग है कि सरकार की एक श्वेत पत्र तैयार करना चाहिए जिसमें सभी राज्यों में हुई घटनाओं छापी जायें और वे अगले सत्र में सभा के समक्ष रखी जायें। मेरा कहना यह है कि आपके विभाग में आर०एस०एस० का भूत सवार है। मैं कहूंगा कि सरकार एक व्हाइट पेपर निकाले और सी०बी०आई० जांच करे। मेरे मित्र ने कहा कि यह जोक है हाईजैकिंग करना और टौय पिस्टल के साथ किया है। और वह हंस रहे थे यह कह कर कि यह जोक आफ दी ईयर है। अपहरण एक बहुत गंभीर अपराध है चाहे वह खिलौना पिस्तोल के द्वारा हो या क्रिकेट गेंद या किसी अन्य वस्तु के द्वारा हो। यह मजाक नहीं है। ऐसा किसी देश में कभी नहीं हुआ। क्या किसी भी डेमोक्रेटिक देश में उसी देश के लोगों ने अपने देश के हवाई जहाज को हाई जैक किया है? क्या आप देश में ऐसी परम्परा डालना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि वह खतरनाक परम्परा होगी। आपको राइट आफ डिसेंट है, पार्लियामेंट के डिसीजन के खिलाफ भी राइट आफ अपोजीशन है।

श्री वसन्त सठे: (अकोला) : पार्टीजन डिसीजन है।

श्री कंवर लाल गुप्त: आपको यह कहने का हक है कि बिल्कुल सजा नहीं होनी चाहिए। आपको आंसू बहाने और रोने का भी हक है, और शंकरानन्द आपको पानी दें उसका भी हक है। बाहर शांतिपूर्वक सत्याग्रह करें उसका भी आपको हक है। लेकिन क्या आपको यह हक है कि पोस्ट आफिस को लूटा जाय ? क्या यह हक है कि जनता पार्टी के दफ्तर को आग लगा दी जाय ? और वह जीप किसकी थी वह बताना नहीं चाहता। मैं कह सकता हूं कि यह कांग्रेस (आई) की प्लानिंग है, और आउट आफ फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि जब जनता से आपको बंद का कोई रेस्पांस नहीं मिला

देश के किसी भी हिस्से से, उससे जो फ्रस्ट्रेशन हुआ उसकी वजह से आप ऐसे काम कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि आप कर्नाटक के मुख्य मंत्री से ऐक्सप्लेनेशन काल करें कि उन्होंने क्रिकेट मैच को क्यों बन्द किया? वह दुनिया को दिखाना चाहते थे कि कर्नाटक में बहुत बड़ा रिऐक्शन है। जब लोगों ने कहा कि मैच होने दीजिए हम अपने घरों में टी०वी० में देख लेंगे, इसका भी मौका वहां के मुख्य मंत्री ने नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि दुनिया को बनावटी तरीके से दिखाना चाहते थे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के पकड़े जाने के बाद जनता में बड़ा रीऐक्शन है। संसद की इच्छा का समर्थन तो सारे देश की जनता ने कर दिया है। मैं तो यही कहता हूं और आप रैली करके लोकमत जान लें। रैली में कभी आकर तो देखो। रैली में हर्षोल्लास है। हर कोई प्रसन्नवदन होता है, अत्यन्त ही प्रसन्न होता है.....और इसलिए आप ईर्ष्यावश ऐसा कर रहे हैं। लकिन मैं तो कहूंगा.....

(व्यवधान)

महोदय यह तो लोकतंत्र को ललकारना है। (व्यवधान) इसमें तो दल का प्रश्न है? क्या यह कोई जनता पार्टी, या कांग्रेस पार्टी अथवा सी०पी०आई० (एम) अथवा अन्य किसी दल का प्रश्न है! नहीं। यह तो सारे देश का प्रश्न है। यह तो ऐसा प्रश्न है कि क्या इस देश में लोकतंत्र जीवित रहेगा अथवा लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा। यह लोकतंत्र बनाम फासिजम, लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद का प्रश्न है। आप कुछ भी कह सकते हैं। आप तो इस बात के लिए सुप्रसिद्ध हैं। आप बहुत सी बातों के लिए तो मुकर जाते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। श्रीमती गांधी तो इसकी बड़ी माहिर थी। मैं इस हांग-कांग के समाचारपत्र से उद्धरण दे सकता हूं। लेकिन समयाभाव है।

उसमें लिखा है कि वह तो एक्सपर्ट हैं। पहले एक चीज के लिए मना करती हैं और उसके कुछ बाद उसी को करती हैं।

मेरा कहना यह है कि आज इस तरीके से इसका मुकाबला जनता पार्टी पुलिस के द्वारा नहीं करेगी। मैं मांग करूंगा कि जो पार्टियां भी लोकतंत्र को चाहती हैं वह एक हो जाएं। एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। उसमें जनता की राय को मोबिलाइज किया जाना चाहिए, अखबार वालों से एडीटर्स से, फारेन प्रेस से मास मीडिया से जो फैक्टस हैं, उनको एक्सपोज किया जाना चाहिए ताकि फासिज्म का जन्म इस देश में न हो सके। ऐसा करना अच्छा तरीका क्यों होगा? इन्दिरा गांधी कैलकुलेटेडली क्यों कर रही हैं? वह इसलिए कि वह बताना चाहती हैं कि इस तरह से देश में अनार्की पैदा कर के साबित करना चाहती हैं कि जनता पार्टी डैमोक्रेटिक तरीके से नहीं चल सकती, इसलिए वह कहती हैं कि जनता पार्टी को मजबूर कर दिया जाये कि जो उन्होंने एमर्जेन्सी में किया था, जनता पार्टी की पुलिस भी वैसा ही करे। मैं बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी आपको वैसे डील नहीं करेगी। जब तक आप वायोलेंस नहीं करेंगे, जनता पार्टी आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगी और इसीलिए आपको उसका हक है। यह आप इसलिए भी चाहते हैं कि देश में जो इकानामिक इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डैवलपमेंट हो रहा है उसको आप खत्म करना चाहते हैं और देश में अनार्की पैदा करना चाहते हैं। आपको यह चीज करने की इजाजत नहीं दी जायेगी। देश की जनता ने इसमें हमारा साथ दिया है और मैं देश की जनता को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं।

आप जनता को दिखाना चाहते थे कि आपके पीछे बहुत बड़ी बैकिंग है, वह चीज खत्म हो गई। आखिर में मेरा कहना यह है कि अगर इसी तरीके से यह देश चलना है, आपको बहुत बड़ी फरस्ट्रेशन इसीलिए है कि अब आप 18 महीने से पावर में नहीं रहे हैं, आप सारी उमर 30 बरस तक पावर में रहे हैं। मछली बगैर पानी के नहीं रह सकती, उसी तरह से आपको जबर्दस्त फारस्ट्रेशन है। आपको जनता पार्टी हैंडिल देती है, आप लोगों के इश्यूज को लीजिए, और भी बहुत सारी चीजें

हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं। अगर आप सही माने में यह करते हैं तो मैं आप मांग करूंगा कि जिन लोगों ने यह वायोलेंस किया है, उन लोगों को अपनी पार्टी में से निकाल दीजिए, पब्लिकली निकालिये और उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए। तब तो हम मानेंगे कि आपकी बात ठीक है। आप अभी 3 दिन की जेल के कारण इतनी अनार्की पैदा कर रहे हैं, अगर कल को अदालत से इंदिरा गांधी को 6 महीने की सजा हो गई तो आप पता नहीं इस देश में क्या करेंगे? उन्हें केवल दो-तीन दिन की सजा मिली है। (**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इंदिरा जी दो-चार दिन के लिए जेल गयी हैं। इस पर भी आपको इतनी तकलीफ हो गयी। अगर कोर्ट ने उन को कहीं 6 महीने और साल भर की सजा दे दी तो आप क्या करेंगे ? इसलिए मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि देश की मांग है यह, प्रजातंत्र की मांग है यह कि जितनी भी डेमोक्रेटिक फोर्सिज़ हैं वे सब इकट्ठी होकर फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ें। अगर जनता पार्टी के मिसरूल के खिलाफ आपको शिकायत है तो आप जनता से कहए। मैं भी पब्लिक से, जनता से कहूंगा कि जनता पार्टी को हटाइये लेकिन फासिज्म न लाइये।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस वायुयान को हाईजेक करने की घटना के बारे में बहुत चिन्तित हूं अब आपने आन्दोलन और संघर्ष के ढंग को नवीन क्षेत्र की ओर उन्मुख कर दिया है। अब तक तो रेलें और यानी बसें हीं, आन्दोलनकर्त्ताओं के कोप का मुख्य भाजन बनती थीं। अब तो यह बीमारी वायुयानों तक भी व्याप गई है, जिससे इस देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां कि साधारण नागरिक को सुरक्षा की भावना से यात्रा करने के अवसर भी उपलब्ध नहीं। अभी उस दिन हमने समाचारपत्रों में पढ़ा कि सात निर्दोष व्यक्ति एक बस में जीवित जला दिए गए। यह तो सभी लोग मानेंगे कि उनकी अपनी कोई राजनीति नहीं थी, वे तो अपने व्यक्तिगत कारणों से बस में यात्रा कर रहे थे, किसी ने बम फेंका और ये लोग मर गये। यह कोई अकेली घटना नहीं है। बंगलोर में तो सारा परिवहन यातायात ठप्प पड़ गया है। ऐसा ही अन्य स्थानों पर भी हो रहा है। फिश-प्लेटें हटाई गई हैं। क्योंकि असंख्य जो घटनाएं घटी हैं घट रहीं हैं, अतः यहां तक कि रेलों से भी अन्यथा यात्रा करना जोखिम भरा और असुरक्षित है। उसके साथ डकैतियां भी पड़ रही हैं। और अब एक नये तत्व का समावेश राजनीतिक आन्दोलनकारियों ने करा दिया है। अतः मैं समस्त राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार के संघर्ष को रोकें। यात्री बसों, रेलों और वायुयानों पर आक्रमणों का अवश्य रोका जाना चाहिये तथा एक आचार संहिता तैयार की जानी चाहिये। इस देश में साठ करोड़ लोग रहते हैं। राजनीतिक सत्ता हड़पने के तो केवल एक करोड़ लोग इच्छुक हैं। हम सब आम गरीब-आदमी पर समर्थन के लिए निर्भर करते हैं। हमें उनका आभारी होना चाहिए। इसलिए, मेरी आप से और समस्त राजनीतिक दलों से विनम्र आग्रह है कि हम संघर्ष के इस ढंग को त्याग दें। आप स्वयं को मार सकते हैं तो मुझे इसकी कोई खास चिन्ता नहीं है। आप और कोई मार्ग अपना सकते हैं लेकिन यह वाहनों पर आक्रमण करने का रास्ता नहीं।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति में, हमारे समाज में व्याप्त समस्त सामाजिक संघर्ष, हिंसक मुकाबले की अवस्था में पहुंच गया है। क्या बिहार में कोई सरकार है ? क्या बहुत से अन्य राज्यों में कोई सरकार नाम की चीज है ? (**व्यवधान**) मैं राज्यों की सख्या गिनकर नहीं बताना चाहता। जो कुछ मैं कह रहा हूं वह यह है कि जाति बनाम जाति तथा समुदाय बनाम समुदाय की भावनाएं आज सब हिंसा पर उतर आई है ; यही सब कुछ तो आपने अलीगढ़ में देखा और यही आप प्रतिदिन समाचारपत्रों में पढ़ रहे हैं। और अब राजनीतिक संघर्षों में भी हिंसक कार्यवाही—चाहे पूर्वानियोजित हो अथवा अन्यथा—भी आंखों के सामने आ गई है अत अब तो सामाजिक प्रश्नों पर, आर्थिक मामलों पर और राजनीतिक मामलों पर भी हिंसक झड़पें होती हैं। आखिर हम जा कहां रहे

अतः, इसे कोई एक ही घटना के रूप में न लिया जाए । पता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है ? हम सब सत्ता सम्भालने को उत्सुक हैं । क्या हम सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए भी उत्सुक हैं ? हम सब संसदीय लोकतन्त्र की तो बातें करते हैं । पहला काम तो यही करना होगा कि लोकतन्त्र को इसके समर्थकों से बचाया जाए, चाहे हम इस ओर बैठे हैं या उस ओर । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, जब तक समाजवादी लोकतन्त्र के लिए सही स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक तो इस बुर्जुआ लोकतन्त्र को ही चलने दो--स्तालिन का विकृत समाजवादी लोकतन्त्र नहीं अपितु उसको घटा करके । हम इस बुर्जुआ लोकतन्त्र को चलाए रखना चाहते हैं । लेकिन यदि आप कोई खेल खेलना चाहते हैं तो आप इसे नियमानुसार खेलें ।

क्या यहां कोई सत्ताधारी दल है ? नहीं । हां ? जब मैंने यह देखा कि बिना किसी सचेतक के भी, जब विशेषाधिकार के प्रश्न पर कुछ क्षण तक चर्चा हुई तो मैंने कम से कम यह तो सोचा ही कि निर्णय की उचितता अथवा अन्यथा कुछ भी हो, लोगों में एका तो हो गया है । लेकिन इसके ही दूसरे दिन समाचार पत्रों में पढ़ा कि चन्द्रशेखर जी ने इसे अच्छा नहीं समझा और जनसंघ समूह के नेता श्री आडवाणी भी यह कुछ नहीं चाहते थे और बहुत से लोगों ने अपने प्रस्ताव पेश करके अपनी असहमति व्यक्त की थी। जो कुछ मैं सुझाव दे रहा हूं, चाहे वह सही हो अथवा गलत, संसदीय लोकतन्त्र में, कोई भी दल नालायक ढंग के काम कर सकता है और अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है, लेकिन उन्हें कम से कम मिलकर एक तो होना चाहिये। वही तो उन्होंने नहीं किया। अतः लोग जब यह पढ़ेंगे कि इस निर्णय के पीछे सत्ताधारी दल का आदेशपत्र तक नहीं था, तो स्वाभाविकरूप से इससे अराजकतावाद को बढ़ावा मिलेगा।

उस दिन तो भूतपूर्व प्रधान-मन्त्री काफी समय तक सभा-कक्ष में बैठी रहीं। हम विपक्ष वालों को यह मामला उठाना चाहिए था। लेकिन चूंकि आपके प्रति हृदय में कुछ प्रतिष्ठा थी, कुछ प्रभाव था कि हम इसे उठा नहीं सके। यह बात नहीं है कि हम इसे नहीं जानते। आप इस मुगालते में न रहें, कि जब हम चुप बैठ होते हैं तो हम इसे जानते ही नहीं।

किसने वह मामला उठाया ?

क्या यह कांग्रेस (इ) के ही कारण है कि वे यहां लम्बे समय तक बैठी रहीं थीं ? नहीं। विपक्ष के नेता ने यहां स्पष्टतः कहा था "वे तो आपके संरक्षण में हैं" तब हो सकता है कुछ भूलें आप से हुई हों, क्योंकि आप उन्हें अलग कक्ष में नहीं रख सके और न ही आप अपने निगरानी और सुरक्षा कर्मचारियों को आदेश दे सके कि कोई अन्दर न आने पाये। मैं यहां पर कुछ समय तक के लिए था। कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने उन्हें बाहर जाने से नहीं रोका। या तो सरकार की असफलता के कारण यह सम्भव अथवा आपके सचिवालय की असफलता के कारण कि लोग अन्दर आने दिए गए। किसी ने भी किसी को भी आने से नहीं रोका। क्या सत्ताधारी दल को यहां अनुभव करने की ही यह बात है, यही मेरा मुद्दा है।

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : क्योंकि जब एक या अन्य कारणों से सत्ताधारी पार्टी से कोई भूल हो जाती है अथवा वह किसी बात में असफल हो जाती है तो आपको यह काम विपक्षी दलों के लिए छोड़ देना चाहिए कि वे इस मामले को उठाएं। (**व्यवधान**) अपने दल को हंसी का पात्र न बनाएं । मेरी शिकायत यह है कि आप अपने दल को हंसी का पात्र बनाते हैं और यही सब कुछ किया गया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह चैम्बर सरकार के अधीन नहीं आता, यह तो अध्यक्ष के अधीन आता है।

श्री एम० एम० गोविन्दन नायर: तब तो जिन लोगों ने इस मामले को उठाया था, तो वे जानते थे कि यह सरकार का काम नहीं है। तब किस के विरुद्ध इसे निर्दिष्ट किया गया था। यह आपके विरुद्ध निर्दिष्ट की गई थी। यह बात निर्भीक होकर कहो। खड़े होकर कहो कि यह उचित नहीं था। मैं तो औचित्य के बारे में कह रहा हूं।

कल हमने एकता का प्रकार देखा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, यदि आप चाहते हैं कि संसदीय लोकतन्त्र ठीक प्रकार से चलता रहे तो कुछ व्यवहार जन्य नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। यह सब क्योंकर तथा कैसे हो इस बारे में मैंने माननीय नेता श्री चरणसिंह के विचार सुने। मुझे क्षमा करें-- संसदीय लोकन्तत्र के बारे में कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या हो रहा था? विधान-सभा सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उनकी मुडाई की गई और बहुत सी बातें हुईं।

श्री एच० एल० पटवारी: (मंगलदाई): कांग्रेस के राज्य में क्या हुआ?

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर: एक दूसरे पर छिटाकसी करने की कोई तुक नहीं है। (**व्यवधान**) जो कुछ मैं सुझाव दे रहा हूं उसका मतलब है कि मैं वायुयानों को आकाश में चुराने के विरुद्ध हूं और उसकी निन्दा करता हूं। मैं यात्री बसों पर आक्रमण आदि की भी निन्दा करता हूं। इसके साथ-साथ, मैं श्री वेंकटारमन की इस बात से भी सहमत हूं कि उनको दल को समान्य ढ़ंग से विरोध प्रकट करने का अधिकार है। (**व्यवधान**) अतः, हमें सब प्रकार की हिंसक घटनाओं की, जो कि घट रही हैं, उनकी निन्दा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

फिर एक अन्य अत्यन्त ही महत्व का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर: मैं केवल एक मिनट का समय और लूंगा।

उस दिन मेरे मित्र विशेषाधिकार समिति के चेयरमैन को कुछ हो गया। वे अब यहां नहीं हैं। आपका एक विशेष उत्तरदायित्व है। संसद कुछ समितियों का गठन करती है और अपने कर्त्तव्य का पालन करते समय उनके सदस्यों अथवा चेयरमैन का जीवन, सुरक्षित नहीं है तो यह एक अत्यन्त ही गम्भीर मामला है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। कल इस सदन में यह बताया गया था कि उनके घर पर आक्रमण हुआ। यदि यह सच है तो यह एक अत्यन्त ही गम्भीर मामला है। मुझे आशा है कि आप आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

मैं सत्ताधारी दल के सदस्यों से इस निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि वे सत्ताधारी दल की तरह व्यवहार करें और वे विपक्षी दलों की भूमिका को न हड़पें। यदि आप इसे फिर दोहराते हैं तो आप हमसे इसका प्रतिवाद भी झेलेंगे।

***डा० सरदीश राय** (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, आज हम एक गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो इण्डियन एयरलाईन्स कारपोरेशन सेवा के विमान के अपहरण तथा देश में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था के बारे में हैं। यह एक अशुभ लक्षण हैं। महोदय, विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर 7 दिसम्बर, 1978 को चर्चा करने का प्रस्ताव था, लेकिन वास्तव में चर्चा प्रारम्भ होने से बहुत पहले ही कांग्रेस (इ) पार्टी द्वारा यह प्रचार किया गया था कि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी को सदन द्वारा सजा दी गई है, तो सड़कों पर खून की नदियां बहा दी जायेंगे। पिछले तीन सप्ताह से वे लोक सभा के निर्णय का तिरस्कार करने की योजना बना रहे हैं। मैं सभा को याद कराता हूं कि यह राजनीतिक पार्टी जो

*मूल बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हैं पिछली संसद् के दौरान यह कह रहे थे कि संसद सर्वोच्च है और उस समय हम अपनी पार्टी की ओर से यह कह रहे थे, कि जनता ही सर्वोच्च है न कि संसद। उस समय संसद को सर्वोच्च बताना श्रीमती गांधी के अनुकूल था क्योंकि उस समय बहुमत उनके पक्ष में था और तानाशाही शासन लाने में उन्होंने संसद् का इस्तेमाल किया। लेकिन आज जब उनकी पार्टी बहुमत में नहीं है, तथा उनकी पार्टी के टुकड़े हो चुके हैं, और उनकी पार्टी के अन्तर्गत ही गुट बने हुए हैं, वह तीन सप्ताह से षडयन्त्र करती आ रही हैं तथा संसद् के निर्णय को सड़क पर ले आयी हैं ताकि उसे बदला जा सके।

हम सभी ने देखा है कि विशेषाधिकार के मामले पर संसद् के निर्णय के एक दिन पहले उसी पार्टी ने अपने भूतपूर्व विधायकों के जरिये पश्चिम बंगाल में अव्यवस्था पैदा करनी चाही। केकिन यह सन्तोष की बात है कि उनके प्रयत्न पूरी तरह से विफल हो गये और वे पश्चिम बगाल में कुछ नहीं कर सके। पश्चिमी बंगाल में पिछले चार दिनों में चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन कांग्रेस (आई) पार्टी का पश्चिम बंगाल में परेशानी उत्पन्न करने के प्रयास का कोई भी प्रभाव नहीं है इसको राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों को पढ़ने वाले सभी व्यक्ति जानते हैं। आदरणीय सदस्यों को याद होगा कि जब श्रीमती गांधी सत्ता में थीं, उस समय चुनावों में धोखाधड़ी करके 1972 में कांग्रेस पश्चिमी बंगाल में सत्ता में आयी थी और एक सेमी फासिस्टवादी सत्ता 1972 से 1977 तक जारी रही। इस सत्ता के दौरान सभी विपक्षी दलों को बुरी तरह से चुप करा दिया गया। उन सभी को जिन्होने उसका विरोध किया जिसमें कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हैं, उनका कत्ल कर दिया गया--मैं हत्या शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं हमने भी देखा है तथा भारत का इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि उन्होंने देश में किस प्रकार आपातस्थिति लागू की तथा अपने हित के लिये संसद को किस रूप में प्रयोग किया, तथा अपने विरुद्ध उच्च न्यायालय के निर्णय को बदलने के लिये उन्होंने किस प्रकार नये कानून पास किये तथा अपने को सत्ता में कायम रखने के लिये संविधान का संशोधन किया ताकि देश में एक खानदानी राज्य कयम रहे। लेकिन जब मार्च, 1977 में निर्णय करने का समय आया तब भारत की जनता ने श्रीमती गांधी को बिल्कुल ही नकार दिया तथा जनता पार्टी सत्ता में आयी। अपनी विजय पर प्रसन्न होकर जनता पार्टी ने यह समझा कि वह तानाशाही शासन को नष्ट करने में सफल हो गयी है। वे निष्क्रिय हो गये और पिछले 21 महीनों में उन्होंने ऐसी कोई योजना नहीं बनायी जिससे आपातकाल का वह शासन भविष्य में असंभव हो जाये। उस बुरी सत्ता को नष्ट करने की तात्कालिकता और महत्व को जनता पार्टी ने पूरी तरह से अनुभव नहीं किया। जिसने संविधान को बदला और लोगों पर अत्याचार किया लेकिन कुछ सही उपाय करने की बजाय जनता पार्टी ने ऐसे कदम उठाये जिनसे उन्हें पनपने का अवसर मिला जिसका परिणाम यह हुआ कि श्रीमती इन्दिरा गांधी इस सभा में फिर आ गयीं यह जतना पार्टी की दुःखद हार है। यह इसलिये हुआ क्योंकि हम जनता पार्टी के अन्तिम निर्णय से सहमत नहीं थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इस विचार का समर्थन करते हैं कि दोषी को सजा मिलनी ही चाहिये लेकिन हम सजा के रूप से सहमत नहीं है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि जनता पार्टी उन बुरी ताकतों को समाप्त करने में पूरी तरह से सफल नहीं रही है, जिनसे श्रीमती इन्दिरा गांधी कायम थीं। हम यह भी जानते हैं कि उसकी मुट्ठी में ताकत थी तथा वह केवल नारों से ही लोगों को चकमा तथा धोखा देने में बहुत होशियार रही । वह धोखा देना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। हम देख रहे हैं कि जब वह सत्ता में नहीं हैं तो वह हरिजनों की हितैषी बन गयी हैं, तथा साम्प्रदायिक दंगों के बारे में आंसू बहा रही हैं। लेकिन जब उनकी सत्ता के दौरान यह सब हुआ तब उनकी प्रतिक्रिया कभी भी इतनी तीव्र नहीं रही थी। आपातकाल के दौरान उन्होंने एक 20-सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था। अन्य कार्यक्रमों के अलावा गरीबों को मकानों के लिये भूमि का वितरण तथा भूमिहीनों को भूमि वितरण भी सम्मिलित था। लेकिन वास्तव में क्या किया गया? इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया। यह सब संघर्ष करने वाली गरीब जनता के मन को बहलाने की बात थी। कांग्रेस के 30 वर्ष सत्ता में रहने के दौरान सरकार का यह जबरदस्त प्रयास रहा कि जनता

को बेवकूफ बनाया जाय तथा पूंजीपतियों और बड़े जमीदारों के हितों को बढ़ावा दिया जाये। हम यह देख रहे हैं कि जनता पार्टी भी अधिकतर उसी लाइन पर चल रही है। ऐसा लगता है कि वे अमीरों, एकाधिकारवादियों पूंजीपतियों तथा बहुराष्ट्रिकों के लिये ही चिंतित हैं, तथा गरीबों के शोषण तथा अत्याचारों को खत्म करने के लिये उसने कोई भी उचित कदम नहीं उठाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने थोड़ा बहुत कार्यक्रम जरूर अपनाया है। यह भी कहा जा रहा है कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए छोटे उद्योग ग्रामीन क्षेत्रों में स्थापित किये जायें तथा फालतू भूमि भूमिहीनो में वितरित की जाये। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया गया है। कांग्रेस शासन के दौरान सरकार ने ऐसे कार्यक्रम प्रारम्भ किये थे तथा कानून भी पास किये गये थे लेकिन इससे गरीबों तथा भूमिहीनों को कोई लाभ नहीं हुआ। आज कई हजार एकड़ भूमि बड़े जमींदारों के कब्जे में है, जबकि भूमिहीन कमजोर हो रहे हैं तथा भूखे मर रहे हैं। बिहार में हरिजनों पर जो अत्याचार किये जाते हैं वे बड़े जमींदारों के प्रतिरोध करने पर होते हैं तथा वे उनकी फालतू जमीन को जोतने वालों को बांटने के बारे में होते हैं। और ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले की गहरायी में नहीं जाना चाहती है। यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज जो सब किसान सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं यह सुझाव नहीं रख रहे हैं कि अधिनियम के अनुसार जो भूमि फालतू है वह भूमिहीनों में बांट दी जायें। हम केवल पुलिस की सहायता से ही समस्या को हल नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसे हल करने के लिये उपयुक्त सामाजिक-आर्थिक उपाय अपनाने चाहिये। राजनीति में आज जो हिंसा हो रही है वह कांग्रेस (आई) पार्टी की कुंठाओं का स्पष्टीकरण हैं। यह पार्टी और इसके नेता बड़े जादूगर हैं और लोगों को बरगलाने में माहिर हैं, यदि हम इस बुराई को दबाना चाहते हैं और प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं, तो हमें उन्हें लड़कर ही इसे समाप्त करना होगा। इस बुराई के विरुद्ध हमें एकजुट होकर राजनीतिक संघर्ष करना होगा। पश्चिमी बंगाल में हमने पहले ही इस संघर्ष की घोषणा कर दी है। राजनैतिक उपाय के अलावा हमने आर्थिक उपायों को भी प्रारम्भ किया है और इन्हीं उपायों के कारण हमने देखा है कि पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस (आई) के आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं है। यह पश्चिमी बंगाल सरकार की ही नीति है, जिससे गरीब तथा सामान्य जन भी सरकार के साथ हैं। जब तक जनता सरकार के साथ है, ये बुरी ताकतें उस क्षेत्र में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेंगी। अगर पश्चिमी बंगाल में भूमि के बारे में कोई संघर्ष हैं तो इसे हम हरिजन संघर्ष की संज्ञा नहीं दे सकते (**व्यवधान**)। यह जमींदारों तथा भूमिहीनों का संघर्ष है। अन्त में मैं यह कहना चाहता हुं, कि अधिनायकवाद की बुराई को देश से समाप्त करने तथा उन्मूलन करने के लिये राजनैतिक दृष्टिकोण से एक हो जाना चाहिये।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : (रीवा) अध्यक्ष महोदय, आज सत्र के अन्तिम दिन हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह लोकतन्त्र के लिए एक निर्णायक विषय है। श्रीमन् आज जो घटनाएं घट रही हैं उन से यह स्पष्ट है कि हमारे देश का लोकतन्त्र खतरे में है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अभी जिस पार्टी का निर्माण अपने नाम से किया है वह पार्टी लोकतन्त्र में विश्वास नहीं करती। इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। हम जितना भी इस के बारे में दृष्टिपात करते हैं उतनी ही यह बात बिना संदेह के सामने आ जाती है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश में हिंसा, अराजकता और आतंक का वातावरण पैदा करना चाह रही हैं और उस के लिए एक षडयंत्र इस देश में चल रहा है।

आज जिनके ऊपर शासन की जिम्मेदारी है, उन को गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा कि देश की जनता ने जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी है, वह न केवल इसलिए सौंपी है कि हम देश में लोक तन्त्र को वापस लायें बल्कि इसलिए भी सौंपी है कि आने वाले दिनों में हम इस की जड़ों को भी गहरा करें और इस पर जो ख़तरे सामने हैं उनको भी दूर करें। आज हम सभी को यह सोचना होगा कि कितना बड़ा खतरा आज इस देश के लोकतन्त्र को उत्पन्न हो गया है। यह खतरा केवल हवाई जहाज की हाईजेकिंग से ही उत्पन्न नहीं हुआ हालांकि यह भी एक बड़ा गंभीर अपराध है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे वेंकटरमण

जी इतनी गंभीर घटना पर हंस रहे थे, वे इसे ऐसा समझ रहे थे कि यह कोई बहुत हल्की और छोटी घटना हो। इस प्रकार की घटनाओं से हम सभी को सबक लेना होगा कि ये घटनाएं हमारे देश के एक-एक नागरिक के जीवन के लिए कितना खतरा उत्पन्न कर रही हैं। आज देश की स्वाधीनता लोकतन्त्र खतरे में है। हमारे देश में इस प्रकार की अनेकों घटनाएं आज उत्पन्न की जा रही हैं। सरकार को इन सब से निबटना होगा।

यह जो हाइजेकिंग की गयी, इसको करने वाले लोगों ने स्वीकार किया है कि हम श्रीमती इंदिरा गांधी की यूथ कांग्रेस के हैं। श्री संजय गांधी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वे इनसे परिचित हैं। इतना ही नहीं, इन हाइजेकर्स ने श्री संजय गांधी के और श्रीमती मोहसिना किदवई के टेलिफोन नम्बर दिये और कहा कि इन को कहिये कि आपका काम हो गया है। जो काम उन्हें सौंपा गया था वह काम हो गया। आप देखेंगे कि ये लोग कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इस काम के बारे में यह कहना कि यह कुछ लोगों का काम है, किसी पार्टी का काम नहीं है, यह बिल्कुल गलत है, यह गुमराह करने वाली बात है। हम लोगों को इस से गुमराह नहीं होना चाहिए। हम को यह देखना है **व्यवधान**) कि श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी के क्या मंसूबे हैं ? श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी तीन चार दिन पहले और उस में निर्णय लिया गया था, और यह अखबारों में भी यह बात आई है कि राज्य सभी की कार्यवाई हम चलने नहीं देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह लोकतान्त्रिक काम है, क्या लोकतन्त्र में विश्वास की यह प्रतीक है, क्या लोकतांत्रिक पद्धति में आप इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं —

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतः परम्परा यह है कि हम दूसरे सदन का उल्लेख नहीं करते हैं।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मैं दूसरे हाउस की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं इंदिरा कांग्रेस पार्टी के इस प्रस्ताव के लिए आलोचना कर रहा हूं जो उन्होंने कहा है कि राज्य सभा की कार्रवाई हम चलने नहीं देंगे। कार्रवाई वहां चल भी नहीं रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह लोकतांत्रिक निर्णय है ? लोकतन्त्र में कोई भी राजनीतिक दल रूलिग पार्टी को एक्सपोज़ कर सकता है, अपोज़ कर सकता है, डिपोज़ कर सकता है लेकिन शान्तिपूर्ण तरीके से ही वह ऐसा कर सकता है। उसका यह तरीका नहीं होता कि हम सदन की कार्रवाई ही नहीं चलने देंगे। इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें कोई सन्देह रह जाता है कि ये लोकतन्त्र में विश्वास नहीं करते हैं !?

(श्रीमती पार्वती कृष्णन पीठासीन हुईं)

आन्दोलन के कौन से तरीके अपनाए गए हैं इसको भी आप देखें ? इस आन्दोलन की हालत यह है कि नगरकोयल में एक बस जलाई जाती है जिसमें सात निर्दोष व्यक्ति जला दिए जाते हैं। इसके लिए इनको थोड़ा भी दुख नहीं है, जरा भी पश्चाताप नहीं है। हमारे वेंकटरामन साबह को इस बात पर शर्म आनी चाहिये थी, उनका सिर शर्म से झुक जाना चाहिये था। इतना बड़ा यह नृशंस और क्रूर कार्य था निर्दयतापूर्ण कार्य था जिसको इंदिरा कांग्रेस के लोगों ने किया। इस तरह की कार्रवाइयों को सब जगह प्रोन्साहित किया जा रहा है।

कल तिरुचनापल्ली और सिकन्दराबाद में हवाई जहाजों को उतरने तक नहीं दिया गया। यह खबर शायद अखवारों में नहीं आई। लेकिन इंदिरा कांग्रेस के कुछ लोग हवाई अड्डे पर जा कर, सैंकड़ों लोग वहां इकट्ठे होकर उन्होंने यह कार्रवाई की और वहां हवाई जहाज़ को उन्होंने उतरने नहीं दिया। यह कितनी शर्मनाक घटना है। डाकखानों में आग लगाई जा रही है। रेडियो स्टेशनों में लोग घुसते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। सिकन्दराबाद स्टेशन के केबिन में आग लगा दी गई और एक अबोध बालक की उसमें मृत्यु हो गई। क्या बालक किसी पार्टी का था ? वह बच्चा किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं रखता था। वह क्या इंदिरा कांग्रेस के खिलाफ कोई आन्दोलन कर रहा था ? मैं समझता

हूं कि निर्दोष लोगों की हत्या करने का षडयन्त्र सारे देश में चला हुआ है। इसके बाद भी इंदिरा कांग्रेस के लोग यहां पर निर्लज्जतापूर्वक कहते हैं कि इंदिरा गांधी जेसस क्राइस्ट हैं, ईसा मसीह से वे उनकी तुलना करते हैं। उनको शर्म नहीं आती है। इंदिरा कांग्रेस जो आज निर्दोष लोगों की हत्या कर रही है, जिन्दा लोगों को जला रही है, हर तरह से अराजकता का वातावरण तैयार कर रही है, उसकी तुलना ईसा मसीह से की जाए इससे बढ़ कर निर्लज्जता की और क्या बात हो सकती है। मैं समझता हूं कि आज श्रीमती इंदिरा गांधी की किसी से तुलना हो सकती है तो केवल रावन से हो सकती है।

सकल धर्म देखहि विपरीता

कहि न सकैं रावण भयभीता

श्रीमती इंदिरा गांधी के सारे कुकर्मों को देखते हुए उन्हीं से उनकी तुलना की जा सकती है। बेचारे टी०ए० पाई ने क्या कहा था जब वह उनके घर गए थे? उन्होंने कहा था कि वह तब इस तरह क्रुद्ध थीं कि वे बोल तक नहीं सके। प्रो० चट्टोपाध्याय ने भी यही विशेषाधिकार समिति के सामने कहा था कि जो उनकी केबिनेट के एक मिनिटर थे कि श्रीमती गांधी के घर जब वे उनके बुलाने पर गए तो वह इतनी क्रुद्ध थीं कि वे बोल नहीं सके। इसमें अक्षरश: सिद्ध होता है कि :

सकल धर्म -देखहि विपरीता

कहि न सकैं रावण भयभीता

इसी तरह से रावण के दरबार में जैसे कुछ लोग चापलूस हुआ करते थे उसी तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी के दरबार में भी कुछ लोग हैं :

सोई रावण कंह भई सहाई

स्तुति करहि सुनाई सुनाई

इसी तरह से हमारे स्टीफन साहब और हमारे साठे साहब जैसे लोग हैं जो उनकी तुलना ईसा मसीह से करते हैं और समझते हैं कि प्रकाश की तरह से, थंडर के साथ वह फिर से लौटने वाली हैं। हजारों और लाखों की तादाद में जिस तरह से देश भर में रावण के पुतले हर साल जलाये जाते हैं हर गांव में जलाए जाते हैं उसी तरह से यहां भी मैं समझता हूं कि सबक लिया जाना चाहिये कि आगे से इस तरह का कोई काम करेगा तो उसका भी यही नतीजा होगा यही हश्र होगा। उस अवस्था में आगे चल कर कोई इस तरह का काम करने की हिम्मत नही करेगा । जिस तरह की घटनाएं करवाई जा रही है भविष्य के लिए यह एक खतरनाक संकेत की द्योतक हैं। हमें देखना चाहिये कि देश में क्या करने की कोशिशें हो रही है। गुंडों का गिरोह तैयार किया जा रहा है। किराये के गुंडे सारे देश में अफ़रातफ़री करने जा रहे हैं। अभी माननीय कमलापति त्रिपाठी का लड़का श्री मायापति त्रिपाठी पकड़े गये हैं। लोकतन्त्र की बात करने वाले सोचें कि यह सारी पार्टी का काम है, यह एक आदमी का काम है? माननीय कमलापति त्रिपाठी राज्य सभा में कांग्रेस (आई०) के नेता हैं। उनके पुत्र श्री मायापति त्रिपाठी को अभी तक इन्होंने पार्टी से नहीं निकाला। हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि अलीगढ़ के दंगों के सिलसिले में आर०एस०एस० का हाथ है। अलीगढ़ के दंगों के बारे में जब यह बात सामने आयी कि शहर की जनता पार्टी के अध्यक्ष का उसमें कुछ हाथ है तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने उनको फ़ौरन अध्यक्ष पद से निकाल दिया। लेकिन क्या इन्दिरा गांधी की कांग्रेस ने श्री मायापति त्रिपाठी को आज तक निकाला ? क्या माननीय कमलापति त्रिपाठी को राज्य सभा में दल के नेता के पद से हटा रहे हैं।

अध्यक्ष महपदय : क्या कृपया आप अपना भाषण समाप्त करेंगे ?

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : इसलिये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मांग करता हू कि लोकतन्त्र को बचाने के लिये इस देश में इन्दिरा कांग्रेस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। यह राजनैतिक पार्टी लोकतान्त्रिक नहीं है अपितु असामाजिक

तत्वों का एक षडयन्त्र कारी गिरोह है। इनको जनता के जीवन से खेलने का कोई अवसर न दिया जाय, और इनकी गतिविधियां की जानकारी पहले से प्राप्त करने की दिशा में अपने गुप्तचर विभाग को अच्छी तरह से मजबूत किया जाय।**

सभापति महोदय: आपने कहा था कि मैं समाप्त कर रहा हूं। मुझे खेद है, मैं दूसरे वक्ता को पुकार रहा हूं। उनके भाषण को बिल्कुल भी रिकार्ड न किया जाये। श्री बापू कालादाते। अनुपस्थित।

अब मैं उन व्यक्तियों को पुकार रहा हूं जिनके नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हैं। वे अपने बोलने के अधिकार की मांग कर रहे थे। दुर्भाग्यवश वे यहां पर मौजूद नहीं हैं। अब श्री निर्मल चन्द्र जैन ।

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी): सभापति महोदय, आज जिस विषय पर हम जर्चा कर रहे हैं वह श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस (आई) द्वारा उत्पन्न की गई क्रांति और अशांति न केवल जमीन पर बल्कि हवा में ले जा कर उत्पन्न की गई, आंशांति चिन्ता का विषय है। एक हवाई जहाज को वाराणसी ले जाया गया हाई जैक करके। पूरी की पूरी घटना इस बात का दिग्दर्शन करती हैं कि इन्दिरा कांग्रेस के लोग.....

सभापति महोदय: मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे कृपया मेरे पास न आयें और अपने नाम के बारे में न पूछें। मैं उनको ही पुकार रहा हूं। इससे कार्यवाही में बाधा होती है, तथा बोलने वाले सदस्य के लिये भी इससे बाधा उत्पन्न होती है आप जानते ही हैं, कि अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो उसकी परम्परा यह है कि आप मार्शल के द्वारा पता करें वह आपको अच्छी प्रकार से देखभाल करके ही सूचना देगा।

श्री निर्मल चन्द्र जैन: इन्दिरा कांग्रेस के लोग कानून और व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं वे केवल डंडा की व्यवस्था में ही विश्वास करते हैं। एक तो पूरे कानून, पूरे संविधान के अन्तर्गत यहां पर बहस हुई, सिर्फ इंदिरा कांग्रेस के लोगों को छोड़कर बाकी सब ने कहा कि उन्होंने यह जुर्म किया है, इसलिये वायस वोट से वह डिसीज़न हुआ, पहला स्टैप था, हो गया। उस समय कांग्रेस (आई) के किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर डिवीज़न करवा लेते क्योंकि पता चल जाता कि सिर्फ कांग्रेस (आई) के लोग उसके पक्ष में हैं और किसी ने साथ नहीं दिया। यह बात निश्चित् है कि प्रायः पूरा सदन कुछ, कांग्रेस (आई) के थोड़े से लोगों को छोड़कर, इस बात में विश्वास रखता था कि इन्दिरा जी ने जुर्म किया है। हो सकता है कि जो सज़ा दी गई, उसके बारे में मतभेद हो, तो जब कानून कहता है कि इस प्रकार की सज़ा दी जा सकती है, तो उसके विरोध में भारत वर्ष में अशांति उत्पन्न करना यह रूल आफ ला नहीं है, यह रूल आफ डंडा है। इससे भी कम स्थिति तब थी जब आपात स्थिति लागू की गई थी, लेकिन एक चीज़ बड़ी गंभीर है कि उस समय भी इन्दिरा की कुर्सी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के कारण खिसकने लगी थी लेकिन इस समय कुर्सी यहां से निकाल कर सदन के बाहर कर दी गई तो यह इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जिस समय इन्दिरा की कुर्सी को जरा भी धक्का लगता है तो बाहर उपद्रव चालू हो जाते हैं, हाईजैकिंग होने लगती है। मैं कहता हूं कि इन्दिरा कांग्रेस के लोग इस गम्भीर खेल को समझें। जो यह हुआ इस सब में एक विशेष बात की गाली गुफ्तार चालू हो गई और सबसे पहले कहा गया कि आर० एस० एस० का इसमें हाथ है ।

मैं समझ नहीं पाया कि वह जो दो पांडेय हैं, जो संजय को सलाम भेजते हैं, हमारी मित्र मोहसिना किदवई यहां बैठी हैं, यहां पर ऐसा कहा जाता है, कि इनको भी सलाम भेजा गया, वह आर० एस० एस० के लोग कहां हो गये ? शायद आर० एस० एस० के लोग इस मामले में हो सकते हैं कि इन्दिरा

**पीठासीन अधिकारी के आदेश पर सभा की कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जी के दो पुत्रों का नाम आर--राजीव एस--संजय, तीसरा हो नहीं पाया, साठे साहब उसकी पूर्ति कर रहे हैं, इस तरह से आर० एस० एस० पूरा होता है--राजीव, संजय, साठे । इस तरह से यह पूर्ति हो रही है ।

मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अन्दाज़ के नाम पर किसी को दोषारोपण करना ठीक नहीं होता । किसी के नाम के खिलाफ यदि हम यहां पर कुछ बोलना चाहते हैं, तो जरा जिम्मेदारी से बोलना चाहिये ।

इसीलिये जब यहां पर यह कहा जाता है कि वह पिस्टल एक टाय पिस्टल था, इसलिये उसको डरना नहीं चाहिये था, तो टाय पिस्टल हो या कुछ भी पिस्टल हो, श्री वेंकटरमन कहते हैं कि इट वाज़ ए जोक आफ ईअर । मैं एक प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूं, कि इन्दिरा गांधी के जेल में जाने से अगर गंभीर प्रश्न नहीं होता तो क्या जोक उत्पन्न होता है ? जोक कहकर वह इन्दिरा जी की मर्यादा को बढ़ाना चाहते हैं ? लेकिन वह जोक नहीं थी । सवाल यह है कि कोई भी पिस्टल पीछे लगा दिया जाता है, तो लगता है कि 126 लोगों की जान जा सकती है, उन सब की जान बचाने के लिये वह वाराणसी ले जाता है । वाराणसी ले जाना, मायापति त्रिपाठी की गिरफ्तारी होना, आज का कंट्रैडिक्शन छोड़ दीजिए, जांच जारी है, ... (**व्यवधान**)

सभापति महोदय: उन्होंने आज का समाचार-पत्र नहीं पढ़ा है ।

श्री निर्मल चन्द्र जैन: मैंने पढ़ा है । मैं कुछ गंभीरता से कह रहा हूं । आप समझ नहीं पाये हैं .....(**व्यवधान**) ।

126 लोगों की जानें बचाने के लिए उस प्लेन को वाराणसी ले जाया गया । यह जोक नहीं है । श्री समर गुह के मकान पर जो बम फेंके गये, क्या वह भी कोई जोक था ? क्या किसी ने इस पर दो झूठे आंसू भी बहाने की कोशिश की ? अगर उन्होंने इस पर क्राकोडाइल टीयर्स ही बहा दिये होते, तो हम समझ सकते थे । लेकिन इन लोगों के आंसू सूख चुके हैं । जब उस दिन इन्दिरा जी यहां बैठी हुई थीं, तो ये लोग रो रहे थे । कोई आंसू बचा ही नहीं है, जो ये लोग बहा सकें । नागरकोइल में सात आदमी जल कर मर गये, मगर किसी ने उसकी भर्त्सना नहीं की, किसी ने उसकी निन्दा में वक्तव्य नहीं दिया ।

क्या यह भी एक संयोग है कि सब से ज्यादा उपद्रव उन्हीं राज्यों में हो रहे हैं, जहां कांग्रेस (आई) सत्ता में है ? कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में सब से ज्यादा उपद्रव हो रहे हैं । (**व्यवधान**) कांग्रेस (आई) के लोग उनमें से हैं, जिनके बारे में कहा जाता है : "रंज लीडर तो बहुत हैं, मगर आराम के साथ, कोम को ग़म में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ" ।

इन्दिरा जी को जो सज़ा दी गई, वह बिल्कुल ठीक दी गई । मैं इस बात को उठाना नहीं चाहता था । मैंने इस बारे में एतराज़ उठाया था, लेकिन रूलिंग दी गई कि इस बारे में कहा जा सकता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन्दिरा जी को बहुत अच्छी सज़ा दी गई है --यह दी जानी चाहिए थी ।

इन्दिरा जी के नाम में एक बड़ी विशेषता और है । जब उन का नाम रखा गया था, तो वह नाम अंग्रेजी में रखा गया था । उसका स्पैलिंग था : आई एन-टी एच ई-आर ए डब्ल्यू--इन-दि-रा । शी न्यू हाऊ टु गवर्न विद रा एंड नर्थिक एल्स । वह आज भी इन-दि-रा हैं--आज भी वह जितने उत्पात करा सकतीं हैं, उन्हें कुछ रा लोगों द्वारा करवा रही हैं, जो टाय पिस्टल से हवाई जहाज़ को हाइजैक करते हैं ।

मेरा कहना यह है कि इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार कर के एक बात का निर्णय ले कि गलत काम की भर्त्सना होनी चाहिए । यह काम कांग्रेस (आई) के द्वारा किया गया है । आप उसकी खुले-आम भर्त्सना करें । उन लोगों को पार्टी से निकाल दें । उसके बाद आप किसी दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप करना बन्द कर दें । मैं चाहता हूं कि डैमोक्रेसी की जो परम्परायें हैं, उनका पूरी तरह से पालन होना चाहिए ।

सभापति महोदय: श्री प्रद्मुम्मन बाल । वह मौजूद नहीं है । श्री मुख्तियार सिंह मलिक भी यहां पर उपस्थित नहीं हैं । पांच सदस्यों में से चार सदस्य उपस्थित नहीं हैं, जिनके नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बोलने के लिये सम्मिलित किये गये थे । अब श्री यादवेन्द्र दत्त ।

श्री यादवेन्द्र दत्त: (जौनपुर) : मैडम सभापति महोदया, आज मेरे दिल में भारी रंज है। मैं आशा कर रहा था कि विपक्ष के नेता खड़े होकर इस हिंसा तथा विमान अपहरण की स्पष्टतः भर्त्सना करेंगे । लेकिन वे चुप्पी साधे रहे । क्या मैं जान सकता हूं कि —"मौनम स्वीकृति लक्षानमः" के अनुसार उनकी चुप्पी जो कुछ वे कर रहे हैं, उसका सूचक है । यह उनकी पूर्णतः कुंठा का ही परिणाम है । वे 1977 के चुनावों में हारे थे और अब वे सामूहिक विवेक की बात करते हैं । प्रजातंत्र में सामूहिक विवेक का क्या अर्थ है । यह बहुमत की आवाज होती है । अल्पमत वालों को झूठे शान से स्वीकार करना चाहिये । क्या उन्होंने इस निर्णय को शान से स्वीकार किया है ? मैंने लोगों से यह कहते सुना है कि अगर इन्दिरा जी को जेल भेजा जाता है तो खून की नदियां बहेंगी । यह क्या है ? इस संसद् ने सामूहिक विवेक का प्रयोग करते हुए तथा बहुमत से विशेषाधिकार भंग की सजा दी । यदि ये लोग प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं तो इन्हें इस निर्णय को स्वीकार करना चाहिये, लेकिन उन्होंने निर्णय को स्वीकार नहीं किया । उन्होंने सड़कों पर हिंसात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है । ये हिंसात्मक कार्यवाहियां कहां हो रही हैं ? अधिकतर उन राज्यों में जहां पर इनकी पार्टी सत्ता में है मैडम यहां पर सदन में एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं । इन लोगों द्वारा उनके पुत्र की कार जला दी गयी, क्यों ? इन्दिरा को रिहा करो । इनकी न तो कोई आर्थिक मांग है और न ही आर्थिक योजना है । उनकी तो केवल एक ही मांग है, और वह है श्रीमती इन्दिरा गांधी की रिहाई । क्या यह पर्याप्त रूप में चापलूसी करना नहीं है ? और भयानक बात यह है कि देश में आपराधिक तत्व इस चापलूसी के के कार्य में लगे हुए हैं । ये युवक कांग्रेस के दो नेता कौन-कौन हैं जिन्होंने विमान का अपहरण किया है ? किसलिये यह किया गया, उनकी क्या मांग है ? श्रीमती इन्दिरा गांधी को रिहा करो तथा उनका अन्तिम संदेश था "मिशन की पूरी रिपोर्ट संजय गांधी को दी जाय" है। यह क्या है ? इससे क्या सिद्ध होता है ? उस दिन विपक्ष के नेता ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की तुलना ईसा से की थी जिससे मुझे केलमरी की दूसरी कहानी याद आयी । हर तरफ ईसाई बाईबल को उस कहानी को जानता है । ईसा के पक्ष में दो कौन व्यक्ति थे ? ये दो व्यक्ति हिंसा की प्रवति के प्रतीक थे और यही प्रवत्ति इन निराश लोगों को प्रजातांत्रीय विरोध के नाम पर हिंसा करने के लिये प्रेरित कर रही है । क्या यह एक प्रजातांत्रिक विरोध है ?

श्री मल्लिकार्जुन: अपहरण एक भिन्न मामला है । इसमें कोई हिंसा नहीं है । आप इसे भूल जाईये ।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के कुछ और सदस्य भी हैं, जो उत्तर देंगे । आप उनकी बात सुने, फिर आप उत्तर दे सकेंगे । यदि आप बाधा डालें तो आप सुन नहीं सकेंगे कि ये क्या कह रहे हैं ।

श्री यादवेन्द्र दत्त: इस अपहरण, जो उन्होंने किया, का क्या उद्देश्य था ? जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, इसका उद्देश्य भूतपूर्व प्रधान मंत्री को रिहा करना था । क्या इस प्रकार के अभियोग को सहन किया जा सकता है ? श्री उन्नीकृष्णन ने अभी कहा है कि उनकी मांग उचित हो सकती है।

लेकिन न्यायोचित मांगों के लिये आपराधिक कृत्य भी अपराध हैं । उन्हें भुलाया नहीं जा सकता । कांग्रेस (आई) इसी प्रकार के अपराधिक समर्थन को प्राप्त कर रही है जो देश के लिये एक खतरा है ।

मैं नहीं जानता कि क्या मेरे मित्रों ने अपनी आंखों से जर्मनी में हिटलर के दावपेंच देखे थे--

श्री सी० एम० स्टीफन : आप विशेषज्ञ हैं ।

श्री यादवेन्द्र दत्त : यह 1933 की घटना है । मैं विशेषज्ञ नहीं हूं । तानाशाह की तकनीक प्रजातंत्रीय संस्थाओं का अपमान करना होता है और यह सब आप तब देख सकते हैं जब श्री संजय गांधी न्यायालय अधिकारी का अपमान करते हुए उन्हें न्याय करने से रोकते हैं ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आप यहां क्यों थे ?

श्री यादवेन्द्र दत्त : यह देखने के लिये कि आप कैसे रोते हैं ? चिल्लाने की यह प्रवृत्ति बुरी है । और उसके बाद म्युनिच अथवा हेम्बर्ग की सड़कों पर हिटलर के स्टोर्म ट्रुपट प्रदर्शन करके ऐसी धारणा पैदा करते थे कि जर्मनी के लिये प्रजातंत्र बेकार है । ये लोग भी यही सिद्ध करना चाहते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा श्री संजय गांधी कानून से ऊपर है । उनके विरुद्ध सिवाय इसके कुछ नहीं किया जा सकता कि उनकी पूजा--* की माला पहना कर की जाये । देश में ये ऐसा कुछ ही करना चाहते हैं । क्या यह सच नहीं है कि यदि ये लोग हिंसा तथा अपराधिककार्य करते हैं और सत्ता में आते हैं तो क्या होगा, यह देशवासियों को समझ लेना चाहिये ।

श्री एच० एल० पटवारी : (मंगलदोई) : ये कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते ।

सभापति महोदय : क्या आप श्री यादवेन्द्र दत्त को अपना भाषण देने देंगे ?

श्री यादवेन्द्र दत्त : देशवासियों को समझ लेना चाहिये कि यदि ये राजनैतिक अभियोग मिल कर सत्ता में आ जाते हैं तो देश में किसी की भी जान तथा सम्पत्ति सुरक्षित नहीं रह सकेगी । अतः देशवासियों को इन्हें उचित उत्तर देना चाहिये । मेरे मित्र राष्ट्रीय स्वमं सेवक संघ से भयभीत है और मुझे आश्चर्य है कि श्री साठे जी भयभीत हैं । वे कहते है कि राष्ट्रीय स्वमं सेवक संघ हर जगह है । यहां मुझे एक सुन्दर कहानी याद आयी है ।

सभापति महोदय : हम कहानी सुन लें । ये कहते हैं कि यह एक सुन्दर कहानी है ।

श्री यादवेन्द्र दत्त : हर समय खम्बे भी इन्हें कृष्ण की तरह लगते हैं । मेरे मित्र का भय भी इसी प्रकार का है : अतः मैं अपनी तीसरी बात पर आ रहा था । मैं मंत्री से मांग करता हूं..... (**व्यवधा**) ।

मैं कहानी कह चुका हूं । आप गहरी नींद में सोये थे । मैं क्या कर सकता हूं ।

कंस को खम्बे में, कुर्सी में और खाने में भी कृष्ण दीखते थे ।

अब आप इससे समझिये । यदि इनके अंदर दिमाग नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं । मैं कह रहा था कि इस अपहरण अथवा राजनैतिक घर तथा निर्दोष लोगों, को जलाने की राजनैतिक हिंसा के लिये एक विशेष कानून बनाया जाये जिसमें एक प्रकार के अभियोगों के लिये मत्यु दंड की व्यवस्था की जाये .....(**व्यवधान**)

श्री रामचन्द्र रथ : डायनेमाईट मामले में अपने जार्ज फर्नांनडीज़ के साथ क्या किया ?

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

श्री यादवेंद्र दत्त : मैंने कुछ कहा नहीं, * को मिर्ची पहले से ही लगने लगी । ..... (**व्यवधान**) । अभी तो कुछ कहा ही नहीं ।

सभापति महोदय : श्री रथ, इन्हें प्राचीन काल के आन्दोलनों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये ।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मेरी माँग यह है कि इंडियन एयरलाइंज, जिसमें बहुराष्ट्रिक भी यात्रा करते हैं, में पूरी सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिये। उनके पास छोटी आटोमेटिक पिस्टलें भी होनी चाहिये जैसे कि जर्मनी तथा अमरीकी एयरलाइंज में भी होती है । अपहरणकर्ताओं को बिना कुछ सोचे गोली मारनी चाहिये।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। मैंने घंटी बजा ली है ।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं फिर से सरकार से अपील करता हूँ कि वे इस मामले पर विचार करें.... (**व्यवधान**)

अपनी मौत का मंजर क्यों देखते रहते हो । मैं सरकार से अपील करता हूँ कि कांग्रेस (आई) के नेताओं के षड्यंत्र पर गहराई से विचार करें। अंत में मुझे याद आया है :—

हुस्न फरोशी की दुकान है यह चिलमन

रूपोशी की रूफेशी, नजारे का नजारा।

उनके सारे शब्द खोखले हैं । मैं विपक्ष के नेता से अनुरोध करता हूँ कि वे खड़े होकर उन लोगों की निंदा करें और उन लोगों को दल से बाहर निकालें जो हिंसा कर रहे हैं अथवा अपनी आंध्र तथा कर्नाटक सरकारों को इस हिंसा को बंद करने के लिए कहें।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री यादवेन्द्र दत्त : यदि वे ऐसा नहीं करते तो समझा जायेगा कि ये भी षड्यंत्र के भागीदार हैं ।

सभापति महोदय : अगले वक्ता को बुलाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि श्री यादवेंद्र दत्त ने एक असंसदीय शब्द का उपयोग किया है । इसे कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर निकाला जाये।

श्री वसन्त साठे : (अकोला) : सबसे पहले मेरा कहना यही है कि हमें किसी भी प्रकार की हिंसा हो, कहीं भी हो, किसी के द्वारा हो तथा किसी के भी विरुद्ध हो, की निंदा करनी चाहिये। अतः चाहे वायु यान अपहरण हो अथवा कुछ और हो, यह एक गम्भीर मामला है । इस देश में हिंसा की प्रवृत्ति बह रही है जैसे कि उस दिन श्री चव्हाण ने भी कहा था। अलीगढ़ तथा बिहार में आरक्षण के मामले पर हिंसा के वातावरण के बारे में हम क्या कर रहे हैं। हम जाति, भाषय सम्प्रदाय तथा क्षेत्र के नाम से पृथकतावादी शक्तियों का सामना कैसे करने जा रहे हैं ?

इस सभा में फासिस्टवाद तथा तानाशाही की चर्चा आमतौर पर होती ही रहती है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि फासिस्टवाद तथा तानाशाही के दो रूप होते हैं :—एक सेना द्वारा सत्ता ग्रहण करना और दूसरा राजनैतिक दल द्वारा सेना पर अधिकार करना । तानाशाही तथा फासिस्टवाद के स्थापित होने का और कोई तरीका नहीं है । इस देश में राजनैतिक दल का सैनिकीकरण अथवा सेना का राजनीतिकरण कौन कर सकता है ? यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सपना था । वे शपथ खाकर कहें कि ऐसा नहीं

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

है। उन्होंने हिटलर तथा एप्प एप्प आंदोलन से प्रेरणा ली है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एप्प एप्प आन्दोलन का केवल एक भाग है। इसी कारण वे बूटधारी हैं, फौजी वर्दी पहनते हैं और अलीगढ़ तथा देश के अन्य भागों में इन बूटों की आवाज से प्रेड करते हैं। क्या ये जैक बूट हिटलर के नहीं हैं? फासिस्टवाद इसी तरह आता है।

फासिस्टवाद लाने का दूसरा तरीका यह है कि आप सेना पर अधिकार करें और यह दल की सेना बन जाती है जैसे कि नकसलवादियों का सपना भी है। यदि ऐसा होता है तो भी इस देश में एक भिन्न प्रकार का फासिस्टवाद आयेगा। लेकिन जनता पार्टी अथवा भारतीय लोकदल अथवा अन्य लोग इस देश में फासिस्टवाद नहीं ला सकते। मुझे याद है कि इस जिम्मेवार व्यक्ति ने कहा था कि "आपातकालीन स्थिति जारी रखें"। मैंने कहा कि "इससे सेना शासन आयेगा"। उन्होंने कहा—"तो क्या है! सेना क्या है? सेना जाटों की है और हम राज करेंगे"। दुनिया के सभी जाटों को लाकर इस देश में सैनिक शासन लागू कर दीजिए और आप एक दिन के लिए भी देश को एकता में नहीं रख सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने उन्हें बताया। महाराष्ट्र में आपको केवल "छत्रपति शिवाजी महाराज की जय" ही कहना होगा तथा राजस्थान में "एकलिंग जी की जय"। कोई भी सेना महाराष्ट्र और राजस्थान पर नियंत्रण नहीं रख सकती। अतः हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस देश में फासिज्म तभी आ सकता है जब ये खतरनाक तत्व अपनी शक्ति को स्थापित कर लें। हम इसे किस प्रकार रोकेंगे? इसका एक मात्र तरीका है हिंसा को रोकना। राजनीति सत्ता का खेल है। आप सत्ता में रहना चाहते हैं और हम भी सत्ता में रहना चाहते हैं और दुर्भाग्यवश कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमारे सत्ता में रहने से राष्ट्र हित सिद्ध होता है। परन्तु यह सत्य नहीं है। जहाँ तक लोकतंत्र का सम्बन्ध है सत्ता के इस खेल में परिवर्तन सम्भव होना चाहिए तथा सत्ता की प्राप्ति गोली से नहीं वरन् मतपेटी से होनी चाहिए। लोगों ने यह सोचा कि इन्दिरा गाँधी की सरकार केवल हिंसा के द्वारा ही उखाड़ी जा सकती है, जबकि आम चुनाव के लिए केवल छः मास शेष रह गए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रोकादेश मिलने पर भी लोगों ने इसे इन्दिरा गाँधी की सरकार को हिंसा द्वारा उखाड़ फेंकने का सबसे उत्तम अवसर समझा। यही सब आपने बिहार और गुजरात में कहा और सेना से विद्रोह करने की अपील की गई। यह शुरूआत थी.....

प्रो० समर गुह: यह बिल्कुल गलत है। हजार प्रतिशत गलत है। सेना से कोई अपील नहीं की गई। यह सब मन-घड़न्त बात है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय: श्री गुह आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया अपना स्थान लें।

श्री बसन्त साठे: एक इटली के पत्र को दी अपनी भेंट में 24 जून को श्री मोरारजी भाई ने कहा कि हम लाखों लोग प्रधान मंत्री के निवास का घेराव करेंगे। तथा उन्हें हमें गोली मारने दो। वे कितने लोगों को गोली मारेंगे? उनका यह कहना हिंसा के प्रति संकेत था। आपातकाल के दौरान के अपने संघर्ष के बारे में भेंट देते हुए जार्ज फर्नेन्डीस ने कहा था: मैं अभिमान के साथ कहता हूँ कि मैंने रेल गाड़ी उड़ाने का काम किया। अकेले कर्नाटक में मैंने 52 गाड़ियाँ उड़ाई।

सभापति महोदय: दस और मत जोड़िए। यह केवल 42 है।

श्री बसन्त साठे: मैं अपने कथन को सही करता हूँ। मेरा कहना यह है कि क्या रेलगाड़ियों को डाइनामाइट से उड़ाना शान्तिपूर्ण आन्दोलन है? फिर भी उनके चुने जाते ही उन पर से फौजदारी का मामला उठा लिया गया।

मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि आचार्य विनोबा भावे ने गौ-हत्या के नाजुक प्रश्न पर आमरण अनशन की धमकी दी थी। वे केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लाग कराना चाहते थे। हमारी सरकार राजी हो गई थी। इस सरकार को भी इसे मान लेना चाहिए, क्योंकि

यह बड़ा ही नाजुक प्रश्न है । यदि कल कुछ हो गया तो आप लोगों की भावनाओं को कैसे रोक सकेंगे। 30 हजार लोग शान्तिपूर्ण सत्याग्रह में जेल गए । कुछ पथभ्रष्ट लोग भी उनमें हो सकते हैं। उन्हें नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी देश में कोई नहीं ले सकता । आपसे मेरा अनुरोध है कि इसे राष्ट्रीय मामला समझा जाए । इसे दलगत विषय न माना जाए । मेरा मोरारजी भाई से अनुरोध है कि पटना में राष्ट्रीय नेताओं का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हो क्योंकि जय प्रकाश जी बीमारी के कारण कहीं आ जा नहीं सकते । वे इस राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर विचार करें और इसका निर्णय करें कि लोकतंत्र को किस प्रकार मजबूत किया जा सकता है और सही रास्ते पर डाला जा सकता है अन्यथा उसके पथ से हटने का डर है ।

श्री चिमनभाई एच० शुक्ल : (राजकोट) : साठे साहब के भाषण को सुन कर मुझे लगा कि गोयबल्ज तो मर गया है लेकिन निर्वंश नहीं मरा है । यहाँ भी उस तरह के लोग हैं । मैं कहूँगा कि हमारे साठे साहब को काँग्रेस आई के युवक नेता श्री संजय गाँधी से सबक लेना चाहिये जिन्होंने साफ यह कहा है कि श्री देवेन्द्र नाथ पांडे को वह जानते हैं। उन्होंने हिम्मत से कहा है कि वह उनको जानते हैं। उनकी यह बात आप लोगों के लिए शिक्षाप्रद होनी चाहिये।

साठे साहब ने कहा कि देश में गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है और यह स्थिति इंदिरा गाँधी को जेल भेजने से पैदा हुई है । मैं समझता हूं कि उनको जेल भेजने से यह स्थिति पैदा नहीं हुई है बल्कि यह स्थिति पैदा कर दी गई है । मैं उन से पूछना चाहता हूं कि संसद् ने जो फैसला किया है उस को क्या गलियों में बदला जाएगा? क्या ऐसा करने की इजाजत दी जा सकती है? जिस ढंग से कन्याकुमारी में छोटे मासूम बच्चों और औरतों को जिन्दा जलाया गया है, जिस तरह से प्रो० समर गुह के घर पर बम फैंका गया है क्या इस सब की निन्दा और भर्त्सना नहीं की जानी चाहिये? वह इतना बोले हैं, इतनी ताकत से बोले हैं लेकिन उनके भाषण में एक शब्द इसके लिए निन्दा का नहीं था, एक वाक्य उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि श्री समर गुह के घर पर जो बम फेंका गया है वह लज्जा की बात थी। हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के और हुआ करते हैं। यही हालत आपकी है ।

आपने बहुत बातें आर एस एस के बारे में कही हैं। मैं साठे साहब को कहना चाहता हूं कि तीस साल तक तो आर एस एस वाले गद्दी पर नहीं थे। तब आपने ये सारी बातें उसके बारे में कैसे कह दीं कि आर एस एस का स्लोगन है कि मिलिटराइज दी हिन्दुआइज एंड हिन्दुआइज दी मिलिटरी। मेरे को यह लगता है कि साठे साहब ने गलत कोटेशन दे दिया है या जान बूझ कर गलत दिया है या झूठ बोले हैं। हिन्दुआइज वाली बात तो सावरकर ने लिखी थी। उस में आर एस एस कहीं नहीं आता है । उनका आर एस एस से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा ..... (इंटरप्शंज) सावरकर ने बीस साल माँडले जेल में गुजारे थे। उसका नाम भी आपने नहीं सुना? यह जान कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है।

आप देखें कि देश में किस ढंग से लोकतंत्र को आपने चलाया था और अब आप कैसे चलाना चाहते हैं। 1977 में लोगों ने सत्ता को बदल दिया था। लोगों को यह आशा थी कि अब लोकतंत्र पनपेगा । जनता पार्टी पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि वह लोकतंत्र के साथ दुश्मनी कर रही है । मैं साठे साहब को कहना चाहता हूं कि वह जनता पार्टी को हैंडल न दें, जो लोकतंत्रीय अधिकार जनता पार्टी ने प्रदान किए हैं उनको मिसयूज न करें। हम लोगों के धीरज की भी कोई सीमा है । अगर आप सड़कों पर ही मामलों को सुलझाना चाहते हैं तो यह मत सोचिये कि आप ही सड़कों पर जा सकते हैं, हम लोग भी सड़कों पर आ सकते हैं और जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी देश की स्थिति क्या होगी, इसको भी आप को देख लेना चाहिए । इस चीज को हम लोग एवायड करना चाहते हैं, एवर्ट करना चाहते हैं।

डेमोक्रेसी की अच्छी अच्छी बातें साठे साहब ने बताई हैं। लेकिन ये सब बातें .... उनको हाथ से सत्ता जाने के बाद ही याद आई हैं या अभिशप्त लोगों को सूझती हैं। पहले आपको ये सब बातें सूझी

होती तो कितना अच्छा होता। अगर पहले सूझी होती तो आपकी आज यह हालत न होती, आपकी पार्टी की यह हालत न होती।

आप आर एस एस को व्यर्थ ही बदनाम करते हैं। जिस तरह से स्मोक स्क्रीन में मिलिटरी आगे बढ़ने की कोशिश करती है उसी तरह से आपका कहना है कि आर एस एस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आर एस एस को तरह-तरह से बदनाम करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं और न ही आप आर एस एस को कुचल सकते हैं। आपने एमरजेंसी में उसको कुचलने की बहुत कोशिश की थी, तब आपने क्या कुछ नहीं किया। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से ले कर उसके सर संघचालक तक को आपने जेल में बन्द कर दिया था। सैंसरशिप आपने लागू कर दिया था। फिर भी आप आर एस एस को खत्म नहीं कर सके। इधर उधर भाषणबाजी करने से और आर एस एस को बदनाम करने से आर एस एस खत्म नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि आर एस एस में निष्ठावान लोग हैं, ध्येयनिष्ठ लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो उसकी खातिर अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं। इसको सिर्फ भाषण करने वाले लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। माननीय गोविन्दन नायर ने बताया कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दबाव डाला इन्दिरा जी को सजा देने के लिये। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वह जो कहेंगे वही होगा, एम० पीज० जो कहेंगे वही होगा। यहाँ एक आदमी की सत्ता नहीं है, जैसा कि साठे साहब की पार्टी में है। जहाँ एक आदमी सब के नकेल नहीं डाल सकता। माननीय साठे जी ने कहा कि उस दिन, जिस दिन श्रीमती इन्दिरा गाँधी को सजा देने का प्रस्ताव पास हुआ था, सदन में बाहर के लोगों को आने से किसी ने नहीं रोका। मुझे इस बारे में बताया गया है कि लोक सभा के वाच और वार्ड के लोगों ने लिख कर दिया है कि क्या क्या और कैसे कैसे यहाँ हुआ है। इसलिये सिर्फ प्रचार करने से लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। लोग आपको भी पहचानते हैं और हमें भी पहचानते हैं। और फतेहपुर तथा समस्तीपुर में आपने देखा कि लोगों ने जनता पार्टी में विश्वास प्रकट किया। उसी प्रकार 1980 में गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, वहाँ भी आप देखेंगे कि वही होने वाला है जो फतेहपुर और समस्तीपुर में हुआ है। हमने देखा कि आपने संविधान को सबवर्ट कर के इस देश में फ़ासिज्म लाने की दो साल तक कोशिश की है जिसमें आप नाकामयाब हुए हैं। इसलिये आप कितना ही झूठा प्रचार करें, दुनिया गुमराह होने वाली नहीं है। यदि झूठ के लिये नोबिल प्राइज दिया जाय तो श्रीमती इन्दिरा गाँधी को और उनकी पार्टी के अलावा और किसी को नहीं मिल सकता है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : कुछ दिन पहले सदन में अलीगढ़ के दंगों पर हुई चर्चा के दौरान सभी ओर से सदस्यों ने कहा था कि इनके लिये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिम्मेदार है। जनता पार्टी के वक्ताओं ने, जो रा०स्व०से० संघ से निकट से सम्बद्ध रहे हैं, पूछा था कि क्या बाला साहेब देवरस अलीगढ़ के दंगों के लिए अनुदेश देते रहे हैं। हमने सदन में कहा था कि यह आवश्यक नहीं बाला साहब अनुदेश दें। आज देश में क्या स्थिति है ? 19 दिसम्बर को संसद ने गलत या सही भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को सत्रावसान तक जेल भेजने और उन्हें सदन से निकाले जाने का भी निर्णय किया। इसके विरुद्ध कांग्रेस (ई) ने राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का आह्वान किया। परिणामस्वरूप अनेकों स्थानों पर बसों को जलाया गया और डाकखानों को आग लगाई गई।

श्री के० लकप्पा : (तुमकुर) : मुझे आपके दल के मामले में हस्तक्षेप करने और लोगों को बुलाने का यह तरीका पसन्द नहीं है। श्री सूर्य नारायण एक वरिष्ठ सदस्य हैं और उनका नाम सूची में श्री सौगत राय से पहले है। श्री सौगत राय को बुलाया गया और श्री सूर्य नारायण को छोड़ दिया गया हम इसे गम्भीरता से लेते हैं। इसलिये मेरे दल से यदि किसी को बोलने बुलाया जाय तो श्री सूर्य-नारायण से पहले बोलें। इस प्रकार के व्यवहार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये (**व्यवधान**)। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं देख रहा हूं कि सदन में ऐसा हो रहा है (**व्यवधान**)। मैंने अपना नाम दिया। इस सम्बन्ध में मेरे दल ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। ऐसी बातें चल रही हैं

तथा मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि कि मेरे दल से श्री सूर्यनारायण को बुलाया जाए। सदन की कार्यवाही को विनियमित करने का यह तरीका नहीं · · · (व्यवधान) मैं विरोध में सदन से बाहर जाता हूं।

माननीय सदस्य तब सदन से बाहर चले गए।

श्री उग्रसेन खड़े हुए।

सभापति महोदय: कृपया आप अपने स्थान पर बैठे मैं बोलने खड़ा हुआ हूं · · · (व्यवधान) श्री उग्रसेन आप वहां बैठ कर सदन की कार्यवाही नहीं चला सकते। कृपया इसे ध्यान में रखे।

मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मैं दलों द्वारा दी गई सूची के अनुसार चल रहा हूं। यदि दल के अन्तर्गत आपके कुछ मतभेद हों तो उन्हें पार्टी में ही दूर करें। श्री सौगत राय।

श्री सौगत राय : कांग्रेस (ई) के आह्वान के फलस्वरूप देश को कुछ भागों में गोली बारी हुई · · · · · (व्यवधान)। डाकघरों को आग लगाई गई, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कई स्थान समेत अनेक जगहों पर कल गोली बारी हुई। बसों पर पत्थर फेंके गए; कन्याकुमारी में एक व्यक्ति को जीवित जला दिया गया और अन्त में इतनी ही नहीं, बंगलौर टेस्ट को, जिसमें भारत जीतने वाला था, बीच में रोक दिया गया। फिर इसकी पराकाष्ठा हुई वायुयान अपहरण में।

कांग्रेस (ई) के मेरे मित्रों ने कहा कि हमने कभी हिंसा को नहीं भड़काया। वे सभी सम्मानीय लोग हैं और मैं उनकी इस बात का विश्वास करता हूं कि उन्होंने पाण्डे बन्धुओं को वायुयान का अपहरण करने तथा अन्य लोगों को डाकघरों और बसों को आग लगाने के लिये विशेष रूप से नहीं कहा। परन्तु मेरा कहना है कि जिस प्रकार बालासाहेब देवरस द्वारा अलीगढ़ में रा०स्व०से० संघ के लोगों को अनुदेश देने का कोई प्रमाण न होने पर भी संघ को दंगों के लिये हमें दोष देते हैं उसी प्रकार आपको यह समझाना चाहिये कि जब एक दल श्रीमती गांधी के गिरफ्तार होने पर खून खराबा होने पर विश्वास करता है, तब ये घटनाएं होगी ही। पिछले एक सप्ताह से वे लोग संसद पर कोई निर्णय लादने के लिये संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सबसे यही उचित निष्कर्ष निकलता है। मेरा पाण्डे बन्धुओं से कोई विरोध नहीं, वे युवक हैं और साहसी हैं। एक युवक के नाते वायुयान अपहरण मेरे ऊपर जादू का काम करता है, मुझे लैला खालिद की याद आती है, जिसने फिलिस्तिनियों के लिये अपनी मातृभूमि की मांग के लिये पान अमेरिकन के बोइंग विमान का अपहरण किया था। वायुयान अपहरण एक साहस का काम है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को खतरे में डालता है। प्रश्न यह है कि आदमी ऐसा कदम क्यों उठाता है। उसने यह साहसी कदम उठाने और जीवन को खतरे में डालने की शिक्षा कहां से ली? इसका पता लगाना है। मैं अपने कांग्रेस (ई) के मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वर्तमान स्थिति पर और इस बात पर विचार करें कि क्या ऐसा ही देश में और अधिक समय तक चलते रहने देना चाहिये। यह प्रश्न किसी व्यक्ति की निन्दा करना अथवा कि दल को बदनाम करना या किसी विशेष दल पर कीचड़ उछालना नहीं है।

श्री वसन्त साठे: तीस हजार लोग शान्तिपूर्ण सत्याग्रह कर जेल गये · · · · (व्यवधान)।

सभापति महोदय : श्री साठे आप अपनी बात कह चुके हैं। अब श्री सौगत राय को अपनी बात कहनी है।

श्री सौगत राय: शान्तिपूर्ण विरोध हुआ पर हिंसा भी हुई है। लोगों ने वैसी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की जिसके लिये कांग्रेस (ई) ने कहा था। कल दिल्ली बन्द का आहवान किया गया था। सबेरे स्टेशन जाते हुए मैंने देखा कि शहर में सामान्य स्थिति थी। कल कलकत्ता बन्द था, वहां भी टेलीफोन से पता चला सब कुछ सामान्य है। किसी भी स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करना लोगों पर निर्भर है। आपने

शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने का पूरा अधिकार है। आज मैं एक भूतपूर्व सदस्य श्री धर्मवीर सिंह से मिला, जो अपहरण किए गए विमान में थे। वे मुझे बता रहे थे कि ये अपहरणकर्ता सर्वथा शान्त लग रहे थे। वे पूरी तरह से राजनीतिक लोग लगते थे। (**व्यवधान**)। वे पूर्णतः गम्भीर व्यक्ति थे। वे खादी का कुर्ता पाजामा पहने थे। उन्होंने काकपिट से निकल कर विमान अपहरण का कारण बताया। (**व्यवधान**)। विमान अपहरण का उनका उद्देश्य विश्व भर का ध्यान केन्द्रित . . . . (**व्यवधान**) हो सकता है कोई विशेष अनुदेश न हो, परन्तु उन युवकों को मन में एक विशेष उद्देश्य था —अर्थात् श्रीमती गांधी को छुड़ाना। मुझे कल वाराणसी से टेलीफोन आया। जब ये लोग वाराणसी हवाई अड्डे को जा रहे थे कांग्रेस (ई) के स्वयं सेवकों के दलों ने आकर उन्हें मालाएं पहनाई और कहा "पाण्डे जी की जै" पर्यटन और नगर विमानन मंत्री बताएं कि यह सच है या नहीं।

सभापति महोदय: क्या आपने इस समाचार की पुष्टि अपने श्वसुर से की ?

श्री सौगत राय : जी हां, । आप जानते हैं कि मेरे पास वाराणसी से जानकारी पाने के पर्याप्त साधन हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेस (ई) की ओर से सभी प्रकार से हिंसा से इन्कार किया है। परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं क्योंकि किसी विशेष घटना के बाद यह सब होने के कारण वे स्वयं को जिम्मेदारी से अलग नहीं कर सकते। परन्तु साथ ही सत्ताधारी दल को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि गलत नीतियों की प्रतिक्रिया होगी ही। आज आप कांग्रेस (ई) की हिंसा की निन्दा कर रहे हैं, पर क्या आपको याद है कि 1974 में बिहार और गुजरात राज्य में विधायकों को सड़कों पर नंगे घुमाया गया ?

एक माननीय सदस्य: नहीं ।

श्री सौगत राय: तब आप में से कितनों ने विरोध किया था ? जब घरों को आग लगाई गई थी तब आप में से कितनों ने विरोध किया था ? आजकल विवाद की राजनीति चल रही है। मैं श्रीमती गांधी को सदन की सदस्यता से बर्खास्त किए जाने के विरुद्ध हूं। लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिये कि श्रीमती गांधी का सदन की सदस्यता बर्खास्त करना उसी प्रकार तर्कसगत है जिस प्रकार डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को दूसरे सदन से निकाला गया था। गलत राजनीती गलत राजनीति को जन्म देती है यह गलत राजनीति समाप्त होनी चाहिये। विवाद की राजनीति समाप्त होनी चाहिये। यह नहीं कहा जाना चाहिये कि चूंकि हमको गलत ढंग से जेल में डाला गया था इसलिये हम भी तुम्हें गलत ढंग से जेल में डालेंगे। कल तक तो आप हिंसा के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहे थे। आज आप हिंसा की निन्दा कर रहे हैं। देश में लोगों का एकमत होना चाहिए। विवाद की राजनीति से कोई लाभ नहीं। श्रीमती गांधी एक तरफ है और सारी जनता पार्टी एक तरफ है (**व्यवधान**)। सारी जनता पार्टी श्रीमती गांधी पर मुकदमा चलाने पर उतारू हैं (**व्यवधान**)। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसी धारणा देश में फैल रही है। आपको और श्रीमती गांधी को अपना अपना अंश मिल गया है। यदि आप श्रीमती इंदिरा गांधी के लिये 19 महीने की जेल चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। क्या आप के पास यह कहने का साहस है कि श्रीमती गांधी को 19 महीने के लिये जेल में भेज दिया जाए।

सभापति महोदय: श्री सौगत राय, आप संक्षेप में अपनी बात करें।

श्री सौगत राय: मैं एक दो मिनट के लिये और बोल सकता हूं क्योंकि मेरे भाषण में व्यावधान आया था।

सभापति महोदय: मैंने व्यावधानों को ध्यान में रखा है।

श्री सौगत राय: पहले जब कांग्रेस संगठित थी तब हम यह कहा करते थे कि संसद सर्वोच्च है। आज कोई यह नहीं कह सकता कि संसद सर्वोच्च नहीं है। मैं संसद से बाहर विरोध से चिंतित हूं। क्या इसे संसद की सर्वोच्चता का विरोध समझा जाए। यह ससदीय प्रजातंत्र पर कुठाराघात है।

सभापति महोदय: अब मैं अगले वक्ता को बुलाता हूं।

श्री सौगत राय: इसलिये में सरकार से अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: जब मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं तो आप की बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायगा (**व्यवधान**)। **

श्री विजय सिंह नाहर (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदया, यह जो हाइजैकिंग की बात हुई है यह केवल हाइजैकिंग या दो लड़कों की बात नहीं है, इस की बहुत लम्बी कहानी है, वह मैं कहूंगा इसके पहले जब यहा पर इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन की बातें हो रही थीं, उसके पहले भी यह बात बतायी गई थी। आप को शायद ख्याल होगा उस समय इंदिरा गांधी जी खुद एलेक्शन में

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

और दूसरी जगह जहां मीटिंग होती थी वहां कहती थीं कि हम को अरेस्ट करने की और जेल देने की किसी की ताकत नहीं है। अगर हमको जेल देंगे तो देश में एक भारी क्रान्ति हो जायगी, उथल-पुथल हो जयेगी। वहीं से यह कहानी शुरू हुई थी और उसका नतीजा आज हम यहां देख रहे हैं। मैं सरकार से भी कहूंगा कि इस घटना की पूरी तरह से जांच हो जो कि अभी प्रस्ताव में आया है कि इसके पीछे कितनी बड़ी कांसपिरेसी है इस सरकार को फेंकने के लिए और देश में गोलमाल पैदा करने के लिए इस के लिए कितनी बड़ी कांसपिरेसी तैयार की गई थी। आप को शायद याद होगा कि यहां पर हाउस में भी बताया गया था कि अगर यहां यह प्रस्ताव पास हुआ कि इंदिरा गांधी को जेल होगी तो बाहर आग लग जायेगी, यह माननीय सदस्यों ने कहा था। परन्तु मैं यह बात कहना चाहता हूं कि वायलेंस से, जबर्दस्ती से कोई काम नहीं हो सकेगा। जब तक हम जनतांत्रिक पद्धति से, कांस्टीच्यूशनल वे में चलेंगे तब तक किसी भी पार्टी का ऐसा मंशा हल नहीं हो सकेगा और कोई भी इस तरह का काम नहीं कर सकेगा।

यह जो कांग्रेस (आई) पार्टी है यह डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती है। ये बड़ी-बड़ी बातें तो यहां स्पीच में कहते हैं लेकिन बाहर ये दूसरे काम करते हैं और डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते हैं। बाहर में इन का यह कहना है कि लोक सभा में यहां जो प्रस्ताव पास हुआ है वह जनतांत्रिक नहीं है, इस को हम लोग नहीं मानते हैं और उसी के मुताबिक वहां पर ये काम करवाए जाते हैं, रास्ते में गड़बड करना और यहां संसद के गेट पर भी गड़बड़ करना, इस तरह के काम ये लोग करवाते हैं। उसमें कांग्रेस (आई) पार्टी के लीडर लोग भी जाते हैं और इस तरह का काम करवाते हैं। यह फासिस्ट तरीका है। इस फासिस्ट तरीके को जब तक नहीं बन्द किया जायगा तब तक कोई काम ठीक तरह से चल नहीं सकता है। यह बिल्कुल फासिज्म की बात है। फासिज्म का बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन साठे साहब ने दिया है, बहुत सुन्दर एक्सप्लेनेशन दिया है। परन्तु वह भूल गए थे 1975 की बात। उस वक्त क्या हुआ था ? उस वक्त भी यह बताया गया था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। यह उन लोगों की स्पीच थी, यह इंदिरा गांधी की भी स्पीच थी और आज जब पार्लियामेंट में कोई प्रस्ताव पास होता है तो कहते हैं कि यह प्रस्ताव ठीक नहीं है, हम इसको नहीं मानते, यह कांस्टीच्यूशनल नहीं है। यह तरीका ये लोग चलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं साठे साहब से और उनके दल के लोगों से कि वह बताएं इस तरह वह 'डेमोक्रेसी' चलाना चाहते हैं ? वह कहते हैं कि हमारे देश के लोग बहुत बिगड़ गए हैं इसलिए चारों तरफ इतने आन्दोलन हो रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं, आप बताइए, एक आदमी अगर कुछ करे तो क्या पीपल्स अपसर्ज हो जायेगा ? हमारे समर गुहा साहब के मकान पर कोई बम फेंक गया, एक या दो आदमी वहां जा कर बम फेंक दें चोरी से लुक कर तो क्या यह पीपल्स अपसर्ज है ? वह कहते हैं कि चारो तरफ जनता गड़बड़ कर रही है। मैं बंध की बात नहीं करता, हमारे पूर्व वक्ताओं ने उसके

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

बारे में बताया, दिल्ली बन्ध भी नहीं हुआ, बनारस बन्ध भी नहीं हुआ और कलकत्ता बन्ध तो हुआ ही नहीं, वह हो भी नहीं सकता था, वहां उन का कुछ है भी नहीं और दो लोग अगर हाइजैकिंग कर लें तो उस से सारे देश के लोग तो विरोध में नहीं हुए । अगर दो चार दस आदमी आकर यहां सो गए तो इस से भी यह पता नहीं चलता है कि लोग इसके विरोध में हैं । पार्लियामेंट ने जो कदम उठाया है, सारे देश में चारों तरफ उस को समर्थन मिला है । अगर समर्थन नहीं मिलता तो कांग्रेस (आई) के लोग खिसिया नहीं जाते । बिल्ली जैसे खिसिया जाती है वैसे ही ये भी खिसिया गए हैं और रास्ते में जा कर वायलेंस कर रहे हैं । कहीं बस जला रहे हैं और कहीं लूट कर रहे हैं । जनता पार्टी के आफिस में चार लड़के आ गए और वहां आग लगा दी, कुछ पत्थर फेंक दिए । मैं जानना चाहता हूं क्या डिमोक्रैसी की रक्षा करने का यही तरीका है ? आपका तो यही तरीका है कि जबर्दस्ती करके डिक्टेटरशिप कायम की जाये लेकिन यह कभी सम्भव नहीं होगा । आप रास्ते में लड़ना चाहेंगे लेकिन जनता पार्टी आपसे पोलिटिकल लड़ाई लड़ेगी । इस लड़ाई में आप इस देश के लोगों के साथ और जनता पार्टी के साथ टिक नहीं सकेंगे ।

एक बात यहां पर यह कही गई, पार्टी सिस्टम के सम्बन्ध में, कि पार्टी लाइन पर यहां वोटिंग हुई हालांकि पार्टी लाइन पर वोटिंग हुई ही नहीं । लेकिन अगर पार्टी लाइन पर भी वोटिंग हुई हो तो क्या आप के लोगों ने अपने दल के साथ वोट नहीं दिया । हम तो कह भी सकते हैं कि जितने हमारे साथी थे उसमें कुछ न्यूट्रल भी रहे लेकिन आपके यहां तो सभी लोगों ने एक साथ वोटिंग की । इसलिए पार्टी लाइन पर वोटिंग आप लोगों ने की है । हमारे यहां तो सदस्यों ने भिन्न-भिन्न मत दिए और जो होना चाहिए था, जो उचित था उस पर अपनी राय दी ।

एक बात मैं सरकार के सामने भी रखना चाहूंगा । आज जो तरीका चल रहा है उसका मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार की तरफ पूरे कदम नहीं उठाए गए हैं । जैसा कि रेलों के सम्बन्ध में किया गया है, हर एक ट्रेन में आर्म्ड गार्ड तैनात कर दिए गए हैं उसी तरह से हर प्लेन में आर्म्ड गार्ड तैनात किए जाने चाहिए जिनको कि असली और नकली पिस्तौल की पहचान हो । अगर आप ऐसा नहीं करते है तो आज एक हाईजैकिंग हुई है, कल को दो चार और भी हो सकती हैं । आगे तमाशे के साथ नहीं, और तरीके से हाइजैकिंग हो सकती है । यह भी सही है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई का पता चल सके । कांग्रेस (आई) की तरफ से बहुत प्लान्ड वे में यह करवाया गया था । और यह करने की उनकी वजह भी थी । वे दोनों यंगमैन, जैसा कि श्री सौगत राय जी ने कह दिया है, बहुत सहासी आदमी हैं । (**व्यवधान**) वे जानते थे कि हम अगर पकड़े भी जायेंगे तो कुछ दिन की जेल ही हो सकती है, और कुछ नहीं होगा । वे जानते थे कि जनता पार्टी की सरकार कानूनी तरीके से चलती है इसलिए कुछ नहीं होगा । इसलिए यह काम बहुत प्लान्ड वे में किया गया है जैसे कि कांग्रेस (आई) और यूथ कांग्रेस के काम होते हैं । आपने सुना होगा और देखा होगा कि संजय गांधी ने बताया है कि वे हमारे परिचित हैं, साथी हैं और यूथ कांग्रेस में हमारे साथ काम करते हैं । तो इस तरह से एक दल देश में वायलेंस करने के लिए आगे बढ़ रहा है जिसको हमें रोकना होगा । इसके लिए सरकार को सही कदम उठाने पड़ेंगे । इस सम्बन्ध में केवल सरकार ही नहीं, सभी पार्टियों को पोलिटिकल फ्रंट पर इसका मुकाबला करना चाहिए जिससे कि देश में इस प्रवृत्ति को रोका जा सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आया है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए ताकि यह मालूम हो सके कि कैसे क्या हुआ है । इससे देश को भी फायदा होगा और लोग भी समझेंगे कि कांग्रेस (आई) किस तरह से काम कर रही है ।

श्रीमती मोहसिना किदवई (आजमगढ़) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज जिस बात पर इस सदन में चर्चा हो रही है—वह एक बहुत अहम मसला है । लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इसको

बिल्कुल पोलिटीकल लेवल से देखने की बात की जा रही है, पोलिटीकल लेवल पर इसको जांचन का बात की जा रही है । कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हमेशा इस तरह की चीज को कन्डेम किया है । कहीं भी किसी भी जगह पर, किसी भी तरह से वायलेंस हो--कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इसमें विश्वास नहीं किया, न करती है और न करेगी । यह हमारी कांग्रेस के बुनियादी उसूलों में से एक है--जिन लोगों ने कांग्रेस की हिस्ट्री को पढ़ा है और जो पुराने कांग्रेस-मेंन हैं, वे जानते हैं, कांग्रेस ने कभी भी वायलेंस पर विश्वास नहीं किया, उस ने हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया. हिंसा को हमेशा कन्डेम किया, न सिर्फ जबानी, बल्कि अपने काम से बतलाया कि हम वायलेंस में विश्वास नहीं रखते हैं, हमारी पार्टी, हमारे वर्कर्स इस पर कोई विश्वास नहीं रखते हैं--इसलिये हमने इसको कन्डेम किया है ।

इस हाउस में आज जिस तरह की चर्चा चली है, मुझे अफसोस है कि उस में एक पार्टी को इन्डल्ज, करने की कोशिश की गई है । मुझे इस बात का भी अफसोस है कि इस वक्त जो माहौल पूरे हिन्दुस्तान में बना है--वायलेंस का, यह पिछले चार दिनों की बात नहीं है, जबसे जनता पार्टी सरकार में आई है, कास्टिज्म की बात, कौमी-दंगे, फिरकेवाराना-फिसादात, जगह-जगह कत्ल, चोरी, डकैती, खून, ये सारी चीजें हो रही हैं, जिन्होंने इस किस्म का माहौल बना दिया है । मैं पूछना चाहती हूं--अपने उन आनरेबिल मेम्बर से, जो अभी कह रहे थे कि आर० एस० एस० का हौवा खड़ा किया जाता है । इस हाइजैकिंग की बात को लेकर लखनऊ में हमारे पी० सी० सी० के आफिस को सर्च किया गया, उस के चारों तरफ पी० ए० सी० और पुलिस के लोग खड़े कर दिये गये, लेकिन सर्च में निकला कुछ नहीं । मैं आप से कहना चाहती हूं कि हमारी पार्टी इन चीजों में यकीन नहीं रखती है, ये चीजें तो उन पार्टियों के आफिसिज के अन्दर से निकलेंगी जिन का हिंसा में यकीन है, जो पार्टी इस वक्त जनता सरकार में शामिल है।, जब उन के आफिसिज को सर्च किया जाता है तो उनके अन्दर से मिलिट्री की ड्रेसेज निकलती हैं पी० ए० सी० की ड्रेसेज निकलती हैं, छुरी और तलवारें निकलती हैं । उन पार्टियों के दफ्तरों से ऐसी चीजें निकल सकती हैं जो शाखायें लगाती हैं, जो लोगों को चाकू चलाना, डण्डे और लाठी चलाना सिखाती हैं, जिनका तशद्दुद में विश्वास है । मैं कहती हूं--अलीगढ़ में इतने दंगे हुए--मेरी अपनी इन्फर्मेशन है--पी० ए० सी० की वर्दी में आर० एस० एस० के लोग पकड़े गये । सरकार ने उन के खिलाफ क्या कार्यवाही की, जो आज सरकार तशद्दुद के नाम पर करने जा रही है ·····

श्री कंवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है । मिसेज किदवई ने आर० एस० एस० पर इल्जाम लगाया कि वहां पर चाकू, छुरी निकलते हैं । अलीगढ़ का दंगा उन्होंने किया । हमने अलीगढ़ में इन्कवायरी के लिये अपनी सहमति दी ····· **व्यवधान** ····· अब जो कुछ चार दिनों में हुआ है क्या आप वर्तमान मामले में जांच करवाने के लिए तैयार है । यह एक अपने प्रकार का अलग मामला है (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं अर्ज कर रही थी कि एक ऐसा माहौल इस मुल्क में तैयार किया जा रहा है, एक ऐसी फिजा तैयार की जा रही है, सदियों से इस मुल्क में जो भाई-चारे की फिजा थी, नेशनल-इन्टीगीरिटी की फिजा थी, उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, मुल्क के टुकड़े-टुकड़े करने की साजिश, जात-पांत में बांटने की साजिश चल रही है । जनता सरकार में बैठे हुए लोगों को ये सब बातें नजर नहीं आ रही है--मुझे बहुत अफसोस है--आज जिस तरफ देखना चाहिये, जो खतरा आज हमारे मुल्क के सामने मंडरा रहा है--उसकी तरफ नजर नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तरह-तरह के इल्जामात लगाये जा रहे हैं, हर तरह से डर्टी से डर्टी पोलिटिक्स में उस को शामिल किया जा रहा है । मैं याद दिलाना चाहती हूं--अभी चौधरी चरण सिंह जी ने, जिन की मैं बहुत इज्जत करती हूं, कहा--क्या कभी इमर्जेन्सी के जमाने में किसी के घर को रेड किया गया, कहीं बम फेंका गया ? प्रो० समर गुह साहब के मकान पर जो वाक्या हुआ, मुझे अफसोस है, मैं उसकी हर तरह से निन्दा करती

हूं । हम वायलेंस में विश्वास नहीं करते हैं । लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि एमर्जेन्सी के पहले जो हालत थी, पुलिस को भड़काया जा रहा था, मिलिट्री का आह्वान किया जा रहा था--झगड़े, फसाद कराये जा रहे थे । किन हालात में एमर्जेन्सी लगी थी ? आज मैं आप से कहना चाहती हूं कि आज हमारे मुल्क में जो हालात हैं, आप जिस तरह से इस मुल्क में हकुमत करना चाहते हैं, उसे जम्हूरियत तो नहीं कहा जा सकता । यह पार्लियामेंट जम्हूरियत की सबसे बड़ी जमात है । जैसा कि आज एक मेम्बर ने यहां कहा कि इस के लिए किसी को पास नहीं दिया जा रहा है, किसी को अन्दर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है । यह तानाशाही का रवैया रफ्ता-रफ्ता करके और पर्दे में इस मुल्क में लाया जा रहा है । (**व्यवधान**)

मैं आप से कहना चाहती हूं कि यह जो हाइजेकिंग हुई, इसके बारे में, आपका जो मास मीडिया, है, आपका जो रेडियो है वह किस तरह से गलतबयानी कर रहा है । मुझे अफसोस इस बात का है कि वह यह गलतबयानी करता है कि मोहसिना किदवई से टेलीफोन पर जब बात करने की कोशिश की गयी तो उन्होंने टेलीफोन रख दिया । आपके मास मीडिया का यह वही तरीका और टेक्नीक है जो नाजियो ने और डिक्टेटरों ने अख्तियार की हुई थी । वे अपने मीडिया से ब्रेन वाशिंग करने की टेक्नीक अपनाये हुए थे । जिसके हाथ में आज आकाशवाणी है वह भी वही करना चाहते हैं ।

मैं आपसे कहना चाहती हूं कि होम मिनिस्ट्री के किसी आदमी ने मुझे कंटेक्ट नहीं किया था । मेरे घर पर किसी आदमी का फोन नहीं आया था, न बनारस से आया था । जब मैं रात 11 बजे अपने घर पहुंची तो मैंने खुद आपके ज्वाएंट सेक्रेटरी को कंटेक्ट किया । उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह एक प्लेन हाईजेक हुआ है और आपका नम्बर दिया गया है । मैंने उनसे कहा कि यह तो कोई भी मिसचीफ कर सकता है, कोई भी किसी का नम्बर देकर के टेलीफोन करा सकता है और यह कह सकता है कि उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिया । मैं समझती हूं कि आपकी यह जहनियत छोटी जहनियत हैं और इसी छोटी जहनियत से आप इस मुल्क पर हकुमत करने की कोशिश कर रहे हैं । (**व्यवधान**)

मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस तरह की जो बातें चल रही हैं, वे कैसे माहौल में चल रही हैं ? हम कभी इस तरह की बातों का समर्थन नहीं कर सकते, हम उनको कंडेम करते हैं और जोरदार लफ्जों में कंडेम करते हैं ।

इसके बारे में मिनिस्टर साहब का जो वक्तव्य है उसमें कहा गया है :--

> "विमान अपहरण कर्ताओं ने सभी यात्रियों एवं विमान चालकों, को छोड़ दिया, अपने हथियार डाल दिए और उन्हें तीन अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के विमान में लखनऊ ले जाया गया"

वे कौन-से वेपंस थे जो उन्होंने सरेण्डर किये । जिस वक्त मिनिस्टर साहब का यहां पर बयान आया था उस वक्त तक उन्होंने वे वेपं सरेण्डर कर दिये थे । मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने क्यों नहीं उन वेंपस का नाम लिया ? उन्होंने जानबूझ कर वेंपस का नाम नहीं लिया ।

दूसरी बात मैं आप से कहना चाहती हूं कि श्री रामनरेश यादव उनके रिश्तेदारों को अपने साथ स्टेट प्लेन में ले जाते हैं । इस से तो यह बात साबित होती है कि मुझ से ज्यादा तो श्री रामनरेश यादव का उन लोगों से नाता है । यह बात अखबारों में आयी है कि श्री रामनरेश यादव उन के रिले-वज को अपने प्लेन में लाये ।

मैं आप से कहना चाहती हूं कि यह मुल्क पार्टियों से बड़ा है, यह हिन्दुस्तान सारी पार्टियों से बड़ा है । मुल्क पहले आता है, पार्टियां बाद में आती हैं । मुल्क की एकता के लिए मुसीबत इस वक्त

जनता सरकार ने पैदा की हुई है । इन सवालों को किस तरह से हल किया जाए, इन हालात को किस तरह से दबाया जाए, इस मसले पर सभी पार्टियों को बैठ कर विचार करना पड़ेगा । इन के लिए किसी एक पार्टी को इल्जाम देना कहाँ तक मुनासिब है ?

एक बात मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि यह जो शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह चल रहा है, उसके बारे में श्री रामनरेश यादव ने क्या बयान दिया है ? आप जरा उस बयान को पढ़िये । उन्होंने कहा है कि इस सरकार को ये लोग ताकत से उलटना चाहते हैं । आज आप क्या कर रहे हैं ? आज अलीगढ़ में लोग पकड़े जा रहे हैं । आज अलीगढ़ में दफा 153 और दफा 181 के तहत राजनीतिक लोगों को, सियासी लोगों को जेलों में बन्द किया जा रहा है । यहाँ पर मीसा की दुहाई दी जाती है लेकिन आप देखें कि इन लोगों को आप इन दफाओं में जेलों में बन्द कर रहे हैं, सत्याग्रहियों पर आप ये दफाये लागू कर रहे हैं । लीडर आफ दी अपोजीशन को आपने वहाँ जेल में डाला लेकिन उनको कोई फेसिलिटीज आप नहीं दे रहे हैं । आंध्र और कर्नाटक की घटनाओं की यहाँ बहुत चर्चा की गई है । मैं कहना चाहती हूं कि चूंकि वहाँ कांग्रेस आई की सरकारें हैं इस वास्ते वहाँ की घटनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है ताकि प्रेजीडेंट्स रूल वहाँ कायम करने का आपको बहाना मिल सके, उन सरकारों को खत्म किया जा सके ।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं । एमरजेंसी के दौरान जनता पार्टी के एक जनरल सक्रेटरी ने एक सर्क्युलर निकाला था जोकि मेरे पास मौजूद भी है जिस में कहा गया था कि उस पार्टी के वर्कर काँग्रेस के अन्दर घुस कर उस पार्टी की तोड़ फोड़ करे । ये सब चीजें हो रही हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं चुनौती देता हूं । आप परिपत्र दिखाईए । यह बिल्कुल ग़लत है । मैं इससे इंकार करता हूं ।

श्रीमती मोहसिना किदवाई : मैं कहना चाहती हूं कि आज मुल्क में ऐसी ताकतें, ऐसी फिरका परस्त ताकतें सिर उठा रही हैं जो देश के टुकड़े-टुकड़े करके दूसरों के हाथ बेच देना चाहती हैं । आपको सावधान रहना पड़ेगा ।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजराहो) : आज देश में अहिंसा के नाम पर हिंसक प्रवृतियाँ अपनाई जा रही हैं, इसका मैं डट कर विरोध करता हूं । अगर हवाई जहाज का अपहरण न हुआ होता तो इस लोक सभा को और देश की जनता को इतने जोर से ध्यान देने की जरूरत महसूस न होती । इंदिरा काँग्रेस की ओर से दुहाई दी गई है कि हमारा तो विश्वास अहिंसा में है और हिंसक कार्रवाइयाँ हम नहीं करते हैं, उनका हम विरोध करते हैं इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि हमारे साथी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, जिन्होंने गाँधी जी के नेतृत्व में काम किया था आज भी उनका विश्वास अहिंसा में है और उन के मन या उनके इशारे से कोई गलत कार्रवाई नहीं हो सकती है लेकिन आज नए नए कांग्रेसी ऐसे भी पैदा हो गए हैं जिन का अहिंसा में विश्वास नहीं है और जो हिंसक तरीके काम में लाते हैं और ला सकते हैं । ऐसा करके वे चाहते हैं कि जनता पार्टी की सरकार बदनाम हो । मैं समझता हूं कि ऐसा करके जनता पार्टी की सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है ।

आपातकाल में लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया गया था । अब श्रीमती इंदिरा गाँधी को जेल भेजा गया है । लेकिन उसके जो वाक्य हैं, उसने जो कुछ कहा था उसको भी आपको याद रखना चाहिये । उन्हें सदन की सदस्यता से निष्कासित कर बिया गया है लेकिन फिर उन्होंने जो कहा है और पहले भी कहा था उसको आपको याद रखना चाहिये । उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति बड़ा नहीं होता है राष्ट्र बड़ा होता है । लेकिन आप अपने साथियों को दूसरी तरह की सलाह देते हैं । एक व्यक्ति के जेल जाने से सारे राष्ट्र में हिंसात्मक कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिये, यह मैं समझता हूं । सारे भारत में आज ये

घटनाएं हो रही हैं। आंध्र में एक पुलिस चौकी को जलाने की कोशिश की गई और अगर पुलिस सतर्क न रहती तो चौकी जला दी गई होती। इसी तरह की और भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। कर्नाटक और आंध्र में सब से ज्यादा हिंसात्मक कार्रवाईयों की घटनाएं हुई हैं।

अभी कहा गया है कि ये सब तो पहले दो से होती आ रही हैं। एक साथ नहीं हुई हैं। अलीगढ़ का भी जिक्र किया गया है। दूसरी जगहों का भी किया गया है। मैं समझता हूं कि योजनाबद्ध ढंग से इस प्रकार की कार्रवाइयां हो रही हैं और इनको किया जा रहा है। आप श्रीमती इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी को ले कर प्रदर्शन आदि करके जनता को अपनी और आकर्षित करना चाहते है। इस तरह से यह काम नहीं हो सकेगा। वह काम सेवा के जरिये ही हो सकेगा। हिंसक तरीकों से, पुलिस से मुठभेड़ करके, रेलवे स्टेशन या रेडियो स्टेशन जा कर यह काम नहीं हो सकेगा। कानून को आप तोड़ना चाहते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लोकतंत्र में आप कानून को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा आप पहले से नोटिस दे कर ही कर सकते हैं। नोटिस आप दीजिये और उसके बाद कानून को तोड़ सकते हैं। उसके पहले आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन प्लान बना कर आप देश में जो करा रहे हैं, कल माननीय समर गुह ने कहा कि उनके दुमन्जिले मकान पर बम फेंका, मकान हिल गया, उनकी पत्नी और बच्ची उसी में थे। जनता पार्टी के कार्यालयों पर पत्थर फेंक जाते हैं, क्या यह कोई तरीका है। इन्दिरा कांग्रेस में जो साझदार लोग हैं उनको ऐसी हरकतों की निन्दा करनी चाहिये, और कथनी तथा करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये। अगर ईमानदारी से आप गांधी जी के चेले हैं तो उन्हीं का कहना है कि हमारी कथनी और करने में अन्तर नहीं होना चाहिये। लेकिन आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिये जिनको आप यूथ कांग्रेस कहते हैं उनको सलाह दीजिये कि सेवा के माध्यम से आप जनता को अपनी ओर खींच सकते हैं, न कि हिंसक कार्यवाहियाँ कर के। मैं जनता सरकार से भी कहूंगा कि जो सुरक्षा अधिकारी थे उनसे पूछा जाय कि जब हर एक की तलाशी ली जाती है तो उनके पास यह चीजें कहाँ से निकलीं। भले ही वह नकली सही, लेकिन उन चीजों को वह हवाई जहाज में कसे ले गये ? इस बात की सरकार को जानकारी होनी चाहिये। जो हिंसक कार्यवाहियाँ कर रहे हैं पुलिस को बड़ी मुस्तेदी के साथ उसको शाँत करना चाहिये। कुछ अधिकारी भी मिल जाते हैं, इसलिये इसकी छानबीन होनी चाहिये कि किस प्रदेश में ऐसे अधिकारी हैं जो इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर पुलिस सतर्क रहे तो जन-धन का नुकसान नहीं हो सकता है। इसलिये शासन को सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिये ताकि कोई भी कानून को न तोड़ पाये। मनचाही करने वाले 30 वर्ष तक काँग्रेस ने राज्य किया, हम लोग 30 वर्ष तक विरोध में रहे, लेकिन बराबर अहिंसक तरीके से काम किया। यद्यपि हमने भी बड़े-बड़े जलूस निकाले, धरना दिया, अनशन किया, लेकिन कभी कोई व्यवस्था में अड़चन नहीं डाली क्योंकि हम गाँधी जी के सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं। इसलिये अगर देश में प्रजातंत्र चलाना है तो चाहे विरोध पक्ष में ही हों, उनको सही तौर में अमल करना चाहिये और गलत चीजों का विरोध करना चाहिये। और सही तरीके से विरोध करना चाहिये। देश में अमन कायम रहे, हमने एक नजीर दी है दुनिया को कि भारत में लोकतंत्र पनपा है। तो उसकी जिम्मेदारी हमारे पर ही नहीं बल्कि आप पर भी है। इसलिये आज की बहस, के , और इन्दिरा काँग्रेस के साथियों ने जो यहाँ कहा है, जिन घटनाओं की निन्दा की है, अगर सही तौर से उन्होंने निन्दा की है, तो आज से ही वह हरकतें बन्द होनी चाहिये, और ऐसा आदेश जाना चाहिये कि नहीं ऐसे काम नहीं होने चाहिये। तब हम समझेंगे कि आपकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है।

हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों, और अगर आपको किसी बात का विरोध है, शासन की गलत नीतियों का विरोध करना है तो उसका तरीका है जिसको आप जानते हैं। लेकिन गलत तरीके नहीं अपनाने चाहियें, इससे जनता में परेशानी होती है, लोगों के काम में रूकावट आती है। जिस हवाई जहाज को हाई जेक किया गया था उसमें सवार यात्रियों के संबंधियों को कितनी चिन्ता रही होगी इसका अनुभव आसानी से किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के बारे में कहा गया, मैं आपसे कहता हूं कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और जल्दी ही वाराणसी पहुंच कर हवाई जहाज को अपने काबू में किया। अगर जरा सी भी ढिलाई हो जाती तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी। इसलिये देश को, समाज को आगे बढ़ाने के लिये, सुरक्षा की दृष्टि में सब को मिल कर इस लोकतंत्र को बचाना चाहिये। और गलत नीति का विरोध करेंगे। मैं चाहता हूं कि आगे कोई ऐसी घटनाएं न हों, बन्दिश लगा दें, हर पार्टी अपने स्वयं सेवकों, कार्यकर्ताओं पर। जो मनचले होते हैं, वह सब को पता रहता है, सब जानते हैं कि हमारे साथ काम करने वाले किस प्रवृत्ति के हैं, कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं। इसलिये जो बुरी प्रवृत्ति के हैं उन पर अकुंश लगा दें, तभी हमारा लोकतंत्र सही तरीके से चल सकता है और हम दुनिया में इस बात को कह सकते हैं कि भारतवर्ष ही ऐसा देश है, जहाँ पर लोकतंत्र पनप रहा है और जहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से शासन चलाते हैं। चाहे वह विरोध पक्ष में हैं या सत्ता में हैं, मेरी विनती इन्दिरा काँग्रेस भाइयों से है कि वह तुरन्त आदेश निकालें चाहें तार दें, टेलिफोन करें, जहाँ-जहाँ उनके दफ्तर हैं वहाँ वह आदेश दें कि कोई भी गलत कार्यवाही होगी तो उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही वह करेंगे, यह में उनसे अपेक्षा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० राय। वह यहां नहीं हैं। श्री काम्बले। वह भी यहां नहीं हैं। प्रो० मावलंकर।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : (गांधी नगर) उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा, मुझे आशा है.....

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य उपस्थित नहीं हैं और जिनके नाम पुकारे जा चुके हैं, अध्यक्ष पीठ से दुबारा सिफारिश न करें कि उनके नाम दुबारा पुकारे जाएं। उन्हें सदन में उपस्थित होना चाहिए था।

एक माननीय सदस्य : शायद वे दोपहर के भोजन के लिए गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई बात नहीं है। प्रो० मावलंकर।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मेरे मित्र श्री उन्नीकृष्णन के प्रस्ताव पर हुई इस चर्चा में, मुझे आशा है कि सम्बद्ध मूलभूत मामलों को उजागर किया गया है तथा हिंसा के प्रदूषित वातावरण को प्रभावकारी ढंग से, कम से कम कुछ सीमा तक स्पष्ट किया है। हिंसा और लोकतन्त्र एक साथ नहीं चल सकते। वास्तव में, हिंसा प्रत्येक सुन्दर और सभ्य वस्तु का प्रतिवाद करती है, चाहे यह हिंसा शारीरिक रूप में हो, अथवा ऐसी हिंसा जिसके दर्शन कुछ ही दिन पहले हुए थे अथवा यहां तक कि मानसिक या बौद्धिक हिंसा भी हो सकती है। मैं तो यह भी कहूंगा कि एक सीमा से आगे तो असहनशीलता भी एक प्रकार की हिंसा का रूप धारण कर लेती है। अतः वह तो हर सुन्दर और सभ्य वस्तु को नकारने वाली बात है तथा किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वह कितनी ही बड़ी और छोटी क्यों न हो, यह तो प्रथम एवं अन्तिम विश्लेषण में किसी स्वतंत्र समाज और खुली बहस पर आक्रमण करने जैसा है। कोई भी लोकतान्त्रिक ढांचे को खड़ा करने वाली मनस्वता इस प्रकार की घटनाओं को सह नहीं सकती।

अतः इस मामले पर खुली और स्वतन्त्र चर्चा किए जाने के अवसर का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं कह रहा था, हिंसा और लोकतंत्र साथ-साथ नहीं चल सकते। यह तभी होता है जब हमारे राजनैतिक और जन-जीवन में असहनशीलता, घृणा, सन्देहशीलता तथा कीचड़ उछालने जैसी बातें निरन्तर विशाल से विशालतर होती जा रही हैं कि लोकतन्त्र की आभा मलिन हो रही है और कभी-कभी इतनी द्रुत गति से श्रीहीन होने लगता है कि हम कभी तो उसका परवाह ही नहीं कर पाते।

पिछले दस वर्षों से, हमारे देश में, हर कोई यह देख रहा है कि डरावने तथा खतरनाक झुकावों से प्रेरणा, प्रोत्साहन, बलवर्द्धन, संरक्षण देकर और यहां तक कि हिंसा को न्याय-संगत ठहराया जा रहा है, जैसे कि केवल वे एकमात्र उपाय रह गये हैं, जिनके द्वारा इस या उस विचारधारा के राजनीतिज्ञ अथवा राजनीतिक-दल अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं । हम गांधी जी को याद करते हुए कभी नहीं थकते । ये महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने यह कहा था कि 'यहां तक कि देश की स्वतंत्रता जैसी अच्छी उपलब्धि को भी बुरे या गलत तरीकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता--यदि वह हिंसा से आती है तो वे कहते कि वे पांच दिन बाद तक स्वतंत्रता के आना स्वीकार कर सकते हैं लेकिन हिंसा द्वारा पांच दिन पहले स्वतन्त्रता उन्हें प्रेय नहीं। इसी भावना को लेकर तो हम चले थे । लेकिन गांधी जी के बलिदान के बाद, पिछले तीस वर्षों में हम पहुंच कहां गये हैं ?

अतः मैं प्रारम्भ में ही बता देना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में, शायद 1970 के आरम्भ से, यह दशाब्दि मूल्यों के विघटन तथा लोक-जीवन के मूल्यों के विनाश की दशाब्दि रही है । केवल इतना ही नहीं हुआ, लोक जीवन तो भ्रष्ट और विनष्ट हुआ है । और यदि ऐसी ही बात है, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि यह दशाब्दि भारत के लिए वर्तमान राजनीतिक इतिहास की सबसे अधिक दुःखदायी सबसे अधिक अन्धकारमय और सबसे अधिक बुरी है । यदि आप आपात्काल पूर्व अथवा आपातकाल या आपातकाल के पश्चात् के समय पर दृष्टिपात करें तो आप पायेंगे कि अनेकानेक घोषणाएं हमारे सामने आई जिन्होंने हमारे वास्तव में, हमारे देश के सिद्धान्तों को अत्यन्त ही जटिल और विषम बना दिया ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी का विशेषाधिकार का मामला, इस सप्ताह और पहले सप्ताहों में चर्चाधीन रहा । विशेषाधिकार समिति का सदस्य होने के नाते, शायद यह निर्णय किया गया था कि मुझे इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए और मैंने इसका पालन किया । लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि विशेषाधिकार समिति का सदस्य होने के नाते मैंने उन्हें दोषी पाया, क्योंकि मौलिक अधिकारों और इस सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के रूप में, उनके भीषण दोष के ज्यादा से ज्यादा सबूत हैं । और इसीलिए यह किया गया । वाद-विवाद हुआ, दण्ड दिया गया तथा हममें से कुछेक ने अनुभव किया कि अन्ततः सदन ने जो दण्ड दिया, इस प्रकार का दण्ड होना नहीं चाहिये था । मैंने स्वयं समिति के प्रतिवेदन पर एक टिप्पणी दी थी कि इसे केवल सदन की सामूहिक बुद्धिमत्ता पर ही न छोड़कर, कम से कम समिति का यह अनिवार्य कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह दण्डित करने के कुछ तरीकों का सुझाव देती । मेरे जैसा व्यक्ति तो यही सुझाव देता कि "उसकी प्रताड़ना करके बात समाप्त करो". क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जनता सरकार उन गन्दे हतकन्डों को, बुराईयों को दोहराए जो कि वह आप पर अपना चुकी है, मुझ पर और सब पर आपातकाल में और उसके बाद में हाथ आजमा चुकी है । अतः दण्ड के तरीके के प्रश्न पर हमारे मत भेद हो सकते हैं । हम कह सकते हैं कि दण्ड गलत था, बहुत बढ़ाकर दिया गया था लेकिन फिर भी यह सच्चाई हृदय से मिटाई नहीं जा सकती कि वे सदन के विशेषाधिकारों के भीषण उल्लंघन की दोषी थीं और हैं । और यह भी सम्भव है कि बहुमत की सामूहिक बुद्धिमत्ता, यह आवश्यक नहीं है कि वह सदैव बहुमत की सामूहिक सर्वसम्मति भी हो । यहां तक कि बहुमत वाला दल भी इस मामले पर एकमत नहीं था । मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा । मेरा तो केवल यही कहना है कि जो कुछ भी हम इस सदन में करते हैं तो क्या वह हमें इस विचार से नहीं करना चाहिये कि उसे हम न्यायिक ढंग से करें ? अब उदाहरणार्थ , यह कैसे हो सकता है कि जो ब्रिटिश प्रेस श्रीमती गांधी के इतने विरुद्ध थी और आपात्काल का विरोध, आपातकाल के समय और उसके पहले करती थी और हाल तक श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध थी, पर जैसे ही पिछले मास वे इग्लैण्ड के दौरे पर गई, अचानक वे सब जनता पार्टी और भारत के विरुद्ध कैसे हो गये । मैं यहां इस या उस समाचार पत्र को प्रमाण-पत्र देने के लिए नहीं हूं । लेकिन जब यह हमारे हित में हो, तो हम केवल ब्रिटिश समाचार पत्रों का ही हवाला नहीं दे सकते और जब वे हमारे हित में न बोले तो उनकी बात न करें ।

मुख्य बात यह है कि, अगर आप जन जीवन तथा राजनैतिक जीवन से ईमानदारी हटा देंगे तो राजनैतिक जीवन तथा जन जीवन में भी इसका असर होगा । यह जनता पार्टी के हमारे साथियों को याद रखना है । लेकिन इसके अलावा जैसा मैंने कहा है, कि तथ्य मौजूद हैं कि वह दोषी थीं, उनको दण्डित किया गया, तथा वह जेल में है । और जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह कार्य गलत था अथवा उनको जेल भेजना अच्छा नहीं है अथवा उनको सदन से निष्कासित करना उचित नहीं है, उनको इसका विरोध करने का अधिकार है । लेकिन क्या उनको हिंसा के रूप में विरोध करने का अधिकार प्राप्त है ? क्या उनको हिंसात्मक कार्यों में लगे लोगों को बढ़ावा देकर विरोध प्रकट करने का अधिकार है ? मुझे प्रसन्नता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के जेल जाने पर हुई प्रतिक्रिया पूर्णतः असफल रही है । पद प्रतिक्रिया उस प्रकार की नहीं रही हैं जिसकी कांग्रेस (आई) के मेरे साथी आशा कर रहे थे । इसका प्रत्युत्तर बहुत ही कम रहा । यह निरूत्साहित प्रत्युत्तर था और इसके आशाहीन तथा शरारतपूर्ण उद्देश्यों के कारण कुछ उनके उग्रवादी तत्व, जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, अधिक देरी होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिये जायेंगे, इसकी मुझे उम्मीद है ।

मेरे मित्र प्रो० समर गुह, जो विशेषाधिकार समिति के सभापति हैं, यही मौजूद हैं । मुझे बहुत भारी धक्का लगा, जब मैंने उनसे सदन में यह सुना कि किस प्रकार उनके घर पर परसों बीती रात को बम फैंका गया, तथा उनकी पत्नी, तथा उनकी छोटी लड़की, जो उस समय घर में मौजूद थे, बगैर किसी चोट के बच पाये । इसके लिये हम ईश्वर के आभारी हैं कि वे बच गये । लेकिन यह सब क्या हो रहा है ? सभापति अथवा सदस्यों के रूप में क्या हम सदन में इसी सजा को पाने के लिये आये हैं ? सभी दलों के सदस्यों को एक हो जाना चाहिये, ताकि इसकी निन्दा की जाय, तथा जनमत तैयार किया जाय तथा एक ऐसा वातावरण बनाया जाय जिससे इस प्रकार का कार्य समाप्त किया जा सकें । इसको भविष्य में कभी भी नहीं होने देना चाहिये । क्योंकि हमें जनता के प्रति अपने कर्त्तव्यों अथवा संसदीय कर्त्तव्यों से कभी भी जुदा नहीं होना है । ऐसा नहीं है कि प्रो० गुह अपने कर्त्तव्य को नहीं निभा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम संसद, सदस्य अथवा विभिन्न समितियों के सदस्य जो लोग इन हिंसा तथा बेहूदपन के कार्य में लगे हैं, उनके कहने से अपना कर्त्तव्य नहीं करेंगे । ऐसा कभी नहीं होगा । जो भी सजा होगी, हम उसे भुगतेंगे । आखिरकार, मनुष्य के जीवन में मृत्यु एक बार आती है, और हम उससे घबराते नहीं हैं । लेकिन साथ ही हमें जनमत संग्रह तैयार करना है, एक अच्छा वातावरण बनाना है, तथा देश में कुछ लोक शालीनता तथा नैतिक माप दण्ड निर्मित करते हैं । इसलिये ही मैं महसूस करता हूं कि ये किये गये विरोध प्रदर्शन बहुत ही आपत्तिजनक हैं तथा इनसे अधिकतर गड़बड़, अव्यवस्था तथा षड़यंत्र को बढ़ावा मिलता है। तथा हम इसको सहन नहीं कर सकते हैं।

जहां तक विमान अपहरण का सम्बन्ध है, यह एक आतंकवादी तथा डराने-धमकाने वाला हथियार है, तथा देश में इसका प्रवेश पहली बार हुआ है। हमें उम्मीद करनी चाहिये तथा प्रार्थना करनी चाहिये, कि यह आगे कभी न हो । इस प्रकार के डराने-धमकाने के प्रयास, तथा राजनैतिक कट्टरपन, तथा देश की स्थिति को नाटकीय रूप से बदलने को हम कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं । हमें इसका हर संभव तरीके से बहिष्कार करना चाहिये । यह एक बहुत ही बड़ा नाटक है जो बड़े सनसनीपूर्ण ढंग से प्रारम्भ हुआ है, तथा हास्यास्पद ढंग से समाप्त हुआ । हमें इसे हल्के रूप में ही नहीं लेना चाहिये । मैं अपने आदरणीय मित्र श्री वेंकटारमन के प्रति काफी श्रद्धा रखता हूं । वे हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथियों में से एक हैं तथा मैं उनकी विद्वता तथा ईमानदारी को जानता हूं इसलिये मुझे बहुत ही खेद है कि क्या उनको इस मामले को मजाक तथा हंसी के रूप में लेना चाहिये । यह एक मजाक का विषय नहीं है । बगैर किसी मजाक के मैं अपने मित्र श्री पुरुषोत्तम लाल कौशिक, नागरिक विमानन मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस मामले के सभी पहलुओं पर गंभीरता से पूरी जाँच की जाय, अगर ऐसा नहीं किया जायेगा, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि हमारे जन-जीवन की सारी अच्छी उपलब्धियां समाप्त हो जायेंगी । जो लोग दोषी है, उनका पता किया जाय, वे किस दल से

सम्बन्धित हैं, वाराणसी हवाई पत्तन तथा अन्य स्थानों पर उनसे मिलने कौन-कौन व्यक्ति गये तथा इन प्रमत्त तथा बेहूदे साथियों को गले में माला पहनायी । हम उन्हें प्रमत्त, बेहूदे इत्यादि ही कहेंगे । तथापि यह बात बनी रहती है कि यह मामला हंसी-मजाक का नहीं है, और यह एक मजाक नहीं है ।

महोदय, मेरे आदरणीय मित्र श्री वेंकटरमन ने आगे कहा है कि "क्या लोकतंत्र में हमें विरोध प्रकट करने का अधिकार नहीं है ?" मैंने उनकी बात बड़ी ही सावधानी से तथा रुचि से सुनी है । मैं उनसे पूछता हूं कि आपातकाल के दौरान लोकतन्त्र के विरोध प्रकट करने का अधिकार कहां चला गया था ? विरोध करने वाले संसद सदस्यों को जेल भेजा गया, उन्हें सजा दी गयी और मेरे जैसे विरोध प्रकट करने वालों को जो संसद के अन्दर तथा बाहर लगातार जनता में बोलता रहा, को पूर्णतः चुप कर दिया गया, सेंसर लगा दिया गया । इसलिये कांग्रेस (आई) पार्टी के सदस्यों को लोकतंत्र में विरोध प्रकट करने की बात को नहीं कहना चाहये । हमारे पक्ष के लोगों ने कुछ समय पूर्व इसके बारे में संघर्ष किया, जबकि इन्होंने अपनी सत्ता समय के दौरान लोकतंत्र को नष्ट करने का हर संभव प्रयत्न किया जिसमें, संसद को कानून पास करने का उपयोग भी सम्मिलित है ।

महोदय मैं अहमदाबाद से जीत कर आया हूं तथा किसी भी दल से संबंधित नहीं हूं । विरोध प्रकट करने के लिए मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़ाई लड़ी । मैं विरोध प्रकट करने के अधिकार की कद्र करता हूं, तथा मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र कांग्रेस (इं) पार्टी के सदस्य अपने विरोध प्रकट करने के अधिकार को उपयोग में लायें । मैं इस सम्बन्ध में और आगे नहीं जाना चाहता हूं ।

मैं कह रहा था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के जेल जाने की जन प्रतिक्रिया काफी उत्साहपूर्वक नहीं है । इसके अलावा मैंने, "स्टेट्समैन", "हिन्दुस्तान, टाइम्स", "इण्डियन एक्सप्रैस", "टाइम्स ऑफ इण्डिया", "पैट्रियट", "फाइनेन्सियल एक्सप्रैस", का सम्पादकीय पढ़ा है । इन सभी में स्पष्टतः तथा पूर्णतः बताया गया है कि यह सारी हिंसा की कार्यवाही अनुचित है, और ये भयानक बातें हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्पादकीय की बात नहीं कर रहा हूं । आपकी अनुमति से मैं, कल के "स्टेट्समैन" में, 'विरोध का मनमुटाव' के नाम से प्रकाशित बहुत ही रोचक सम्पादकीय की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करना चाहता हूं । इसे मैं अपने माननीय मित्र श्री वसन्त साठे की जानकारी के लिए उद्धृत करता हूं । (**व्यवधान**) । इसमें कहा गया है :

> "कुछ दिनों के लिए जेल भेजने पर ही जब इतना विरोध किया गया है तो इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि न्यायालय में मुकदमे के बाद यदि श्रीमती गांधी को जेल भेजा गया तो कांग्रेस (आई) की क्या प्रतिक्रिया होगी । यह भी समझा जा सकता है कि सत्ता में आने के बाद उनके समर्थक कैसा व्यवहार करेंगे । यह वे पहले ही स्पष्ट रूप से दिखा चुके हैं कि वैधानिक राजनीतिक विरोध या प्रजातांत्रिक प्रशासन के आदर्शों का कोई बन्धन उन पर नहीं है । कुंठित होने पर वे तोड़-फोड़ करेंगे और सत्ता में आने के बाद सत्ता का फिर दुरुपयोग करेंगे " ।

'स्टेट्समैन' के साम्पादकीय में यही टिप्पणी की गयी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि समय आ गया है जब हमें इस संसद के माध्यम से अपने-अपने मतदाताओं में और समर्थकों, जो हमारे स्वामी हैं, को यह बता देना चाहिए कि हम विनम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रहे है । किसी भी क्षेत्र से जब विरोध प्रकट किया जाये तो उसके लिए हिंसा का सहारा न लिया जाये ; अहिंसा और प्रजातांत्रिक विरोध ही एक मात्र रास्ता है । हमें यह करना चाहिये । हम राजनीतिज्ञों और शासकों का यह पहला कर्त्तव्य है कि कानून तथा व्यवस्था दृढ़ता से बनाये रखी जाये । मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि जीवन-मूल्यों को

फिर से स्थापित करना, सार्वजनिक जीवन और आचरण के लिए आदर्श और स्तर तैयार करना हो हमारा लक्ष्य है । सार्वजनिक जीवन के मूल्यों और स्तरों को बनाये रखने और उन्हें मजबूत करने के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए ।

सभा में इस बात का उल्लेख किया गया कि उस दिन, वीरवार, 19 दिसम्बर, को सभा के स्थगित होने के बाद क्या हुआ । विशेषाधिकार समिति का सदस्य होने के नाते, सभा के स्थगित होने के बाद मैं सभा-कक्ष को छोड़ने का बहुत इच्छुक था । सभा के स्थगित होने के बाद मैं वहां एक मिनट भी नहीं रुका । उस शाम सभा कक्ष में, संसद भवन में और सभा परिसर में जो कुछ हुआ, उसके लिए पहरा तथा निगरानी कार्मिकों और कर्मचारियों को दोष देना ठीक नहीं है, जो कठिन परिश्रमी हैं और अपना कार्य निष्ठा तथा लगन के साथ करते हैं । जबर्दस्ती घुसने वाले ये व्यक्ति--- भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व संसद-सदस्य, भूतपूर्व विधान-सभा सदस्य और भावी सदस्य---जब इस प्रकार का उत्तेजनापूर्ण व्यवहार करें, तो वे क्या कर सकते हैं ? मुझे आशा है और मैं अनुरो करता हूं कि उन्हें केवल इस बात के लिए दंडित नहीं किया जाये कि वे किसी को, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को अन्दर आने से नहीं रोक सके ।

अन्त में, मैं सभी सम्बद्ध लोगों से अपील करता हूं कि हिंसा और टकराव रुकना चाहिये । समझदारी, सद्भाव और सदिच्छा बनी रहनी चाहिए । हमें यह याद रखना चाहिए कि अब्राहम लिंकन का यह कथन आज भी सही है और आगे भी सही रहेगा, कि "अपने सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, संसद के बाहर और भीतर हम जो भी करें, उसमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखें और सब को प्यार करें" ।

धन्यवाद

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो हाईजैकिंग की जो घटना हुयी वह, देश में जो हिंसा की एक लहर चल रही है, उसकी पराकाष्ठा थी । आज हम सभी का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ है । सारे देश में जो हिंसा का वातावरण व्याप्त है, पिछले दो साल से जो यह प्रवृत्ति बढ़ी है उसका एक ही कारण है कि मतदाताओं ने जो फैसला जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस के विरोध में दिया उसको कांग्रेस के लोग शांति और संयम के साथ सहन नहीं कर सके । आज सभी जगह, जहां भी देखें, स्ट्राइक्स, डिमांस्ट्रेशन्स और प्रोसेशंस दिखाई पड़ते हैं । यह कहना कि उनमें हिंसा नहीं होगा, मैं समझता हूं इससे बड़ी हिपोक्रैसी और कोई हो नहीं सकती । सच बात तो यह है कि जब हमारे राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डाला गया था तब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था---नाट ए डाग बार्क्स---लेकिन आज उनके अनुयाई यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी पर आज निरे कुत्ते भौंक रहे हैं । कांग्रेस (आई) के रेजोल्यूशन से स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यही उनकी चेष्टा है ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मेरे विचार से अनुचित टिप्पणी है । जो लोग आलोचना कर रहे हैं ; उन्हें इस तरह से कुत्ता कहना सही नहीं है । **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आपने जो कहा था वही दोहरा रहे हैं ; कोई नयी बात नहीं कह रहे हैं ।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : जैसा अभी बताया गया है

'हिंसा करना लोकतंत्र को नकारना है ।"

गांधी जी ने हमें बराबर यह सबक दिया । गांधी जी को यहां कोट किया गया इसलिए मैं कह रहा हूं । बड़े दुःख की बात है कि गांधी जी की कई बातें कांग्रेस (आई) ने किस तरह से तोड़ा मरोड़ा, आत्मा की आवाज को गांधी जी ने इतना ऊंचा स्थान दिया था, उसका कितना वीभत्स रूप हमारे सामने आया जब, कांग्रेस का 1969 में विभाजन हुआ था ।

श्री राम नरेश कुशवाहा (गलेमपुर) : वह अपनी गांधी की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी की बात नहीं कर रहे हैं ।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : गांधी जी के नाम पर आज देश में जो कुछ हो रहा है, वाकई उन का नाम लेते हुए हमें लज्जा अनुभव होती है । आज भी हम इस योग्य नहीं हुए कि वे हम से जो अपेक्षा करते थे, उसका पालन करते । आज जो वातावरण बना है, इस का दोषी कौन है ? यहां पर रोज इस बात की दुहाई दी जाती है और आज भी दी गई है कि हम तो अहिंसा के पक्षपाती हैं, तब फिर मैं पूछता हूं--सारे देश में यह हिंसा कैसे फूट पड़ी है । हर चीज में--चाहे स्कूल हो, कालिज हो, इण्डस्ट्री हो या कोई राजनीतिक मसला हो, हर तरफ ला-एण्ड-आर्डर प्राबलम बनी हुई है । इस देश की सबसे बड़ी इण्डस्ट्री आज अगर कोई है तो डिमांस्ट्रेशन्स हैं, प्रोसेशन्ज़ हैं, हायर-लिग्ज़ आते हैं और इस तरह से तमाशा करते हैं, कितना समय और शक्ति, इस देश की, इन चीज़ों में नष्ट हो रही हैं--यह बड़े दुःख की बात है । यहां पर ही नहीं, मैं तमाम लेजिस्लेचर्स में भी यही तमाशा देख रहा हूं, कहीं भाईक फैंके जाते हैं, कहीं कुर्सी फैंकी जाती है, कहीं पर मुक्के चलते हैं--इन का क्या दुष्परिणाम हो रहा है--आप ज़रा सोचिये । यहां पर लोग दूर-दूर से देखने आते हैं--यह हिन्दुस्तान की सुप्रीम बाडी है, लेकिन जब वे यहां से जाते हैं, तो जो नज्जारा वे देख कर जाते हैं उस का उन के मन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा ? जिस सेन्स-आफ-आ को लेकर वे यहां आते हैं क्या वह उन के मन पर कायम रहता है ? हम अपने हृदय पर हाथ रख कर देखें तो लगेगा हमारे राजनीतिक कार्य पर बहुत बड़ा आडम्बर छाया हुआ है । हम कहते कुछ हैं, करते कुछ कुछ हैं । यहां पर अहिंसा की दुहाई देते हैं लेकिन पीछे किस तरह से उस को प्रोत्साहन दिया जाता है--यह आज साफ़ हो गया है । हालांकि कुछ लोगों ने आज भी उस को छुपाने की निरर्थक चेष्टा की है । आज यह सिद्ध हो गया है कि किस पार्टी ने क्या किया है । मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं--किसी भी पार्टी का यहां पर राज रहे, किसी भी पार्टी का यहां पर प्रभुत्व रहे और कोई पार्टी अपोज़ीशन में रहे, इस का सवाल नहीं है, लेकिन देश कहां जा रहा है, देश का कितना अहित हो रहा है--यह देखना होगा ।

नैतिकता-विहीन राजनीति पूरी तरह से दानवीय है । यदि राजनीति राक्षिसी वृत्ति की रहेगी तो उसका यही दुष्परिणाम होने वाला है । हमें हर कीमत पर हिंसा को रोकना चाहिये, यदि नहीं रोक पाते हैं और इस वक्त जो माहौल चल रहा है, वह चलता रहा, तो बहुत से लोगों का और मेरा भी अब इस पार्टी बन्दी की डेमोक्रैसी में विश्वास हटता जा रहा है, अब तो पार्टी-लेस डैमोक्रैसी की जरूरत महसूस होती है । इस सदन में, जो ऊंचे से ऊंचा हमारा फोरम है, यदि हम निष्पक्ष भाव से, न्यायसंगत तरीके से नहीं सोच सकते, क्या सही है क्या गलत है, तब फिर यह व्यवस्था कैसे चल सकती है । लोगों में सद्भाव कैसे पैदा होगा, जब यहीं से किसी बात पर फैसला सही नहीं हो पाता है । यह जानते हुए भी कि एक काम गलत है, लेकिन चूंकि हमें पार्टीज़न व्यू लेना है, इसलिये गलत बात को भी सही कहेंगे, तो फिर उस का यही नतीजा होने वाला है, जो हो रहा है ।

इसलिये मैं कोई अपील तो क्या करूं, उस योग्य तो शायद हम नहीं हैं, लेकिन हम सब को सोचना चाहिये--कुछ रूल्ज़-आफ़-दि-गेम हैं जिन की मान्यता होनी चाहिये । लेकिन आज हर जगह हम को उनकी वायोलेशन दिखाई देता है, तमाम लेजिस्लेचर्ज़ में भी यही दिखाई दे रहा है । जब भी कोई बात होती थी तो यह कहा जाता था कि संघर्ष को सड़कों पर ले जायेंगे और अब वही बैटल-आफ़ दि स्ट्रीट इस हाउस में आ कर उपस्थित हो गई है । जो नज्जारे स्ट्रीट में होते थे, वहां भी वे जायज नहीं थे, वे आज इस सदन में और दूसरे सदनों में होते हैं--यह बात मैं बड़े दुःख के साथ कह रहा हूं ।

इसलिये गांधी जी ने जो हम को सिखाया था—उस पर हम फिर से विचार करें, क्योंकि अब जो ठोकर लग रही है और इस आतंक को देखते हुए नहीं चौंके, तो फिर हम इस देश को कहां ले जायेंगे । आज सेक्यूलरिज्म के नाम पर स्कूलों में धार्मिक पुस्तकों की पढ़ाई बन्द हो गई है, लेकिन आप दूसरी पुस्तकों में तो, बच्चों को नैतिकता और उदारता की शिक्षा दीजिये, उन के दिमाग में कुछ आदर्श भरिये । लेकिन यहां पर ऊंची से ऊंची लीडरशिप का जो व्यवहार हम देखते हैं, उससे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जनता का व्यवहार दूसरे प्रकार का होगा और किस तरह से आप उन लोगों को कंट्रोल कर सकेंगे । इस पागलपन के लिए कौन जिम्मेवार है ? मैं समझता हूं कि इस में पोलिटिशियंस सब से ज्यादा दोषी हैं । ब्राजील देश में एक कहावत है कि "our country grows at night when the politicians go to sleep". (हमारे देश का विकास रात को पोलिटिशियंस के सो जाने पर होता है ।)

यही इस देश पर चरितार्थ होती है । इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करना होगा । और हमें देश और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना होगा, तभी हमारा उद्धार सम्भव है । हमें सबको कुछ सिद्धान्तों का पालन करना चाहिये । हम यहां जो भी निर्णय लें वह सारे देश के हित को सामने रख कर लें किसी एक पार्टी के हित और अहित से ऊपर उठ कर लें और उन का सभी पालन करें । हम सभी इस देश के नागरिक होने के नाते, न कि किसी पार्टी के होने के नाते, यह देखें कि कैसे यह देश बनेगा । यही मेरा आपसे निवेदन है । हमारी हालत आज बद से बदतर होती जा रही है । लोग इधर-उधर से जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते फिरें तो ऐसी हालत में देश कैसे तरक्की कर सकेगा । आज हर व्यक्ति को यह सवाल परेशान करता रहता है कि इन हालतों में देश का क्या होने जा रहा है ? अगर हम इन दुष्प्रवृत्तियों को नहीं रोक सके तो देश का कल्याण सम्भव नहीं ।

***श्री के० सूर्यनारायण:** (एलुरु) : अध्यक्ष महोदय, अब तक जो भी वक्ता बोले हैं, उनके विचारों को सुन कर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनके शब्दों में कोई अन्तर नहीं है; अन्तर उनके हृदय में है । दो दिन पहले हुए विमान अपहरण से मौजूदा सरकार की अयोग्यता और कुप्रशासन जाहिर होते हैं । खिलौने पिस्तौल और क्रिकेट की गेंद से ही उन्होंने वह कार्यवाही कर दी जिसने सारे देश को हिला दिया । अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करने की बजाय सरकार दूसरों के सिर दोष मढ़ रही है । देश की जनता ने जनता पार्टी के पक्ष में अपना फैसला इसलिए दिया क्योंकि 30 वर्ष से चले आ रहे कांग्रेस शासन पर से उनका विश्वास उठ गया था । कांग्रेस सरकार का हटना और उसके स्थान पर जनता सरकार का आना संविधान के अनुसार था । जनता द्वारा नापसंद की गयी नीतियों को समाप्त करने और प्रगतिशील नीतियों को अपनाने की बजाय जनता सरकार ने पिछली सरकार की असफलताओं पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया है । दूसरी नीतियों की आलोचना करने की बजाय उन्हें चाहिए कि वे अपनी शक्ति लक्ष्यों की प्राप्ति में लगायें । केवल वे ही लोग कांग्रेस पर दोष लगाते हैं जो उसके गौरव-पूर्ण इतिहास से वाकिफ नहीं हैं । सत्तारुढ़ दल के बहुत से नेता पहले कांग्रेस के सदस्य थे । पिछली सरकार की असफलताओं में उनकी भी भागीदारी है । श्री मोरारजी देसाई, श्री जगजीवनराम और चौधरी चरणसिंह महत्वपूर्ण कांग्रेसी रहे हैं । इस तथ्य को भुलाकर सत्तारूढ़ दल अनावश्यक रूप से कांग्रेस पर दोष लगा रहा है । चाहे महात्मा गांधी की नीति हो या शहीद भगतसिंह की नीति, उनसे उनकी देश भक्ति और देश पर मर-मिटने की उनकी अदम्य इच्छा का ही परिचय मिलता है ।

महोदय, हमारे देश में जाति-संघर्ष बराबर चल रहा है । देश में मौजूदा असन्तोष से इसका काफी संबंध है । वर्तमान सरकार द्वारा जनसाधारण के हितों की रक्षा न कर पाना इस असंतोष का मूल कारण है । उत्तरी राज्यों में सत्तारूढ़ जनता पार्टी इस दिशा में बुरी तरह असफल रही है । हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए उन्होंने वास्तव में कुछ नहीं किया है । वर्तमान असंतोष उनकी अकर्मण्यता का ही परिणाम है । दक्षिण में हम कुछ समय तक जस्टिस पार्टी के सदस्य थे । कांग्रेस

*तेलगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण ।

के आने के बाद, हमने धारणात्मक मतभेदों के बावजूद उनसे कोई झगड़ा नहीं किया । इसका मतलब यह नहीं है कि विचारधाराओं में अन्तर होने पर हमें झगड़ना ही चाहिए । महोदय, यह बात भी महत्वहीन है कि सरकार में कौन रहता है । इस अराजकता, अव्यवस्था आदि का सामना करने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होकर आगे आना चाहिए । काफी समय पहले, 1977 के बजट सत्र के दौरान हमने स्पष्ट कर दिया था कि हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जब आपने श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री संजय गांधी तथा दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर किए, तब हम चुप बने रहे । हमने विरोध भी व्यक्त नहीं किया । लेकिन, महोदय, यह देख कर बड़ी पीड़ा होती है कि आपकी पार्टी ने इसे बहुत बड़ा मसला बना लिया है और सारा समय तथा सारी शक्ति इसी मसले पर खर्च की जा रही है । आप यह पूरी तरह भूल गए हैं कि लोगों ने आपको क्यों चुना । न तो हमने और न ही कांग्रेस (संगठन) ने कभी व्यवधान उपस्थित किया । उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के होते हुए, इस मामले को संसद में लाकर आपने इसे केवल राजनीतिक रूप दिया है । यदि आप यह सोचते हैं कि हमें केवल अपने नेता का समर्थन करने के लिए ही चुना गया, तो आप भारी भूल कर रहे हैं । हम नहीं भूल सकते कि हमारी जनता ने हमें अपने प्रतिनिधियों के रूप में भेजा है । दूसरी ओर, आप पूरी तरह भूल गए हैं कि लोगों ने आपको किसलिए चुन कर भेजा है । हालांकि पांच राजनीतिक दलों ने मिल कर नई पार्टी का गठन किया फिर भी वे अपने दिलों-दिमाग से एक नहीं हो सके । आपके विचार एक नहीं हैं । आपकी आवाज एक नहीं है । चौधरी चरणसिंह का श्री मोरारजी देसाई से मतभेद है । एकता कहीं नहीं है । मैंने पहले भी, तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी की कुछ नीतियों की आलोचना की थी, लेकिन श्री मोरारजी देसाई ने उनका और उनकी नीतियों का प्रबल समर्थन किया । क्या यह अजीब बात नहीं है कि अब वे नीतियां ही गलत प्रतीत होती हैं, क्योंकि वे दूसरी पार्टी में हैं । मैं नहीं बदला । गलत नीतियों की आलोचना करने से न तो मैं तब हिचकिचाया और न अब । तीन शताब्दी पहले एक तेलुगु कवि ने कहा था कि जो लोग दूसरों में दोष ढूंढते हैं वे अपने दोषों से अनजान हैं । दक्षिण की जनता ने हमें इसीलिए चुना है क्योंकि उन्हें हममें तथा हमारी नीतियों में विश्वास है । लोगों ने हमारा कार्यक्रम स्वीकार किया है । 30 सालों के शासन में हमने उतनी गलतियां नहीं कीं जितनी आपने 19 महीनों की अल्प अवधि में कर डाली हैं । उन राज्यों में, जहां आपकी जनता पार्टी का शासन है, हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्गों की दशा कांग्रेस शासित राज्यों की अपेक्षा दयनीय है । हम उनसे बराबरी का बरताव कर रहे हैं । लेकिन यहां, उन्हें मनुष्य मात्र भी नहीं समझा जाता है। दिल्ली के बिल्कुल निकट होते हुए आप भूल रहे हैं कि आप देहात के गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । दक्षिण में, हमें और हमारी नीतियों को उनका असीम विश्वास प्राप्त है, इसीलिए अपने प्रतिनिधियों के रूप में उन्होंने हमें संसद में भेजा है । महोदय, चौधरी चरण सिंह एक बात का उल्लेख करना भूल गए । जब उनसे पूछा गया कि श्री कांति देसाई तथा श्री संजय गांधी के बीच क्या अन्तर है, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिससे हम सबको लगा कि श्री कांति देसाई श्री संजय गांधी से ज्यादा चतुर-चालाक हैं । श्री संजय गांधी को दोष देने का क्या लाभ है जबकि स्वयं श्री कांति देसाई भी उससे कम नहीं हैं । महोदय, लोगों ने हमें यहां इसलिए नहीं भेजा है कि उनकी कीमत पर दैनिक भत्ता आदि लेकर हम निजी मामलों पर चर्चा करें, ऐसी बातों पर समय बर्बाद करना उचित नहीं है जो इस देश की प्रगति से संबंध नहीं रखती । जनता सरकार, आन्ध्र तथा कर्नाटक सरकारों को दोष दे रही है लेकिन वे बिहार तथा उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में जो स्थिति है उसे भूल रहे हैं । बिहार में श्री मिश्र की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई । जनता पार्टी इन तथ्यों को छिपा रही है । मैं आपकी केवल आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश में जो दुखपूर्ण स्थिति इस समय व्याप्त है, हम सब एकजुट होकर उसे समाप्त करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं । यदि हम यह भूल कर कि हम किस-किस पार्टी से संबद्ध हैं, आदर्श दशाएं तथा स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करें, तो मुझे आशा है कि हम सफल अवश्य होंगे । कोई नहीं जानता कि अगले चुनावों में इस सदन में किसका बहुमत होगा लेकिन सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि गरीबों के दुख-तकलीफ दूर करने के

लिए कुछ किया जाना चाहिए । सरकार से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि देश में अराजकता को जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाए ? इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी : (कन्नोज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस गंभीर घटना पर इस सदन में वाद-विवाद हो रहा है, उसमें दो चीजें सामने आई हैं, एक विमान अपहरण की घटना, जिस पर हमारे कांग्रेस (आई) के माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं, उस पर एक छोटी-सी कहानी के द्वारा मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा ।

हमारे गांव के पास अभी कुछ दिन पहले एक भयंकर डकैती पड़ी थी । बाद में जब वह डकैत पकड़े गये, तो पता लगा कि वह डकैत बन्दूक की जगह मूसल अपने कन्धे पर रखे हुए थे । लेकिन उसके बाद भी डकैतों को सजा हुई क्योंकि उस डकैती में बहुत माल लूट में गया था और बहुत से लोग जख्मी हुए थे । अगर उन्हें पहले पता होता कि कन्धे पर बन्दूक न होने के कारण वह सजा से बच सकते थे, तो वह श्री वेंकटरमण को और मोहसिना किदवई को अपना वकील बना लेते और वह कहते कि चूंकि यह डकैती बन्दूक से नहीं कन्धे पर मूसल रखकर हुई है, इसलिये डकैती नहीं मानी जायेगी इसलिये इनको सजा नहीं दी जानी चाहिये । लेकिन उन डकैतों को क्योंकि उन्होंने कई परिवारों को लूटा था, इसलिए अदालत से सजा हुई चाहे उनके कन्धे पर बन्दूक की जगह मूसल ही था ।

तो जो विमान अपहरण की घटना हुई है, उसे इस हास्यास्पद तरीके से सदन के सामने रखना वास्तव में निन्दाजनक बात है । यह जो कुछ भी देश में हो रहा है, यह कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, यह देश में दो सिद्धान्तों की लड़ाई है । एक सिद्धान्त है कि कानून की हकूमत इस देश में चलेगी या रूल आफ दी ला एंड रूल आफ दी परसन । यह दो लड़ाइयां इस देश में चल रही हैं । रूल आफ दी परसन के जो हिमायती हैं, जिन्होंने इसी माननीय सदन में बैठकर सब इन्तज़ाम किये थे जिससे एक व्यक्ति का शासन इस देश में चलता रहे । उन्होंने संविधान को भी तोड़ा और ऐसे कानून बनाये जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने अपने लिये वरदान मांगा था कि न दिन में मरूंगा, न रात में, न जमीन पर और न आसमान में । उसी प्रकार से रूल आफ दी परसन के मानने वालों ने इस सदन में बैठकर ऐसे कानून बनाये कि एक व्यक्ति की हकूमत चले, कानून की हकूमत न चले ।

दो सिद्धान्त इस देश में चल रहे हैं कि कौनसा शासन चलेगा, कानून का या व्यक्ति का ? आज भी वही व्यक्ति का शासन स्थापित करने वाले लोग कुर्सी तक पहुंचने के लिये बुरी तरह प्यासे हैं । कुर्सी की प्यास ही सब कुछ देश में करवा रही है और कुछ नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि जिस कुर्सी की प्यास ने 1969 में कांग्रेस को तुड़वाया था, फिर 1977 में तुड़वाया, उसी ने लोक-सभा में संविधान को तोड़ा था और वही कुर्सी की प्यास आज इस देश के जनतंत्र और मान्यताओं को तोड़ रही है । ऐसे समय में मैं देश की जनता का आह्वान करता हूं कि अगर इस कुर्सी की प्यास को आगे बढ़ने दिया गया तो देश का यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा । अभी हमारे कांग्रेस (आई) के एक वरिष्ट साथी कह रहे थे कि कुर्सी के पास पहुंचना कोई पाप नहीं है, लेकिन पहुंचने का एक तरीका होता है । यह तरीका है हिंसा का हाईजैकिंग कर के और दूसरे लोग वे हैं जो चाहते है कि जैसे भी हो, जेल में पहुंचकर कुर्सी मिलेगी ।

हमारी तरफ गांव में एक छोटी सी कहानी कही जाती है, आपके माध्यम से मैं यहां रखना चाहता हूं । हमारे यहां एक सकट त्यौहार होता है, उस पर सकट देवता की कहानी कही जाती है जिसमें दो बहिनें थीं, एक गरीब और एक धनाढ्य । सकट-त्यौहार पर गरीब बहिन के यहां सकट देवता आये और उसके यहां होना ही सोना कर गये । उस धनी बहिने ने देखा कि गरीब की सूखी रोटी खाकर सकट देवता सोना देते हैं, इसलिये दूसरे साल बड़ी और धनी बहिन बड़े चाव के साथ रोटी और भुजिया रखकर बैठी लेकिन उसके घर गन्दगी, गन्दगी ही हो गई । इसलिये इन लोगों को ऐसा

लगा कि जेल में कुर्सी मिलेगी, जेल में जाकर ही एम०एल०ए० या प्रधान मंत्री बनेंगे। इसलिये जेल जाने का शौक चढ़ा है।

अभी मोहसिना किदवई कहती थीं कि हमारी नेता को जेल में सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। मुझे कल्पना हो आती है उन दिनों की, अब यह कोई जेल हुई जहां पर राजीव भोजन लेकर जाते हैं और बहुएं जेल में मिलने पहुंच जाती हैं।

मेरे पिताजी की लाश दो दिन तक जेल के गेट पर रखी रही, लेकिन मुझे जेल के गेट तक नहीं आने दिया गया था। और ये लोग सुविधाओं की बात करते हैं—कि जेल में सुविधायें नहीं मिल रही हैं। इसी तिहाड़ जेल में इस देश की कितनी महान महिलाओं को किस तरीके से दंडित किया गया था।

मैं जिस जेल में बंद था, वहां प्राइमरी स्कूल का एक ग़रीब अध्यापक मर गया। वह डी० आई० आर० में बंद था। उसकी लाश लावारिस करार दे कर सिली जा रही थी। जब हम लोगों ने भोजन छोड़ दिया और कहा कि इसके घर ख़बर कर दी जाये, तब ख़बर की गई। उसकी पत्नी और ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाला इकलोता लड़का रो रहे थे। हमने ज़िन्दगी में अनेकों मौतें देखी हैं, पत्नी को पति की मौत पर रोते देखा है, लेकिन ज़िन्दगी में पहली बार जेल के फाटक पर उस बदनसीब औरत को अपनी पति के चरणों पर कलाई मार कर चूड़ियां तोड़ते हुए देखा। हम ने लड़कों को अपने पिता की मौत पर रोते हुए देखा है, लेकिन पहली बार ग्यारहवीं कक्षा के उस लड़के को अपने बदनसीब बाप की खोपड़ी पर अपनी खोपड़ी मार कर ख़ून निकालते हुए देखा। आज कहा जा रहा है कि देवी जी को जेल में सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। ये लोग नारे लगाते हुए शौक से जेल जा रहे हैं। देश की जनता जानती है कि यह किस तरीके की जेल है।

मैं कांग्रेस के अपने माननीय साथियों से कहना चाहता हूं कि वे इस लड़ाई को सड़कों पर न ले जायें; इससे उन का लाभ नहीं होगा। यह जनता सरकार है, यह कानून की हुकूमत, रूल आफ ला, स्थापित करने के लिए प्रतिष्ठापित की गई है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी, और इन लोगों ने सड़कों पर लड़ाई लड़ने की बात सोची, और जनता गवर्नमेंट तथा इस देश के नौजवानों को ललकारा गया, तो कांग्रेस के भाइयों के लिए मुश्किल हो जायेगी। हम सड़कों पर लड़ाई नहीं ले जाना चाहते हैं। हम इतिहास को दोहराना नहीं चाहते हैं। इससे ज्यादा हम क्या कहें ?

सदन ने जो दंड दिया है, वह तो दिया ही है, मगर हम चाहते हैं कि देश की जनता से यह आह्वान किया जाये कि हर 25 जून को इन्दिरा गांधी का पुतला बना कर चौराहे पर जलाया जाये, जैसे कि रावण का पुतला सारे देश में जलाया जाता है। मैं मांग करता हूं कि विमान को हाईजैक करने वाले जो भी लोग हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये। इतिहास बतायेगा कि सड़कों पर लड़ाई को ले जाने का क्या परिणाम होता है। (व्यवधान)

माननीय सदस्य अहिंसात्मक आन्दोलन की बात कर रहे हैं। हमारे देश में हाल ही में दो प्रकार के आन्दोलन चले। दो प्रकार के चित्र हमारे सामने हैं। (व्यवधान) इमर्जेन्सी से पहले भी एक आन्दोलन चला था। वह एक अहिंसात्मक आन्दोलन था। उस आन्दोलन के नारे और जो नारे आज सुनाई दे रहे हैं, उनकी तुलना करें। इमर्जेन्सी से पहले जो नारा लगाया था, वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नारा था। हमारा नारा था : "हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। और आज क्या नारा लगाया जा रहा है ? "हाथ लगा अगर इन्दिरा को, तो खून बहेगा सड़कों पर।"

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की जनता और तरुणाई ने बहुत बर्दाश्त किया है। अगर कोई दूसरा मुल्क होता, तो इन लोगों को मालूम हो गया होता। लेकिन यह गांधी और गौतम का देश है, सिद्धांतों और धर्म का देश है, इसलिए मजबूरी है और हमारे हाथ विवश हैं। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हाईजैकर्ज चाहे जिस पार्टी के हों—चाहे वे कमलापति त्रिपाठी के रिश्तेदार हों, चाहे वे मोहसिना जी के चेले हों और चाहे श्री साठे के आस-पास चलने वाले लोग हों—, उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए—रानी और मेहतरानी को एक घाट पर खड़ा किया जाना चाहिए।

श्री एस० एस० सोमानी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री ऊनीकृष्णन् जी ने और कवंर लाल गुप्ता जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। देश में चारों ओर जनता पार्टी की सरकार से यह बात कही जा रही थी हमारे कांग्रेसी मित्रों के द्वारा कि चारों ओर वायलेंस हो रहा है, चारों और हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। पहले यह भी कहा जाता था कि जनता पार्टी ने महगाई बढ़ा दी हमने आन्दोलन देखे हैं। मैं भी नौ बार जेल गया हूं प्रदर्शन करने और सत्याग्रह करके, परन्तु राजस्थान प्रदेश में और पूरे अखिल भारतीय आन्दोलन में हम ने कभी वायलेंस नहीं देखा, कभी तोड़ फोड़ नहीं देखी। हम ने कभी किसी का बुरा करने की बात सोची नहीं। मैं अपने उन विपक्षी मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं, एमर्जेंसी में तरुणाई तड़प रही थी, वह इस बात की इजाजत चाहती थी कि इस देश के अन्दर गिन गिन कर उन नेताओं के सिर फोड़ दिए जाए जिन्होंने देश के अन्दर आपातकाल का समर्थन किया है। परन्तु यह उन से कहा गया कि आखिर ये कौन हैं, ये विपक्षी भी हमारे भाई हैं, जो सत्ता में बैठे हैं ये भी हमारे भाई हैं, इसलिए भावावेश में आ कर किसी प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए। परन्तु उन लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जिस समय आपातकाल में 1 लाख 27 हजार लोग जेलों के अंदर थे उस समय लाखों लोग, उन के आत्मीय जन बाहर थे और अगर वह चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। परन्तु उस समय गांधी जी के सिद्धान्तों पर विचार कर के, इस देश को अपना प्रिय देश मान कर जैसा हम हमेशा मानते आए हैं, हमने इस प्रकार की स्थिति का निर्माण नहीं होने दिया।

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

हमने जेलों में अपने साथियों को मरते हुए देखा है। मैरू लाल लखारा, कांकरोली, 22 साल का नवयुवक उदयपुर के अन्दर दवाइयों के अभाव में दम तोड़ कर चला गया जिस की एक साल पह शादी हुई थी और जो अपने माता-पिता का इकलौता लड़का था। अभी उत्तर प्रदेश के सदस्य ने एक उदाहरण दिया है। मैं दूसरा उदाहरण उदयपुर की सेंट्रल जेल का देना चाहता हूं, हम लोगों ने भी भूख हड़ताल की थी इसी प्रकार, एक कार्यकर्ता बेहोश हो गया था जेल में, 15 घंटे बाद उस को जेल से हटाया गया था हमारे भूख हड़ताल करने पर। मैं अपने विपक्षी मित्रों से केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप तीस साल तक शासन में रहे हैं। आप ने अपनी नीति के अनुसार इस देश पर शासन किया है। आज आप यह शिकायत मत कीजिए कि हरिजनों के ऊपर अन्त्याचार हो रहा है, आज आप यह शिकायत मत कीजिये कि छुआछूत देश में से नहीं मिट रही है। यह सब मिटाने की जिम्मेदारी किस की थी? तीस साल तक आप जो काम नहीं कर सके, यह उम्मीद करते हैं कि जनता पार्टी की सरकार 1 साल 8 महीनें में कर के दिखाए। हां, यह जरूर हम कह सकते हैं, तीस साल में जो काम आप नहीं कर सके अगर तीस महीने का भी पूरा समय मिले तो हम उस काम को कर के दिखाएंगे। इस के लिए हम कटिबद्ध हैं। आज आप छोटी छोटी बातों पर कितना सदन का समय खराब कर रहे हैं। आप मोरार जी भाई के खिलाफ आरोप ले कर खड़े हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस सदन में बता सकता हूं उन कांग्रेसी नेताओं के बारे में जो छोटे छोटे जिलों के अदर हैं, जो जिला स्तर के नेता हैं, उन के ऊपर लाखों रुपये के गबन के आरोप हैं, लाखों रुपये की रिश्वत खाने के आरोप हैं। मैं यह कह सकता हूं कि जब छोटे छोटे नेताओं का यह हाल है तो जो तीस साल तक शासन कर रहे

थे उनमें कितने लोगों के काले कारनामे होंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। मैं विरोधी पक्ष के नेताओं को चेतावनी व चुनौती के रूप में कहना चाहता हूं, यदि उन में हिम्मत है और उन के पास मोरार जी भाई के खिलाफ आरोप हैं तो वह लिख कर दें, वह भी खड़े हों अदालत में और कान्तिभाई मोरारजी भाई भी अदालत में खड़े हों। इस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु इस के लिए केवल हल्ला करते जाना और रोज रोज राज्य सभा और लोक सभा में इस प्रकार के प्रश्नों को उठाना यह उचित नहीं है।

इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई, लोगों ने कहा कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को यहां मुंह दिखाने में शर्म नहीं आती है। इंदिरा गांधी के पीछे जो लोग खून बहाने की बात करते थे, जो लोग इंदिरा गांधी के पीछे जेलें भरने की बात करते थे आज वह अपना मुंह ले कर राज्य सभा और लोक सभा के अन्दर बैठे हैं। उन लोगों को तो जेल भरनी चाहिए थी। अपनी शर्म मिटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक प्रस्ताव पास किया है कि विधायक और एम० पी० जेलों में नहीं जाएंगे वे जा नहीं सकते, उन में दम नहीं है। जेलों में जाने वाले तो हम लोग थे जो एमर्जेंसी के अन्दर जेल गए। जहां तक इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की बात है, कानून में जो भी आएगा चाहे वह मोरार जी भाई फसेंगे तो वह भी जाएंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी भी फसी हैं तो वह भी जेल गई हैं। लेकिन इस में लोक तंत्र की बात कह कर आप यह कहना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया तो हम लोग सड़कों पर इस का मुकाबिला करेंगे, सड़कों पर मुकाबला करने से हम नहीं डरते हैं। इस धमकी से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में दो दो बार बन्द का नारा देकर आपका क्या हाल हुआ ? पटना और बम्बई में आपके बन्द के नारे का क्या हाल हुआ ? इस-लिए आप अपनी शक्ति का विचार कर लें। आप और हम दोनों समाज का निर्माण करना चाहते हैं, इस देश को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने का आपको पूरा अधिकार है। अगर आप इस भावना से काम करना चाहते हैं तो मैं समझूंगा कि आप विरोध पक्ष का सच्चे रूप में निर्वाह कर रहे हैं। तीस साल तक सत्ता में रहने के बाद पहली बार आप विरोध पक्ष में आये हैं इसलिए आपको हमसे कुछ सीखना चाहिए कि विपक्ष में कैसे काम किया जाता है। हल्ला करने से विपक्ष का काम नहीं होगा। आपको बड़ी शालीनता के साथ सरकार की नीतियों की विवेचना करनी होगी और सरकार की गल्तियां को दिखाना होगा। यदि आप केवल हल्ला करते रहे तो आने वाला भविष्य और भावी इतिहास और भविष्य का तरुण आपको कभी माफ नहीं करेगा। वह कहेगा कि कांग्रेस को विपक्ष के पक्ष का निर्वाह करने की आदत नहीं थी, वे नहीं जानते थे कि विपक्ष में कैसे बैठा जाता है। इसलिए आज जो कुछ हो रहा है, श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के बाद, उसकी आपको कड़े शब्दों में निन्दा करनी चाहिए। आपको अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहिए कि जेलें भरो, प्रदर्शन करो, आंदोलन करो पर तोड़-फोड़ की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से बसें जलाई जा रही हैं और तोड़-फोड़ की जा रही है वैसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। हमने भी प्रदर्शन किए लेकिन कभी किसी राष्ट्रीय सम्पत्ति को हाथ नहीं लगाया परन्तु आज आप हवाई जहाज का अपहरण कर रहे हैं, हवाई जहाज को उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जो भी नुकसान इस अपहरण की वजह से हुआ है उसका सारा हरजाना उन लोगों की सम्पत्ति से वसूल किया जाना चाहिए। उनको आप खड़ा न होने दीजिए। यह देश के साथ देशद्रोह है, यह पूरे देश का नुकसान है। इसलिए मैं विपक्षी दल के नेता से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप विपक्षी दल के नेता हैं, छोटी छोटी बातों पर आप खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें आप कहते हैं--यह आपको शोभा नहीं देता है। जनता पार्टी ने विपक्षी दल के नेता को सारी सुविधायें प्रदान की हैं, विपक्षी दल के नेता का एक गरिमामय पद बनाया है। पिछले तीस वर्ष हम मांग करते रहे कि विपक्षी दल के नेता को सारी सुविधायें दी जायें लेकिन आपने नहीं दीं। लेकिन जनता पार्टी ने यह किया, विरोधी दल के नेता को मंत्री स्तर की सुविधाएं दीं। हम यहां पर कुछ परिपाटियों का

निर्माण करना चाहते हैं । पांच साल का समय तो आता है और चला जाता है परन्तु आने वाला समय यह न कहे कि 1977 से 1982 तक के समय में विपक्षी दल ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई, उसने देश में बलवे कराये और वायलेंस पैदा की । श्रीमती इन्दिरा गांधी जेल से बाहर आ जायेंगी, वे ज्यादा दिन जेल में रहने वाली नहीं हैं । जनता पार्टी की सरकार जबसे आई तभी से इस देश के तरुण चाहते थे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को जेल में डाल दिया जाये परन्तु यहां पर प्रजातंत्र है, कानून का राज है, अगर श्रीमती गांधी फसेंगी, मुकदमे साबित होंगे तो उनको सजा दी जायेगी और अगर अदालतें उनको मुक्त करेंगी तो वे मुक्त रहेंगी । सौभाग्य से इस देश में प्रजातंत्र है, मगर कहीं यहां तानाशाही होती तो पाकिस्तान का उदाहरण आपके सामने है कि भुट्टो की क्या हालत हो रही है ? इसलिए इस बात पर आपको विचार करना चाहिए । मैं अधिक न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको नये सिरे से इस पर विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार देश का निर्माण करना चाहते हैं, किस प्रकार समाज का कल्याण करना चाहते हैं, किस प्रकार के नवयुवक हम इस देश में बनाना चाहते हैं ? भगतसिंह और चन्द्र शेखर आजाद की थोड़ी याद करके हम काम करेंगे या नहीं।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : सर्वप्रथम मैं इस देश में फैल रही हिंसा की बिना हिचकिचाहट निन्दा करता हू। परन्तु इसके साथ-साथ मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हू। हिंसा की निन्दा करने के बजाय सदस्यगण एक वर्ग विशेष या एक दल विशेष को सारा दोष दे रहे हैं। यदि आपने देश में आज विद्यमान स्थिति का विश्लेषण किया होता, दो आप हिंसा के लिये एक एक पार्टी की निन्दा न करते।

इस मामले में अन्य पहलुओं पर विचार करने से पूर्व मैं आपको बताता हू कि कर्नाटक में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बनतवाल तालुक में गत दो दिनों से क्या हो रहा है। अपका कहना है कि कांग्रेस (आई) पार्टी हिंसा के लिये उत्तरदायी है। गत चुनावों में मुस्लिम समुदाय ने हमारी पार्टी को वोट दिया था। उनकी हालात क्या है? दुःख तथा खेद के साथ मैं आपको बता दूं कि गत दिन अनेक मकान और दुकानें, एक दरगाह और एक मदरसा डायनामाइट लगाकर जला दिये गये। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं यह किसने किया है? यह कांग्रेस (आई०) के लोगों ने नहीं किया है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने एक पार्टी को दोष दिया है। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई है और वे आपको जनसंघ और जनता पार्टी के लोगों को दोष दे रहे हैं। क्या आप इसे हीकार करेंगे?

अतः आज कई बातें हो रही हैं। कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि आपके पास दूरदर्शिता नहीं है। विशेषाधिकार प्रश्न पर कार्यवाही वृत्तान्त में श्री चव्हाण ने कहा था कि देश हिंसा बर्दाश्त नही कर सकता क्योंकि यहां पर यह पहले से है। आज यह सब कुछ हो रहा है। क्यों? मूल कारण यह है कि आज कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है। केवल श्रीमती गांधी है देश को नेतृत्व दे सकती हैं। आप मुझसे सहमत न हों। एक दिन देश अपनी गलती को महसूस करेगा। आप द्वारा की गई गलती के कारण लोग अपना जीवन, अपनी सम्पत्ति का बलिदान करने के लिये तैयार हैं। यदि आज हिंसा के लिये कोई उत्तरदायी है, तो यह कुछ दिन पूर्व आप द्वारा की गई कार्यवाही है। यदि आप समझदार होते तो आप यह कार्यवाही न करते। इस देश के लोग आप से इससे अधिक की आशा रखते थे। उन्होंने आपके नेतृत्व में विश्वास किया, परन्तु आपने अपने वायदे पूरे नहीं किये, आपका काम उनकी आशा के अनुरूप नहीं है। आज लोग डरे हुए तथा निराश हैं।

आज बिहार में क्या हो रहा है? मैं आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूं। मैं भी पिछड़ी जाति का हूं और मैं उनके लिये आरक्षण चाहता हूं। मेरे राज्य कर्नाटक में पिछड़ी जातियों के लिये प० व० आरक्षण रखा गया है। आपके अपने लोग आरक्षण के विरुद्ध हैं। आज हिंसा हो रही है, ऐसा कौन कर रहा है? क्या ये कांग्रेस (आई०) के लोग हैं? बिहार में वर्गवाद का बोलबाला है। इसी कारण मैं आप से कह रहा हूं कि किसी वर्ग विशेष को दोष न दें। आज आप लोकतन्त्र और हिंसा के बारे में बोल रहे हैं। आप क्या करते हैं ? श्री साठे ने कहा है कि आप लोग भी उत्तरदायी हैं । मेरा भी यही

विचार है क्योंकि तीन वर्ष पूर्व दक्षिणपंथी और उग्र तत्वों ने इस देश के लोगों द्वारा स्थापित तत्कालीन सरकार को गिराने का प्रयास किया था। इसी कारण आपातकालीन घोषित की गई। श्रीमती गांधी आपातकालीन नहीं थीं। इस के लिए उत्तरदायी कौन था? मैं कांग्रेस (आई) के लोगों को बता रहा हू कि आज यदि हम हिंसा पर उतर आते हैं तो आने वाले वर्षों में वही कुछ होगा। हम तथा हमारी पार्टी हिंसा नहीं चाहती। हम इसकी निन्दा करते हैं। मेरे घर में लोग घुस गये और लगभग 20,000 रुपये की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई। उस समय मैंने यह शिकायत नहीं कि राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ के व्यक्ति उत्तरदायी हैं। केवल मेरा ही मामला नहीं है। मैं उनमें से नहीं जो किसी व्यक्ति को दोष देते हैं। हिंसा से लोगों का भला नहीं होगा। चाहे यह विमान अपहरण या हिंसा की घटना हो, इससे देश का भला नहीं होगा। हम ऐसी घटनाओं के बिना हिचक निन्दा करते हैं। इसके साथ-साथ दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों को महसूस करना चाहिए कि देश में आज क्या हो रहा है। ऐसा केवल कर्नाटक में हीं नहीं है, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और सारे देश में अन्य स्थानों पर भी यह स्थिति चल रही है। लोग अपने दैनिक जीवन में शान्ति चाहते हैं। गत 19 महीनों से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गरीबी दूर करना तो एक गौण मामला हो गया है। हो क्या रहा है? प्रशासन की असफलता के कारण छात्र असन्तोष और बहुत अधिक बढ़ गया है। जनता पार्टी में कुछ अच्छे लोग हैं और उन्हें आगे आकर यह कहना चाहिये कि हम भारतीय लोग लोकतन्त्र चाहते हैं। कैसे? हिंसा से नहीं। इस देश में जीवन शान्तिपूर्ण होना चाहिये। लोगों ने आपको इसलिये मत दिया है। आज जनता पार्टी का काम गरीब लोगों को रोटी और मकान देना है? यदि आप इस काम में असफल रहते हैं, कल आप को सत्ता में लाने वाले लोग आपको सत्ता से उखाड़ भी देंगे।

मैं आपको बता रहा हूं कि श्रीमती गांधी इस देश की एक मात्र ऐसी नेता हैं जो राष्ट्र को एक अच्छा तथा गतिशील नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उग्रसेन (देवरिया) : अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले कि इस विषय पर कुछ कहूं उससे पहले यह कहना चाहता हूं कि अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे मैं उनकी तकरीर सुनकर बड़ा मुतास्सिर हूं। आज सचमुच में मुझे यह लग रहा था कि गांधी, जयप्रकाश नारायण और डा० राम मनोहर लोहिया के देश में हिंसा जोर पकड़ रही है। मैंने इन्दुमति केलकर की एक किताब पढ़ी है। उस में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेसी राज में 12 वर्षों के अन्दर सात हजार बाद गोली चली। यह मैं कांग्रेसी राज की बात बता रहा हुं। मेरे मित्र और सुनिये, अग्रेजों के 99 वर्षों के इतिहास में इस देश में एक बार भी गोली नहीं चली। जापान में सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री इजानरो की अध्यक्षता में 35 लाख लोगों का जलूस निकला था। वे लोग प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस गए थे और उन्होंने उस घर के शीशे तक फोड़ दिए थे। यह डैमोक्रेसी है प्रजातन्त्र है। लेकिन वहां आपके राज में क्या होता था। .....मांगते थे रोटी तो दे दी जाती थी जेल और ऊपर से मार दी जाती थी गोली। जो कार्रवाई की गई है यह बदले की भावना से नहीं की गई है। हम लोग बदला लेना नहीं चाहते हैं। यहां पर साठे साहब, सौगत राय आदि कोई नहीं हैं। सब चले गए है। जो अभी बोले थे वह भी चले गए हैं। अब मैं उनको क्या जबाव दूं। हमारे गुरु लोहिया जी कहा करते थे कि जब तक विरोधी पक्ष में रहो तो बात से काम चलाओ, जो काम आप कर रहे हैं और जब शासन में आओ तो काम से बोलो। यही चीज़ जनता पार्टी कर रही है। वह काम से बोल रही है।

जब ईसा मसीह को क्रास पर लटकाया जा रहा था जल्लादों ने उन से पूछा आपकी कोई आखिरी इच्छा है तो उन्होंने कहा फादर फारगिव दैम, दे नो नाट। हिन्दी में उन्होंने कहा कि इनको माफ कर दो, ये बेचारे जानते नहीं हैं। इसी तरह से मैं कहू कि मैं अल्ला को भगवान को मानता नहीं हूं लेकिन मान भी लूं तो साठे जी को स्टीफन आदि को माफ कर दो, ये समझते नहीं हैं, पुजारी जी को माफ कर

दो, ये समझते नहीं हैं। पुजारी जी इंदिरा गांधी को, संजय गांधी को, राहुल गांधी अपना नेता मानें, हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। हमारे नेता महत्मा गांधी थे, जय प्रकाश जी हैं, लोहिया जी थे, आचार्य नरेन्द्र देव थे। सुभाष बोस थे उन के कदमों में बैठ कर हम ने राजनीति सीखी है। उनके नेतृत्व में हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। 1942 में सब से कम हिंसा हुई थी। तब उसके फलस्वरूप अंग्रेज को भारत से जाना पड़ा था। गांधी जी ने यही कहा था भारत छोड़ो । यह कहीं नहीं कहा था ट्रेने फूंक दो, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहंचाओ तोड़, फोड़ करो। लार्ड एमरी जो भारत मंत्री हुआ करते थे उन्होंने पहले से ही एनाउस कर दिया था कि कांग्रेस की योजना बस फूंकने की, थाने जलाने की, ट्रेनों को बन्द करने की और उन में तोड़ फोड़ करने की है। लेकिन कांग्रेस का एक भी पर्जा आप इस तरह की नहीं दिखा सकते हैं जिस में इस तरह की हिंसा की प्रवृत्तियों की वकालत की गई हो। लैलिन ने एक जगह लिखा है दोज हूं ईट फायर ब्रीड अपरचुनिज्य इन दी एंड, अथति जो लोग गाग उगलते हैं वे अन्ततोगत्वा अवसरवादी राजनीति का शिकार होते हैं। खुदा के नाम पर, भागवान के नाम पर जो आप एडवैचरिज्य की नीति मुल्क में वरपा कर रहे हैं, इसको आप बरपा न करें, यह आपको कुछ नहीं देगी, इससे न केवल आपका बल्कि देश का भी नुक्सान होगा।

हमारे उनीकृष्णन साहब, सौंगत राय जी तथा दूसरे साथी चले गए हैं। मैं चाहता हूं कि वे महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चले। जनतत्र के रास्ते पर चलें। जनतंत्र में गोली की इज्जत नहीं होती है बोली की इज्जत होती है। यह मेरे गुरु लोहिया ने कहा था। उग्रसेन पर लाठियां बरसी थीं। राज नारायण के बाद उत्तर प्रदेश में मेरा ही नम्बर आता है। पचासों बार मुझे विधान सभा से उठा कर बाहर फैंका गया। बम्बई तक कोई ऐसा जेल नहीं जहां उग्र सेन न रहा हो। लोहिया ने हमें सिखाया उधर से लाठी गोली चले लेकिन तुम्हारी तरफ से जो सब से नजदीक का हथियार है ताखुन उसका भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिये। हम मानेंगे नहीं लेकिन कानून को मानेंगे, हम मारेंगे नहीं किन्तु मरेंगे यह हमारा सिद्धान्त है। आप भीड़ तंत्र को जनतंत्र के स्थान पर बिठा कर हिन्दुस्तान से कानून का राज बरपा करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं।

दो नौजवान, जिगर के टुकड़े, लख्ते जिगर उनके जब मैंने फोटो देखे तो मुझे पता चला कि वे मेरे कमरे में आया करते थे। जोशीले नो जवान हैं बेचारो को बहका दिया गया। उनका कोई दोष नहीं है। डी टी सी का दोष नहीं होता है ड्राईवर का होता है। तलवार का दोष नहीं होता है बल्कि उसका होता है तो फूट को पकड़ता है। जिस किसी के हाथ में आ जाए वह दूररे को उड़ा सकता है। इससे कोई समाज की सेवा होगी ? एक बात कह दूं कि यह जो नया तरीका आपने निकाला है वह गलत है, क्योंकि आपकी ही दुनियां में अकेली पार्टी है जिसने पार्टी का नाम नेता पर रखा है। रूस की बोल्शेविक पार्टी का नाम लेनिन के नाम पर नहीं रखा गया, सोशलिस्ट पार्टी का नाम लोहिया जी के नाम पर नहीं रखा गया। कोई भी दुनियां की पार्टी नहीं है जिसका नाम नेता के नाम पर हो। लोहिया जी कहते थे कि मरने के 500 व 1000 साल बाद मूर्ति बने। तथागत भगवान की प्रतिमा भी उनके मरने के एक हजार साल बाद बनी। लेकिन आपने अपनी पार्टी का नाम नेता के नाम पर रख कर वहीं गलती कर दी। कोई समाजवादी नाम रखते पार्टी का, क्रान्तिकारी नाम रखते।

मैं कहना चाहता हूं कि यह जो हाईजैकिंग हुई है यह अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक अग है। जो काम 1969 में हाईजैकिंग का जर्मनी में हुआ उसके अपहरणकर्ता को पकड़ा गया। और आपको इतिहास बताऊ कि 1969 मे लेकर 1977 तक दुनिया में 400 विमान अपहरण की घटनाएं हुई और 27,000 यात्री उसमें फंसे। करांची से 1971 में सक्खर को प्लेन जा रहा था जिसका रास्ते में अपहरण कर लिया गया। उन अपहरणकर्ताओं पर पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल नूर अहमद ने काबू पाया और जब अदालत में मामला गया तो पाकिस्तान सरकार के कानून के अनुसार फांसी की

किया कि इस तरह से विमान अपहरण करना बहुत गंदा काम है और इस के लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और भारत के प्रतिनिधि ने उसका समर्थन किया। जापान ने भी ऐसा कानून बनाया। इसलिए दुनिया के आतंक वादी जो गलत काम कर रहे है उसकी आप एक कड़ी न बने। मैं माननीय सौगत राय और माननीय साठे से कहता हू :

साहिल के तमाशाई अफसोस तो करते हैं,
पर डूबने वालों की इमदाद नहीं करते हैं।

यह गांधी, लोहिया और माननीय जयप्रकाश नारायण जी का देश किस रास्ते पर जा रहा है ? जनता पार्टी का कोई नौजवान किसी बस पर ढेला मारे तो वह गदा काम है। मैं नेता विरोधी दल से कहता हूं कि प्रधान मंत्री जी हमारे गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले हैं मैं स्टीफन साहब को बताना चाहता हूं कि सदन को बढ़ा दिया जाए, लेकिन मोरारजी भाई ने कहा कि नहीं, जो पहले होता रहा है वहीं करूंगा। इसलिए आपको वायलेंस की निन्दा करनी चाहिए। एक जज का कमीशन बना दिया जाय जो इस बात की जांच करे कि इन दिनों हमने ज्यादा हिंसा की है या उन्होंने की है। बस फूंकना जलूस ले कर चढ़ जाना, या सदन के दरवाजे पर क्या हुआ मैंने स्वयं देखा है, उसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। मैंने हाउस आफ कामन्स का इतिहास पढ़ा है :

If any member is barred from the service of the House.

बड़ा भारी वह जुर्म होता है। माननीय स्टीफन अध्यक्ष ने जब कहा कि लड़कों को छोड दिया जाए तो हमने भी कहा यह समारे जिगर के टुकड़े है इनको छोड़ दिया जाय। मैं माननीय स्टीफन को बताऊं कि जब जीसस क्रूसिफाई किये गये तो उन्होंने क्या कहा : यह लोग नहीं जानते कि मैं क्यों यहां खड़ा हूं। जब गांधी को गोली मारी तो उन्होंने भी अपने हत्यारे के लिये कुछ नहीं कहा। तथागत भगवान को मरने के पहले कहा जाता है कि उन्हें जहर दिया गया, प्रोफेट मोहम्मद जब मक्का से मदीना गये तो उनको ढेले मारे गये। लेकिन उन्होंने कभी बुरा नहीं कहा किसी को हमने बचपन में श्रीमती इन्दिरा गांधी के पिताजी से राजनीति सीखी, उनके नेतृत्व में बचपन में थोडा सीखा है, लेकिन लगता है श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कुछ भी नहीं सीखा। आज देश भूखा और नगा है। हमारे साथ आये, बैठ कर बात करें। देश को आगे ले जाये। हिंसा करेंगे तो, अभी कोई साहब बोल रहे थे हिटलर की बात, तो हिटलर ने ही दुनिया को कहा था —

हिंसा का दमन हिंसा से ही किया जा सकता है।

दूसरे हमारे स्टीफन कहते हैं। ये समझदार आदमी हैं, इसलिए इनसे कहता हूं कि किसी भी तरह से हो, जो हवाई जहाज की बात है, यह ठीक नहीं है। अमरीका में 400 उड़ानों में से 149 में गश्त चलते हैं, गार्ड चलते हैं। इसकी जानकारी होनी चाहिये कि कैसे वह लोग गये, और कहां से गये। हम छोटी बातों में नहीं जाना चाहते, मगर जो ट्रेण्ड चल रहा है वह बहुत गलत बात है।

गांधी जी के देश को, महात्मा बुद्ध के देश को गन्दा मत कीजिये, इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच हो और आगे हिंसा न हो इसका आप उपाय कीजिये। यही मेरे दिल की तमन्ना है। मैं समझता हूं कि हमारे जजबात को स्टीफन साहब अच्छी तरह से समझते होंगे क्योंकि वह जीसस को मानने वाले हैं जिसने कहा था कि मेरे गाल पर थप्पड़ मारो।

श्री मही लाल (बिजनौर) : सभापति महोदय, मैं माननीय उन्नीकृष्णन का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने इस संकल्प के द्वारा राष्ट्र में व्याप्त हिंसा की ओर न केवल सदन का बल्कि सदन के माध्यम से पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर दिया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम चाहे इधर के लोग हों या उधर के, आज राष्ट्र में जिस तरह से हिंसा व्याप्त है, उससे हम सभी दुःखी हैं और दुःखी होना चाहिये, लेकिन साथ ही मैं खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि हिंसा के पीछे एक ही दुर्भावना है और वह है सत्ता और सम्पत्ति की भूख। यह लोग आज सेवा को अपना माध्यम न बनाकर, जन-कल्याण के कार्यों में अपना सहयोग न देकर, अपने प्रतिद्वन्द्वियों को सदा के लिये संसार से उठाने में विश्वास करने लगे हैं। खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि एक ओर हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस महान आत्मा के देश में हमने जन्म लिया है जिसने शाँति का पाठ अपने देश को ही नहीं, बल्कि संसार की मानवता को पढ़ाया और अहिंसा के माध्यम से उसने इतने बड़े देश में क्रांतिकारी परिवर्तन किये थे। आज हम भुल जाते हैं, उसके क्रांतिकारी परिवर्तन, उसका नेतृत्व उसके कार्य। जो कुछ हो वह सेवा का क्षेत्र था।

उसने सेवा के माध्यम से देश को अपनी ओर आकर्षित किया, मानव की सेवा करके कोढ़ियों, भूखों, नंगों के बीच में रहकर सुधार किये और मानवता को अपनी ओर झुकाया और उसी के फलस्वरूप आज वह संसार में जीवित हैं और जीवित रहेगा। वह है हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। लेकिन आज हम उसका नाम लेते हैं, जय बोलते हैं, उस पर श्रद्धा के फूल चढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम अपने सेवा भाव से जनता के हृदय में स्थान प्राप्त करने के बजाय अपने विरोधियों को समाप्त करके सत्ता का उपयोग करना चाहते हैं ।

मेरा हृदय बहुत दुःखी है, चाहे साम्प्रदायिक झगड़ा हो, चाहे जातीयता के नाम पर, सम्पत्ति के नाम पर झगड़ा हो, लेकिन जो गरीब, मेहनतकश और निर्धन लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, वहीं हिंसा के शिकार होते हैं। सम्पन्न, शक्ति वाले, साधन वाले सब हिंसा से बच जाते हैं चाहे वह अलीगढ़ का साम्प्रदायिक बलवा हो, चाहे हमारे जिले संभल में नृशंश हत्याएं की हों, लेकिन सभी जगह मेहनत करने वाले मजदूर, गांव का रहने वाला गरीब इन्सान मौत के घाट उतारा गया है। जहां भी इस तरह के झगड़े हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र में और चाहे तामिलनाडू में हरिजन और नान-हरिजन के नाम पर झगड़े हुए हों, हर जगह कराहती हुई मानवता को, दुखी और पीड़ित लोगों को शिकार बनाया जाता है, और उनके पीछे मैं फिर दोहराना चाहता हूं--सत्ता और सम्पत्ति की भूख होती है । सत्ता और सम्पत्ति की भूख ने हमें इन्सान से गिरा कर बिल्कुल पशु के श्रेणी में ला दिया है। हिंसा का उपयोग पशुबल है। महात्मा गांधी ने हिंसा के उपयोग को पशुबल कहा था। अगर हम हिंसा का उपयोग करते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम मानवता से गिर कर पशु के स्तर पर आ जाते हैं।

हम सब विवेकशील हैं। यहां पर बैठने वाले लोग राष्ट्र की 65 करोड़ जनता का नेतृत्व करते हैं। साठे साहब ने एक बात अच्छी कही है--मैं उसका समर्थन करता हूं--कि हम पटना में जयप्रकाश जी के चरणों में सर्वमान्य नेताओं का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलायें और वहां इस पर विचार करें, और उस सम्मेलन में जो निर्णय हों, हमारे ऊंचे लोग उनका पालन करना शुरू करें और तब नीचे के लोग उनका अनुकरण करें।

मुझे यह कहने में तनिक भी झिझक नहीं है कि आज कार्यक्रम की राजनीति न रह कर व्यक्ति-पूजा की राजनीति रह गई है। हम व्यक्तियों के पीछे भाग रहे हैं। हम नेताओं के लिए हैं, जनता के लिए नहीं हैं। नेताओं के नेतृत्व को कायम रखने के लिए हम सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जनता के लिए बलिदान करने के लिए तैयार नहीं हैं। जिन व्यक्तियों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को मुक्त कराने के लिए विमान का अपहरण किया, उनके पड़ोस में-- बिहार में जिस ढंग से मानव संहार हो रहा है, या उनके अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन्सानों को मारा-काटा जा रहा है, उसके लिए

उनके हृदय में दर्द नहीं हुआ। यह हमारी शिक्षा है। हम इस जगह पहुंच गये हैं कि एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए तो विमान का अपहरण, और जहां हजारों आदमियों को मौत के घाट उतारा जाये, वहां हम अपनी जुबान भी न खोलें, वहां जाकर किसी प्रकार का एक्शन न लें।

सम्पत्ति के भूखे लोगों ने क्या नहीं कर रखा है बिहार में। मैं नहीं मानता हूं कि जिन झगड़ों के सम्बन्ध में हरिजनों की हत्या का नाम लिया जाता है, वे हरिजनों और नान-हरिजनों के झगड़े हैं। वह झगड़ा है सम्पत्ति का, समाजिक विषमता का। और सामाजिक विषमता तथा यथास्थिति के समर्थक लोग आज हिंसा का सहारा ले रहे हैं। यह सरकार के लिए--सत्ताधारी दल के लिए--भी चिन्ता का विषय है और विरोधी दल के लिए भी चिन्ता का विषय है।

मैं विरोधी दल के नेताओं से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे अपनी छवि को उज्जवल बनाना चहते हैं, जो तानाशाही के कार्यों से धूमिल हो गई है, जिसका रंग फीका पड़ गया है, अगर वे चाहते हैं कि वे फिर से सत्ता में आ जायें, तो वे जतना के बीच में जायें, और कराहती हुई मानवता, दुखी और पीड़ित लोगों की सेवा का व्रत लें, और उन की सेवा करें। हिंसा के माध्यम से सत्ता मिलने वाली नहीं है। हिंसा के माध्यम से उन को सरकार के दर्शन होने वाले नहीं हैं। में यह कहूंगा भारतवर्ष में चाहे हजार बुराइयां पैदा हुई हों लेकिन भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति आततायियों की प्रशंसा नहीं करती, उन की अनुयायी नहीं हो सकती। अगर हिंसा का सहारा लिया जायेगा तो वह हिंसा का सहारा लेने वाले लोग समाज से ठुकरा दिए जाएंगे। समाज उन का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा।

अन्त में मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा। भगवान से मैं विश्वास करता हूं हम सब समाज-सेवियों को वह शक्ति दे कि हम व्यक्तियों के बजाय कार्यक्रम से जनमानस के स्तर को ऊंचा करने के कामों में विश्वास रखें और उसी में अपना समय लगाएं, उसी को अपना जीवन दें बजाय इसके कि व्यक्ति के लिए सब कुछ करें। ..... (व्यवधान) .....

मैं आप की पार्टी से अभी थोड़े दिन हुए आया हूं। मैं जानता हूं कि आप की पार्टी में क्या होता है। मुझे आप न छेड़ें तो अच्छा है। चन्द्र शेखर जी का क्या दोष था? रामधन का क्या दोष था? कृष्णकान्त का क्या दोष था? मैं अपनी बात बताता हूं कि सिवाय इसके कि मैं इंदिरा गांधी और यशपाल कपूर की जय बोलने वालों में नहीं था, और कोई बात मेरे खिलाफ नहीं थी। लेकिन मेरे ऊपर झुठा मुकदमा कत्ल का बनाया गया कि मैं यू० पी० सी० सी० के अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर यादव की हत्या करना चाहता था। उनका कत्ल करने का झुठा मुकदना मेरे खिलाफ बनाया गया था। आप क्या कह रहे हैं? में भुक्तभोगी हूं आप का। अभी थोड़े ही दिन हुए आप के यहां से मुझे आए हुए। बहन मोहसिना जी मुस्करा कर मेरी ताईद कर रही हैं। वह जानती हैं उस हिस्ट्री को पूरी तरह से। इस लिए मुझे न छेड़े तो ज्यादा अच्छा है। आप के घर की बात को शायद मुझसे ज्यादा जो विरोधी दल में बैठे हैं उनमें से कोई नहीं जानता। में जानता हूं कि किस तरह से भूमि की सीमा लागू होती है और किस तरह से काग्रेस (आई) के लोग भूमि हड़पे बैठे हैं। किस तरह से घड़ियालू आसू उस के लिए बहाए जाते हैं और बड़े बड़े फार्मों के वे मालिक बने बैठे हैं। तो में फिर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान हम सब को सद्बुद्धि दे कि हम हिंसा के मार्ग को त्याग कर जन-सेवा में विश्वास करें और जन-सेवा के माध्यम से हम सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करें, हिंसा के मार्ग को छोड़े।

श्री आर० कोलनथाइवेल् (तिरूचेंगोड़) : सभापति महोदय मैं भूतपूर्व या वर्तमान सरकार के प्रशासन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। जो भी परिस्थितियां हो अथवा कोई भी दल हो, जनता की आकांक्षाओं के अनुसार समस्याओं को हल करने के लिए भूतपूर्व सरकार या इस सरकार ने जो अच्छा काम किया है मैं उसकी सराहना करना हूं।

श्रीमान इस चर्चा में कई सदस्यों ने राजनीतिक नेताओं तथा मंत्रियों की कमजोरियां तथा अपराध बताये हैं। किन्तु मैं इस बात पर बल देता हूं चाहे कोई भी सरकार या राजनीतिक दल हो, यदि सरकार देश में शासन चलाना चाहती है तो इसे कर्तव्य तथा जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करना पड़ेगा। श्रीमान जैसा कि आप जानते हैं कि हमें उन लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जिनमें से अधिकांश अशिक्षित होते हैं। अतः यदि जनता सरकार कहती है कि हम जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं तो फिर मैं भी यह कह सकता हूं कि तमिलनाडु में अणद्रमुक सरकार के लिए भी सरकार चलाने की समान रूप से बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे प्रधान मंत्री भली भांति जानते हैं कि हमारी सरकार केन्द्र साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उनकी नीति सही हो। जिसका अनुसरण तमिलनाडु के लोगों की आकांशाओं के अनुसार हो श्रीमान मेरा निवेदन है कि इस देश का एक सभ्य नागरिक विरोध करने के साथ में समाज के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही का कभी भी समर्थन नहीं करेगा चाहें कितनी बड़ी भड़काने वाली बात हो। हिंसा से हिंसा को जन्म मिलता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि सरकार हिंसात्मक कार्यवाहियों को रोकने के लिए समुचित कदम उठाये। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि गुन्डा गर्दी करने वाले तत्व अधिक सतर्क हो जाते है। अतः में सरकार से तथा सभी राजनीतिक दलों से अपील करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यो का परिणाम हिंसा न निकले। वे यह भी सुनिश्चित करें जनजीवन तथा सम्पति को खतरा न पहुंचाते हुए वे अपना विरोध संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण ढंग से जारी रख सकते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं इस सभा के समक्ष तामलनाडु सरकार का एक ज्वलंत उदाहरण पेश करता हू। जिसने सरकार विरोधी दलों द्वारा पैदा किए गए असंतोषपूर्ण वातावरण का सामना करनेके लिए ठीक समय पर कदम उठाये तथा जनजीवन तथा जन सम्पत्ति को नष्ट होने से बचा लिया। उन्होंने एम० जी० आर० के नेतृत्व में अणा के सुनहरी सिद्वान्त के द्वारा बुराई को आरम्भ में ही दबा दिया।

इस देश में हम गांधी जी द्वारा स्थापित उच्च आदर्श तथा परम्पराओं के उत्तराधिकारी है। यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें विरोध करने की आवश्यकता है तो समझ में नहीं आता कि हम विचार कथन तथा कृत्यों से शांतिपूर्ण ढंग से उनका पूरा सदुपयोग क्यों न करें जिस कार्य के लिए हम संघर्ष करते है उसके बारे में हमारी अपनी मान्यता होती है तथा उसके लिए सिर फोड़ना या राज्य के सम्पत्ति को क्षति पहुंचा कर अपनी मांगों को मनवाने की आवश्यकता नही होती। यदि ऐसा किया जाता है, तो निश्चय ही ऐसी परिस्थितियों में हर प्रकार का कानून परीक्षा में पड़ जाता है।

श्रीमानजी जहां तक विमान अपहरण का सम्बन्ध है, इसका समाचार पाते ही मन में यही धारणा बनती है कि यह एक घोर अपराध है, निस्संदेह इस घटना में कुछ बेकसूर यात्रियों को अपने हितों की प्राप्ति का साधन बनाया गया।

श्रीमानजी, इस घटना से यह भी स्पष्ट है कि यदि हम स्थान तथा यात्रियों की सुरक्षा चाहते हैं तो हमें अपने सुरक्षा उपायों में किसी भी प्रकार की ढ़ील नहीं देनी चाहिए। परन्तु यह बर्बरतापूर्ण घटना बिलकुल दिल्ली के निकट ही घटी। प्रश्न यह है कि इन युवकों को अपने हथियारों के साथ वहां कैसे घुसने दिया गया जिन्हें कि अब केवल खिलोने कहा जा रहा है इस बात की पूरी जांच की जानी चाहिये कि वह कैसे विमान में घुसे इस घटना की पूरी जांच करने के बाद अपराधियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि एयरलाइंज में यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों के हितों की सुरक्षा की जा सके।

इसके बाद जब यह पता चला कि इन अपहरणकर्ताओं ने श्रीमती गांधी की रिहाई के लिए इन लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, तो स्थिति ने और भी गंभीर रूप धारण कर लिया तथा हमारी मन में इस बात के बारे में अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न होने लगे कि आखिर हमारे देश में क्या हो रहा है।

श्रीमान जी, हमें इस बात के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिये कि इस सम्पूर्ण घटना चक्र में किसी की भी किसी प्रकार की हानि नहीं हुई परन्तु इस घटना निश्चय ही हम सब को परेशानी हुई है। निस्संदेह इस घटना की पूरी जांच करवाई जायेगी और अपराधियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न होने पाये। मैं एक बार फिर यह दोहरा देना चाहता हूं कि आधार भूत बात यही है कि हमें हर प्रकार से इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि कभी भी हिंसा न की जाये तथा विशेष रूप से विमान अपहरण जो कि एक और भी भयानक प्रकार की हिंसा है, इसकी पुनावृत्ति न की जाये। सभी विचारवान व्यक्तियों के लिए यही समय है कि वह मिल कर आचार संहिता को सुदृढ़ करें ताकि सार्वजनिक जीवन से हिंसा को समाप्त किया जा सके। तथापि इसमें सरकार का भारी जिम्मेदारी है। सरकार सुनिश्चित करे कि जनता की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। भ्रष्टाचार जल मूल से समाप्त किया जाये और किसी के साथ अन्याय न हो ताकि समाज से जातिवाद साम्प्रदायिकता और गरीबी को दूर किया जा सके।

वर्तमान परिस्थितियों में मुझे आशा है कि वर्तमान सरकार भविष्य में हिंसा अपहरण आदि को रोकने हेतू कार्यवाही करेंगी। जनता सरकार को अन्य राष्ट्रों के समक्ष उदहारण रखना चाहिये कि हम लोगों को हिंसा या राष्ट्रीय अपराध में भाग नहीं लेने देंगे। अरिगयार अन्ना और पेरियार के सिद्धान्त गांधी जी से मिलते है। अतः केन्द्र सरकार को सिद्ध करना होगा कि वह राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि चाहते है। इस लिए मैं चाहता हूं कि सरकार अपहरणकर्ताओं को कठोर दंड दें। यदि वे अपराधी सिद्ध हों तो जरूरत होने पर उनकी सम्पद्धि जब्त कर ली जाये।

श्री भारत भूषण (नैनीताल) : सभापति महोदय,....

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर) : सभापति जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपके पास बोलने वालों की दलों के द्वारा दी गई सूची है, यदि कोई सदस्य अनुपस्थित है तो उस दल का जो समय निर्धारित है, उस में उसी दल के किसी दूसरे सदस्य को समय दे दीजिये।

सभापति महोदय : इस से समय के बटवारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास दोनों तरफ़ के दलों के नाम हैं, इसलिये आपके दल का समय दूसरे को नहीं दिया जाएगा।

श्री भारत भूषण : सभापति महोदय, गत कुछ वर्षों से देश में हिंसा का वातावरण चल रहा है। एक समय आया जब देश की सत्ता में जो लोग थे, उन्होंने जनता के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग किया, बिना किसी का कुसूर बतलाये, आराम से घर में रहने वाले लोगों को अपनी कल्पना के आरोप के आधार पर कि वे सत्ताधारी पार्टी का तखता उलटना चाहते हैं, उन्हें जेलों में डाल दिया गया। मीसा की धाराओं का उपयोग न केवल असामाजिक तत्वों, डाकुओं, स्मगलर्स के खिलाफ़ बल्कि जय प्रकाश नारायण जी, तथा हमारे ही दल के अध्यक्ष चन्द्रशेखर जी और अन्य लोगों के विरुद्ध किया गया। जो आक्रान्ता होता है—वह भयभीत होता है, इसमें कोई शक नहीं है और उस समय की सत्ता भी हर तरह से भयभीत थी। सत्ता ने अपनी हिंसा से जनता का दमन करना चाहा। जिन लोगों को हिंसक बतलाया गया, उन्होंने उस दमन का विरोध करने में कितनी हिंसा की, इस का इतिहास साक्षी है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु देश की जनता ने बतला दिया कि वह हिंसक तत्वों का साथ नहीं देगी। चाहे वह हिंसा सत्ता में बैठ कर की जाए, चाहे वह अत्याचार सत्ता में बैठ कर किया जाए या सत्ता के बाहर किया जाए। हिंसा सत्ता के लिए और प्रजातंत्र के लिए घातक है। इस सिद्धांत को सब मानते हैं। प्रजातंत्र का संचालन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है लेकिन जब सत्ता में बैठे हुए लोगों को अपनी स्वयं की चिंता हुई और अपने बारे में घबराहट हुई तो उन्होंने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से अलग हट कर सीधे जनता से अपील करने की बात की। चुनी हुई संस्थाओं को छोड़ कर उन्होंने जनता के मध्य जा कर इस प्रकार की बातें कीं। यह देश उनको भी नहीं भूला जब देश की

सत्ताधारी पार्टी के कुछ नौजवानों ने अपने ही दल के अध्यक्ष को दल के कार्यालय से जबर्दस्ती बाहर निकाला और केन्द्रीय कार्यालय पर कब्जा किया। यह देश इस बात को नहीं भूला है।

कौन वह सत्ताधारी और राजनीतिक दल है जो जनता की भावनाओं को भड़का कर हिंसा की ओर ले जाना चाहता है। कौन वह राजनीतिक दल है जो आज भी किसी भी घटना का राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है? आज भी लोग इस विषय पर विचार कर रहे हैं, इस देश में हिंसा की जैसी पराकाष्ठा हुई है, ऐसी पराकाष्ठा कभी नहीं हुई थी। अपने ही देशवासियों द्वारा विमान का अपहरण हो, कुछ लोगों के जीवन और सम्पत्ति को खतरे में डाल दिया जाए, किसी अन्य द्वारा यह कार्य आज तक हुआ वह कार्य आज इस देश में किया गया। जिस कार्य का हमें यहां से विरोध करना चाहिए था, वे नौजवान अगर कर भी बैठे थे तो उनको निरुत्साहित किया जाना चाहिए था लेकिन बजाय इसके वही तरीका अपनाया जा रहा है जो तरीका एक चोर भी अपनाता है। चोर भी अपने को बचाने के लिए चिल्लाने लगता है कि चोर-चोर, चोर इधर गया, चोर उधर गया। यहां लोग बैठ कर कहने लगे कि यह घटना तो हमारे को बदनाम करने के लिए की गयी है ।

इसमें दो राय नहीं हैं कि वे दोनों अपराहरणकर्ता पाण्डे हैं । वे किस दल के सदस्य हैं इसमें भी भिन्न राय नहीं हैं।

श्री वसन्त साठे: वे मंगल पाण्डे के वंशज हैं।

श्री भारत भूषण: आपके वंशज हों या मंगल पाण्डे के वंशज हों, लेकिन व किस संस्था के सदस्य हैं इसमें कोई शंका नहीं है। वे आपके हैं। मुझे केवल यह कहना है कि आज जब हम हिंसा की घटनाओं को रोकने पर विचार कर रहे हैं तो हमें सद्भाव से इस पर विचार करना चाहिए। हमें खुले दिल से यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे साथी बेशक हैं, लेकिन अब हम उन्हें अपना साथी नहीं रखेंगे और उनका डिफेंस करने को भी हम तैयार नहीं हैं, हम गलत काम करने वालों की रक्षा नहीं करेंगे। आपको कम से कम उनका समर्थन तो नहीं करना चाहिए और अब तो उनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद करना चाहिए।

मैं समझता हूं कि राजनीति में, प्रजातंत्र में ऐसी बातों पर दलगत राजनीति से उठ कर विचार करना चाहिए।

श्री वसन्त साठे: आप यह बात कांतिभाई देसाई से शुरू कीजिए।

श्री भारत भूषण: अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि चोरी में शामिल होने के बाद जब किसी चोर का पीछा किया जाने लगा तो उसका ही कोई साथी निकल कर चोर-चोर चिल्लाने लगा। आज देश का ध्यान बंटाने के लिए, अपने साथियों को बचाने के लिए देशवासियों का ध्यान दूसरी ओर बंटाया जा रहा है। जो लोग इस ओर से ध्यान बंटाना चाहते हैं, वे लोग चोरी में शामिल हैं, शरीक हैं।

आज देश में प्रश्न बढ़ने वाली हिंसा का है। बात इनकी ओर से कुछ और की जाती है। ये तथाकथित आरोपों पर बात करते हैं। साठे साहब प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई को अपना नेता कहते थे। जब से मोरारजी भाई सत्ता में आये, वे 1956 में सत्ता में आये थे, तभी से ये आरोप उन पर लगते चले आ रहे हैं और उन्हें दोहराया जाता रहा है। उन आरोपों को लेकर आज विमान अपहरण से देश में फैली हुई हिंसा से आप बराबरी कर रहे हैं यह अच्छा तरीका बराबरी करने का नहीं है। ऐसा करके इस सदन का ध्यान वास्तविक चोरों से हटाने की कोशिश करना है, शरारतियों से ध्यान हटाने की कोशिश करना है। यह काम वही कर सकता है जो उन शरारतियों के साथ शरीक है। ऐसी बात कह कर उन्होंने उसमें अपनी शिरकत का सबूत ही दे दिया है।

प्रजातंत्र को चलाना है तो उसकी व्यवस्थाओं का भी आपको पालन करना होगा। जो विधायिका है, जो ज्यूडिशरी है, उनकी शक्तियों के विरुद्ध, उनकी मान्यताओं के विरुद्ध आपको आचरण नहीं करना चाहिये। सब को मिल कर काम करना चाहिये। साठे जी ने एक अच्छी बात अनजाने में कह दी है। जिसको कभी वह देशद्रोही कहा करते थे उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति के पास चल कर देश की हिंसा को समाप्त करने के लिए कोई सर्वदलीय सम्मेलन कर लिया जाए। इसके माने हैं, कि जो आरोप उन पर आपने तब लगाए थे वे तो गलत थे ही और देश की जनता ने भी इसका प्रमाण दे दिया था लेकिन आज आपने ऐसा कह कर भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। आपने मान लिया है कि वह शक्ति है जो देश के अन्दर फैंकी हुई हिंसा को समाप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकती है और जो हिंसा की विरोधी रही है। जय प्रकाश जी के आदर्शों पर हम लोग चले हैं। मैं चाहता हूं कि हिंसा का विरोध करने के लिए सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिये। किसी को भी हिंसा को बरदाश्त नहीं करना चाहिये। एक बात पर आप ध्यान दें। मेरा और किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो सकता है। हम लोग कानून से बाहर जा कर अपना झगड़ा—लड़ाई के द्वारा तय करने लगें और उसमें समाज के लोगों को ले आएं, समूह को ले आएं तब आप इस बात को मानेंगे कि वह झगड़ा जातीय साम्प्रदायिकता का और सवर्ण और अवर्ण में बदल जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिये। फिर उससे जो राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाती है, उससे हिंसा की भड़कती है और हिंसा के वातावरण को बढ़ाने में ही वह चीज सहायक होती है, इस बात को आप को मानने में एतराज नहीं होना चाहिये। इस वास्ते इस तरह की जो कोशिशें हैं वे किसी को भी नहीं करनी चाहियें। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जो उसका प्रचार करते हैं मैं समझता हूं वे हिंसा के वातावरण को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

हम सब को मिल कर चाहे किसी भी दल के हों, जो इस सर्वोच्च संस्था में हैं प्रयास करना चाहिये कि हिंसा के वातावरण का विरोध करें। अगर हमारी मान्यता प्रजातंत्र में है तो हम अपने मतभेद वार्ता द्वारा और जहां बहुमत से होते हैं बहुमत के द्वारा तय करें। हिंसा को हम में से किसी को भी किसी प्रकार से प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। किसी को सरकार का विरोध करना हो तो वह रेल पटड़ी उखाड़ने से, बसें जलाने से, दुकानें फूंकने से, विमानों का अपहरण करने से नहीं होना चाहिये। ये सब तरीके निन्दनीय हैं, अपराध हैं। ऐसे लोग जो इन कार्रवाइयों में शामिल होते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिये। किसी को इसका विरोध नहीं करना चाहिये।

श्री युवराज (कटिहार) : मैं बहुत ध्यान से विरोधी पक्ष वालों की बातों को सुनता रहा हूं। आज देश में लोकतंत्र का शासन चल रहा है। लोकतंत्र का शासन गुडविल और आनेस्टी के बिना नहीं चल सकता है। चाहे कितने भी दोष हों, हमारी तरफ से जो भी अन्याय किया गया हो लेकिन सभी को इस बात को कबूल करना होगा कि यह सदन सर्वशक्ति सम्पन्न है, प्रभुता सम्पन्न है और इसने अपने न्यायिक अधिकार का प्रयोग किया है और श्रीमती इंदिरा गांधी को सजा फरमाई है। इसके बाद जो वारदातें और जो घटनाएं देश में हुई हैं वे काफी चिन्ताजनक हैं। किसी भी देश की संसद् को जहां ऐसे वाकात होते हैं एक इतिहास का निर्माण करना होता है। और संवैधानिक परम्परा में एक नई कड़ी जोड़ता है। भारत की संसद में जो घटना घटी, जो इसने अपने न्याय के अधिकार का प्रयोग किया वह भी यहां की परम्परा में एक कड़ी जोड़ने का काम करता है। अपने देश में 30 वर्ष से लोकतंत्र पद्धति चल रही है, लोकतंत्र पद्धति और कार्यपद्धति का एक प्रयोग इस देश में चल रहा है, केवल आरोप प्रत्यारोप से समस्या का निदान नहीं होगा, बल्कि मूल कारणों को ढूंढना पड़ेगा कि कहां दोष है। हमारे माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने इस बात को कबूल किया है कि जो घटना घटी विमान अपहरण की उसमें कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं का कोई दोष नहीं है, और राज्य सभा में 20 तारीख को उन्होंने इस घटना की निन्दा की। लेकिन 21 तारीख को तीस हजारी अदालत में संजय गांधी ने बयान दिया और उन्होंने इस बात को कबूल किया कि श्री देवेन्द्र पाण्डे को वह जानते हैं, लखनऊ के देवेन्द्र पाण्डे को जानते हैं और वह यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस (आई) जिम्मेदार हो

या नहीं, उसकी तरफ़ से कोई साजिश हो या न हो, लेकिन घटना घटी, और जांच के बाद इसका पता चलेगा कि कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ता या उसके साथ किस हद तक जिम्मेदार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी आदमी जब अपने को कानून और संविधान से ऊपर अपने को समझता है तो वह स्वच्छंद हो जाता है। चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी हो, इन्दिरा गांधी हों, या हम हों, ऐसी मनोदशा से जब लोग ग्रसित हो जाते हैं तब न्याय, अन्याय का ज्ञान नहीं रहता है, और ऐसा संकट पैदा हो जाता है है कि ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है जिसको इतिहास क्षमा नहीं कर सकता। इसलिये जरूरत स बात की है कि हम सब बैठ कर इस पर विचार करें कि देश में गरीबों के लिये, उनकी हालत में आमूल परिवर्तन लाने के लिये अगर आन्दोलन चलाता है तो क्या वह आन्दोलन गांधी और बुद्ध के तरीके से होगा क्या वह अहिंस और सत्याग्रह के रास्ते से होगा, क्या अहिंसा के रास्ते से कर्नाटक या मद्रास मे जो घटायें हुई हैं उनकी न केवल निन्दा की जाय बल्कि उनको दूर करने की तरफ़ आपका प्रयास होना चाहिये। आज हिंसा, उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ की घटनाओं से किसी को देशव्यापी समर्थन नहीं मिल सकता है। और अगर हुआ है तो यह हमारी लोकप्रियता की कसौटी नहीं बन सकता है। ऐसे लोग जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह भी दुनिया के इतिहास में बड़े लोकप्रिय थे, लेकिन इतिहास ने ऐसी शक्तियों को, मनोवृत्तियों को मिटा दिया जो दुनिया के इतिहास को शासक के रूप में प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। हमें दलगत भावनाओं से ऊपर उठ कर इन बातों पर विचार करना होगा। चाहे किसी तरफ़ से हो, ऐसी घटनायें लोकतंत्र में नहीं चलनी चाहियें। और अलग लोकतंत्र में ऐसी धटनायें हो जाती हैं तो मैं मानता हूं कि गुडविल और अानेस्टी की कमी है इसलिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाय जिसमें हम सब साथ मिल कर बैठ कर इस पर विचार करें कि जिस जीवन मूल्य के लिये गांधी जी ने, जवाहर लाल जी ने, गोखले जी ने बलिदान किये हैं क्या वह मान्यता हमारी बरक़रार रहेगी? केवल आरोप, प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जन-जीवन को नष्ट करने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना हित साधन नहीं कर सकती है। और वह विनाश का ही रास्ता ढूंढती है। मैं आत्म-निरीक्षण की मांग करता हूं कि हमने कितनी जिम्मेदारी से अपना काम किया है। हम भी अपने बहुत लम्बे राजनीतिक अनुभव के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रद्दी से रद्दी लोकशाही भी बढ़िया से बढ़िया तानाशाही से श्रेष्ठतर है। हम बैठते हैं, विचार करते हैं और अन्त में जो सबका निर्णय होता है उसी को मानते हैं, उसी रास्ते पर चलते हैं। जिस पर विचार करने की जरूरत होती है विचार करते हैं, एक आदमी की नहीं चलतो है, दल की चलेगी, दल के सदस्यों की चलेगी और उसके जो लोकतांत्रिक मूल्य होंगे, उनसे हम अलग नहीं हो सकते हैं। हम आज स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र का शासन चल रहा है। लोकतंत्र में गुंजाइश है, हम अपने को बिगाड़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। फ्रीडम का अर्थ है स्वतंत्रता दुधारा शस्त्र है। अगर उससे सुधरना है तो सुधरेंगे और बिगड़ना है तो बिगड़ेंगे। इसलिये हम अपने को सुधारें यह हमारा प्रयत्न होना चाहिये। स्वतंत्रता का अर्थ गलती करने की आजादी है। फ्रीडम से कुछ गलतियां भी होती हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों से सबक ले लें कि 30 वर्षों का शासन हमने एक हटवादिता के चलते एमर्जेंसी लगाकर समाप्त कर दिया। स्टीफन साहब आप जैसे लोगों से हमें बड़ी अपेक्षाएं हैं, आप जब बोलते हैं, हम आपकी बातों को सुनते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आरोपों का जवाब प्रत्यारोपों से दे रहे हैं। लेकिन एक कंसैन्सस की आवश्यकता है।

ऐसा नहीं है कि हम सब दूध के धुले हैं। इधर भी कुछ हैं और उधर भी हैं। लेकिन उधर जो एक व्यक्ति निर्णय करता है सभी इस बात को मान लेते हैं। क्या ऐसी परम्पराएं हम चलायेंगे? गलती हो जाती है, लेकिन उसको मिटाने के लिये भी आजादी होनी चाहिये। मनुष्य के लिये संकटकाल तब आता है जब वह अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहता है। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि— व्यैक्तिक निर्णय तथा उत्तरदायित्व को अपील हर व्यक्ति के विचार को उसकी जिम्मेदारी को हम समझें हम सभी लोग इस बात को ढूंढें कि तोड़फोड़ की कार्यवाही क्यों होती है। इस तरह का काम

आज हो, कल हो, हम नहीं कह सकते कि गलती अभी हुई, पहले भी हुई होगी लेकिन जब से इन्दिरा जी जेल गई हैं, यह कार्यवाही बहुत बढ़ी है। कहीं कुछ लूटा गया है, बसें चलाई गई हैं हिंसा हुई है। अब यह कार्यवाही बन्द होना चाहिये।

मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र दूसरे सारे तंत्रों से अधिक नैतिक है। उसमें नैतिकता अधिक है, मनुष्य की प्रतिष्ठा अधिक से अधिक इसमें बढ़ती है। भारत एक सामान्य प्रतिभा का अंग है, उसी में हम सब को काम करना होगा।

सभापति महोदय : श्री ओ०पी० त्यागी।

श्री के० लक्कप्पा : आप उस ओर से तीन व्यक्तियों के एक के बाद एक मौका नहीं दे सकते।

सभापति महोदय : प्रत्येक दल के लिए नियत समय मेरे पास है। आप के दल को 53 मिनट दिये हैं। समय बचने पर आपको भी मौका मिलेगा। मुझे प्रक्रिया का संचालन आता है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : (बहराइच) : सभापति महोदय, आज एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने है और मैं समझता हूं कि इसे बहुत सरलता में नहीं लेना चाहिये। यहां जितनी पार्टियां बैठी हैं, मैं उन सभी से अपील करूंगा कि बड़ी गंभीरता से इस पर वह चिन्तन करें। यह प्रश्न नहीं है कि कौन पार्टी क्या कहती है, उसका हम जवाब दें।

प्लेन का हाईजैकिंग हुआ, दो नौजवान लेकर उसे चले गये, यह घटना स्वयं में गंभीर है और इसके पीछे जो भाव है, अगर देश उस दिशा में चल पड़ा, हिंसक प्रवृत्ति की ओर चल पड़ा तो देश का जो सांस्कृतिक ढाँचा है, जिन मान्यताओं और आधारों पर देश में पोलिटिकल ढाँचे को खड़ा किया गया है, अधिकांश पार्टियां यहां हैं, दो, चार पार्टियों कम्युनिस्टों, इन्दिरा कांग्रेस को छोड़कर हम सब का गांधीवाद में विश्वास है।

हमने उनको राष्ट्रपिता माना है। उन्होंने जिन आधारों और मान्यताओं पर इस देश के राजनैतिक ढाँचे को खड़ा किया है, उस के लिये यह एक चुनौती है। यह कांड किसने किया, यह साफ़ जाहिर है। जिस समय यहां पर श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध प्रिविलेज मोशन पर विचार हो रहा था, तो इन लोगों की मीटिंगें हो रहीं थीं, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी कि अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, तो हम क्या करेंग। उस का परिणाम यह हुआ कि बसें जलाई जा रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं और अब प्लेन को हाईजैक किया गया है।

जब यह प्लेन लखनऊ से आ रहा था, तो उन दो व्यक्तियों ने कहा कि इसे काठमांडू ले चलो। जब पायलट ने कहा कि इसमें तेल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वाराणसी ले चलो। काठमांडू ले चलने की बात से प्रकट है कि यह कितना बड़ा षड़यंत्र था। वे दोनों नौजवान कांग्रेस (आई) और यूथ कांग्रेस से सम्बन्धित हैं। उन्होंने दो फ़ोन कराये, एक मोहसिना किदवई जी को, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रेजिडेंट हैं, और संजय गांधी को, कि उन्हें संदेश दे दीजिए कि मिशन, कार्य, पूरा हो गया। उन्हें यह कार्य दिया गया था, यह बात साफ़ तौर पर सामने आई है।

इतना ही नहीं, जब वाराणसी हवाई अड्डे पर दोनों नोजवानों को पकड़ कर ले जा रहा था, तो इंन्दिरा कांग्रेस के चार सौ आदमी जमा हुए, उन्होंने बाकायदा माला डाल कर जयजयकार के साथ और "इन्दिरा गांधी ज़िन्दाबाद" के नारे लगाते हुए उन्हें सी आफ़ किया। मैं पूछना चाहया हूं कि यह किस का काम है। यह कांड किससे सम्बन्धित है? अगर आज कांग्रेस (आई), इन्दिरा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इससे हमारा सम्बन्ध नहीं है, तो मैं समझता हूं कि यह उनकी इमपोटेंस है, उनमें साहस का अभाव है। उन्हें कहना चाहिए कि यह हमारी स्ट्रेटेजी है। तब इस बारे में निर्णय किया जा सकता है।

ये लोग यहां पर दलीलें दे सकते हैं। लेकिन हमारे ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट जनता बैठी हुई है। वह ये सब बातें देख रही है। ये उसके सामने इस बात को झुटला नहीं सकेंगे। इसलिए यह बात स्पष्ट है कि यह उनकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह स्ट्रेटेजी गलत है।

प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय के निर्णयों का सम्मान होना चाहिये या नहीं। यह हाउस, यह सुप्रीम बाडी, भी एक न्यायपालिका थी, जिसको प्रिविलेज मोशन को पास करने का राइट था। मैं लीडर आफ़ दि आपोजीशन का आदर करता हूं, क्योंकि जब इस बारे में हाउस का निर्णय हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने सदस्य को आपको सरंडर करता हूं। उनके इस कथन के पीछे लोकतांत्रिक भावना थी। लेकिन अब कहा जाता है कि इन्दिरा गांधी को रिहा करो। मैं पूछना चाहता हूं कि उन 126 आदमियों का क्या कुसूर था, उन्होंने क्या बुराई की थी कि उन्हें हास्टेज बना कर रखा गया और रात को उन्हें खाना नहीं खाने दिया गया। वे नौजवान कह देते कि आप लोग प्लेन से निकल जाइये, आप हमारे आदमी हैं, हम तो आपकी सेवा के लिए हैं, हम तो हवाई जहाज को आग लगायेंगे, वर्ना इन्दिरा गांधी को छोड़ दो। मैं समझता हूं कि "इन्दिरा गांधी को छोड दो", यह नारा इन लोगों ने एक जजमेंट के खिलाफ़ लगाया है। यह है गम्भीर प्रश्न। यह डेमोक्रेसी के लिए एक चैलेंज है, चेतावनी है। यह साफ ज़ाहिर है कि आप डेमोक्रेसी में विश्वास न करके तानाशाही में विश्वास करना चाहते हैं, तानाशाही में विश्वास है आपका, उसे ही आप कायम रखना चाहते हैं। कल को शाह कमीशन की रिपोर्ट और, और कमीशनों की रिपोर्टस के आधार पर कचहरियों में मामले चलें । आज तो चार पांच दिन उन को दर्शन करने के लिए भेजा है। वहां वह गई हैं उस जेल के दर्शन करने जहां एक दो नहीं देश के लगभग दो लाख आदमियों को उन्होंने रखा है। चार दिन के लिए चली गई तो क्या हुआ? मेरी समझ में नहीं आया लेकिन तमाम देश में बेचैनी पैदा कर दी है, तोड़ फोड़ शुरू हो गई है मार धाड़ शुरू हो गई है। ज़बर्दस्ती यह सब किया जा रहा है।

सभापति महोदय, आप की यहां की रिपोर्टों में मैंने पढ़ा है, आप के यहां से ही लेटर आया है, यह तो यहां है हाउस में कि चूंकि इनका ताल्लुक जनता पार्टी से है, इनके घर के दरवाजे तोड़ डालो, शीशे तोड़ डालो। वहां पर ग्वालियर में यूथ कांग्रेस के लोगों ने हमला किया उनके घरों पर। ये सब कांड हुए हैं। इस प्रकार से जनता पार्टी के लोगों के ऊपर बराबर हमला किया जा रहा है। कल अगर कोई कचहरी में मामला साबित हुआ संजय गांधी के खिलाफ या इंदिरा जी के खिलाफ और सजा हुई तो क्या होगा? तो फिर जजों पर बम फेंके जाएंगे। समझ में नहीं आया यह कौन सी लाइन पकड़ रखी है। मैं कहना चाहूंगा कि यह रास्ता बहुत गलत है।

और एक चीज बताना चाहता हूं, भले ही आप यहां दलीलों से बातें कर दें लेकिन इस कांडों से आप की पार्टी को कोई बल नहीं मिल रहा है। आज हाईजैकिंग के इन कांडों से तमाम देश की जो समझदार जनता है वही नहीं, बे पढ़ी लिखी जनता भी इन तमाम घटनाओं को देख कर घृणा कर रही है कि इन्दिरा कांग्रेस ने यह क्या किया? आज यह चीज आप को पे नहीं कर रही है। मैं यह कहना चाहता हूं स्टीफेन साहब से कि इस मार्ग पर 19 महीने वह चल, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, मिसा और डी०आई०आर० की तलवारों पर लोगों को लटकाया। आपने कचहरियों के दरवाजे बन्द कर दिए, बिना कानून के लिहाज के लोगों को जेलों में ठूंस दिया। तमाम देश जेलखाना बना दिया गया। मैं उस समय राज्य सभा का मेम्बर था। मैं ने बहन इन्दिरा गांधी को चेतावनी दी थी, थोड़ा बहुत ज्ञान है इतिहास का, मैंने उनसे कहा था कि जिस किसी भी देश में कभी कोई हिटलर पैदा हुआ या डिक्टेटर पैदा हुआ, डिक्टेटरशिप आई, रिजलट उसका एक ही हुआ। आप इसमें बच नहीं सकेंगी, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है। इन्दिरा जी ने उस समय खड़े हो कर जवाब दिया था, मुझे याद है, कि आप ने तो हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, मैं तो उस समय वहीं जर्मनी में ही थी जबकि हिटलर था। मैंने अपने मन में कहा—देन यू हैव गाट दि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। वह जो ट्रेनिंग थी 19 महीने आप ने प्रैक्टिस किया इस देश

में। लेकिन यह देश बुद्ध का देश है, गांधी का देश है, जवहार लाल का देश है। इस देश में परम्पराओं से जनतंत्र की भावना विद्यमान है। एमर्जेंसी के टाइप में तमाम संसार के अखबार तमाम अमेरिका इंग्लैण्ड के पालिटिशियंस हम लोगों को कहते थे। तमाम देश को कहते थे कि यह तो हिजड़े हैं, ये पालिटिक्स नहीं जानते, ये तो डंडे के द्वारा हांके जा रहे हैं, ये तो ढोंग कर रहे थे प्रजातंत्र का, प्रजातंत्र के लायक ये हैं नहीं। लेकिन जब उन्होंने एलेक्शन का रिजल्ट देखा तो उन्हीं तमाम संसार के उन्हीं अखबारों ने कहना शुरू कर दिया कि तमाम संसार में अगर डेमोक्रेसी डीप रूटेड कहीं है, एक बेपढ़े लिखे आदमी के भी दिल और दिमाग में पहुंची हुई है तो वह केवल भारतवर्ष है। अगर आप को यह भ्रॉति हो कि आप हिंसात्मक कार्यवाहियों के द्वारा इस देश का जनमत अपने साथ कर सकेंगे या तानाशाही के द्वारा कर सकेंगे तो यह आप की भूल है। हां, अगर जबंदस्ती हो जाय जैसे होता है तो वह तो मार्ग आप का नहीं है। लेकिन जनमत इस तरह आप साथ ले सकेंगे यह बात सम्भव नहीं है। अगर यही आचरण इंदिरा कांग्रेस का रहा तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछले एलेक्शन में इंदिरा कांग्रेस को देश ने सजा दी वही सजा फिर दोबारा चुनाव में मिलेगी। इससे आप बच नहीं सकेंगे।

मैं अन्त में एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह प्रश्न सुरक्षा का है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या एअरपोर्ट पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है? यह नौजवान जिनके पास चाहे खिलौना रिवालवर ही थे, वे बचकर कैसे चले गए। इसका अर्थ है कि एअरपोर्ट पर सुरक्षा की अव्यवस्था है। इस घटना के बाद आपको चेतावनी मिल जानी चाहिए। जिस मार्ग पर आज इन्दिरा कांग्रेस जा रही है, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि इन्दिरा ब्रिगेड में हिन्दुस्तान के तमाम शहरों के गुण्डे शामिल किए गए हैं और वे कोई भी घटना इस देश में कर सकते हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से भी कहना चाहता हूं कि आपको बकायदा सतकर्तता रखनी होगी और जो कोई भी हिंसा तथा गुण्डागर्दी का सहारा ले उसका बकायदा कड़ाई के साथ दमन करना चाहिए। यही मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्री गेव एम० अवारी: (नागपुर) : सभापति महोदय, यह बात सच है कि जो घटना हुई है उसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है लेकिन आज हमारे सामने मूल प्रश्न यह है कि जो हिंसा हो रही है उसके मूल कारण में जाने के लिए हम तैयार हैं या नहीं? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस देश में जिन्होंने जन्म लिया वे अब युवक हो चुके हैं और वे जब देश में देखते हैं तो उनको जीवित आदर्श कम दिखाई देते हैं। 1970 का उदाहरण हमारे सामने है जब एक ऐसी घटना शुरू हुई कि अहिंसात्मक रूप से राजकीय कर्मचारियों के मामले को सुलझाने का काम किया गया। आज जो हमारे उद्योग मंत्री हैं वे मजदूरों के नेता थे, उन्होंने रेलवे की हड़ताल करवा कर तोड़ फोड़ करवाई। उस समय पहली बार इस देश के युवक ने सोचा क्या इस प्रकार से इस देश की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जायेगा। आप जानते हैं युवकों पर आप जिस तरह की भी छाप डालेंगे वह छाप उस पर पड़ जायेगी। हमारे जो युवक कालेजों से नये नये निकल रहे थे उन पर यह पहली छाप पड़ी थी। आज जो सत्ताधारी लोग हैं वे तब विपक्ष में थे। तब विरोधी दल में रहते हुए उन्होंने सिखाया था कि किस तरह से कार्यवाही करनी चाहिए। उसके पहले ही जब हम इतिहास के पन्ने खोलते हैं तो देखते हैं कि जब महात्मा गांधी का आन्दोलन चल रहा था, उन्होंने कहा था कि हम हिंसा के खिलाफ हैं तो उस समय भी कुछ युवक सामने खड़े हुए थे, भगत सिंह ने बम फेंका था लेकिन उस वक्त भी महात्मा गांधी में नैतिक बल था, उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी ऐसी साजिश नहीं कर सकता। लेकिन मुझे याद है 1973-74 में जब इस देश में हिंसात्मक घटनायें हो रही थीं तब इस देश में कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं था जिसने कहा हो कि यह घटनायें गलत हैं। इसके खिलाफ यही कहा गया कि वे लोग जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार गलत कर रही है। करीब करीब वही कार्यवाही धीरे धीरे आगे चलती रही। आपको याद होगा, नवनिर्माण का एक बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था, वहां भी युवकों ने अपने हाथ से काम शुरू किया था लेकिन आज जो हमारे प्रधान मंत्री बने हुए हैं, जोकि उस

समय विरोध पक्ष में थे, उन्होंने उस मूवमेंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद विधायकों को पूरी तरह से नंगा करके गदहों पर उनके जुलूस निकाले गए। यह सारी घटनायें हम युवकों को अच्छी तरह से याद हैं। उन घटनाओं की युवकों पर छाप पड़ी हुई है। वही बातें धीरे धीरे इस देश में चलती आई हैं। इसमें महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उस ज़माने में सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों को सुलझाने का जो ढंग अपनाया गया वह गलत था। इस प्रकार से युवकों को अपने सामने किसी क्षेत्र में कोई आदर्श दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए वह आदर्श आज भी लाना बहुत जरूरी हो गया है।

आज मैंने जनता पार्टी के भाइयों की स्पीचें सुनी। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। अगर मैं युवकों की तरफ से बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि उनकी बातों में मुझे यही लगा कि चूंकि इन्दिरा गांधी ने हमें जेल भेजा इसीलिए हमने इन्दिरा गांधी को जेल भेज दिया, उन्होंने ऐसा किया इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने खराब काम किया इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। आर्गुमेंट के लिए आप मान भी लीजिए कि उन्होंने कुछ गलत काम किया तो क्या आप भी गलत काम करेंगे? इस तरह से आज मूलभूत सवालों को पीछे छोड़े कर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा किया था इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। अभी जब हमारे कुछ लोग अनशन पर बैठे थे तो एक दो आदमियों ने आकर यह कहा कि आज जब इन्दिरा गांधी जेल गई हैं तब आप यहां कुर्सियों पर बैठे हैं लेकिन जब हम लोग जेल गए थे तब आप यहां क्यों नहीं बैठे थे। करीब करीब यही सवाल हर जगह किया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं अब समय आ गया है जब हमें पुरानी बातें छोड़ कर, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को छोड़कर जो मूलभूत प्रश्न हैं उनको सुलझाने का प्रयत्न करें। आप जानते हैं देश में भीषण गरीबी है, बेकारी है, जातिवाद है। आप यह भी जानते हैं हमारे देश में जो तकनीकी उन्नति हुई थी, देश का नाम जो ऊंचा जा रहा था--1962 में नेहरू जी के जमाने में चाइनीज़ एग्रेशन के कारण जो गिर चुका था, बंगला देश की निर्मिति के कारण हम ने उसको फिर से ऊंचा किया वह चीज़ धीरे धीरे फिर से नीचे की ओर जाने लगी। गत वर्ष हमें पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में बलगेरिया जाने का मौका मिला था हम ने देखा वहां किस तरह से भारत का मजाक जैसा उड़ाया जाता था। यह सब जनता पार्टी के राज में हो रहा है, विदेशों में भारत की इज्जत धीरे-धीरे गिर रही है इसकी तरफ़ किसी का ध्यान नहीं है। हमारा काश्मीर, आप के जो स्ट्रेटेजिक प्वाइंटस थे, नागालैण्ड की जो समस्या थी, जिनको अच्छी तरह से सुलझाने का प्रयास किया गया था, आज उनकी तरफ़ किसी का ध्यान नहीं है। डिवीज़िव-टेंडेंसीज़ देश में बढ़ रही हैं—इस की तरफ़ किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ इस तरफ है कि इन्दिरा गांधी को कितनी सज़ा दी जाय, विशेष दुख तब होता है कि उन के जमाने में जो लोग उनका फेवर करते थे, उनका समर्थन करते थे, आज वे ही लोग उनका विरोध कर रहे हैं। यह जो चीज़ हो रही है, इस से युवा वर्ग के मन पर बहुत असर हो रहा है।

आज जो भाषण मैंने सुने मैं 1950 में जन्मा हूं, उसके बाद जो युवा वर्ग बड़ा हुआ है, आज हमारे लिये आप हमारे पितामह के समान हैं--आपके भाषणों से हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या छाप आपने हमारे मन पर डाली है? मुझे बड़ा मजाक सा लगता है--जब जार्ज फरनान्डीज़ और उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग, जिन्होंने विराधी दर में रहते हुए हमको यह सिखाया था कि ताड़फोड़ करो, क्योंकि इन्दिरा गांधी कि डिकटेटर है, इसलिये उसको निकालने के लिये कोई भी रास्ता निकाला जा सकता है आप बतलाइये इस विचारधारा का हम लोगों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ऐसी छाप के कारण यदि उन युवकों ने कुछ इस तरह की गड़बड़ शुरू कर दी हो तो.....

श्री ओम प्रकाश त्यागी : उसको कन्डेम करो।

श्री गेव एम० अवारी : मैंने कन्डेम किया है, इस देश का कोई भी युवक हिंसा नहीं करना चाहता है। जिसने हिंसा की है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय यह मैंने कहा है और अब कह रहा हूं। लेकिन सवाल यह नहीं है यह चर्चा हाइजैकिंग के सवाल को लेकर हुई है लेकिन हमें इसकी गहराई में

जाना पड़ेगा। आज का युवक जनता पार्टी की तरफ़ किस दृष्टि से देख रहा है--हम को यह देखना पड़ेगा। आपने कह दिया है कि बेकारी की समस्या को दस साल में हल कर देंगे इसका मतलब है कि दस साल तक के लिये आपने इसको वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया है, इस बीच में वह क्या करेगा इसलिये मेरा आप से निवेदन है कि इसकी गहराई में जाइये, जो विन्डिक्टिवनेस आज तक थी, उसको छोड़ कर धीरे-धीरे नये प्रश्नों पर आना चाहिये और आने वाली पीढ़ी पर एक नई छाप डालनी चाहिये कि आगे आने वाला भारत कैसा बनेगा, यह सपना और यह आदर्श सामने डालिये। आज हम को यह फिक्र है जिस तरह की गड़बड़ हो रही है, अगर यह गड़बड़ इसी तरह से चलती रही, तो आने वाला भारत कैसा होगा, किस तरह का होगा, हम नहीं कह सकते, क्योंकि यह सिम्बल है आज युवा वर्ग रिवोल्ट की तरफ़ जा रहा है; वह अन्धकार में है। हम जानते हैं बिहार में परमपूज्य जय प्रकाश जी के लिये बहुत सम्मान है। उनके आह्वान पर हज़ारों युवक उन के मूवमेंट में शामिल हुए थे, लेकिन आज उनको यह लग रहा है कि कहीं-न-कहीं कुछ गड़बड़ी है यह बात आज नार्थ इण्डिया के युवकों में आप देख रहे हैं और यह घटना भी उसी का एक प्रमाण है। इसलिये इस पर पार्टी को छोड़ कर नेशनल कंसेंसस की दृष्टि से विचार करना चाहिये। आप लोगों ने जो बात कही है, उसी को दोहराते हुए कि इस पर राष्ट्रीय तौर पर विचार किया जाय--मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

डा० रामजी सिंह : (भागलपुर) : सभापति महोदय, सचमुच अभी जिस नौजवान ने, हमारे माननीय नौजवान साथी ने, अपना जो वक्तव्य दिया, वह सचमुच में ऐसा लगता है कि यह चीज़ मिला सकती है लोगों को। कुछ तो ऐसी बातें होनी चाहिये जो राष्ट्रीय समस्या के रूप में रहनी चाहिये। ता० 20 की रात को जिस दिन विमान का अपहरण हुआ था, मैं यहीं पर लोक सभा में साठे साहब के साथ था और रेडियो पर जैसी ही मैंने सुना और यह खबर मिली कि बिहार के पांच मंत्री उस में सवार थे--मैं क्या कहूं मन बहुत परेशान रहा। मैंने उड्डयन मंत्री जी को फोन किया, लेकिन, वे अपने कार्य में व्यस्त थे। कितने लोगों को संत्रास और कितना भय था? उस में एक मंत्री श्री पूर्णचन्द आये थे। वे कल रात अपनी कथा सुना रहे थे। वह कथा सुन कर सचमुच मैं आप लोगों को लगता कि जो व्यक्ति या यात्री उस विमान में बैठे हुए थे, उनकी उस समय मनोदशा क्या थी। अगर किसी को हार्ट की बीमारी रहती तो पता नहीं उनकी हालत क्या हो जाती। सायंकाल सात बजे से लेकर अगले दिन प्रातः 9 बजे तक बिल्कुल उसी रूप में रहना, तनाव की स्थिति में रहना कितना कष्टदायक होता है।

सभापति महोदय, भारत में वायुयान का यह चौथा अपहरण है। पहला अपहरण 1971 में हुआ था जिसके कारण हमारे और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। 1976 में बोइंग 737 का अपहरण हुआ, 1977 में डी०सी० 8 का अपहरण हुआ और यह विमान का चौथा अपहरण था। ये विमान अपहरण न केवल भारत में ही बल्कि विश्व में बहुत गंभीर स्थिति पैदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सचमुच में लोग इन से बहुत परेशान हैं और इनके बारे में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी बातचीत हुई है। टोकियो कंवेंशन का जो एक्ट था, उसे भी इस महासदन ने पारित किया है। हमारे प्रधान मंत्री अभी हाल में जब आस्ट्रेलिया गये थे तो वहां पर भी उन्होंने इस आतंकवाद की निन्द्रा की थी और उन्होंने कहा था--

"आतंकवाद समाप्त किया जाना चाहिए। हमें इसे रोकने और खतम करने के उपाय खोजने चाहिए।"

सभापति महोदय, यह न केवल इस देश की समस्या है, बल्कि यह समूचे दुनियां के लिये भी चिन्ता का विषय है। इसलिए किसी को भी इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। हमारे कुछ माननीय सदस्य कह तो देते हैं कि यह बुरा हुआ लेकिन उसी के साथ वे 'लेकिन' शब्द जोड़ देते हैं। हम सभी को ऐसी बातों की निन्दा करनी काहिए। (व्यवधान) में अपने माननीय विरोधी दल के नेता का बहुत आदर करता हूं। सचमुच में उनकी बहुत जिम्मेदारी है। समूचे विश्व

में जितने भी अभी तक 1971 से लेकर वायुयान के अपहरण हुए हैं उनमें लगभग 50 हजार यात्रियों को कष्ट हुआ है और 75 ऐसे केस हैं जिनमें विस्फोट हुए या गोली चलीं। चाहे वह जापानीज रेड आर्मी हो, चाहे रेड ब्रिगेड हो, चाहे प्रोलेतेरियत ब्रिगेड हो, अगर मुझे कहने की अनुमति दें तो चाहें वह इन्दिरा ब्रिगेड हो। सभापति महोदय, मैं श्री जयप्रकाश जी के प्रदर्शन में सम्मिलित था। पांच लाख लोग उस मौन जलूस में भाग ले रहे थे। जलूस बिल्कुल शांत था पर इन्दिरा ब्रिगेड के लोगों द्वारा उस पर गोली चलायी गयी। सचमुच में इस प्रकार का कोई भी ब्रिगेड मानवता के लिए घातक है। मैं नहीं चाहता कि उस बिग्रेड को मैं इंदिरा जी के साथ जोड़ूं लेकिन वह मानवता का शत्रु है। यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। ये विमान अपहरण करने वाले मानवता के शत्रु है, देश के शत्रु हैं।

जब हम इन विमान अपहरणों के बारे में विचार करते हैं और इनके कारण खोजते हैं तो हम पाते हैं कि इनके पीछे एक कारण आर्थिक होता है और दूसरा कारण राजनीतिक होता है। यह जो आतंकवाद है, टैरेरिज्म है, कहा जाता है कि आज यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है।

आतंकवाद फलता-फूलता अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है। अपहरण पश्चिमी योरुप का तेजी से बढ़ता व्यवसाय हो गया है और लखपतियों, उद्योगपतियों, धनियों के जो बहुराष्ट्रीय निगमों में काम करते हैं, बच्चों को छुड़ाने के लिए करोड़ों डालर दिए जा चुके हैं। देश के नौजवान बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं। मैं समझता हूं कि यह बड़ी भद्दी शुरूआत हुई है। कल को कहीं किसी का भी वे अपहरण कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता इस सदन में एक प्रस्ताव लाएं और पालिटिकल ओबरटौंज इस कार्य में बाधा नहीं होने चाहिए और हम सब एक स्वर से इस चीज की निन्दा करें। मुझे खुशी है कि हमारे विरोधी दल के माननीय नेता इस पर अपनी स्वीकृति भी दे रहे हैं।

अराजकता जब आतंक, की खातिर की जाती है तब शुरू में उसके पीछे कुछ नैतिकता होती है लेकिन जो यह तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगतसिंह ने भी तो ऐसा ही किया था तो वे भूल जाते हैं कि भगत सिंह का उद्देश्य क्या था। उन्होंने इसी लैजिस्लेटिव असैम्बली में बम फेंका था। इस वास्ते आप उस उद्देश्य को और इस उद्देश्य को देखें। आतंकवादी जब शुरू करता है तो वह नैतिकता से शुरू करता है। लेकिन आपने देखा ही होगा कि आतंक की ज्वाला में रहने वाले अर्विन को कहां जाना पड़ा था। आतंकवाद को आदर्श के साथ जोड़ कर आप उसको ऊंचा स्थान न दें। अगर आपने ऐसा किया तो मैं कहना चाहता हूं कि न तो आप और न ही हम यहां पर शान्ति से रह सकेंगे।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि 1974 में जो एक्ट पास हुआ था टोक्यो कनवेन्शन का उसके चैप्टर तीन की धारा 3 में यह कहा गया था:

"3(क) भारत में या भारत के बाहर भारत के किसी पंजीकृत विमान के बोर्ड पर होने वाला कोई कृत्य या मूल भारत में लागू किसी नियम के अधीन अपराध होगा और उसे अपराध माना जायेगा।"

मैं चाहता हूं कि सरकार एयरपोर्टस की सुरक्षा को मजबूत करे। वह कैसे होगी इसके वास्ते मैं आप को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी और सर्च प्रोसीजर को इम्प्रूव करना चाहिए। सो फीसदी बैगेज और बाडी चैक होना चाहिए यह मेरा दूसरा सुझाव है। चाहे वी आई पी हो या कोई दूसरा हो हर एक का चैक होना चाहिए। मैंने तस्करों तक को वी आई पी लाएंज में जाते हुए देखा है। इस वास्ते यह बैगेज और बाडी चैक शत प्रतिशत होना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि मैगनैटोमीटर की व्यवस्था होना चाहिए। मैं जानता हूं कि उसमें काफी पैसा लगेगा। लेकिन इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि और जांच हो सके कि कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं ले जा रहा है?

चौथी बात यह है कि जो इंटैलीजेंस है वह टाप क्वालिटी की होनी चाहिए।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : सभा के सभी सदस्य इस का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि एयर इंडिया का महाराजा आकर पर्यटन और नागर विमानन मंत्री के पास कैसे बैठ गया है।

श्री राज नारायण : किसान राज होगा तो उसका मतलब होगा कि किसान खुद राजा होगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मुझे स्पष्टीकरण से खुशी है। उनकी आवाज परिचित है।

श्री राजनारायण : किसान राजा बनेंगे।

डा० रामजी सिंह : मैं रक्षा के दृष्टिकोण से एक और बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, सुरक्षा की दृष्टि से एक और चीज कहना चाहता हूं कि काउन्टर हाई जैकिंस स्ट्रेटिजी होनी चाहिए। और स्ट्रैन्जेंन्ट सीवियर पनिशमेंट होना चाहिए; अगर इस बारे मे कोई कानून नहीं है तो वह बनाना चाहिए। छठी बात यह कि ऐंटी टैरेरिस्ट ग्रुप बनाना होगा। जहां सरकारों ने हाई जैकिंग के आगे सरेन्डर किया है, ऐसी सोफ्ट गवर्नमेंटस हाई जैकिंग की टारगेट्स बनी हैं, इसलिए सरकार को इस बारे में सोफ्ट नहीं होना चाहिए। 50 कमान्डीज यहां से भेजे गए थे, उनका मैं स्वागत करता हूं और जो अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर हाईजकर्स हवाई जहाज से नहीं उतरते तो उनको वह कमान्डीज समाप्त कर सकते थे यह उचित कदम था। इसलिए मैं नेता विरोधी दल से प्रार्थना करता हूं कि सर्वसम्मत से, बिना किसी राजनीतिक दृष्टिकोण के, इस दुर्घटना की निन्दा होनी चाहिए और सरकार से कहना चाहिए कि उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।

श्री श्रीकृष्ण सिंह : (मुंगेर) : सभापति जी, इस विषय पर जितनी चर्चा हो चुकी है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन दो, तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन्दिरा जी की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों में रोष स्वाभाविक है। अगर उनके समर्थकों का उनके दल के लोगों में गुस्सा उठा तो वह भी स्वाभाविक है।

[इस समय डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं]

सभापति महोदय, सत्तारूढ़ दल द्वारा इस रोष के दामन का सवाल ही नहीं उठता, और न हमने ऐसा सोचा है। प्रश्न केवल यह है कि इस गुस्से का उभार कैसे हो, प्रदर्शन कैसे हो। प्रदर्शन शांतिमय जलूस निकाल कर, सत्याग्रह करके किया जा सकता है जिस पर किसी की कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। जनतंत्र में यह खुला रास्ता है,। इन्दिरा जी की गिरफ्तारी (अगर किसी को तकलीफ है तो सत्याग्रह करें, अनशन करें, इसकी पूरी छूट है। सरकार अगर दमन करती है इन कामो में तो वह सरकार जनतंत्र का दमन करती है मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस सरकार ने कोई दमन किया है? नहीं। लेकिन क्या हो रहा है? आज इंदिरा कांग्रेस के लोग दो गुटों में बंट गये हैं। एक छोटा सा गुट है जो कार्यकर्ता हैं वह कहीं अनशन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, लेकिन एक ऐसा दल भी है जो तोड़फोड़ कर रहा है, बसों में आग लगाता है। अभी कर्नाटक में क्या हुआ? तमिलनाडु में क्या हुआ? बस में वहां आग लगायी गई तो जो मजबूत आदमी थे वह तो बस में से भाग निकले, लेकिन औरतें

और बच्चे जल कर मर गये, ऐसा अखबारों में आया है कि 7 आदमी मरे। कहीं पर फिश प्लेट्स हटायी जा रही हैं। ऐसा करने से कौन करेगा ? नागरिक और बेकसूर मरेंगे। विमान को 15 घंटे बंधक बना कर रखा गया जो कि कलकत्ता से आ रहा था। यह सब क्या है? नागरिकों के साथ इस तरह की खिलवाड़ करना और आंतक फैलना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। इन्दिरा जी की गिरफ्तारी पर अगर गुस्सा है तो क्या उसके लिये पैनिक क्रीएट करना चाहिए। कानून को सबवर्ट करना चाहिए? नहीं। आपको खुली छूट है। अगर सरकार प्रदर्शन में, जुलूस में, सत्याग्रह में कोई बाधा डाले तो गलत काम है।

इन्दिराजी को सजा किसने दी? लोक सभा ने दी, जोकि प्रभुसत्ता सम्पन्न संस्था है। इसका आदर करना चाहिए। फिर भी इतनी आजादी हमको रहनी चाहिए कि अगर हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तो हम उसका इजहार कर सकते हैं। लेकिन लोग सभा ने अपनी गरिमा कायम रखी, सारी दुनिया ने जाना कि सबसे बड़े देश हिन्दुस्तान में जनतंत्र की गरिमा को कायम रखा है। एक बड़ा काम होगा। हिन्दुस्तान की निगाह में सब बराबर हैं चाहे भूतपूर्व प्रधान मंत्री हो या साधारण नागरिक। जिसने प्रिविलेज का ब्रीच किया, संसद की अपमानना की है, लोक सभा की मर्यादा को मटियामेंट किया वह उसी का पात्र है। लोक सभा ने एक बड़ा मापदंड कायम किया है, व्यक्ति-व्यक्ति में अन्तर नहीं किया है। कानून में सब बराबर हैं। आज संसद के इस फैसले के बाद संसार में इसका मान बढ़ा है। भारतीय संसद के इस फैसले के खिलाफ क्या वायुयान का अपहरण किया जाये, अपहरण करने वाले लोगों को 300, 400 मालाएं पहनाई जाती हैं और वह कहते हैं कि इंदिरा जी को छोड़ो लोग बसों को फूंकते हैं, औरतों को जला रहे हैं, मास-मीडिया और अखबार के दफ्तरों में घुस जाते हैं और कहते हैं कि तुम पूरी बातें क्यों छापते हो, वहां आग लगाते हैं, दफ्तरों में घुसकर मारपीट करते हैं ढेला फेंकते हैं। तो क्या इस तरह के कार्यों से इस देश में लोकतंत्र की परम्परा कायम रहने वाली है ?

मैं कहूंगा कि यह एक गंभीर बात है। लोकतंत्र में जो इस तरह की हिंसा की प्रवृत्ति का उभार हो रहा है और इसमें मुट्ठी भर आदमी जो पैट्रोल दे रहे हैं, आग में घी डालकर लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं, यह बुरी बात है। इससे तो आप लोकतंत्र को सबवर्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र मिटा तो हिन्दुस्तान समाप्त होगा। राष्ट्र को, लोकतंत्र को मिटाने का काम, बर्बाद करने का काम मत करिए। बी०एस०एफ० के जवान, पुलिस वाले बेचारे कानून को बचाने का काम करते हैं इस तरह की बातों को रोकते हैं, लेकिन संसद में लोग यहां आते हैं तो दरवाजे पर आपके लोग रोकते हैं। कई लोगों ने कल यहां बताया। आपको गुस्सा है इंदिरा जी की गिरफ्तारी पर उनके एक्सपल्शन पर, तो आप पार्लियामेंट के मैम्बरों को रोकते क्यों हैं? आप लोगों की दुकानों को बन्द करवाते हैं जहां आपके राज-पाट हैं, कर्नाटक और आन्ध्र में। आप उनका अधिकार क्यों छीनते हैं। जबर्दस्ती दुकानों को आपने बन्द करवाया, अगर बन्द नहीं की तो आग लगा दी। जहां आपकी हुकूमत नहीं है कुछ लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये नौटंकी करते हैं। वह नौटंकी आपको मुबारक हो, आप करें, लेकिन यूथ कांग्रेस, इन्दिरा ब्रिगेड, संजय ब्रिगेड के नामों से जो व्यूह किया है, स्ट्रैटेजी अपनाई है, एक गुट को कह दिया कि तुम सत्याग्रह करो, दूसरे को कह दिया है कि सैबोटाज करो और यहां कहते हैं कि हम एम०एल०ए० और एम०पी० सत्याग्रह कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं लेकिन दूसरे एम०एल०ए० और यूथ कांग्रेस के लोग फिश-प्लैटें उखाड़ रहे हैं दुकानों को लूट रहे हैं। मारपीट कर रहे हैं, यह डबल टैक्टिक्ट्स कैसे चलेंगी ? अगर जनतंत्र चला गया हिन्दुस्तान से तो देश बर्बाद हो जायेगा। जमतंत्र को बचाने का काम करिए। सभापति महोदय, आपने मौका दिया, आप चाहते हैं कि हम समाप्त करें तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया (नन्दयाल) : मादाम सभापति महोदया मैं सभी सदस्यों के भाषण सुनता रहा हूं। हम स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। प्रत्येक कांग्रेसी के शरीर

में अहिंसा और शांतिपूर्ण सत्याग्रह का रक्त प्रवाहित है। गत कुछ दिनों में हुई घटनाओं का विवरण मैं देना चाहता हूं। मैं 'पैट्रियाट' में से उदधृत करता हूं जो निष्पक्ष पत्र हैं:

"विरोधी पक्ष उस समय केवल विरोध प्रदर्शित कर सकता है जब उसे विश्वास हो कि कि कार्यवाही अन्यायपूर्ण और स्वैच्छिक है। अल्पसंख्यक तो अपनी बात कह सकते हैं और बहुमत अपनी बात मनवा सकता है। लेकिन भारतीय प्रयोग से सिद्ध हो गया है कि सरकार सुचारु प्रशासन के लिए विधायी बहुमत पर ही निर्भर नहीं कर सकती चाहे बहुमत कितना ही प्रचण्ड क्यों न हो।"

कई बार प्रधान मंत्री इस सभा में कह चुके हैं कि वातावरण में हिंसा व्याप्त है। मैं उनसे पूछता हूं कि उस के लिए कौन उत्तरदायी है। क्या हमारे दल की जिम्मेदारी है। दो बच्चों को सबके सामने हत्या कर दी गई और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने दूसरी सभा में कहा कि लोगों को पुलिस से ही मिलता है जो उन्हें मिलना चाहिए। इस हिंसा के क्या कारण हैं? आप को स्थिति में सुधार के लिए उपाय करने चाहिए। समाज विरोधी तत्वों को इसीलिए प्रोत्साहन मिला है कि सरकार में उनका विश्वास नहीं रहा है।

"दि हिन्दू" नामक एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के सम्पादकीय से मैं एक उद्धरण देना चाहूंगा:—

"ऐसा लगता है कि जनता पार्टी का आन्तरिक संकट तब तक चलता ही रहेगा जब तक कि जनता पार्टी में राजनीतिक तथा संगठनात्मक आयोग्यता के भार से इसमें विभिन्न विचारों वाले लोग विभक्त नहीं हो जाते। चाहे कोई भी मापदण्ड अपनाए गए हों, यह स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई तथा श्री चरण सिंह के नीचे कार्य कर रही शक्तियों के बीच जो अंतर है उसका राष्ट्रीय स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा।"

महोदया, यह उद्धरण केवल इसलिए दिया गया है कि सरकार देश पर शासन चलाने में असफल रही है। वह देश में भी सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल नहीं कर पाई हैं। मैं यह भी बता दूं कि गत कई महीनों से सरकार शक्तिशाली प्रचार माध्यम से चरित्र हनन करने पर लगी हुई है तथा हर प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं और देश में जो कुछ बुरी बातें हो रही हैं उसके लिए हमारे पर दोषारोपण कर यहे हैं। इससे देश में अनिश्चतता का वातावरण पैदा ही गया है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि जनता पार्टी का केवल एक कार्यक्रम है और कार्यक्रम हमारी नेता का चरित्र हनन तथा हमारे दल को बदनाम करने का है।

हाल की घटनाएं इन सब बातों की पराकाष्टा रही हैं।

महोदया, मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस तरह से केवल इस कारण से मारा गया कि वे हमारे दल के थे। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। चित्रकूट के कांग्रेस अध्यक्ष, श्री गणेश प्रसाद पाठक को गोली से मार दिया गया। हाल ही में गाजियाबाद के श्री प्यारेलाल का कत्ल किया गया। मैं सभा को एक और दर्दनाक बात बताता हूं। लोगों को इस कारण गोली से मार दिया गया क्योंकि वे श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व का अनुसरण कर रहे थे। कत्ल करने के बड़े जघन्य मामले हुए हैं। मेरठ के एक छात्र का मामला भी था। उसको गोली से उड़ा दिया गया। अलीगढ़ में एक और मुसलमान लड़के को गोली से मारा गया। उसने क्या किया था? उसका दोष केवल इतना था कि वह श्रीमती इंदिरा गांधी का समर्थक था। प्रताप सिंह नामक एक हरिजन की भी हत्या की गई और उसके चेहरे को विकृत कर दिया गया। बंगाल में कई लोगों की हत्या की गई। मैं ये सारी बातें केवल यह दिखाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि देश में हिंसा बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंसा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसा कि

हमारे मित्र हमें कह रहे हैं कि हिंसा और लोकतंत्र साथ-साथ नहीं चल सकते। हम प्रत्येक राजनीतिक दल पर यह प्रभाव डाल रहे हैं कि एक राष्ट्रीय मतैक्य होना चाहिए और देश में एक कानूनी शासन होना चाहिए।

एक जीवित गांधी वादी के रूप में कल मोरारजी भाई सभा में कह रहे थे कि गोआ के मामले में कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्यों ने मेरा विरोध-किया और उनका समर्थन सिर्फ स्व० श्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्या मैं प्रधान मंत्री से पूछ सकता हूं कि जब उनके दल के लोग श्रीमती गांधी के खून के प्यासे थे और जब वे श्रीमती गांधी को लोक सभा से निष्काकित करना चाहते थे तो वे अपनी बात पर कायम क्यों नहीं रहे? क्योंकि यह मामला किस्सा कुर्सी का था इसलिए प्रधान मंत्री जो पहले अपनी बात पर कायम थे, बाद में अपने दल के उग्रवादी तत्वों के आगे झुक गए। इसीलिए यह धारणा बनी है कि जनता पार्टी अपने बहुमत के कारण बदला लेना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को इस तरह का दंड देने की मांग की जिसकी सभी लोगों ने यहां तक कि विदेशी समाचार पत्रों ने भी आलोचना की।

जिन युवकों ने विमान अपहरण की जो जल्दबाजी में कार्यवाही की है, मैं उसकी भी आलोचना करता हूं। सभी लोग इसकी निन्दा कर रहे हैं। ऐसी बातें इस देश में कभी नहीं होनी चाहिए। मुझे आशा है कि लोगों में अच्छी बुद्धि आएगी और हम लोग इस देश में स्वस्थ्य संसदीय लोकतंत्र के संवर्धन के लिए मिल कर कार्य करेंगे।

श्री पी० बी० मण्डल (मधेपुरा) : आज से दो एक दिन पहले जो प्लेन का हाईजैकिंग हुआ है सब से पहले मैं उसी पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि सेक्योरिटी चेक जब हर एक एयर पोर्ट पर रहता है तो फिर एक पिस्टल लिए हुए चाहे वह टाय पिस्टल ही हो, लेकिन मेटल का तो होगा। उसको लिए हुए उन दोनों पांडेय को कैसे एलाऊ किया उसमें जाने के लिए? सेक्योरिटी स्टाफ जो लखनऊ में होगा उसकी डेरीलिक्शन आफ ड्यूटी जरूर उसमें होगी। एक बार पब्लिक एकाउन्टस कमेटी की मीटिंग के बाद हम लोग बम्बई से आ रहे थे, मैं था और हलीमुद्दीन साहब थे, सिक्योंरिटी चेक वालों ने हम लोगों की जेबें भी देखीं और बक्से भी खुलवाये, सभी कुछ किया। जब प्लेन पर एक दूसरे माननीय सदस्य चढ़े तो उनसे हमने कहा कि इस तरह से हमारी सिक्योंरिटी चेकिंग की गई तो यह बताया गया कि मिनिस्टर साहब की चिट्ठी आई है कि एम पीज की थारो चैकिंग होनी चाहिए। वहां ज्योतिर्मय बसु साहब थे, उन्होंने कहा मेरी चेकिंग नहीं की गई। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से चैकिंग की जाती है कि जिसको मन हुआ छोड़ दिया और जिसकी चाही चैकिंग कर ली। यह मुझे बड़े आश्चर्य की बात मालूम होती है। इसी तरह से लखनऊ एयरपोर्ट की बात है। आज से एक डेढ़ महीना पहले फ्लाइट नं० 409 से मैं पटना जा रहा था। वहां पर जब हमारा प्लेन रुका तो ट्रांजिट पास लेकर हम बाहर गये, बाथ रूम जाने की जरूरत महसूस हुई तो हम वहां गए और किसी ने चैक नहीं किया। जब हवाई जहाज चल रहा था तो किसी ने बोल दिया कि ये जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी चैकिंग पास नहीं हुई है। तो वे फिर से इंसिस्ट करने लगे कि आप उतरिये और जेबें दिखाइए यह कहने के बावजूद कि हम एम०पी० हैं। हमने कहा कि देखना हो तो यहीं देख लो, हम उतरेंगे नहीं। तो इस तरह का सुलूक पार्लियामैन्ट के मेम्बरों के साथ किया जाता है। इसके बाद भी वे लोग लखनऊ एयरपोर्ट में किस प्रकार से निकल कर चले गए---यह एक आश्चर्य की बात है।

मैं कहूंगा जहां तक चैकिंग का सवाल है, आप क्लियरली एयरपोर्ट पर लिख दीजिए और हरएक की चैकिंग कीजिए। आप मंत्रियों से भी कहिए, वे भी अपनी चैकिंग करवायें एक लाइन में खड़े होकर ये मंत्री लोग हमारी चैकिंग करवाते हैं लेकिन अपनी चैकिंग नहीं करवाते। इसलिए वहां पर क्लियर लिखा होना चाहिए और चैकिंग में कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, मंत्रियों की चैकिंग भी हमारे

साथ लाइन में होनी चाहिए, चाहे कोई भी मंत्री हो, उसकी चैकिंग होनी चाहिए। अगर एक आदमी को भी आप छोड़ देते हैं तो वह डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होगा। उससे सिक्योरिटी वालों को मौका मिल जाता है, जिस किसी को चाहें छोड़ दें।

मैं यह जानना चाहूंगा कि इस मामले में सिक्योरिटी का कौन इन्चार्ज था? यह सिक्योरिटी एविशन मिनिस्ट्री की तरह से होती है। होम मिनिस्ट्री वाले कराते हैं या उसके लिए स्टेट गवर्नमैन्ट के पुलिस अफसर रहते हैं। इस बात की जांच होनी चाहिए कि कैसे ये दोनों आदमी प्लेन में चले गये? साथ ही मेरा सजैशन है कि चाहे मंत्री हो, एम०पी० हो या कोई भी हो, किसी को भी चैकिंग में नहीं छोड़ना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि अभी यहां पर माननीय सदस्या श्रीमती मोहसिना किदवई जब बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि गलत तरीके से उनके कांग्रेस (आई) के आफिस की सर्च हुई और न जाने क्या क्या हुआ? लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि दोनों पांडेय जो पकड़े गये, उन्होंने कहा कि, यह अखबारों में भी निकला है, हमारा संवाद श्रीमती किदवई साहिबा तक पहुंचा दीजिए। आखिर उनका क्या मतलब था और उन्होंने इनका नाम क्यों लिया? (व्यवधान)

तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव को मैं धन्यवाद देता हूं कि वे वहां पर गये, और पांडेय जी के रिलेशन्स को भी लेकर गये, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि उन लोगों को मुख्य मंत्री जी ने ऐसी रिस्पोंस क्यों दी, स्टेट गवर्नमेंट के प्लेन पर उनको चढ़ाकर लाने की क्यों आवश्यकता हो गई। ऐसे बड़े क्रिमिनल को स्पेशल ट्रीटमेंट उनके द्वारा क्यों दिया गया? जब उन्होंने कह कि हमारे प्लेन की यू०पी० गवर्नमेंट के प्लेन के पैरलल खड़ा करो, तो खड़ा कर दिया गया। और उसके बाद उन का बहुत स्वागत कर के अपने प्लेन में बैठा कर ले गये---यह गलत बात है।

जहां तक अराजकता का सवाल है---काफी बढ़ी है, इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। पिछले दिनों समस्तीपुर के चुनाव के समय 'मोहिदीं नगर' असेम्बली कान्स्टीचुएन्सी के बूथ पर, जहां 2200 वोटर्स थे, 1900 वोट गिर चुके थे, उस वक्त एक लड़का जिस का नाम सुभाष यादव था, चार बजे के पहले अपना वोट डालने के लिए लाइन में खड़ा था। वहां जो सरकारी अफसर थे---उनको बहुत नागवार लग रहा था कि सभी वोट जनता पार्टी के कैण्डीडेट को गिर रहे हैं, उन्होंने कहा---इस तरह से वोट गिराने नहीं देंगे, इस पर थोड़ा बकवास हुआ, और मैजिस्ट्रेट साहब के कहने पर सिपाही ने उस लड़के को गोली मार दी, अस्पताल में जाकर वह लड़का मर गया, उसके खिलाफ अभी तक बिहार सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैंने बिहार के पेपर्ज में बयान भी दिया कि उस लड़के के पेरेन्टस को कम्पेन्शेसन्स मिलना चाहिए और उस अफसर को जिस ने गलत तरीके से उस लड़के को, जिसकी उम्र 15 या 16 वर्ष थी, सिपाही के द्वारा मरवा दिया, उस के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, मगर मुझे मालूम नहीं क्या स्टेप लिये गये। इसलिए जहां तक गवर्नमेंट की मशीनरी की बात है---वायलेंस के नाम अनरीजनेबिल शूटिंग के खिलाफ गवर्नमेंट को सख्ती से काम लेना चाहिए और जहां तक इलैक्शन का सवाल है---यह स्टेट गवर्नमेंट का सवाल नहीं होता है, इलैक्शन सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कराये जयते हैं, इसलिए इसमें केन्द्रीय सरकार की जबाबदेही होती है, इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस बात की जांच करायें कि क्यों एक सिपाही ने उस की जान ली, क्यों उस को मारा गया, जब कि वहां पर कांग्रेस (आई) का कोई एजेन्ट तक मौजूद नहीं था, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब अपना-अपना वोट शांति से डाल रहे थे, उस लड़के को क्यों सिपाही ने मैजिस्ट्रेट के कहने से मारा? बिहार सरकार की तरफ से इस मामले में क्या स्टेप्स लिये गये, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप्स लिये गये---इस बात को तुरन्त देखना चाहिए।

अन्त में मैं, यही कहना चाहता हूं--लखनऊ में एयर पोर्ट पर जो आप का सिक्योरिटी स्टाफ था, उन से आप जरूर सख्ती करें। किस की ड्यूटी थी, कैसे वे लड़के बिना सिक्योरिटी चैक के चले गये? एक बात फिर कहना चाहता हूं--सिक्योरिटी चैक अप के मामले में किसी तरह का डिस्क्रीमिनेशन नहीं होना चाहिए। मिनिस्टरों के साथ आगे-पीछे कितने आदमी निकल जाते हैं, उस दिन भी कई वी०आई०पी० वहां थे, हो सकता है कि उन्हीं के साथ निकल गये हों और सिक्योरिटी चैक ठीक से नहीं हुआ हो। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि किसी भी किस्म का डिस्क्रीमिनेशन नहीं होना चाहिए--चाहे सेन्ट्रल मिनिस्टर हो, पार्लियामेंट के मेम्बर हों या राज्यों के मिनिस्टर हों, सब की जांच लाइन में खड़े हो कर होनी चाहिए--यही मुझे निवेदन करना है।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : लखनऊ से दिल्ली आ रहे विमान का दो नवयुवकों द्वारा अपहरण कर बनारस ले जाना बहुत ही गम्भीर घटना है। सौभाग्य की बात है कि यह घातक घटना नहीं हुई। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह घातक घटना नहीं होती। यदि विमान चालकों के हौसले पस्त हो जाते तो अवश्य ही यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती थी। इसकी गम्भीरता पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

बहुत से देशों ने इस अपराध के लिए विशेष और यहाँ तक कि फांसी की सजा देने के कानून पास कर लिए हैं। हमें भी इसके लिए कोई कानून पास करना होगा। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ है कि एक जिम्मेदार सदस्य ने इस घटना को मजाक मात्र कहा है। इस घटना को मजाक मानना इसके पक्ष में दलील पेश करना है। ऐसी बातों का पक्ष नहीं लेना चाहिए चाहे वह खिलौना पिस्तौल थी या गेंद को ही बम के रुप में बताया गया था। विमान चालक ने यह कैसे मान लिया कि वह खिलौना पिस्तौल थी ? वह जोखिम नहीं उठाना चाहते थे।

समूचे देश भर में बहुत भयादक हिंसा हो रही हैं। एक बस में अनेक व्यक्तियों को जला दिया गया। बंगलौर में अध्यक्ष के पुत्र की कार तोड़ दी गई। विशेषाधिकार समिति के सभापति के घर पर आक्रमण किया गया और दो बम भी फेंके गये ! ग्वालियर में एक अन्य सदस्य श्री शेजवालकर के घर पर भी रात में आक्रमण किया गया जबकि उनकी पत्नी और उनकी एकलडकी वहाँ अकेली थी। दिल्ली में भी हिंसा फैलाने का प्रयास किया गया है। जनता पार्टी के कार्यालय को जलाने का प्रयास किया गया।

यदि तर्क मान भी लिया जाये कि इस सदन को श्रीमती गान्धी को बहुत भारी सजा दी है तो लेकिन क्या ऐसी कार्यवाहियों या गतिविधियों को उचित ठहराने की कल्पना की जा सकती है ? क्या हम हिंसा की राजनीति में जा रहे हैं ? इस सदन के सभी सदस्य और सभी दल प्रजातन्त्र को मानते हैं और स्वीकार करते हैं और यदि इस लोकतन्त्र को कायम रखना है तो हिंसा को बिल्कुल समाप्त करना होगा। मैं विपक्ष के अपने मित्रों से इस सदन में शान्तिपूर्ण वातावरण बनाने की अपील करता आ रहा हूं। जब तक हम कठोर भाषा का प्रयोग करना बन्द नहीं करते मैं नहीं समझता कि हिंसक कार्यवाही बन्द हो सकती हैं। नि:सन्देह सरकार को अपने कर्तव्य का पालन करना है ! आवश्यकता पड़ने पर कुछ मामलों में कठोरता भी बरतनी पड़ सकती है। हम कहीं पर हिंसा को नहीं पनपने देंगे। इसका किसी भी स्थिति में कोई औचित्य नहीं है। यदि किसी व्यक्ति पर हमला किया जाता है तो दण्ड संहता के अन्तर्गत वह अपने बचाव में हिंसा का प्रयोग कर सकता है। मैं इसको समाप्त नहीं करता हूं। लेकिन यह ऐसी हिंसा नहीं है। यहाँ तो बेकसूर लोगों पर हमला किया जा रहा है। अत: इसका कोई औचित्य नहीं है। क्या इससे अप्रत्यक्ष रुप में हिंसा के ऐसे कृत्यों का औचित्य सिद्ध नहीं होता? यही प्रश्न विचारणीय है। में अपने सभी मित्रों से यही कहता हूं हमें ध्यान रखना चाहिये कि हिंसा का यह वातावरण समाप्त हो। 1975 में हम पर आरोप लगाया गया कि हम हिंसा के लिये जिम्मेदार थे, जबकि कोई हिंसा नहीं हुई।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : सचमुच ?

श्री मोरारजी देसाई : जी हां! मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 25 जून, 1975 की शाम को जब हम यहाँ मिले थे, उस समय हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई। वे बतायें की आपातकालीन स्थिति के 2 वर्षों के दौरान क्या ऐसी कोई घटना हुई थी? यह नहीं कहा जा सकता कि हिंसा की कोई घटना हुई। हम तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखते। यदि किसी समय किसी व्यक्ति ने ऐसा किया भी तो हमने उसकी निन्दा की है।

श्री जनार्दन पुजारी : आपातकालीन स्थिति के दौरान आपकी पार्टी के लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या की थी?

श्री मोरारजी देसाई : इस प्रकार के लोग इस प्रकार की बातों के लिये जिम्मेदार हैं। देश के लिये विशेषकर देश के राजनैतिक जीवन के लिये यह एक गम्भीर मामला है। गैर जिम्मेवारी की कोई सीमा होती है। यदि हम ऐसे काम करते रहे तो हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा।

एक सदस्य ने कहाँ कि हम काँग्रेस (ई) पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ऐसा कोई विचार नहीं है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अपने आप से सच्चे नहीं होंगे। परन्तु इस प्रकार इस बात की हिमायत की जा रही है।

मैंने आज सुबह विपक्ष के नेता को फोन किया और उनसे पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह इसे ठीक नहीं समझते, यह सब गलत है। फिर मैंने कहा : "आपको इसकी समुचित रुप से भर्त्सना करनी चाहिये" पर वह भर्त्सना नहीं की गई।

फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को घसीटा जा रहा है। मैं नहीं समझता कि यह सब क्या हो रहा है। क्या समस्या को हल करने का यही तरीका है। हमें इस पर विचार करना होगा और हमे हिंसा की राजनीति को समाप्त करना होगा। सरकार को अपना कर्तव्य निभाना होगा। यदि मुझे सहयोग नहीं मिला तो मैं शिकायत नहीं करुगाँ। हम यथाशक्ति इसका मुकाबला करेंगें। लेकिन वह गलत काम नहीं करेंगे। हम अनुचित काम नहीं करेंगें।

श्री वसन्त साठे : आपने दिल्ली को आज सीमा सूरक्षा दल के सूपुर्द कर दिया।

श्री मोरारजी आर० देसाई : मुझे अपने माननीय मित्रों के कारण यह करना पड़ा।

श्री वसन्त साठे : चौधरी चरण सिंह के कारण।

श्री मोरारजी देसाई : नहीं बिल्कुल नहीं। वे कह रहे थे कि हम उनमें घुस जायेंगे और बहुत सी बातें करेंगे। इसलिये हमें एहतियात बरतनी पड़ी। मुझे अपने मित्रों की रैली की चिन्ता नहीं थी। लेकिन उस रैली में भी कुछ लोग गड़बड़ी कर सकते थे। इसलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ी। यदि कानून को तोड़ने के लिये ट्रकों और ट्रैक्टरों का प्रयोग किया गया तो हमें उसकी भी रोकथाम करनी होगी, उनसे लाइसेंस रद्द करने होंगे। हमें सभी लोगों के हित में इस समस्या पर विचार करना होगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हम राजनीतिक जीवन से हिंसा को दूर रखने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे। उसके लिये हमें तरीके ढूंढ निकालने होंगे और हमें स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। मुझे यही कहना है।

समुचित कार्यवाही की जायेगी। यदि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की जाँच की जरूरत हुई तो वह भी की जायेगी। यह दो गैर-जिम्मेदार लड़कों का ही काम नहीं हो सकता। निस्संदेह इसके पीछे कुछ और लोग भी होंगे। लेकिन बिना छानबीन किये में किसी को दोष नहीं दूंगा। वास्तव में, इन दोनों नौजवानों

को वाराणसी में ही गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिये था और उन्हें लखनऊ नहीं भेजा जाना चाहिये था। लेकिन लगता है कि मुख्य मंत्री ने उनसे कहा कि हम तुम्हें भेजेंगे।" और इस तरह वे बाहर आ गये। उनका ख्याल था कि उन्हें अपने बचन का पालन करना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये था। यह नर्मी है। ऐसे मामलों में नर्मी से काम नहीं चलेगा। लखनऊ हवाई अड्डे पर उन्हें संवाददाताओं से भी मिलने दिया गया। लेकिन यह अच्छा ही हुआ क्योंकि इस तरह उन्होंने अपने आप को प्रकट कर दिया। इस प्रकार हमें कुछ लाभप्रद जानकारी मिल गई। उन्होंने हमसे कुछ स्थानों पर फोन करने के लिये कहा। लेकिन किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचने से पहले सभी बातों की जाँच करनी होगी। यह सही नहीं होगा कि मैं इसके अर्थ निकाल कर किसी को दोषी ठहराऊं क्योंकि यह एक गम्भीर मामला है। अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन हमें इस मामले को गम्भीरता से लेना होगा। बार बार यह कहा जाता रहा है कि रेडियो और दूरदर्शन पर श्रीमती गाँधी के विरूद्ध अभियान जारी है। में उदाहरण चाहता हूं। अन्य लोगों की अपेक्षा श्रीमती गाँधी का अधिक प्रचार किया जाता है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। रिकार्ड देखा जा सकता है। जो कोई रिकार्ड देखना चाहे उसे मैं रिकार्ड दिखा सकता हूं।

श्री वसन्त साठे : यह नकारात्मक है। हम ऐसा प्रचार नहीं चाहते। ईश्वर के लिए इसे रोक दीजए।

श्री मोरारजी देसाई : ठीक है, आप कहें तो नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा। हम नहीं करेंगे। लेकिन यह कहना सही नहीं कि हम बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं। क्या हम बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं? क्या जनता पार्टी और उसके नेताओं को बदनाम करने का एकपक्षीय तरीका नहीं अपनाया जा रहा? दिए गए वक्तव्य में भी यह कहा गया है कि हम इस सदन को राज-दरबार में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इसमें संदेह नहीं कि यह विशेषाधिकार का मामला है। इस पर भी चर्चा की जाएगी।

श्री सी० एम० स्टीफन : आपका बहुमत है।

श्री मोरारजी देसाई : लेकिन ये मामले काफी गंभीर है लेकिन यदि माननीय सदस्य इस ढंग से सोचते हैं तो मुझे कोई आशा नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन : हम हर एक चीज को सही नहीं कह सकते।

श्री मोरारजी देसाई : लेकिन हमें अपना कर्त्तव्य करना होगा और मैं यह कह सकता हूं कि हम अपनी क्षमता के अनुसार अपना कर्त्तव्य निभाने में कमी नहीं चूकेंगे।

श्री सी० एम० स्टीफन : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में बिना पक्षपात एवं मजाक के, राष्ट्रीय राजनीति की प्रवृत्ति को देखते हुए ईमानदारी एवं गंभीरता से कुछ बातें कहना चाहता हूं।

सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि दो या तीन दिन पूर्व सुबह सूबह प्रधानमंत्री ने मुझे टेलीफोन किया और बताया कि सब ओर से हिंसा की खबरे आ रही है और एक विमान का अपहरण किया गया है। उन्होंने मुझसे इस बारे में प्रतिक्रिया पूछी। मैंने उत्तर दिया कि इसकी निन्दा की जानी चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से इसकी निन्दा करूं। मैंने कहा कि मैं अवश्य करूंगा। उसी दिन हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें हमने कहा :

> "आन्दोलन पूरी तरह शाँतिपूर्ण एवं अहिंसापूर्वक होना चाहिए। भावनाओं के भड़कने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह बहुत जरूरी है। कार्यकारिणी हिंसा की निन्दा करती है यदि वह कहीं भी हो और अपील करती है कि सभी मिलकर हिंसा को रोके चाहे वह किसी भी किस्म की हो।"

जहाँ तक विमान अपहरण का सम्बन्ध है, हमने इस घटना की साफ शब्दों में निन्दा की। मैं सदन का ध्यान एक दुर्भाग्यपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं। हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम हिंसा को सहन कर रहे हैं। लेकिन हमने कार्यकारिणी में इस घटना की निन्दा की और एक संकल्प पास किया जिसमें हिंसा को रोकने एवं उसकी निन्दा करने की बात कहीं गई थी। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान राष्ट्रीय पत्रों की नीति की ओर दिलाना चाहता हूं जिन्होंने इस संकल्प की खबर छापी। सभी बड़े बड़े पत्रों में यह शीर्षक प्रकाशित हुआ--'कांग्रेस (आई) द्वारा सत्याग्रह की अपील' 'कांग्रेस (आई) द्वारा आन्दोलन जारी रखने की अपील'। सभी पत्रों ने संकल्पों का वह अंश नहीं प्रकाशित किया जिसमें हिंसा की निन्दा की गई थी। इसका क्या अर्थ है? यदि हमें कोई गलत ढंग से पेश करना चाहता है तो वह कर सकता है। यदि आप हमें पागल कुत्ते समझकर हम पर पत्थर मारना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे दल ने स्पष्ट शब्दों में हिंसा की निन्दा की हो और सबसे हिंसा को रोकने की अपील की हो तब क्या समाचार पत्रों का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह हिंसा की निन्दा करने वाले संकल्प के अंश का प्रचार करे ताकि जिसे गलतफहमी हो वह भी समाप्त हो सके? लेकिन जब भी कोई बात हो जाती है तो कांग्रेस (आई) का नाम लिया जाता है। कुछ दिन पूर्व श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने ब्यान दिया था कि चोपड़ा बच्चों की हत्या के बारे में प्रैस को बताया गया कि इसके लिए कांग्रेस (आई) का सदस्य जिम्मेदार है। इसके बाद यह सिद्ध हुआ कि इसमें कांग्रेस (आई) का हाथ नहीं था। इसके बाद अध्यक्ष को किसी ने लिखा और यह घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र है। कांग्रेस (आई) ने इसका खंडन किया। बाद में यह सिद्ध हुआ कि यह बेनाम पत्र था। जब भी किसी राजनीतिक दल पर आरोप लगाया जाए तो पूरी जिम्मेदारी के साथ लगाया जाए चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल हो। हम सबके अनुयायी है, चाहे वे बहुमत में हों या अल्पमत में। यदि पूरे देश में यह धारणा पनपने दी जाती है कि अमुक राजनीतिक दल की राजनीतिक नीति या दर्शन इस प्रकार का है तो उस दल के अनुयायी गुमराह हो सकते हैं। यदि हिंसा को दबाना हमारा उद्देश्य है तो हमें जिम्मेदारी से काम करना होगा। राजनीतिक हिंसा के बारे में दो प्रकार के विचार हैं। जैसा कि सर्व विदित है, एक ऐसा भी पक्ष है जो राजनीतिक हिंसा को उचित समझता है। उदाहरण के तौर पर, दक्षिण अमरीकी चीं गावेरा आन्दोलन, गुरिल्ला आन्दोलन, घेटो आन्दोलन, मार्क्सवादी और नक्सलवादी आन्दोलन इस सिद्धांत पर राजनीतिक हिंसा को उचित ठहराते हैं कि स्वयं सरकार की हिंसा पर आधारित है और इसलिए सरकार का मुकाबला हिंसा के साथ ही किया जायगा। दूसरी ओर गाँधीवादी दर्शन है जो कि भारतीय दर्शन है जो राजनीतिक हिंसा को राजनीतिक साधन नहीं मानता। चाहे मोरार जी हो या हम हो, सभी यह मानते हैं कि अहिंसा ही साधन है। हम राजनीतिक हिंसा को उचित नहीं ठहरा सकते। लेकिन दूसरी ओर हमें बीते समय को नहीं भूलना चाहिए। जब भी आन्दोलन शुरु होता है, हिंसा भड़क उठती है। गाँधी जी के समय में भी ऐसा हुआ और उसके बाद भी भारत छोड़ो आन्दोलन में भी ऐसा हुआ। श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा आन्दोलन शुरु करने की ललकार के समय में भी ऐसा हुआ। गुजरात में भी ऐसा हुआ। मैं यह नहीं कह रहा कि जान बूझकर हिंसा शुरु की गई। हिंसा से हिंसा की शुरुआत हुई।

मेरे पास न्यायमूर्ति मैथ्यू आयोग का प्रतिवेदन है। इससे समस्या उठ खड़ी हुई है। प्रतिवेदन में कहा गया है :--

> "चाहे जो भी हो, यह कहने से कोई लाभ नहीं कि बिहार में हिंसा ने प्रजातांत्रिक ढांचे को खतरा पैदा कर दिया। हिंसा सभी स्तरों पर थी--वैयक्तिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर तथा राजनीतिक स्तर पर। जिम्मेदारी के प्रश्न को उस समय हल करने में काफी कठिनाई होती है जब कोई नेता अपने अनुयायियों को अहिंसक रहने के लिए कहता है परन्तु उसके भाषण को सुनने वाले हिंसा शुरु कर देते है।"

"हमारी यह राष्ट्रीय आदत बन गई है कि जब भी सरकार या उसकी नीति के प्रति हमारी वास्तविक या कल्पित शिकायत होती है तो हम सार्वजनिक भवनों, रेलवे या सरकारी परिवहन बसों जैसी राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट करना शुरू कर देते हैं।"

पूरी स्थिति का जायजा लेने के बाद मेरे विचार से राय अलग अलग नहीं होनी चाहिए मेरे माननीय साथी श्री अवेरी ने इसका कारण बताया है। नई पीढ़ी ऐसे वातावरण में बनाई गई है जहां हिंसा को बर्दाश्त किया जाया है। यदि प्रजातंत्र को सफल बनाना है तो संसद को सर्वोच्च मानना ही होगा। असहमति का अधिकार सबको है। जनता पार्टी ने स्वयं अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि सबको असहमति का अधिकार है। इसके बिना प्रजातंत्र नहीं चल सकता। यदि असहमति का अधिकार हमारे पास हो तो आन्दोलन के लिए ललकारना, प्रदर्शन करना, जन सभाएं करना सब वैध हैं। जब भी ऐसी ललकार दी जाती है तो हिंसा भड़क उठती है। तब प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि असहमति प्रकट करना असम्भव हो जाता है क्योंकि हिंसा शुरू होने से प्रजातंत्र का चलना जोखिमपूर्ण हो जाता है। यह समस्या ही हमें जकड़ लेती है। इस समस्या का हल क्या है? समस्या का हल एक दूसरे के दोष निकालने से नहीं होगा। किसी को बुरा भला कहने से समस्या का हल नहीं हो सकता।

जहां तक विमान अपहरण का सम्बन्ध है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया, मामले की जांच हो रही है। हालांकि इसके बारे में काफी टिप्पनी हो चुकी है, फिर भी हमें इसके बारे में और टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

यह बात हम सब जानते हैं कि जब भी राजनीतिक आन्दोलन होता है तो आन्दोलन शुरू हो जाता है। हम इसको उचित ठहराते है और इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं हालांकि हम इसकी निन्दा भी करते हैं। लेकिन जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, इसको किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह हमारे कार्यक्रम या नीति का अंग नहीं है। जिसने भी ऐसा किया है वह न तो सहानुभूति का पात्र है न संरक्षण का। यह बिल्कुल गलत है। हमारा इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी जानी चाहिए। इस मामले में निष्पक्ष रूप से जांच कराई जानी चाहिए। इस देश में पहली बार युवकों को यह रास्ता बतलाया जा रहा है। यह खतरनाक है। इसे यहीं दबा दिया जाना चाहिए और इसको दबाने के लिए कोई भी कीमत हमें चुकानी पड़े, कम है। मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

मेरी आप से मात्र यही अपील है कि मैं यह सब अपनी व्यक्तिगत राय के रूप में कह रहा हूं। हमें यह मानना चाहिए जो लोग और, जो दल यहां आए हैं उनकी कुछ साख, अवश्य है। इसी साख के आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस बात का इन्तजार करना चाहिए कि उनकी साख नहीं है तथा इसलिए एक अलग ही राय बनानी चाहिए।

उदाहरणतः कल कहा गया था कि मायापति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया। तुरन्त बाद ही यह समाचार दिया गया कि इस सबके पीछे उनका हाथ था। उसके बाद क्या हुआ? यह पता चला कि गिरफ्तारी अपहरण से पहले की गई। इसलिए हमें तुरन्त किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए।

मेरा कहना है कि यह समस्या समूचे राष्ट्र की है। हमारे मतभेद है, पर उस लोकतंत्र जिसकी हम शपथ लेते हैं, जिसको पनपना चाहिए, जिसके अन्तर्गत देश को आगे बढ़ना है, हिंसा के कारण नष्ट हो जाएगा, यदि हमने हिंसा की इस समस्या को हल नहीं किया।

श्री समर गुह के मकान पर बम फेंकने, के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि वे संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। मैं स्वयं भी दो समिति का अध्यक्ष रहा हूं। समिति जो भी करती है उस सबके लिए

अध्यक्ष जिम्मेदार नहीं हो सकता। श्री समर गुह से मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूं जिस रूप में उन्होंने समिति की कार्यवाही को चलाया, उसके विरोध में मुझे कुछ नहीं कहना है। बम के विरोध में प्रकट किए गए उनके विचारों से मैं सहमत हूं। आशा है समूचा सदन उनकी भावनाओं से सहमत है, क्योंकि उन्होंने अपने संसदीय कर्त्तव्यों का पालन किया। हमें उनका समर्थन करना ही चाहिए। हमारी सद्भावनाएं उनके साथ हैं।

पिछली सभी घटनाओं को देखते हुए यदि यह सदन किसी एक आम राय पर इस चर्चा को समाप्त कर सकता है तो वह सदन का यह विश्वास है कि लोकतंत्र को हिंसा नहीं अहिंसा का आचरण करते हुए चलाया जाए। इस राय से सभी लोग व्यक्तिगत रूप से और सभी दल फिर चाहे उनका कोई भी राजनीतिक दर्शन हो, सहमत हैं। हम मानते हैं कि असहमति होनी चाहिए, विरोध को हमें स्वीकार करना चाहिए और प्रदर्शन का अधिकार रहना चाहिए। परन्तु इस संसद के दल हिंसा को सहारा नहीं दे सकते।

इसलिए इस काण्ड की निन्दा बड़े कड़े शब्दों और बड़ी गम्भीरता से करता हूं, उतनी ही गंभीरता से जितनी गम्भीरता से प्रधान मंत्री ने की है, और ऐसा मैं एक कांग्रेसी के रूप में अपने दल के विचारों को जोरदार शब्दों में प्रकट करता हूं। हमें हिंसा की निन्दा एक मत से करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

कुमारी मणिबेन वल्लभभाई पटेल (मेहसाना): अध्यक्ष महोदय, जो बहस आज यहां पर चली और जिस तरह के विचार प्रकट किये गये, आप देखिये—पिछले दिनों किस प्रकार के बयान अखबारों में दिये गए और किस प्रकार की बाते हुई। मेरे पास पक्की खबर है कि मुखर्जी जिसका हाईजेकर लड़के ने नाम लिया, वे तीन आदमी थे जिन्होंने विचार किया कि सभी जगह गड़बड़ी करनी है। मैं तो उस आदमी को जानती नहीं थी, उस आदमी ने आकर मुझ से खास समय लिया और मुझ से मिला और यह बात मुझ से कहीं कि में आप को कहता हैं आप इस बात को जहां पहुंचाना हो, पहुंच दीजिए।

अब इस तरह की बात आप करते हैं—उसके बाद यहां पर शान से बातें करने का क्या फायदा है। यहा पर भी आप क्या करते हैं? मैं इक्कीस साल से पार्लियामेन्ट में आ रही हूं। पिछले दस साल से जो चल रहा है, उसे देख कर मुझे बहुत दुख होता है। क्वेश्चन आवर के बाद हमारा एक घन्टा बरबाद हो जाता है—एक एक मिनट पर कितना खर्चा होता है—क्या कभी इस बात को आप सोचा हैं? अगर आप सही रूप से नान वायलेंस को, अहिंसा को मानते हैं, तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हैं। अखबारों में क्या आ रहा है—पिछले हफते के अखबारों को आप देखें। अभी भी आप के दिल में क्या है? तब एमर्जेंसी आप ने लगाई, तब क्या हुआ था? एमरर्जेन्सी के दौरान हम ने जुलूस भी निकाले, राज भवन तक गये लेकिन किसी ने भी कोई आरोप नहीं लगाया कि हमने कोई गड़बड़ी की। आप पार्लियामेन्ट की बातें करते हैं लेकिन पार्लियामेन्ट में भी आप क्या करते हैं? सिर्फ मारने की बात बाकी रहती है और बाकी आप ने क्या नहीं किया? किस तरह से आप यहां बोल रहे हैं, किस तरह से शोर मचाते हैं यह बात मुझे यहां रोज देखने को मिलता है। आप थोड़ा सोचिये—जो हमारे लोग देहातों से आते हैं और ऊपर गैलरी में बैठ कर हमारे व्यवहार को देखते हैं— वे हमारे बारे में क्या सोचते होगे, हमारे ये प्रतिनिधि जिन को हम चुन कर भेजते हैं, वे यहां क्या करते हैं क्या कभी आप ने इसके बारे में सोचा है?

यहां सब शान से कहते हैं कि हम अच्छा वातावरण चाहते हैं, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन में देखती हूं कि यहां कुछ कहते हैं लेकिन वहां जा कर कुछ करते हैं। रोज पार्टी मीटिंग्ज होती हैं, रोज़ पार्टी आफिस में जमा हो कर बात करते हैं और तय करते हैं कि आज पार्लियामेन्ट में किस तरह से गडबड़ करनी है, अगर आप नहीं चाहें तो यह सब नहीं

हो, लेकिन पहली लाईन में बैठे हुए लोक यह सब कराते हैं। अगर आप सही मायनों में इन्साफ से चलना चाहते हैं तो आपकी जबान भी ऐसी होनी चाहिए, आप का बर्ताव भी ऐसा होना चाहिये जो दूसरें को बुरा न लगे कठोर न लगे। किसान रेली की बात करते हैं वहां भी आप गडबड़ करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं सके। आप चाहते हैं कि हमारी पार्टी में गड़बड़ हो और उस का लाभ आप उठा लें, इस तरह से आप को लाभ मिलने वाला नहीं है। आप कितना ही उकसायें हम आप की तरह से नहीं चलेंगे। आप जिस तरह का बर्ताव करते हैं, हम उस तरह का बर्ताव नहीं करेंगे।

हिजैकस ने क्यों उन का नाम लिया, दूसरे किसी का नाम क्यों नहीं लिया, इसलिये उन से कुछ तो इशारा उन को मिला होगा तभी तो उन का नाम लिया। ये लड़के तो इंस्ट्रमेन्टस थे, इंस्ट्रमेन्ट होने के नाते उन को भोगना तो पड़ेगा ही, बिना भोगे नहीं बचेंगे, लेकिन जिन का नाम उन्होंने लिया, बिना जाने नाम नहीं ले सकते, टेलिफोन नम्बर नहीं दे सकते, इस तरह से बाहर नहीं निकला जा सकता है, यदि निकल भी जाय तो भगवान तो देखनेवाला है। जो कर्म करता, है उस को भोगे बिना वह आदमी छूट नहीं सकता है, चाहे आज भोगे, कल भोगे या परसों भोगे।

हमने आजादी ली, क्या इसी लिये ली थी--यह देख कर दुख होता है। मैंने अपनी सारी उम्र आजादी के लिए गवाई, जब मैं 20 साल की थी, तब से मैं इसमें पड़ी हूं। 1941 में हम ने अंग्रेजों से लड़ाई ली, मगर किसी से हिंसा नहीं की, छुपे-छुपे चीजे चलती थीं, लेकिन हिंसा की बात नहीं चलती थी। अब गोली चलना तो आम बात हो गई बस बम चलना बाकी रहता है।

मैं यही कहना चाहती हूं--जब से यह चर्चा चली है, तब से ही--आठ दिन पहले के अखबारों में और अब के अखबारों में आप देख लीजिय, किस प्रकार से धमकियां दी जाती रही हैं। उन्होंने यहां भी कहा था--हम बाहर भी गड़बड़ करेंगे। मैं आप से यही कहना चाहती हूं--जैसा आज आप लोगों ने कहा है--यदि आप ऐसा करना चाहते हो, तो बहुत खुशी की बात है, जरूर कीजिये, लेकिन ऐसा आप कर सकेंगे--इस के बारे में मुझे शंका है।

श्री पट्टाभिरामा राव : (राजामुन्द्री): हम इस वायुयान अपहरण की घोर निन्दा करते हैं। हमारे नेता ने--विपक्ष के नेता ने भी इसकी निन्दा की है तथा इसमें हम सब एक मत हैं। परन्तु मैं इस संबंध में निश्चत नहीं कि इसके पीछे कांग्रेस (ई) के लोगों का हाथ है। मैं इससे इन्कार करता हूं और समझता हूं कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं। आप न्यायाधीश और वकील है क्या आप सोच सकते हैं कि यदि कांग्रेस (इ) का इसमें हाथ होता तो ऐसी बचकानी हरकत होती। उन्होंने असम्भव शर्तें ही नहीं रखी वरन् उन्होने दो सदस्यों के टेलीफोन नम्बर भी दिये। एक उत्तर प्रदेश के कांग्रेस (इ) अध्यक्ष का था और एक श्री संजय गांधी का उ० प्र० कांग्रेस (इ) अध्यक्ष ने इन युवको को जानने से सर्वथा इन्कार किया है। यदि कांग्रेस (इ) इसके पीछे होती तो इन युवको ने जानकारी दी होती, इसका अर्थ है उसके पीछे कोई और है। कांग्रेस (इ) को इसमें फांसना एक षंडयंत्र है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमारी अध्यक्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जेल जाते समय यह स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी प्रकार की हिंसा न हो और केवल शांतिपूर्ण आन्दोलन हो। उन्होने यह भी कहा कि किसी प्रकार गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिये। कार्य समिति, जैसा कि हमारे नेता ने कहा आन्दोलनकारियों से हिंसा न करने की अपील की। इसके बावजूद यदि हिंसा होती है तो कांग्रेस (इ) को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। गांधी जी के राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करते समय जब उन्हें जेल भेजा गया तो उस समय भी आन्दोलनकारियों ने हिंसा की थी क्या इसके लिए हम गांधी जी या कांग्रेस को दोषी ठहरा सकते हैं? इन बातों को रोका नहीं जा सकता, भावनाओं के उभार खाने पर कुछ स्थानों पर हिंसा होना अनिवार्य है। इसके लिए किसी व्यक्ति या दल को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। इस तरह से सोचना भी

गलत है । मित्रों क. यह कहन। भी गलत है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अत्यधिक हिंस। हुई । जहां तक आंध्र का प्रश्न है वहां बड़ा शांति पूर्ण विरोध हुआ और यह कहना गलत है कि बड़ी हिंसा वहां हुई । कोई छोटी-मोटी घटना यहां-वहां हो सकती है । इसके लिय हमें स्वय को या सरकार को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता । वास्तविकता तो यह है कि हमारे मुख्य मंत्री श्री चेन्ना रेड्डी ने इन तीन चार दिन विशेष सावधानी बरती मंत्रिमंडल की कई बैठकों हुई हैं तथा वह स्थिति की समीक्षा करता रहा और अधिकारियों को निदेश देता रहा जिससे सब कुछ शांतिपूर्ण चले । मुख्य मंत्री ने अपना पूरा प्रयत्न किया और कोई कठिनाई नहीं हुई । यदि कोई हिंसा हुई तो वह कांग्रेस (इ) के कारण नहीं । भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न कारणों से हिंसा हुई । उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंसा क्यों हुई अलीगढ़ में हिंसा भड़कने का क्या कारण था ? क्या वह कांग्रेस (इ) के कारण हुई वहां जनता पार्टी की सरकार है । फिर वहां हिंसा क्यों हुई ? वहां आरक्षण का प्रश्न था । आंध्र में भी आरक्षण हुआ है । परन्तु वहां तो कोई हिंसा नहीं हुई । सब कुछ ठीक-ठीक चल रहा है । वे आंध्र का अनुसरण क्यों नहीं करते वहां जनता सरकार ने क्या किया ? उन्होंने उचित कार्रवाई क्यों नहीं की ? वे वह बात हमसे क्यों कहते हैं जो वे स्वय नहीं करते ? यह कहना सर्वथा गलत है कि कांग्रेस (इ) का इसमें हाथ है ।

मेरे माननीय मित्र श्री यादवेन्द्र दत्त कह रहे थे कि कांग्रेस (इ) के लोग निरादर हो गए हैं । यह कहना सर्वथा गलत है । हम उस समय से बड़े प्रसन्न है जबसे श्रीमती गांधी जनता पार्टी के अथक प्रयासों के बावजूद चिकमगलूर से जीत कर यहां आईं । परन्तु तब जनता पार्टी अवश्य हताश हुई । उस समय से उन्हें तब तक नींद नहीं आई जब तक उनके विरुद्ध कार्रवाई का मौका उन्हें नहीं मिला और उन्हें सदन से निकाल दिया गया । परन्तु मेरा विश्वास है कि श्रीमती पुनः चिकमगलूर से बड़े बहुमत से कर आएंगी । तब वे और भी अधिक हताश होंगे । उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये था । उन्होंने यह हताश होकर किया और कहते हैं कि हम हताश हैं ।

कल उनके ऊपर के दोनों नेताओं को सुनकर हमें लगा कि हताश हैं कहां । हमने श्री कृष्ण मेनन से लेकर अनेकों मत्रियों को त्यागपत्र देते देखा है । त्यागपत्र देने वाले मंत्री को सदन में वक्तव्य देने का सवैधानिक अधिकार है । ऐसा चौधरी साहब को बहुत पहले करना चाहिये था । अपना वक्तव्य देने में इतना अधिक समय क्यों लगाया । फिर अपने 38 पृष्ट के वक्तव्य में उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुन कर हमें दुःख हुआ । पता नहीं जनता पार्टी की इस बारे में क्रा प्रतिक्रिया है । परन्तु हमें, यह पसन्द नहीं आया जिस प्रकार का वक्तव्य दिया गया है । उन्होंने प्रधान मंत्री पर भिन्न-भिन्न कारणों से आरोप लगाए और प्रधान मंत्री ने उस का उत्तर अपने ढंग से दिया । अपना वक्तव्य देने में उन्होंने 6 मास लिए । इतना अधिक समय उन्होंने क्यों लिया ? क्या यह पद के लिए सौदेबाजी नहीं है ? इस सबके पीछे वे हम पर आरोप लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं । वे कांग्रेस (ई) को बदनाम बदनाम कर उसे समाप्त करना चाहते हैं । परन्तु मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस (ई) श्रीमती गांधी के जेल से बाहर आते ही कांग्रेस फिर से शान से जीत कर आएगीं और फिर आप देखेंगे कि यह पार्टी कहां पहुंचती है ।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती: (कलकत्ता दक्षिण): कलकत्ता नगर, जिसका एक हिस्सा मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है के दमदम हवाई अड्डे से उड़ने वाले जहाज के अपहरण को लेकर पिछले कई घटों से सभा में चर्चा हो रही है । यह सर्वविदित है कि इस अपहरण का मूल कारण विशेषाधिकार का मामला है जिस पर इस सभा ने चर्चा की थी । उस प्रतिवेदन पर विस्तार से चर्चा की गयी जिसमें श्रीमती गांधी को दोषी पाया गया है । यह दोषारोपण अकारण नहीं है क्योंकि प्रधान मंत्री ने स्वय यह कहा है कि उनको (श्रीमती गांधी को) कोई पश्चाताप नहीं है । अतः सत्तारूढ़ दल की ओर से अपने सदस्यों के लिये जारी किये गये किसी भी दलीय आदेश के बगैर सभा अपने विवेक से एक सामूहिक निर्णय पर पहुंची और उनको सजा दी ? भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं । लेकिन कुछ मित्रों ने, संसद सदस्यों और संसद से बाहर व्यक्तियों ने संसद में और संसद के बाहर जो कार्य किया है, उसकी निन्दा होनी चाहिये । मैं अपने मित्र को अपने साथ लेना चाहता हू ....

श्री पी० राजगोपाल नायडू: (चित्तूर): हमने क्या किया है ?

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती: एक घटना के अनुसार 2500 वर्ष पूर्व एथेन्स नगर में सुकरात को जहर पीने के लिये बाध्य किया गया और उनकी मृत्यु हो गयी । उसके कुछ दिन बाद एक समूह को संबोधित करते हुए प्लेटों ने कहा कि 'मेरे गुरू अब इस संसार में नहीं रहे। वह एक ऐसे संसार में चले गये हैं जहां प्रश्न पूछने पर लोगों पर अभियोग नहीं चलाया जाता । श्रीमती गांधी के शासन ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें प्रश्नों पर रोक लग गयी और ससद में उत्तर देने के उद्देश्य से मत्रियों के लिये सूचना एकत्र करने से लोगों को रोका गया । सामान्य अधिकारियों, छोटे अधिकारियों को जेल में बंद कर दिया गया और उन्हें परेशान किया गया । उनकी पतनियों को भी नहीं छोड़ा गया। उस पर किसी ने भी अफसोस प्रकट नहीं किया है । इस बारे में मेरे युवा मित्र जिन्होंने उपवास किया, ने बताया है । उनके भाषण में बहुत अच्छी बातें हैं । जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं लेकिन इस पक्ष को उन्होंने अपेक्षाकृत गलत रूप में रखने का प्रयत्न किया है; इस सभा ने श्रीमती को सजा इसलिये नहीं सुनाई है कि उन्होंने कोई गलत कार्य किया है । ऐसा बिल्कुल नहीं है । हम एक सीमित मामले पर विचार कर रहे थे, जिसके अन्तर्गत सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया था।

और उस मामले पर कुछ निर्णय लिए गये । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय श्रीमती गांधी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने कभी भी सत्ता नहीं चाही, जिनके हृदय में देश के भले की ही इच्छा है जिन्होंने श्रीमती गांधी को भी यह सलाह दी थी कि वह देश की 70 प्रतिशत जनता कमजोर वर्ग, जिसकी बात हर व्यक्ति करता है, के लिए कुछ करें । इस बात को मेरे मित्र ने भी उठाया है और मैं इस बात से सहमत हूं कि हम कुछ प्राथमिकताएं निश्चित कर लें । हम देश के पुनर्निर्माण के कार्य में लग जायें और सब कुछ ठप्प करके बीस-सूत्री कार्यक्रम के नारे न लगायें ।

वास्तव में जनता पार्टी ने कुछ तो किया है । उसने स्वतंत्रता बहाल की है जिसका दुरुपयोग हमारे मित्र यही नहीं बाहर भी कर रहे हैं । श्रीमती गांधी की गिरफ्तारी के बाद एक दिन मैं कनाट प्लेस में था । मैंने देखा कि कुछ उपद्रवी नारे लगा रहे थे और विस्फोटक चीजें फैंक रहे थे । वे 'इंदिरा गांधी जिन्दाबाद' के नारे लगा रहे थे और कांग्रेस का नाम ले रहे थे । उनकी सूचना के लिए मैं यह बता दूं कि 1948 तक मैं भी कांग्रेस में था और उसके बाद मैंने कांग्रेस छोड़ दी । उस समय कांग्रेस क्या थी ? तब, उसके बाद, गत चुनावों में **'बन्दे मातरम्'** का नारा लगाने वाले उपद्रवियों ने मुझे लाठियों से पीटा था जिसके निशान अब तक हैं । क्षमा करें, उपद्रवियों को छोड़कर, कांग्रेस में अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं जिनके साथ मेरी सहमति है । लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाये हुए हैं । हां कुछ गांधीवादी तो हैं, लेकिन वे महात्मा गांधी का अनुसरण नहीं कर रहे हैं । वे गांधीवादी इस अर्थ में हैं कि वे इंदिरा गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं । इसी रूप में वे गांधीवादी हैं । उनके कुछ विशेष तरीके हैं । कार्य करने के श्रीमती गांधी के अद्भुत तरीके हैं । उनके कार्य को एक बार समझ लेने के बाद हमें पता चल गया कि कौन से ग़लत कार्य किये गये हैं । वे इस बात का दावा कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि वह फिर सत्ता में आयेंगी । दबे रूप में कुछ खुशियां भी मनाई जा रहीं हैं । उन्हें स्वयं इसका भरोसा नहीं है कि वह फिर सत्ता में आयेंगी । मैं उन्हें बता सकता हूं कि ग़लत कार्य करने पर हम भी जा सकते हैं । लेकिन इस देश में श्रीमती गांधी फिर सत्ता में नहीं आ सकतीं ।

एक माननीय सदस्य: आप अच्छे ज्योतिषि हैं ।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती: चाहे जो हो । ज्योतिष के आधार में फैसला नहीं करता । लोगों के मन को मैं जानता हूं । आपके क्षेत्र के लोगों के मन को भी मैं जानता हूं । यदि उन्होंने चिकमगलूर से चुनाव लड़ने की हिम्मत की तो जो होगा, वह भी हम देखेंगे । मध्य प्रदेश में श्री शेज वलकर के घर को लूटा

गया और प्रो० समर गुह के निवास स्थान पर बम फैंका गया। उनके घर पर उनकी पत्नी और छोटी पुत्री ही उस समय मौजूद थीं। यह कैसी वीरतापूर्ण और लोकतांत्रिक कार्यवाही है और कैसा उदाहरण है जिसका पालन देश इंदिरा गांधी के प्रजातंत्र के लिए करेगा। यदि वे यह सोचते हैं कि इन तरीकों से उन्हें कुछ लाभ होगा तो यह उनका भ्रम है।

एक माननीय सदस्य: हम इसका खंडन कर चुके हैं।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती:—आपके साधारण लोग यदि इसका खंडन कर दें तो मैं उनको बधाई दूंगा। उप सभापति महोदय, उस दिन सभा में जो कुछ हुआ, आपको मालूम है। विपक्ष के नेता—जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद ही हमारा एक औपचारिक विपक्ष का बना है—श्री स्टीफन ने कैसा व्यवहार किया। उन्होंने अपनी सीट छोड़ कर सबको अपने साथ आने को कहा और पटल का घेरा डाल दिया तथा सभा को कार्य नहीं करने दिया (**व्यवधान**)। बाधा पहुंचाना कोई तरीका नहीं है। लकप्पा जी, संसदीय लोकतंत्र कैसे चलता, इसकी थोड़ी-बहुत जानकारी मुझे है। (**व्यवधान**)

एक परीक्षक रूप में, मैं संसदीय लोकतंत्र के कार्य के बारे में आपकी जानकारी की जांच कर सकता हूं। इस सभा में ये मिसालें कायम की गयी हैं। सभा सर्वोच्च है प्रभुता सम्पन्न है और उसे भारतीय लोकतंत्र और भारतीय स्वतंत्रता का आदर्श नमूना होना चाहिए। अपने मंत्री श्री कौशिक से मैं यह आग्रह करता हूं कि इसकी पूरी जांच करायी जाये और गृह मंत्रालय के सहयोग से असली अपराधियों का पता लगाया जाये। हो सकता है कि वे दोनों युवक असली अपराधी न हों क्योंकि अपना कार्य करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद या दिल्ली में अपने नेताओं को सूचना देनी चाही। वे एक दूसरे को पूछ रहे थे कि क्या संजय गांधी को सूचित कर दिया गया है कि लम्बे समय के बाद हमने अपना कार्य पूरा कर दिया है। उन्होंने इसकी निन्दा की है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन किसी सजा का सुझाव उन्होंने नहीं दिया है क्योंकि उनके अनुसार हमें दोहरी नीति अपनानी पड़ती है। जब श्रीमती गांधी जैसे व्यक्तियों ने अपराध किया है और सभा के पांच-चौथाई सदस्य इस बात से सहमत हैं कि उन्होंने अपराध किया है, तो भी वे नरम रवैया अपनाये हुए हैं। ऐसा क्यों है ? हम लोगों में कुछ गुत्थियां होती हैं। कोई व्यक्ति यदि समाज के उच्च वर्ग से सम्बद्ध है तो उसके प्रति हम नरम रूख अपनाते हैं लेकिन यदि वह गरीब आदमी है या किसान है या मजदूर है तो यह दिखाने के लिए नया कि हमारा कानून तथा व्यवस्था तंत्र ठीक से कार्य कर रहा है, हमारी दूरी न्याय-व्यवस्था तथा कानून और व्यवस्था का तंत्र सक्रिय हो जायेगा।

उपसभापति महोदय यह किया गया है और तोड़ फोड़ की इसी प्रकार की वारदातें करने का प्रयत्न किया है। इनका लक्ष्य संसद ही नहीं है बल्कि न्याय पालिका भी है क्योंकि उससे आपातकाल से सम्बद लोगों के दोषों का पता लगाने के लिए कहा जा सकता है। एक हमारे मित्र द्वारा यह बताया गया, कि यह विमान अपहरण की घटना तो बहुत ही मामूली सी बात हैं। एक 80 वर्ष की वृद्धा औरत अपने पुत्र के साथ बहुत लम्बी तथा श्रम साध्य रेल यात्रा को बचाने के लिये इस विमान में कलकत्ता से दिल्ली आ रही थी। उस वृद्धा को पूरे विमान अपहरण के दौरान पूरे समय तक भोजन के बिना तथा बगैर आराम किये ही रहना पड़ा। मेरे विपक्ष के साथियों का ऐसी मानवता में विश्वास है। मैं उनसे अपील करता हूं, कि इस चर्चा की बजाय सदन के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार के कृत्यों की निन्दा करनी चाहिये, तथा एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये ताकि कोई भी व्यक्ति देश में इस प्रकार के कार्यों को न दोहराये।

श्री के० लकप्पा: (तुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री के० पी० उन्नीकृष्णन द्वारा हिंसा की निन्दा करने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं, यह अन्तराष्ट्रीय हिंसा की निन्दा है, जिसकी सारे देश को चिन्ता बनी हुई है। यह किसी राजनैतिक दल तक ही सीमित नहीं है। मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं, कि जो पेनल में हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, उन्होंने मेरा नाम सूची में सबसे नीचे कर दिया है, तथा मुझको अन्त में पुकारा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात की ओर ध्यान देने का यह तरीका नहीं है ।

श्री के० लक्कप्पा : देश में हिंसा, चाहे वह किसी भी एजेंसी अथवा संगठन द्वारा की जाये, मैं इसकी दृढ़तापूर्वक निन्दा करता हूं । प्रधान मंत्री के भाषण को सुनने के पश्चात् मैं इसको समझ नहीं पाया हूं । मैंने देखा है कि वे अपने कर्त्तव्य से पीछे हट रहे हैं । आज का विषय विमान अपहरण तथा इसके खिलाफ हम क्या कार्यवाही करें, उससे सम्बन्धित है । जो भी भाषण दिये गये हैं वे सभी किसी व्यक्तिगत अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा राजनैतिक पार्टी आदि के खिलाफ ही केन्द्रित रहे हैं । आरोप लगाये गये । कंलकित किया गया । राजनैतिक दलों के खिलाफ एक दूसरे दलों के सदस्यों ने आरोप लगाये । अत: आज हम हिंसा के सभी उपायों की चाहे वे किसी भी रूप में अथवा शकल में है, घोर निन्दा करते हैं । किसी राजनैतिक दल का हिंसा भड़काने से कोई सम्बन्ध नहीं है । दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि वायु, जल तथा भूमि पर अपहरण की समस्या छठे, सातवें तथा आठवें दशक में होती आ रही है । विमान अपहरण की इन घटनाओं में 25,000 व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हुए । अपहरण की 53 घटनायें हुई हैं जिसमें तीन भारत में हो चुकी हैं, इसमें हाल की घटना भी शामिल हैं । इस सम्बन्ध में किसी एक राजनैतिक दल को कंलकित करना एक कठोर अपघात है ।

भूतपूर्व गृह मंत्री ने केन्द्रीय सरकार की कार्यप्रणाली की अशक्तता के बारे में कहा हैं इसलिये इस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । आज उन्होंने किसान रैली को भी सम्बोधित किया है । मैंने यह देखा है कि श्री मोरारजी देसाई का तर्क कमजोर पड़ता जा रहा है । जनता पार्टी हिंसा की देन है । क्योंकि जनता पार्टी के लोगों ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भाग लिया था, लोकतंत्रीय संस्थाओं पर हमला किया था जिसमें हिंसा बढ़ी । इन्होंने चुने हुए विधायकों लोकतंत्रीय संस्थाओं पर हमले किये । विधायकों को प्रमुख निशाना बनना पड़ा । उनको गलियों में परेड करायी गयी । इनके अनुसार लोकतंत्रिय मूल्यों का यही रूप है जो ये उनको सिखाते थे । ये वे लोग है, जिन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया और जो अब सत्ता में आ गये हैं । इसलिये यह पार्टी हिंसा की उपज है । वे यह षड़यंत्र करते रहे हैं । इस समय प्रधानमंत्री जी आर०एस०एस० तथा जनसंघ के हाथों में हैं । इस प्रस्ताव को देश के स्वाभाविक नियमों के विरुद्ध पास किया गया हैं । इसलिए यह स्पष्ट है, कि लोकतंत्रीय संस्थाओं को देश के स्वाभाविक नियमों के विपरीत उपयोग में लाया गया है । संसद सर्वोच्च है, मैं इससे सहमत हूं । संसद की सर्वोच्चता मौजूद है । लेकिन क्या एक प्रस्ताव अथवा संकल्प को देश के स्वाभाविक नियमों के विरुद्ध पास किया जा सकता है । जिस प्रकार सूर्य के पूर्व में अस्त होने अथवा पश्चिम में उदय होने के विपरीत बहुमत से कोई प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता उसी प्रकार देश के स्वाभाविक नियमों के विपरीत कोई भी प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता ।

आप एक-दो लोगों द्वारा हिंसा करने पर, संकल्प लाकर सारे दल को कलंकित करना चाहते हैं । क्या यह हो सकता है ? उनका कहना है कि सरकार इस संकल्प को इसलिये सदन में लायी है, ताकि प्रजातंत्र कायम रहे । पिछले दिन मैंने बताया कि इस प्रकार के संकल्प से अगर कोई अर्न्तविरोधी कार्यवाही की गयी है, तो आपको कांग्रेस (आई) पार्टी के लोगों को दोष नहीं देना चाहिये तथा कांग्रेस के लोगों अथवा किसी अन्य को भी दोष नहीं देना चाहिये । लेकिन मैंने देखा है कि जिन लोगों ने समस्तीपुर में हिंसा को बढ़ावा दिया, जहां कि एक बम्ब फैंका गया था वे ही लोग अब अहिंसा की तरफदारी कर रहे हैं । सी०आई० (एम) भी अहिंसा की बात करती है । फासिस्ट लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जो के साथ अहिंसा की तरफदारी कर रहे हैं । हम भी अहिंसा की बात कर रहे हैं । क्या इसका कोई उचित कारण अथवा तुकबंदी है ? ये लोक चरित्र हनन पर आमादा हैं तथा बदले की भावना का दृष्टिकोण अपनाये हुए हैं । क्या जनता सरकार की यही नीति है । इस सत्र में किसी विषय पर भी चर्चा नहीं की गयी है । केवल एक व्यक्तिगत के बारे में ही आपने विचार विमर्श किया है । क्या अपने इस सत्र में आर्थिक मसलों पर विचार किया है ? क्या अपने देश की बेरोजगारी समस्या की

चर्चा की है ? क्या आपने किसी भी राष्ट्रीय मामले जैसे सिंचाई तथा कृषि पर चर्चा की है ? नहीं। पूरे सत्र के दौरान आप हिंसा की कार्यवाहियों के आक्षेप लगाने, उन्हें शाश्वतता प्रदान करने में ही अन्तर्ग्रस्त रहे। निन्दा करने तथा इसी प्रकार की सभी बातों को जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शित किया गया। मैं इसको नहीं कह रहा हूं, इसको श्री चरण सिंह जी ने कहा है। श्री देसाई श्री स्टीफन को टेलीफोन करते हैं। अगर वे श्री स्टीफन को टेलीफोन करते हैं, तो यह पर्याप्त है। लेकिन अगर वे किन्हीं अन्य लोगों को टेलीफोन करते हैं, तब इसका क्या कारण है ? आपको इसके कारण का पता लगाना चाहिये तथा इस रहस्यपूर्ण मामले की ओर ध्यान देना चाहिये। आज बहुत से लोग गिरफ्तार किये गये हैं। युवक समूह आज नाराज है क्योंकि जनता सरकार द्वारा उनकी कोई भी समस्या हल नहीं की गयी हैं। वे केवल देश के स्वाभाविक नियमों के विपरीत संकल्पों को पास कर रहे हैं। इसके लिये किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। श्री मोरार जी देसाई ने 1967 में राज्य की सी०पी०आई० (एम) सरकार की निन्दा की थी। मुझे याद है, कि इस सदन में उन्होंने सी०पी०आई० (एम) के हिंसात्मक कार्यकलापों की निन्दा की थी तथा कहा था कि ये लोग कलकत्ता में खून की नदियां बहाना चाहते हैं। आज वे जनता पार्टी के रूप में अहिंसा की बात कर रहे हैं। इस अलोकतांत्रिक संकल्प के जरिये लोगों को प्रभावित करने के लिये इस प्रकार की निन्दा की गयी है। लेकिन वास्तविकता यह है, कि इस से लोगों के मन में शंका है तथा संसदीय लोकतंत्र तथा इसके ढांचे में गिरावट है। इस प्रकार की निन्दा करने से केवल लोगों को ही प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जा रही है बल्कि इससे विदेशी प्रैस को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटिश में यह बताया गया था कि सरकार द्वारा तुरंत कार्यवाही की गयी है। इस रूप में क्या हम सरकार को एक प्रबल सरकार कह सकते हैं ?

देश में कितने ही बार हिंसा की घटनायें हो चुकी हैं तथा कितने ही बार हमने हरिजनों पर अत्याचार, रेलवे डकैतियों, तथा रंगा-बिल्ला जैसे कई मामलों पर चर्चा की है। क्या ये हिंसात्मक कार्यवाहियां नहीं है ? क्या ये समाज-विरोधी कार्य नहीं है ? आर०एस०एस० तथा जनसंघ ने यह योजना बनायी है कि व्यक्ति विशेष को जेल भेजा जाय ताकि देश भर में हिंसा फैल जाय। तथापि प्रधान मंत्री जी ने आर०एस०एस० की बिल्कुल भी निन्दा नहीं की है। देश में इस प्रकार की हिंसा पिछले एक वर्ष से हो रही है तथा यह अशक्त सरकार किसी भी समस्या को हल करने में समर्थ नहीं रही है।

जहां तक विमान अपहरण का मामला है, इसकी निन्दा की जानी ही चाहिये। प्रधानमंत्री ने बीच में बोलते हुए कहा था कि मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री रामनरेश यादव ने इन दो व्यक्तियों का जिन्होंने विमान को वाराणसी ले जाकर विमान अपहरण किया था, बजाय उनको गिरफ्तार कराने के लखनऊ ले गये हैं। मेरे विचार में यह इसलिये था कि श्री राम नरेश यादव ने किसान रैली को सम्बोधित किया था, और संभवतः इससे प्रधान मंत्री जी नाराज हो गये थे। इससे उनके आंतरिक राजनैतिक मतभेदों का पता चलता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की विमान अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिये कठोर उपायों को काम में लाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पास किये गये संकल्प से हमें कोई लाभ नहीं होगा। भारत की सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिये तथा कठोर कानून बनाने चाहिये, तथा इस प्रकार के लोगों की न केवल निन्दा की जाय, बल्कि उनको उपयुक्त सजा भी दी जाए।

इसके अलावा राजनैतिक दलों के खिलाफ अगर किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कलंकित करने का अभियान प्रारम्भ किया है तो उसकी भी निन्दा की जानी चाहिये। अगर संकल्प के प्रस्तावक का राजनैतिक दलों के विरुद्ध कोई आपराधिक विचार है तो उसे इसका परित्याग कर देना चाहिये तथा हम सभी को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि हिंसा की घटनायें समाप्त हों, तथा हम सभी मिलकर देश की भलाई के लिये कार्य करें।

श्री मत्यंजय प्रसाद (सीवान) : उपाध्यक्ष जी, यह कहा गया है कि डिसेन्ट-इज़-दि एसेन्स,आफ़-डेमोक्रेसी मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन तीस साल में आप ने डिसेन्ट की गुंजाइश ही कहाँ रखी ? मैं सन् 1975 में जब एमर्जेंसी लगाई गई, तब से शुरू कर रहा हूं । बिना कैबिनेट से पूछे हुए, बिना किसी मिनिस्टर को विश्वास में लिये, एमरजेन्सी लागू की गई । उन का एप्रूवल तब लिया गया, जब उनके आगे एमरजेन्सी की पिस्तौल लगा दी गई कि अगर एक शब्द भी बोले तो आप को भी वहीं भेज दिया जायगा, जहाँ औरों को भेजा गया है । फिर डिसेन्ट दिखलाने का मौका ही क्या था ? बिहार का उदाहरण मेरे पास है--मैं खुद 1974 के जे०पी० आन्दोलन में शामिल था और विरोध पक्ष के हमारे अन्य कार्यकर्त्ता तथा हमारे नेता थे, सभी मुंह पर पट्टी बाँध कर और अपने हाथ बाँध कर चले, उस को आप कहते हैं कि हम ने वायलेंस किया । वही बात चिकमंगलूर में दोहराई गई । नन्दना मुंह में पट्टी बाँध कर और झंडे पर सवाल लिख कर सिर्फ यह पूछ रही थी कि मेरी माँ को किस ने मारा ? उस की आज भी दुर्गति हो रही है, उसी सिलसिले में गायत्री की मृत्यु हुई । आप कहते हैं कि इन्दिराजी चिकमंगलूर से फिर जीत कर आयेंगी, सम्भव है जीत कर आ जाँय, क्योंकि वहाँ आप के पास वायलेंस करने के साधन दूसरी जगहों से अधिक हैं और यह आप ने वहाँ पर कर के दिखलाया भी है, इसलिये सम्भव है आप फिर जीत कर आ जायें, किन्तु क्या यह जीत डेमोक्रेसी की होगी ? यह जीत तो लाठी और पुलिस की होगी । आज भी बैंगलोर में क्या हो रहा है ? बहुतों ने बताया है कि स्पीकर साहब के लड़के की मोटर भी जला दी गई । चिकमंगलूर में अगर आप जीतते भी हैं तो उसी ज़ोर पर जो कि आज भी आप दिखला रहे हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा शुरू से एक व्यक्तिवाद चलाया गया, न कि समूहवाद । लेकिन प्रजातन्त्र में तो समूह की बात चलती है, व्यक्ति की बात नहीं चलती है, किन्तु आप ने बराबर व्यक्तिवाद को चलाया है । अगर यह बात नहीं थी तो आप का मुंह किस ने बन्द किया था, आप ने इसी हाउस में एमरजेंसी को पास किया था । क्या किसी की ज़बान खुली थी, क्या किसी ने साहस कर के इस का विरोध किया ? किसी की ज़बान नहीं खुली, क्योंकि सब के मन में डर था कि बोले तो वहीं जायेंगे, जहाँ बहुतों को भेजा जा चुका था और सब को भेजा जा रहा था ।

चार जून, 1974 को श्री जयप्रकाश नारायण जी का जलूस, उन का प्रदर्शन राजभवन से लौट रहा था, श्री जयप्रकाश जी की गाड़ी पर गोली चलाई गई---किसने चलाई ? इन्दिरा ब्रिगेड के लोगों ने चलाई, उन को पकड़ा गया, उनके पास से हथियार, बन्दूकें, सब चीजें मिलीं, उन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन डेढ़ वर्ष के बाद मुकदमा उठा लिया गया, पता ही नहीं चला कि किस के हुकम से मुकदमा उठाया गया, चीफ़ मिनिस्टर के हुकम से ही उठाया गया होगा, क्योंकि उस समय आप के चीफ़ मिनिस्टर थे । यह इन्दिरा ब्रिगेड अपने नाम की तख्ती लगाकर दो वर्षों से गड़बड़ कर रही थी ।

आज आप हम को बार-बार सिखलाने की कोशिश करते हैं---किन्तु देश नहीं भूल सकता, नहीं भूलेगा कि जब हम को जेल में डाला गया था, उनमें से बहुत से तो वापस ही नहीं लौटे थे, जेल में ही समाप्त हो गये, बहुतों के बारे में तो पता ही नहीं चला, जिन दो-चार के बारे में पता चला, जैसे राजन के बारे में पता चला, ऐसे राजन न जाने कितने होंगे, हज़ारों की संख्या में लोग वहीं खत्म हो गये । जो बाहर आये, उनमें से बहुतेरे थोड़े दिनों बाद मर गये, जैसे स्नेह लता रेड्डी, वहाँ से लौटने के बाद मर गई---इस तरह का अमानुषिक बर्ताव उन के साथ हुआ । बहुतों के साथ ऐसा हुआ कि आने के बाद अपंग हो कर जीवन जी रहे हैं, जैसे हमारे जय प्रकाश नारायण जी जो मुर्दा और ज़िन्दा के बीच में जी रहे हैं । यह हालत आपने कर दी ।

हमसे तुरन्त पहले जो बोले वे सज्जन आज अभी हम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे---आप इल्ज़ाम लगाइये क्योंकि आप की वही संस्कृति है । लेकिन 1967 से 1970 के बीच में इसी भवन में मैंने उन को देखा था, इस से अधिक मैं नहीं कहना चाहता, आज वह इस तरह से बोल रहे हैं । आखिर कोई व्यक्ति

जब इधर से उधर जाता है तो किसी लाभ के लिये ही जाता है और उस के लिये उसे कीमत भी चुकानी पड़ती है और वही वह कर रहे हैं।

आप लोग कहते हैं कि विमान अपहरण करने वाले उन लड़कों को हम नहीं जानते हैं कि वे कौन हैं, क्या हैं? हमारे यहाँ एक कहावत है--भुस में आग लगा जमालो दूर खड़ी--सब कुछ आप ने कर दिया, लेकिन वह लोग इतने होश्यार नहीं थे कि सब चीजों को छुपा कर रख सकते थे। यह अक्ल भी उन को दे दी गई थी कि तुम खिलौने ले कर जाओ, जिस से काम सब बनेगा, लेकिन तुम को फांसी नहीं हो सकेगी, क्योंकि तुम्हारे वकील साबित कर देंगे कि इन हथियारों से कोई मारा नहीं जा सकता था। यह नहीं सोचा--अगर जरा सी गड़बड़ हो जाती, आप का पायलेट जरा सा घबरा जाता तो उस का क्या परिणाम निकलता। मरने की बात छोड़ दीजिये--जिन लोगों ने रात भर 126 यात्रियों को जहाज पर बन्द रखा, उनमें बच्चे भी थे, बच्चों को दूध देने से मना किया, खाना देने से मना किया--क्या वे आदमी कहलाने योग्य हैं? चाहे वे जिस के आदमी हों, लेकिन यदि यही आप का आदर्श है, तो फिर मैं क्या कहूं? हमारा क्या है, हम तो आप की नजर में कमजोर हैं, दुर्बल हैं, निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन जिस तिहाड़ जेल में हम ने इन्दिरा जी को भेजा है--टेलीविजन सेट भी वहाँ रहने दिया, पहले से उस जगह की सफाई करा कर रखा, दुनिया भर के इन्तजाम कर के वहाँ रखा, रूम-हीटर भी दिया। लेकिन आप ने आपकी नेता इन्दिरा जी ने क्या किया था? जो उन्हीं की ही तरह नाजोअदा में पली हुई महारानियाँ थीं, जो उम्र में इन्दिरा जी से बड़ी थीं, उन के साथ आप ने क्या व्यवहार किया याद कीजिए और मिलान कीजिए। अगर किसी ने देवी जी से यह कहने का साहस किया कि वहाँ पर यह जुल्म हो रहा है, आप भले ही जुल्म न करें, लेकिन आप के आदमी लोग कर रहे हैं, आप जरा उन से पूछिये--तो आप जानते हैं, क्या जवाब मिला। जरा आप जा कर श्रीमती सुभद्रा जोशी जी से पूछिये, वह हमारी पार्टी की मेम्बर नहीं है। जा कर के पूछिये आप ही की पार्टी के एक सम्माननीय सदस्य, वे अभी मौजूद नहीं हैं, नहीं तो मैं उनका नाम बता देता। गर्मियों में लोग राह में चलने वालों को पानी पिलाने के लिए पनसाले लगाते हैं लेकिन आपने क्या किया? आज भी उस बात को लोग कहते हैं कि आपने सड़कों पर नलके बन्द कर दिये। यह मैं सुनी हुई बात ही नहीं कहता। आपकी पार्टी के सम्माननीय सदस्य ने उस समय इन्दिरा जी से कहा था। वे उस समय मंत्री थे। उनकी बात भी उस समय नहीं मानी गयी। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वे मौजूद नहीं हैं। अगर मुझे कोई टोकेगा तो मैं उनका नाम बता दूंगा। (**व्यवधान**) उनका नाम है श्री मोहम्मद शफी कुरेशी। यह मैं उनकी बात कह रहा हूं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं।

एमरजैंसी के जमाने में आपका ऐसा वर्ताव रहा। आपने 84 वर्ष के बूढ़े को भी जेल भेजने में कोई हिचक नहीं दिखायी। उनका कसूर क्या था? उन्होंने आप से एक सवाल पूछ लिया था और यह कह दिया था कि यह गलत काम हो रहा है। उनको जेल भेजने में तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। यहाँ हमने जब पूरे कायदे-कानून के साथ इन्दिरा जी के विरुद्ध मामले का न्याय किया तो आपको इतना कष्ट हो रहा है। हम ने पूरी कानूनी प्रक्रिया चला कर और पूरे कायदे-कानून के साथ उन्हें जेल भेजा है। उन्हें हमने जवाब देने का पूरा मौका दिया कि आप पर यह अभियोग है, यह जुर्म है, आप इस के बारे में साफ-साफ बतायें। आपने तो किसी को सफाई पेश करने का मौका देना तो अलग, किसी को यह तक नहीं बताया कि आपका यह कसूर है, आपको इतने दिनों के लिए जेल में रखा जा रहा है। । जब किसी को यही मालूम नहीं होगा कि किस कसूर में जेल में रखा जा रहा है तो वह क्या और किस बात की सफाई देगा। उसके लिये तो न वकील न अपील और न दलील का सवाल उठता, था। और आपकी दृष्टि में यह सब उचित हुआ, कानून का सही-सही पालन हुआ था।

इसी सदन ने उस गैर कानूनी कानून को मान्यता दी और उसके खिलाफ किसी ने आपकी तरफ से कुछ नहीं कहा । रात को यहाँ सब बातें चलती रहीं और किसी ने यह कहा कि यह सब गलत हो रहा है । आज आप सदन के अन्दर और बाहर सब कुछ बोलते हैं । सदन के अन्दर प्रजातंत्र का का हनन हुआ, सदन की मर्यादा का हनन होता रहा, लेकिन आप चुप बैठे रहे । यह सब आपने किया। आज तक आप यह सब कुछ करते रहे । अब तो आगे के लिए सोचिये कि आपको देश में व्यक्तिवाद चलाना है या समूहवाद चलाना है । यदि आपको व्यक्तिबाद चलाना है तो हमारे और आपके बीच बात-चीत की कोई गुंजाइश नहीं है । अगर आप समूहवाद के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आज नहीं तो कल हमारे और आपके बीच में कुछ समझौता हो सकता है ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी अकेले कुछ नहीं कर रहे हैं । वे सब से पूछ कर करते हैं । हमारे प्रधान मंत्री ने अब तक जो कुछ भी किया वह सब को साथ ले कर किया। लेकिन आपकी प्रधान मंत्री ने जो कुछ किया वह तो अब सारी दुनिया के आगे आ गया है । जिस बात को छिपाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया वह छिपा नहीं, उधर गयी और अब सारी दुनिया के सामने आ गया है । अगर उस समय यह बात सदन के सामने आ जाती तो थोड़ी-बहुत बहस हो कर मामला खत्म हो जाता । मगर अब तो सारी दुनिया जान गयी है कि मारुति की कैसी-कैसी करतूतों, हरकतों पर पर्दा डालने के लिए यह सब कुछ देवी जी ने किया था ।

उधरहि अन्त न होइ निबाहू
काल नेमि जिमि रावण राहू ॥

लाख छिपाओ असलियत छिपती नहीं, अन्त में सबके सामने पहले से अधिक खुलकर आ जाती है।

श्री बी० सी० काम्बले : (बम्बई दक्षिण मध्य) : मुझे बोलने के लिए आपने जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं इस विमान अपहरण के बारे में जानना चाहता हूं कि इन दोनों युवकों को उस विमान से यात्रा करने के लिए टिकिट देने आदि की व्यवस्था किन अधिकारियों ने की और हवाई अड्डे पर क्या व्यवस्था की गई थी और क्या सरकार उन दोनों युवकों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने जा रही है । माननीय मंत्री जी सभा को इन सब बातों के बारे में बताएं ।

इसके अतिरिक्त मेरा प्रश्न देश में कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति के बारे में है । पिछड़े वर्गों के लोगों को तंग किया जा रहा है । ऐसा इंदिरा गांधी के शासन काल में भी हुआ और अब जनता पार्टी के शासन काल में भी हो रहा है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति हिंसात्मक कार्य किए जा रहे हैं । हास्यास्पद बात तो यह है कि दोनों ही अपने आपको इन लोगों के हितैषी तथा प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं । उनको उत्पीड़ित क्यों किया जा रहा है, यदि यह तर्क भी दिया जाता है कि जनता पार्टी के शासन के दौरान उन पर कुछ कम अत्याचार हुए हैं तो भी उनका प्रतिनिधित्व कैसे हो सकता है । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हम एक संवैधानिक सरकार रख रहे हैं या इस तरह की गड़बड़ी चलती रहेगी जो कि संवैधानिक सरकार को अव्यवस्थित करेंगे । यह आवश्यक नहीं है कि हिंसात्मक कार्य किए जायें । यद्यपि सभा के विभिन्न वर्ग हिंसा की निन्दा करते हैं तथापि हिंसात्मक गतिविधियां चल रही हैं । इसका मतलब यह है कि कथनी तथा करनी में कुछ अंतर है । यह अंतर कहां है, फिलहाल यह बताना मेरा काम नहीं है । किन्तु 30 वर्ष पूर्व संविधान सभा में डा० अम्बेडकर ने चेतावनी के तौर पर जो कुछ कहा था, मैं उनके भाषण का एक उद्धरण दे रहा हूं :—

"यदि हम लोकतंत्र को आकार में नहीं बल्कि वास्तविक रूप से बनाये रखना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए इसके लिए सर्वप्रथम हमें यह काम करना चाहिए कि सामाजिक

तथा आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीके अपनाएं । इसका अर्थ यह है कि हमें खून खराबे की क्रांति को त्यागना होगा । इसका अर्थ यह है कि हमें नागरिक आवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों को त्यागना होगा ।"

अतः यद्यपि जनता पार्टी इंदिरा कांग्रेस सहित विभिन्न वर्ग अहिंसा की बात करते हैं फिर भी उन्होंने उन तरीकों का त्याग नहीं किया है, जिनसे अन्ततोगत्वा हिंसा को जन्म मिलता है । इसलिए ब्रिटिश शासन के दौरान लोगों ने आन्दोलन करने के जो तरीके अपनाए थे उन्हें अब त्याग दिया जाना चाहिए क्योंकि अब हमारा अपना ही संविधान है । अब वयस्क मताधिकार है । हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए । लगभग 15 करोड़ लोग मतदान नहीं करते । वे अनभिज्ञ तथा निर्धनता से ग्रस्त हैं । वह काम कौन करने जा रहा है ? समाचार पत्रों में प्रचार तथा लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे ऐसा कार्य करने की बजाय हिंसा का सहारा लेते हैं । इस तरह की स्थिति चल रही है । अतः मैं प्रधान मंत्री से कहता हूं--एक बार मैंने वैयक्तिक रूप से उनसे कहा भी था कि वह सत्याग्रह तथा नागरिक अवज्ञा जैसे तरीकों को भी त्याग दें । ये आन्दोलन करने के तरीके हैं, अन्ततोगत्वा जिनसे हिंसा को जन्म मिलता है । हम चाहते हैं कि देश में किसी प्रकार की हिंसा न हो । प्रशासनिक उपाय भी ऐसे होने चाहिए जिससे कि हिंसा न हो । कानून और व्यवस्था का विषय राज्य का है । मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आप इससे संतुष्ट हैं या आप कानून और व्यवस्था तथा पुलिस को अनुवर्ती सूची में रखना चाहते हैं । या तो राज्यों को कह दिया जाये कि वे कानून और व्यवस्था को बनाए रखें अन्यथा इसे अनुवर्ती सूची में रख दिया जाना चाहिए ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यह मेरा ठोस सुझाव है । नहीं तो आप कानून और व्यवस्था को कैसे बनाए रखेंगे । जिम्मेदारी राज्यों पर डाल देने मात्र तथा यह कह देने से "कि यह संसद का विषय नहीं है; यह राज्य विधान मंडलों का विषय है" न तो राज्य कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए नहीं रख पा रहे हैं और न ही हम कोई चीज लागू कर पा रहे हैं । आज देश में यही स्थिति चल रही है । इसलिए संवैधानिक तरीकों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए प्रदर्शन करने, सत्याग्रह करने तथा नागरिक अवज्ञा करने के सभी तारीके त्याग दिए जाने चाहिएं । हमें अपने आपको लोगों को शिक्षित करने के कार्य में लगा देना चाहिए । मेरे ये सुझाव हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा इसके लिए कुछ मिनटों का समय और बढ़ाना चाहेगी ?

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पवित्र मोहन प्रधान

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, एक ही बात को सभी आदमी घुमा फिरा कर कह रहे हैं । तो कितनी देर उसको सुनियगा । अब सरकार का जवाब हो जाय, हम लोग सुन लें । एक ही बात की कितनी रगड़ा रगड़ी होगी ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । मंत्री जी ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने विमान अपहरण की घटना पर जो गहरी चिन्ता व्यक्त की और उसकी जो निन्दा की है वह एक संतोषजनक बात है । लेकिन अगर माननीय सदस्य सभा के अन्दर उसकी निन्दा करें और बाहर जिस तरह की घटना हो रही है उसकी रोकथाम के सम्बन्ध में कोई सक्रिय कदम न उठायें तो मैं समझता हूं इससे स्थिति में कोई बहुत सुधार नहीं होगा, और उनकी निष्ठा पर भी इस बात के लिये संदेह हो सकता है । यह बताने की जरूरत नहीं है कि यहां माननीय सदस्य जो हैं वह केवल संसद सदस्य ही नहीं बल्कि इसके

बाहर भी राजनीतिक नेता हैं और किसी न किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं, संचालन करते हैं, उसके सदस्य हैं। इसलिये केवल संसद सदस्य के रूप में इस घटना की निन्दा कर के यदि वह समझते होंगे कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर दिया तो वह एक मुगालते में रहने की बात होगी।

यह भी बताने की कोशिश की गई कि जो अपहरणकर्ता हैं वह राजनीतिक दल के, खासतौर से जिसके बारे में कल मैंने अपने ब्यान में कहा था वह युवा कांग्रेस के सदस्य हैं, इसको भी इन्कार करने की कोशिश की गई। कल मैंने कहा कि उन्होंने यह इच्छा जाहिर की कि उनकी बात यहां की माननीय सदस्या श्रीमती मोहसिना किदवई को उसकी जानकारी दे दी जाय और श्री संजय गांधी को उनका सलाम भी भेज दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही होता तो एक बार मान भी लिया जाता कि उन्होंने इस बात को किसी और कारण से प्रेरित हो कर कहा है। मैं आपका ध्यान 19 तारीख को, जिस दिन श्रीमती गांधी के बारे में फैसला हुआ, 19 को उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी किया था जिसमें यह दोनों अपहरणकर्ता तो थे ही, इनके साथ धर्मेन्द्र संखधर और सतीश सिंह, यह दोनों उत्तर प्रदेश के युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इनके साथ एक संयुक्त बयान जारी किया गया था और उसमें यह कहा गया था, इस तरह का प्रस्ताव किया गया था कि वह उत्तर प्रदेश की सरकार को पूरी तरह से पैरेलाइज़ करेंगे और उनकी मांग जो थी वह बताया गया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को तत्काल रिहा किया जाय, उनके खिलाफ और संजय गांधी के खिलाफ़ जो मुकदमें हैं उनको तत्काल वापस लिया जाय।

इन तमाम चीज़ों के अलावा, इतना ही नहीं, इसके पहले भी अनेक बार इस बात के प्रमाण हैं कि वह युवा कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिये भी आवेदन किया था। इतना ही नहीं श्रीमती इन्दिरा गांधी और संजय गांधी का जब उत्तर प्रदेश में दौरा हुआ है तो उन्होंने पायलेटिंग भी किया है। इसका सबूत है। इसलिये यह कहना कि उनका सम्बन्ध कांग्रेस (आई) या जो उसकी युवा शाखा है, उसके सदस्य नहीं हैं, इस बात को इन्कार नहीं किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि दरअस्ल में अगर वह चाहते हैं कि इस तरह की घटना ठीक नहीं है इसकी निन्दा करते हैं, तो न केवल यहां कहने से और कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव पास करने से मामला हल नहीं होता है, जब तक यह लोग, इस बात का सबूद है कि वह युवा कांग्रेस के सदस्य हैं, इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, इस बात को स्पष्ट रूप से यहां पर या अपने प्रस्ताव के ज़रिये सक्षम समिति के ज़रिये कार्यवाही करने की बात न करें।

अगर वास्तव में वह चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं न हों, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि संसदीय प्रजातंत्र के लिय इस तरह की घटनाओं का स्थान नहीं है, सब की निष्ठा है कि इस देश में प्रजातंत्र चले तो एक ही रास्ता होता है कि जो भी आन्दोलन होता है, जिस बात से हम सहमत नहीं होते हैं, अपनी बात को आम लोगों के बीच में कहकर जनमत को जागृत करें। अपनी बात के समर्थन के लिये जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से करें। लेकिन यह हुआ नहीं। जब से श्रीमती गांधी को यहां दंडित किया गया है, उसके बाद से हर जगह, 3, 4 घटनाओं का प्रधान मंत्री ने ज़िक्र किया, विमान का अपहरण हुआ। इतना ही नहीं, कल विजयवाड़ा में और उसके साथ-साथ तिरुपति में जहां हवाई जहाज उतरता है, वहां भीड़ ने विमान को उतरने नहीं दिया, और उस विमान को वापस मद्रास और हैदराबाद भेजा।

तो यह घटना, जैसा माननीय उन्नीकृष्णन् जी कह रहे थे, कोई एक घटना नहीं है, घटनाओं का क्रम है और इसके पीछे जब तक कोई संचालन का केन्द्र नहीं होगा, तब तक इस तरह से. . . . . .

श्री एम० सत्यनारायण राव: आज हमें इस बारे में सूचना मिली है। यह निराधार तथा बिल्कुल गलत है। किसीने बाधा नहीं डाली। राज्य सरकार ने कदम उठा लिए हैं और रन व को साफ कर लिया गया है और इसे स्वीकृति भी मिल गई है। मुझे यही सूचना मिली है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक: केवल रन-वे का सवाल होता तो जहाज वहां उतरता । मौसम खराब नहीं था । जहाज को मद्रास या हैदराबाद वापस जाने का कोई कारण नहीं था ।

श्री पी० वेंटकसुब्बैया: तथ्यों को गलत रूप में मत बताइये । रन-वे साफ था, सुरक्षा दी गई । चालक स्वयं विमान को नहीं उतारना चाहते थे । मंत्री जी को तथ्यों की जांच करनी चाहिए ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक: मैं कहना चाहता हूं कि विमान अपहरण की घटना केवल एक नहीं है, योजनाबद्ध तरीके से जो संसद् ने फैसला किया था, उसके खिलाफ हिंसक तरीके से एक आंतक पैदा करने की कोशिश की जा रही है । मैं इस सम्बन्ध में और अधिक कहना नहीं चाहता, केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि दरसल में जो बातें इस प्रस्ताव की बहस के दौरान कही गई हैं, उससे यह नतीजा निकलता है कि इन तमाम चीजों पर हमको विचार करना चाहिये और जिस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व वह करते हैं, वहां समूचे रूप से कार्यवाही जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं होगी तब तक किसी को इस बात का विश्वास नहीं हो सकता है कि जो उसके नेता कहते हैं सचमुच में उस पर वह यकीन करते हैं और उस पर अमल करना चाहते हैं और उस फिलासफी पर विचार में विश्वास करते हैं ।

माननीय सदस्यों ने कुछ अपनी तरफ से सुझाव भी दिये हैं, माननीय उन्नीकृष्णन् जी ने कहा कि जो घटना हुई है, उस घटना को उत्तरप्रदेश की पुलिस पर नहीं छोड़ना चाहिये । माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि जरूरत होगी तो सी० बी० आई० की जांच भी कराई जा सकती है । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी में ला दूं कि उसकी जांच का काम वहां की स्टेट सी० आई० डी० की जो क्राइम-ब्रांच है, उसके सुपुर्द किया गया है । हम देखेंगे कि जांच ठीक हो रही है या नहीं । अगर ठीक नहीं होगी तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने जैसा कहा उसके अनुसार कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री सी० एम० स्टीफन: यह राज्य का मामला नहीं है । सी० बी० आई० ऐसा कर सकती है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: इसे सी० बी० आई० को सौंप दिया जाना चाहिए ।

श्री सौगत राय: सी० बी० आई० से जांच कराइय ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक: माननीय प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि इन्टेलिजेंस ब्रांच के जरिये इसकी जांच के आदेश दे दिये गये हैं । इस प्रकार तमाम बातों की जानकारी समुचित रूप में आ जायेगी न केवल यह कि हाईजकिंग की घटना किस प्रकार हुई, बल्कि यह भी कि कौन लोग किस तरह उसमें जुड़े हुए हैं । माननीय सदस्य, श्री कंवर लाल गुप्त, ने कहा है कि इस बारे में एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया जाये । व्हाइट पेपर तो नहीं, लेकिन पूरी घटना की जानकारी स्पष्ट रूप से इस सदन को हो जायेगी ।

सिक्युरिटी के सम्बन्ध में कहा गया है । अभी तक हम स्टेट पुलिस को गाइडलाइन्ज दे देते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उनके अनुसार यात्रियों की सिक्युरिटी की जांच करें । जिस तरह की घटनायें हो रही हैं और जो शिथिलता बरती जा रही है, उसको देखते हुए हमारे समाने यह प्रस्ताव है--इसको राज्य सरकारों के पास भी भेजा गया है--कि जो पर्सोनेल सिक्युरिटी के लिए तैनात होते हैं, अगर उनको डैपुटेशन पर हमारे अधीनस्थ कर दिया जाये, तो ज्यादा शक्ति और विस्तार के साथ जांच हो सकेगी और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा ।

श्री वसन्त साठे: आप इलेक्ट्रोनिक मशीनें क्यों नहीं लेते ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक: इलेक्ट्रानिक मशीनें भी उपलब्ध की जा रही हैं । बड़ी एयरपोर्टस में वे लग गई हैं । और स्थानों के लिए भी उस तरह की मशीनें मंगाई जा रही हैं । लेकिन इस मशीन के द्वारा भी इस तरह का मैटल पूरी तरह से डिटेक्ट नहीं होता । अगर किसी वैपन के मैटल को प्लास्टिक

से कवर कर दिया जाये, तो पूरी तरह से उसका डिटेक्शन नहीं होता है । इसलिए फ़िजिकल फ्रिस्किंग ज्यादा इफ़ेक्टिव है । मैं माननीय सदस्यों को आशवस्त करना चाहता हूं कि हम पूरी तरह से जांच करने की तरफ पूरा ध्यान देंगे ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह केवल एक जोक है । जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है, चाहे सही वैपन हो और चाहे टाय या डम्मी वैपन हो, यात्रियों और पायलट पर उस का असर हो सकता है, और उससे निश्चित रूप से नुक्सान हो सकता था ।

मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अभियुक्तों के खिलाफ़ समुचित रूप से कार्यवाही की जा रही है । आर्फेस रजिस्टर किये गये हैं और उनके ख़िलाफ जितनी सख्त कार्यवाही हो सकती है, वह की जायेगी ।

श्री आर० वेंकटरमन : निस्संदेह इससे बहुत आशंका तथा भय उत्पन्न हो गया। फिर यह हंसी माजक जैसा लगाने लगा । उसके बाद प्रो० समर गुह ने हस्तक्षेप कर दिया । मैंने बताया कि मैं इसकी निन्दा करता हूं और कहां कि जो लोग विमान में बठे थे उनके लिए तो यह हंसी माजक वाली बात नहीं थी । मैंने मंत्री जी का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय नियम की ओर आकर्षित किया है । मैं चाहता हूं कि वे इसे अपना लें । यदि वह अभी भी यह कह रहे हैं कि मैंने कहा कि यह मजाक था तो वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभा अनिश्चित काल तक स्थगित होती है ।

मध्याह्न पश्चात 6.15 बजे

इसके पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल तक स्थगित हुई ।

MGIPRRND—38 LSSJ78—III—D—20-4-79—210